# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या : 8

**गुरुवार;**

**28 फरवरी, 2008**

**राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**
**विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।**

**(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**प्रश्न संख्या - 134**

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री प्रहलाद गुंजल।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

### जयपुर शहर में दूषित जल आपूर्ति से प्रभावितों को मुआवजा

135. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण), **डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) एवं **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से अब तक दूषित पानी की आपूर्ति हुई है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में एवं दूषित पानी की सप्लाई के क्या कारण रहे? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दूषित पानी पीने से बहुत से लोग बीमार हुए एवं कुछ की मौतें भी हुई हैं? यदि हां, तो बीमार एवं मृत व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन बीमार व्यक्तियों का इलाज कौन-कौन से अस्पतालों में व कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बीमार एवं मृत व्यक्तियों के परिजनों को सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना व किन-किन को व नहीं, तो क्यों?

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(5) क्या यह सही है कि दूषित जल के वितरण के लिए सरकार द्वारा जिम्मेदारी तय की गई है? यदि हां, तो किस-किस की?

**जल संसाधन मंत्री** (श्री सांवर लाल): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) जी नहीं। मौतें दूषित पानी से नहीं हुई हैं। इस कारण मुआवजा नहीं दिया गया।

(5) जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गैर जिम्मेदार सरकार के गैर जिम्मेदार मंत्री से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जयपुर के अनेक हिस्सों में सीवरेज लाइन के समीप पेयजल की लाइन होने से सीवरेज के लीकेज होने और पेयजल की पुरानी पानी की पाइप लाइनें सड़-गल जाने के कारण दूषित पानी सप्लाई हो जाता है और उनको ठीक करने के लिए 30.6.2007 तक का समय कार्य हेतु निर्धारित किया था और उसके लिए बजट का भी प्रावधान किया था? क्या कार्य पूर्ण हो गया? नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

नम्बर दो, क्या इस प्रकार के लीकेज से पानी दूषित होने से बीमारी के कारण मौतें होना सम्भव नहीं है? क्या आपने इस कारण एक ए. ईएन. को सस्पैंड नहीं किया?

नम्बर तीन, अगर यह दूषित पानी नहीं आया तो लक्ष्मीनारायणपुरी और मुरलीपुरा क्षेत्र में चिकित्सा शिविरों को क्यों लगाया और उनमें क्या-क्या बीमारियां निकलीं और उनके क्या कारण रहे हैं?

नम्बर चार, जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, क्या आपने उन लोगों का मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में डाक्टरों से जांच कराने का प्रयास किया? नहीं, तो क्यों? क्या आपने सेठी कालोनी के सेटेलाइट अस्पताल के एम.ओ. को इसीलिए सस्पैंड नहीं किया? नम्बर पांच.....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नियमों में तो दो ही पूछ सकते हैं।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): अगर आप यह सब असत्य मानते हैं तो क्या प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया द्वारा दूषित पानी से मौतों के सम्बन्ध में किसी भी मीडिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की? अगर नहीं, तो इन समाचार पत्रों में और मीडिया में खबरें छपीं उन पर अविश्वास करने का क्या आधार है?

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव के जरिये भी यहां पर बहस हुई और उसमें भी मैंने जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश की है। माननीय सदस्य का पूरक सवाल है कि लाइनें आपने चेंज करवाने का काम कर रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां भी लाइनें अगर कम प्रेशर की है, कहीं-कहीं डिफेक्टिव हो जाती हैं तो उनको चेंज करना हमारी सरकार ने प्राथमिकता से लिया है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकार ने एक इंच भी लाइन चेंज नहीं करवाई।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आप पिछली सरकार की बात नहीं कहें। इसी का जवाब दो तो ज्यादा ठीक रहेगा।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): मैं जवाब दूंगा उसमें आपको बीच-बीच में खड़े होकर के आब्जेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य, मैं बिलकुल नहीं बोला हूं। आप सुनिये। अगर आपको कोई आपत्ति हो मेरे उत्तर से तो आप बाद में पूछ सकते हैं और आपकी सरकार का अतीत मैं बताता हूं तो उससे एकदम गुस्से में नहीं होना चाहिए। जो काम आपने नहीं किया है, सदन और राजस्थान की जनता की जानकारी में अगर मैं लाता हूं तो यह भी मेरा फर्ज है।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): एक पाइप लाइन चेंज नहीं की इन्होंने।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): नम्बर दो, अब आपने यह कहा कि किस वजह से मरे तो मौतें हुई हैं, स्वाभाविक मौतें हैं यह मैं आपको एक-एक करके बता सकता हूं। यह मेडिकल के आधार पर है। (1) निशा, डेढ़ वर्ष, लक्ष्मीनारायणपुरी, किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुई इसलिए इसकी कोई जांच नहीं हुई, अज्ञात कारण रहा। (2) कृश, डेढ़ वर्ष, रक्त की कमी से। (3) कल्याण सहाय खण्डेलवाल, 80 वर्ष, दमा और कुपोषण। (4) घासीलाल हरिजन, 70 वर्ष, लकवे से ग्रस्त थे। (5) दीपचन्द पुत्र मेवाराम हरिजन, फेफड़े

(श्री सांवर लाल)

की बीमारी थी। (6) अन्तिमा, एनिमिया की बीमारी थी। इसी तरह से मुरलीपुरा क्षेत्र में (1) श्रवण लाल लाखोटिया पुत्र श्री मदन लाल माहेश्वरी, दिल का दौरा। (2) रामप्रसाद पुत्र रमेश चन्द्र सैनी, हेपेटाइटिस। (3) बलवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह, विरल हेपेटाइटिस। (4) मीनू सिंह पुत्र एस. आर. जोधा, पेट दर्द, उल्टी-दस्त का इलाज किया था। (5) मुक्ति लाल पुत्र श्रीराम शर्मा, पुराने समय से डाइबिटीज का मरीज था। आपने कहा कि शिविर क्यों लगाये तो कोई भी सोशियल वेलफेयर गवर्नमेंट अगर किसी क्षेत्र में बीमारी होती है, आज गांवों के अन्दर सूचना मिलती है तो वहां भी मोबाइल वैन दौड़कर जाती है इलाज करने के लिए। इस कालोनी में भी कुछ बीमारियों की शिकायतें मिलीं तो डाक्टर्स ने, चिकित्सा विभाग ने शिविर लगाये और लगभग उनकी रिपोर्ट है कि मौसमी बीमारियों की वजह से ये पेशेंट्स यहां पर आये। यह सब रिपोर्ट मेरे पास है।

इसके अलावा आपने कहा कि ए. ईएन. को सस्पैंड क्यों किया। ए. ईएन. को इसलिए सस्पैंड नहीं किया कि कहीं दूषित पानी जा रहा था। मौके पर कलक्टर, दूसरे अधिकारी पहुंच गये और उसको कहा कि आप पहुंचिये, उसने पहुंचने में देरी की तो नेग्लीजेंसी की वजह से उस ए. ईएन. को हमने निलम्बित किया।

अब आपको बताऊं, यह सेम्पल मेरे पास हैं इनकी जांच की गई है। 10.2.08 से लेकर 28.2.2008 तक ये जो परीक्षण हुए हैं 1884, इसमें क्लोरीन की जांच की गई और सारे ठीक पाये गये। 162 जीवाणुओं के लिए इनमें 139 की जांच हो गई, ठीक पाये गये और 23 की जांच विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय में पहले भी एक जनहित याचिका दायर हुई उसके अन्दर माननीय कोर्ट ने, जो रिट दायर करने वाले थे उनको डिसमिस किया है। अभी फिर एक रिट दायर हुई है उसके बाद भी हम नियमित सेम्पल ले रहे हैं। श्री मधुसूदन शर्मा, एडवोकेट की तरफ से है। इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से सारे सेम्पल को रेगुलर टैस्ट किये जा रहे हैं।

माननीय सदस्य, आपने यह कहा कि अख़बार वालों पर, प्रिंट मीडिया पर, तो यह जनहित में कोई कदम उठाये हैं तो आपके ऊपर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। इसलिए अगर कोई सही छाप रहा है, गलत छाप रहा है, इस

(श्री सांवर लाल)

विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं पर कोई भी तथ्य अगर वहां पर हो कि किसी के सामने सेम्पल लिया है, सेम्पल की जांच किसी के सामने करवाई है, फलां पी. एच. ई. डी. के नल की टूंटी में पानी आ रहा था उससे सेम्पल लिया हो तो ऐसा हमको बता दीजिये आप। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो बात कह रहा हूं वह बिलकुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। माननीय सदस्य, इसके ऊपर पहले भी चर्चा हो चुकी है। फिर 14 तारीख तक माननीय उच्च न्यायालय में हमको जवाब देना है सारी जांच करवाकर। रोजाना इसकी जांच की जा रही है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जब मामला हाई-कोर्ट में है, सारी बातें मैं स्पष्ट कर चुका हूं तो इस पर आप रोजाना चाहें कुछ भी कहें पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में पीने के पानी की जो व्यवस्था इस सरकार ने की है वह एक ऐतिहासिक व्यवस्था है और कहीं भी दूषित पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जो-जो कालोनीज की बात आई है उन कालोनीज के एक-एक सेम्पल की जांच मैंने आपको दी है। अब नीले और पीले पानी के सेम्पल कहां से भरे जा रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है मगर मैं सदन को और माननीय सदस्य को एवं इस क्षेत्र की... (व्यवधान) सुन तो लो।

इस क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी के भी पीएचईडी की टूंटी से अगर डिफेक्टिव वाटर आता है तो हमारे चीफ इंजीनियर को, हमारे पीएचईडी के सेक्रेट्री को, मुझे फोन करिए, मैं उनके सामने सेम्पल भरवाऊंगा, अगर उसमें कमी पायी गयी तो तत्काल अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। सेम्पल अगर जिम्मेदारी से भरा जाएगा, हम जिम्मेदारी लेने में कतई पीछे नहीं हैं, पर होना तो विश्वसनीय चाहिए। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से फिर एक बार माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कहीं भी कोई शिकायत हो हमारे अधिकारियों से बात करिए तत्काल उनके सामने सेम्पल भरवाएं, माननीय सदस्यों के सामने मैं जांच करवाऊंगा और जांच में अगर डिफेक्टिव होगा तो एक्शन हम लेंगे।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी दो बात कही। यह कहा कि एईएन को इसलिए सस्पेंड किया कि कलक्टर और अधिकारियों ने उनको वहां पर बुलाया और वे नहीं पहुंचे। मैं एक तो मंत्रीजी को चुनौती देना चाहता हूं ...(व्यवधान) मैं उनके कथन को चुनौती दे रहा हूं, कलक्टर साहब लक्ष्मीनारायणपुरी के मौके पर नहीं पहुंचे थे।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

अगर वे पहुंचे थे, जो मंत्रीजी कह रहे हैं तो क्या कारण था जिसकी वजह से सारा अमला वहां पहुंचा और उसमें एईएन की क्या लापरवाही थी जिसकी वजह से उसको सस्पेंड किया? नम्बर दो...

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): एईएन रिश्तेदार है क्या?

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आपका होगा रिश्तेदार।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है मैं उसके डोकुमेंटरी प्रूफ आपको पेश करना चाहता हूं। मंत्रीजी ने यह कहा कि कल्याण सहाय रावत की जो मौत हुई है, वह 80 साल के थे, यह सवाईमानसिंह चिकित्सालय के चिकित्सक का जहां पर इलाज हुआ है और वहां इलाज किस बीमारी की वजह से हुआ है मैं उसके कागज टेबल पर रखने को तैयार हूं। इसके साथ मुरलीपुरा क्षेत्र में संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल होस्पिटल का मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर ने जो डेथ के कारण बताये हैं जिसकी वजह से मौत हुई है, गंदे पानी से मौत हुई है उसका भी डेथ सर्टिफिकेट का कारण मैं टेबल करने को तैयार हूं। उसमें जो लिखा है वह पढ़कर सुना रहा हूं। (व्यवधान) थोड़ा तसल्ली तो रखो, क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं, मैं भी तो आपको तसल्ली से बता रहा हूं। इसमें लिखा है ... (व्यवधान) इसमें लिखा है - "Mr. R.C. Saini, age - 42, sex - male, date of death – 10.2.2008, father's name - Ram Chandra Saini." इन्होंने काज ऑफ डेथ बताया है- "Hepatitis E with Hepatic Encephalopathy टेक्नीकल आदमी मेरे बगल में बैठे हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): दूसरा कॉज ऑफ डेथ बताया है सेप्टीसीमिया। यह जो काज है ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): सेप्टीसीमिया क्या होता है? सेप्टीसीमिया बताओ ना अभी।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आप मंत्री नहीं हैं, आप विराज जाएं।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आप बताओ ना, सेप्टीसीमिया क्या होता है?

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आप विराज जाएं। संतोकबा दुर्लभजी ने जो डेथ का सर्टिफिकेट दिया है ...(व्यवधान) आप विराज जाएं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आप नहीं जानते हैं तो किसी दूसरे से पूछकर आ जाते।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): कल्याण सहाय का और बता दीजिए कल्याण सहाय का काज आफ डेथ क्या है?

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आप विराजें। मैं यह सब चीजें टेबल करने को तैयार हूं।

**एक माननीय सदस्य**: गंदा पानी दिखा दिया, गंदा पानी पीकर दिखाओ आप।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): मंत्रीजी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान इस पवित्र सदन में दे रहे हैं सारे राजस्थान की 6 करोड़ जनता और जयपुर शहर इस बात को जानता है कि ये मौतें दूषित जल से हुई हैं।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आप सप्लीमेंटरी में इतना नहीं पूछ सकते। (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न लगे हुए हैं।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): मैं भाषण नहीं दे रहा हूं जो इलाज डाक्टरों ने किया है, एसएमएस अस्पताल में जो इलाज हुआ है मैं उसके कागज आपको देने को तैयार हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): संतोकबा ने जो डेथ सर्टिफिकेट दिया है वह मैं टेबल करने को तैयार हूं और ये दोनों चीजें इस बात का सबूत है जो मौतें हुई हैं वे दूषित पानी की वजह से हुई हैं। (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी क्वेश्चन लगा हुआ है। 10 दिन से विधान सभा चल रही है, क्वेश्चन पर समय सीमा निर्धारित की जाए। (व्यवधान) डिबेट करवाकर इनसे भाषण करवा रहे हैं।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): दूषित जल से जो मौतें हुई हैं एसएमएस होस्पिटल में भर्ती हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताएं जो जवाब दे रहे हैं दूषित पानी की पूछ लें, इनको लिखा दी गई, जो दूषित पानी से बीमार होकर हास्पिटल में भर्ती हुए हैं, दूषित पानी आप पीकर बताएं।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री जुबेर खान।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): दूषित पानी पीकर जो मरीज हुई हैं ... (व्यवधान) आप उस दूषित पानी को पीकर बताएं, जो सारे पेशेंट भर्ती हुए हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री प्रमोद जैन भाया।

**एक माननीय सदस्य**: वह तो जनता पिला देगी आपको पानी समय रहते, आप चिन्ता मत करो।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब ने सचिवालय को लिखा है, उनकी तरफ से मुझे अधिकृत किया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष:** पूछिए इसमें, प्रश्न।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल आये उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मंत्रीजी से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने अपने स्टेटमेंट में बताया कि इनकी फलां-फलां बीमारियों से मौत हुई हैं। क्या जयपुर में और कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें इन बीमारियों के मरीज हो उसी दौरान ये मौतें हुई हैं। कहीं न कहीं पानी खराब आया है तभी हुई हैं। बीमार हो सकते हैं। जयपुर में हजारों आदमी इन बीमारियों से बीमार होंगे। नम्बर एक, क्या आप यह नहीं मानते हैं पर्टीकुलर कालोनीज में जो डेथ हुई हैं उसमें दूषित पानी का योगदान रहा है और दूसरा, मंत्रीजी का एक वक्तव्य छपा था, जब प्रेस मीडिया ने इनसे सवाल किया कि दूषित पानी को लेकर ये मौतें हुई हैं, आपको क्या कहना है तो जिम्मेदार मंत्री होने के नाते आपने यह कहा, मीडिया में आया है कि जो आया है वो जाएगा। क्या आपने यह कहा है या नहीं कहा है? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं अनुमति से ले जा रहा हूं।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आप, मंत्रीजी, पूछकर लेकर जाएं। आप यहां रखिए कागज। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से ले जा रहा हूं।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आप बिना टेबल से पूछे ले जा रहे हैं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): स्पीकर देखेंगे, स्पीकर। पहले इन कागजों को स्पीकर साहब देखेंगे। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, इसी मुददे को लेकर माननीय सदस्य धरना दे चुके हैं तो इसमें इतनी जरूरत क्या है बहस करने की।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): Tabled only for Chair, not for Minister. जुबेर साहब, बोलिए। यह कागज टेबल किया है, आसन देखेंगे, मंत्री नहीं देखेगा उसको। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): इस मुद्दे को लेकर सदन में पहले भी धरना दिया जा चुका है अब इसमें इतनी बहस की क्या आवश्यकता है?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर रखने के बाद में सारे सदन की सम्पत्ति होती है, कोई भी माननीय सदस्य उसको देख सकता है आराम से। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** देख लेंगे जरूरत होगी तो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने तो आपकी अनुमति से लिया है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): पहले स्पीकर साहब देखेंगे। पहले स्पीकर साहब देखेंगे। नो, नो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दर्द यह है कि इसमें जो काज दिया है आप इनको पढ़ लो। (व्यवधान) इसमें जो काज आफ डेथ है आप पढ़ लो तो असलियत सामने आ जाए सदन को। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): अभी क्वेश्चन आवर चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये आपकी परिधि में है, आपसे ले जा सकते हैं। पहले आप इसको देखिए, आप अपना निर्णय दें। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** किस बात का?

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आप देखें, सेक्रेट्री साहब देखें, यह आपके पजेशन में हैं, उसके बाद सरकार चाहे तो आपसे ले-ले। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह राठौड़ साहब, उपाध्यक्ष महोदय, सुपर स्पीकर और सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं रोजाना। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आप क्या कर रहे हो?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप थोड़ा इनको टाइट करो।

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): पहले खुद तो टाइट हो जाओ।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप सुपर स्पीकर और सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हो, यह ठीक नहीं है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं आसन पर? किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आसन हम सब के लिए सम्माननीय है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** अंकित नहीं किया जाए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैं इसी संबंध में कह रहा हूं। अभी जो पेपर टेबल किये गये उन पेपर के अंदर जिन बीमारियों का जिक्र किया गया है, माननीय मंत्रीजी ने जिन बीमारियों के नाम पढ़कर सुनाए कि लंग डिजीज से मर गये, हेपेटाइटिस से मर गये तो मूल प्रश्न यह नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि वो बीमारी किस कारण से हुई? सेप्टीसीमिया क्यों हुआ, दूषित पानी पीने से। हेपेटाइटिस क्यों हुई, दूषित पानी पीने से।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

मंत्री महोदय यह बता दें कि किसी भी बीमारी के अन्दर यह लिखा हुआ होता है क्या कि दूषित पानी पीने से यह बीमारी हो गई है, एक चीज... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: ×××

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैं आपके काम की बात कर रहा हूं। दूसरा, यह आपने जिक्र किया है कि 1,884 सैम्पल आपने लिये तो आप यह बताओ कि 2004 से अब तक आपने कितने लिये? यह फैला तभी लिये सैम्पल आपने, तीन साल तक तो कोई सैम्पल लिये नहीं और एक चीज और, तीन बार इसी विधान सभा के अन्दर सवाल पूछा गया, सरकार ने आज तक यह उत्तर नहीं दिया कि शुद्ध पानी के क्या मापदण्ड सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं? यदि माननीय मंत्रीजी को मालूम हो तो मुझे भी बता दो...

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, यह कोई...

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): यह इतनी जांचें हो रही हैं दूषित पानी की...

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): मुझे सब मालूम है, आप बैठो तो बताऊं मैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: यह कोई जनरल डिस्कशन नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इस बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है। एक तो रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, मैं बिलकुल उनकी बात से सहमत हूं। यह जो अख़बार में छप रहा है, यह दोनों कालोनीज के बारे में छप रहा है, बाकी आप यह मानकर चलते हो क्या कि...

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): आप बैठो तो सही, क्या +++ है। आप बैठ जाओ ना।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): ...हमें दु:ख हो रहा है इसलिए कहना पड़ता है। (व्यवधान) आदर्श नगर में है, परसों उम्मेदपुरी में हुआ था।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): बिना मतलब, आधारहीन बात करके, सुनना ही नहीं चाहते हो।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आधारहीन का क्या सवाल है? कल छपा है कि नहीं। आपके शिक्षा मंत्रीजी के क्षेत्र में, आदर्श नगर आपके शिक्षा मंत्रीजी का क्षेत्र है, उसमें कल रात दूषित पानी आया है। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह तो अख़बार में आ गया, एक रूमर चल गई, इसलिए अखबारों में छप गया, बाकी क्या आप मानकर चलते हो क्या कि इस दौरान जयपुर शहर में कहीं किसी की मृत्यु नहीं हुई है। (व्यवधान) हम आपको लिस्ट दे देंगे कि किस-किसकी मृत्यु हुई, किस-किसकी नहीं हुई।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): अख़बार के आधार पर आप कुछ भी पूछ नहीं सकते। अखबारों के आधार पर यहां पूछ भी नहीं सकते।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): दूसरा, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ए.ईएन. को क्यों सस्पैण्ड कर दिया जबकि मैं 50 बार आपके जवाब में कह चुका हूं कि वह लेट पहुंचा है, टाइम से पहुंचना चाहिए था। जो अफसर लेट आये, वह अफसर नहीं है, इसलिए आपको सुनना चाहिए। आपकी सरकार की तरह गैर जिम्मेदार सरकार नहीं है हमारी। सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, आधा घंटा हो गया है, अगला प्रश्न लें।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): अभी विद्वान हमारे डाक्टर साहब बोल रहे हैं कि यह दूषित पानी से हो रहा है। इसके कई कारण होते हैं साहब। पीलिया कई कारण से होता है। सिगरेट के पीने से होता है...

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): पानी भी होता है ना कारण, पानी भी होता है ना कारण। पानी भी तो होता है ना। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): शराब पीने से होता है, there are so many reasons. माननीय डाक्टर साहब, आप बाद में बताना। यह जो मैं जानकारी दे रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे रहा हूं, बिलकुल जिम्मेदारी से दे रहा हूं।

एक आपने कहा कि सैम्पल अभी लिये। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में यह नियमित रोजाना सैम्पल लिये जाने की व्यवस्था है। यह तो

(श्री सांवर लाल)

स्पेशली इसलिए लिये कि वहां के लोगों ने शिकायतें की हैं। अब दूसरे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अखबारों में छपा। इस सदन में कई बार यह व्यवस्था दी गई है कि अख़बार में छपी खबर के आधार पर विधान सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपके पास कोई अथोंटिक तथ्य हों, अख़बार में कोई अथोंटिक तथ्य दिये हों कि हमारे विभाग के साथ, सरकार के साथ मिल-जुलकर जांच कराई हो, उसको हम विश्वसनीय मान सकते हैं। अगर कहीं से सैम्पल भर लिये।

अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गंदा पानी आप पीकर देखो। आप बोतल कहां से भरकर लाये हो? हमारी टूंटी से भरो ना, फिर पीयेंगे हम, आपको भी पिलायेंगे। आप कहां से भरकर लाये हो, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** बात आपकी हो गई है। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आपका अंकित नहीं होगा। आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान में सब जगह शुद्ध पानी हम दे रहे हैं और इस जयपुर शहर में 40 साल के बाद में लाइन बड़ी करने का काम और लाइन बदलने का काम शुरू किया है, वह वसुन्धराजी की सरकार ने किया है इसलिए मैं इसको पूरी तरह से नकारता हूं और शुद्ध पानी हम दे रहे हैं।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): मंत्री महोदय, यह कबूतर कहां मिला, यह तो बताओ। यह कबूतर कहां मिला था, वह भी बताओ।

**श्री उपाध्यक्ष:** नैक्स्ट प्रश्न, श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): माननीय सदस्य, यह बात बे-बुनियाद बातें कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष:** अंकित नहीं हो।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। आप बैठ जाइये। बात पूछ ली आपने।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** अंकित नहीं हो। (व्यवधान) देखो, यह मैटर हाइकोर्ट में पेंडिंग है, सारी बात आ गई है, (व्यवधान) उच्च न्यायालय में मैटर पेंडिंग है। सारा जवाब आ गया है, इस पर डिस्कशन नहीं होगा। अब आप बहस करने लग गये इसके अन्दर। जवाब आ गया, खतम हुई बात। नैक्स्ट प्रश्न, श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): ×××

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** यह कोई बात यहां आ गई है। (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ×××

## मेड़ता तहसील मुख्यालय (नागौर) में विश्राम भवन का निर्माण

136. **श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र व तहसील मुख्यालय मेड़ता में विश्राम गृह अथवा डाक बंगले की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों?

(2) क्या सरकार मेड़ता में विश्राम गृह व डाक बंगले का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्तमान में डाक बंगले की सुविधा उपलब्ध है।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह डाक बंगला कब बना? आज की स्थिति क्या है और इसकी समुचित व्यवस्था क्या होगी?

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (**सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001 तक इस मेड़ता डाक बंगले में छह कमरे का उपयोग होता था। वर्ष 2001-2002 में वहां दो नये सब-डिवीजन खुले ए.ईएन. सैकण्ड मेड़ता सिटी और ए.ईएन. नेशनल हाइवे। उस समय तत्कालीन सरकार ने निर्णय लेकर इन दोनों ए.ईएन. कार्यालयों को डाक बंगला में स्थानान्तरित कर दिया और उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सारी चीज जानकारी में आई तो जुलाई, 2007 में हमने ए.ईएन. के दफ्तर को दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित करके दो कमरों को खाली कराकर उनका उपयोग लेना शुरू कर दिया और दो कमरे जो दूसरे थे, उनको भी 20 फरवरी को खाली करवाकर, अब वर्तमान में छह कमरे वहां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं और चूंकि मेड़ता के अन्दर अजमेर विद्युत वितरण निगम का एक विश्राम गृह है इसलिए इसका उपयोग पिछले सालों में हो नहीं रहा था, उसमें आक्यूपेंसी लगभग-लगभग शून्य थी, इसलिए इसका उपयोग नहीं हो रहा था। अब इन छह कमरों के अन्दर, जो पहले चार कमरों में दफ्तर चल रहा था, वह खाली करा लिये गये हैं और उनके समुचित उपयोग के लिए निश्चित रूप से जिस तरह से संधारण की आवश्यकता होगी, वह करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष:** नैक्स्ट प्रश्न, श्री बाबूलाल नागर।

## जयपुर शहर सीमा क्षेत्र में कालोनाइजर्स द्वारा अतिक्रमण

**137. श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत कालोनाइजर/कम्पनी/समूह/संस्था या व्यक्ति द्वारा कितनी भूमि रखी जा सकती है?

(2) जयपुर में जयपुर-अजमेर/जयपुर-दिल्ली/जयपुर-टोंक/जयपुर-सीकर/जयपुर-आगरा एवं जयपुर-जोबनेर रोड पर किस-किस व्यक्ति/कम्पनी/कालोनाइजर/संस्था द्वारा कितनी-कितनी भूमि क्रय कर आवासीय कालोनी/फार्म हाउस बसाने का कार्य किया जा रहा है? नाम एवं किसके पास कितनी भूमि है? आवासीय कालोनी एवं फार्म हाउस बसाने वाले किस-किस कम्पनी/कालोनाइजर द्वारा कितनी-कितनी भूमि का कृषि भूमि से किस्म परिवर्तन कराया गया तथा कितनी-कितनी भूमि पर कालोनी बसाने के लिए सड़कें आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि भूमि का बिना किस्म परिवर्तन कराये व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो किस-किस कालोनाइजर के विरुद्ध एवं कब-कब?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर-अजमेर रोड पर जिला एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध कब-कब अतिक्रमण एवं तोड़-फोड़ की कार्यवाही के बाद क्या इन कालोनाइजर/कम्पनियों ने पुन: निर्माण कर लिया है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर एवं सम्भागीय आयुक्त, जयपुर को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति उपलब्ध करायें तथा एक बार प्रशासन द्वारा तोड़-फोड़ करने के बावजूद

(श्री बाबूलाल नागर)

बिना उचित कार्यवाही करें, पुन: निर्माण करवाने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कब-कब व क्या कार्यवाही की गई व नहीं तो क्यों?

## तारांकित प्रश्न संख्या-137

## (स्थगित)

**श्री उपाध्यक्ष:** स्थगित प्रश्न। वह पोस्टपोन है। नैक्स्ट, श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह पोस्टपोन क्यों?

**श्री उपाध्यक्ष:** लम्बा जवाब है इसलिए, जल्दी कोशिश करेंगे। जवाब पूरा आया नहीं। उम्मीद यह करते हैं कि आ जायेगा।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में लगवा दें। इसी सत्र में लगवा दें।

**श्री उपाध्यक्ष:** ठीक, ठीक है। करेंगे।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): इसी सत्र में लगवा देंगे, यह तो आप व्यवस्था दे दें।

**श्री उपाध्यक्ष:** यह करेंगे, यही कोशिश करेंगे।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, कोशिश नहीं, आप कहें कि लगवा देंगे।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में लगवा दें आप तो यह।

**श्री उपाध्यक्ष:** कोशिश यही होगी।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): प्रश्न संख्या 138.

**श्री उपाध्यक्ष:** हां, करेंगे।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): जब प्रश्न दिया है, वह एक्सेप्ट हो गया, अब प्रश्न लग गया...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 10,000 पेज हैं।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): काहे के 10,000 पेज हैं। 10,000 पेज कुछ नहीं हैं।

**श्री उपाध्यक्षः यह** बहुत लम्बा है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आपके सारे घोटाले सामने आ जायेंगे, घोटालों को छिपाने के लिए किया है। आपका मामला है। आप नहीं चाहते हो कि यह हाउस में लगे। मेरा आरोप है इस सरकार पर।

**श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): यह सरकार प्रोटेक्शन कर रही है। इस सरकार की कलई खुलती है। हम चाहते हैं कि इसी सत्र में लगा दो।

**श्री उपाध्यक्षः** कोई अंकित नहीं हो।

## लिंगानुपात में असमानता/कन्या भ्रूण हत्या पर रोक सम्बन्धी नियमों का सुदृढ़ीकरण

**138. श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में जन्म दर में गिरावट आई है? यदि हां, तो जन्म दर कितनी रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में पिछले तीन साल में लिंगानुपात में असमानता बढ़ी है? यदि हां, तो जिलेवार कुल प्रसव लिंगानुसार का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सम्बन्धित नियमों को और कड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां तो किन-किन नियमों में व क्या-क्या संशोधन? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (श्री नरपत सिंह राजवी) : (1) जी हां। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एस.आर.एस.) के बुलेटिन में वर्ष 2005 के नवीनतम आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं। इसके अनुसार वर्ष 2005 से गत तीन वर्षों में राज्य की जन्म दर में निम्नानुसार गिरावट आई है :-

| | |
|---|---|
| वर्ष 2003 | 30.3 प्रतिशत |
| वर्ष 2004 | 29.0 प्रतिशत |
| वर्ष 2005 | 28.6 प्रतिशत |

(श्री नरपत सिंह राजवी)

एस.आर.एस. में जिलेवार जन्म दर की गणना नहीं की जाती है।

(2) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा लिंगानुपात के लिए कोई सर्वे नहीं करवाया गया है। अंतिम सूचना जनगणना, 2001 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 921 रहा है, जब कि पिछली जनगणना 1991 के अनुसार 910 ही है।

(3) जी हां। इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में की जा रही क्रियान्विति की सूचना परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(4) पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट, 1994 के अन्तर्गत नियमों में संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किये जा सकते हैं।

**(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहूंगा, हो सकता है कोई प्रोपर सर्वे नहीं कराया हो। यह बात सही है कि जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर और झुंझुनूं, ये चार जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा गेप है मेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड के बीच में। क्या एक ऐसा सर्वे गवर्नमेंट आफ इण्डिया के लेवल पर Action Aid in collaboration with Canada based International Development Research Centre हुआ था? उसमें धौलपुर जिले को इन्होंने राजस्थान में चिह्नित किया था और धौलपुर के अरबन और रूरल, दोनों सैक्स गेप के बीच के, गर्ल चाइल्ड और बाय चाइल्ड के उन्होंने आंकड़े दिये हैं। क्या राजस्थान सरकार इसके बारे में कोई जानकारी रखती है? अगर रखती है तो कृपा करके मुझे बतायेंगे।

दूसरी बात, मैं यह जानना चाहूंगा कि बीच में कुछ पत्रकारों के द्वारा और मीडिया के द्वारा भी इस प्रकार की चीजों के पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के माध्यम से जो कुछ भी लॉ को किस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उसके बारे में बहुत सी बातें आडियो विजुअल तरीके से, जिसको अपन कहते हैं स्टिंग आपरेशन के तरीके से लिये थे, उसके बाद में क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात से संतुष्ट हैं क्या कि डिपार्टमेंट आफ मेडिकल एण्ड हेल्थ को जितनी सींसियरली लैटर एण्ड स्पिरिट काम करना चाहिए इस एक्ट का, 1994 के एक्ट का, क्या हम वाकई में सेटिस्फाइड हैं कि इस तरीके की चीज को हम किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हुए हैं। A very sincere and truthful

(श्री राव राजेन्द्र राठौड़)

statement as to whether we have been able to put a stop to the abortion of girl fetuses . दूसरे, मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि आपके गवर्नमेंट हास्पीटल्स हैं, जैसे जनाना हास्पीटल, जयपुर है, आप उनका स्टेटिस्टिक्स बता दीजिये कि बेबी ब्वाय का वोल्यूम आफ बर्थ कितना है और बेबी गर्ल का वोल्यूम आफ बर्थ कितना है। एक स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता दूं 2005 में, जहां आपके 2005 के अंदर 9307 जनाना हास्पीटल में बेबी गर्ल बोर्न हुए हैं, बेबी ब्वाय हैं 11616 । Now this cannot be just a simple case of biological phenomenon. डेफिनेटली आज भी कहीं न कहीं हमारी गर्ल चाइल्ड को, प्रायर टू द बर्थ, उसका अबोर्शन कराया जा रहा है। कृपा करके मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालें।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जो डिटेल्स पूछी हैं उसके बारे में तो मैंने उत्तर दिया है। डिस्ट्रिक्ट्स, एस.एम.एस. की डिटेल मांग रहे हैं, जनाना हास्पीटल की डिटेल मांगें, वह तो मैं पृथक से प्रस्तुत कर सकता हूं, अभी तो देने की स्थिति में नहीं हूं। जहां तक पीसीपीएनडीटी एक्ट का प्रश्न है, 58 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, छह डाक्टर्स को आरएमसी द्वारा बेन किया प्रेक्टिस सोनोग्राफी का और 28 डाक्टरों को बेन किया प्रेक्टिस गायनिक, आरएमसी द्वारा। यह पृथक से रजिस्टर, एफ.आई.आर. जो रजिस्टर्ड हुई है वह मेण्डेटरी है और कोर्ट में अभी प्रक्रिया विचाराधीन है। (व्यवधान)

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): एक मिनट डाक्टर साहब। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया से एक्शन एज ने सर्वे किया। Rajasthan is one of those 5 States in India जहां कि यह गेप बहुत ज्यादा है। I am not questioning anybody's sincerity as to whether they have taken it to logical conclusion or not. I am just talking about the seriousness of it. धौलपुर को सेम्पल डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनाया था, यह अगर जानकारी मेरे हाथ तक है तो मेडिकल एण्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के पास में तो यह जानकारी जरूर होगी कि जब उन्होंने उसको सेम्पल डिस्ट्रिक्ट बनाया था, अरबन और रूरल एरिया का जो डिफरेंस है वह भी बताया है कि अरबन एजुकेटेड फेमेलिज में यह चीज ज्यादा पाई गई है, उन्होंने उसके आंकड़े दिये हैं। मैं अगर आप चाहें तो वार्डों के नम्बर तक बता दूं आपको। धौलपुर के जो अरबन वार्ड हैं, अरबन वार्ड के वार्ड नम्बर 14 में इन्होंने सेम्पल सर्वे किया है, वहां सेम्पल सर्वे के बाद में क्या चीजें सामने आई हैं, कम से कम यह सारी अगर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जानकारी स्टेटिस्टिक्स में है, आपने कोई ऑथेंटिक सर्वे नहीं कराया है लेकिन यह एनजीओज हैं जो सिर्फ आपकी और हमारी जानकारी के लिए आथेंटिक सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद में सरकार ने इन सारे स्टेटिस्टिक्स का अवलोकन करने के उपरांत ऐसे कौन से कदम उठाये हैं कि जिससे इस चीज की पुनरावृत्ति नहीं हो और इस तरीके के, आपका जो समाज कल्याण विभाग है, वह चार डिस्ट्रिक्ट्स को चयनित करता है, समाज कल्याण विभाग के बोर्ड के चैयरमेन के स्टेटमेंट्स हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं। झुंझुनूं जिले को उन्होंने सर्वाधिक ज्यादा इसमें पाया है, तो कम से कम मैं यह जवाब तो चाहूंगा कि इसके सीसियर एप्लीकेशन के पीछे स्टेटिस्टिक्स क्या कहते हैं। 48 people have been booked and 22 machines have been sealed. Surveys and seizures 48 पर हुए थे, 22 को आपने सील किया था। मैं यह कहता हूं कि पूरे राज्य के अंदर कितनी अल्ट्रा साउण्ड की या सोनोग्राफी की मशीनें हैं और रूरल एरिया में जो चल रही हैं वह वहां कोई तकनीकी और विज्ञान, और कोई कारण से नहीं चल रही, सिर्फ इस चीज का सर्वे करके और क्योंकि अरबन में ज्यादा आप लोग ध्यान देते हैं, रूरल में इसकी जानकारी उनको तुरंत मिल जाती है, बाकी सारा काम आकर इन प्राइवेट हास्पीटल्स में होता है। इन सर्वेज के बाद में क्या हम इस चीज को रोक पाये हैं या नहीं रोक पाये हैं, मैं सिर्फ इतनी जानकारी चाहता हूं।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिपोर्ट का प्रश्न है, धौलपुर के वार्ड नम्बर 14 का इन्होंने बताया है, अव्वल तो एनजीओज द्वारा की गई रिपोर्ट आथेंटिकली कनवे नहीं होती, इस डिपार्टमेंट को अभी तक कनवे नहीं की गई। आपके पास स्टेटिस्टिक्स होंगे, we will get it examined. There is no problem. जहां तक टोटल रजिस्ट्रेशन का सवाल है, 1325 टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे सोनोग्राफी क्लिनिक्स वगैरह के। इसमें 48 रजिस्ट्रेशन सस्पैण्ड और कैंसिल हुए हैं। तो स्टेटिस्टिक्स इनके सामने हैं, मैंने खुला कहा है कि इसके अलावा भी कोई अगर देना चाहें, सूचना दे दीजिये. I will take action. No problem.

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2006 के पहले राज्य सरकार ने एक भी कन्या भ्रूण हत्या का मामला दर्ज नहीं किया, जब स्टिंग आपरेशन हुआ, पहले इस पवित्र सदन के अंदर तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने यह कहा था कि कन्या भ्रूण हत्या का कोई मामला हमारे सामने अभी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

तक नहीं आया, हम कार्यवाही क्या करें। 2006 में जब स्टिंग आपरेशन के जरिये यह मामला उजागर हुआ, तब पीसीपीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने का सरकार ने विचार बनाया, सोनोग्राफी मशीन्स को बुक किया, डाक्टर्स को बुक किया। फिर क्या कारण थे कि शिथिलता देते हुए इन सोनोग्राफी मशीन्स को भी रिलीज कर दिया, डाक्टर्स को भी रिलीज कर दिया और इसी तरीके से पीसीपीएनडीटी एक्ट का यह चौथा बिंदु जो माननीय सदस्य ने पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि जो पूरे देश में कानून बना हुआ है, पीसीपीएनडीटी एक्ट, उसके तहत सारी सोनोग्राफी की मशीनें और सारे जितने भी अबोर्शन होते हैं उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है। मैं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के ऊपर बता रहा हूं कि आज भी अनेक सोनोग्राफी मशीन अनेक नर्सिंग होम के अंदर ऐसी हैं जिन पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिन फार्मों को भर कर लगातार पीरियडकली सरकार को देना चाहिए, वह नहीं दिये जाते हैं। यही कारण है कि यह लिंगानुपात का रेश्यो राजस्थान के अंदर तेजी से बिगड़ रहा है।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): अगर एक्शन एज की रिपोर्ट इनके पास नहीं है तो क्या आप गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मंगाने का श्रम करेंगे और अगर अब उसकी जो रिपोर्ट आई है, इतनी चौंकाने वाली है, उस पर आप सींसियरली काम करेंगे? आज यह बात तो आप स्वीकार करते हैं कि एक्शन एज की आपके पास रिपोर्ट नहीं है। It's a website. मेरे ख्याल से कुछ डिपार्टमेंट के पीआर्स ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया द्वारा जहां भी एनजीओज को हम लोग शामिल करके ऐसे सर्वेज कराते हैं, उनके स्टेटिस्टिक्स को गवर्नमेंट आफ राजस्थान को बतायें, इतना बड़ा अगर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, मेरे जैसा व्यक्ति अगर यह स्टेटिस्टिक्स ले सकता है तो गवर्नमेंट आफ राजस्थान का वह डिपार्टमेंट, जिसकी यह जिम्मेदारी और जवाबदारी थी, उन्होंने यह स्टेटिस्टिक्स क्यों नहीं लिये। यह 2005 में हो चुका है सर्वे, इसकी 2006 में रिपोर्ट आ चुकी है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** जवाब आने दें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): एक साथ ही जवाब दे देंगे।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, उपाध्यक्ष महोदय।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वाकई में लिंगानुपात वाला सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हिंदुस्तान और राजस्थान के लिए बहुत चिंता का विषय है। हमारे आज भी सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर कन्या भ्रूण पाये जाते हैं, कोई उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। भ्रूण हत्या से रिजल्ट यह आ रहे हैं, मैं आपसे इसलिए यह बात निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अमेरिका में ढाई करोड़ लोग ऐसे हैं जो शादी के बिना बैठे हैं और उनको वहां होमो सैक्स की परमिशन देनी पड़ी। इंग्लैण्ड में यह स्थिति बन गई, पंजाब और हरियाणा में यह स्थिति बन गई...

**श्री उपाध्यक्ष:** आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): अगर राजस्थान में इसको नहीं सम्भाला तो धौलपुर और गंगानगर की स्थिति तो बिगड़ ही गई है, लिंगानुपात बिगड़ गया है...

**श्री उपाध्यक्ष:** आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये माननीय सदस्य।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): राज्य में भी ऐसी स्थिति नहीं बन जाय कि पुरूष और कन्या के रेश्यो में इतना भारी अंतर पैदा हो जाय...

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। आप भाषण दे रहे हैं खड़े होकर, माननीय सदस्य। यह सप्लीमेंट्री...

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): कि हमारे रिश्ते करने के ऊपर पाबंदी लग जाय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसके लिए अलग से एक स्पेशल आप फोर्स बनाकर कानून का सख्ती से पालन कराने का कष्ट करें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): यह चार-चार बीबियां रखते हैं इसलिए गड़बड़ हो रही है।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं रिपोर्ट के बारे में पुनः निवेदन करूंगा कि एनजीओज की रिपोर्ट कितनी आथेंटिक होती है, चाहे वेबसाइट पर दें, चाहे वह आपके घर पर आकर दें, वाइल्ड लाइफ के सेंसस के आधार पर जिस प्रकार से बखेड़ा खड़ा किया गया वह स्टेगनेशन नहीं था, यह तरीका ठीक नहीं है, तरीका वही ठीक होगा जो एनजीओ को पसंद आयेगा। This has become a profession.

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): सरिस्का के बाघ समाप्त हो गये, जो एनजीओ ने दी थी रिपोर्ट।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट में मेण्डेटरी है एफआईआर दर्ज कराना और एफआईआर हमने दर्ज कराई है। अब कोर्ट का काम तो कोर्ट करेगी और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो खुद चिकित्सक हैं, जब तक चिकित्सक खुद अपनी मोरेलिटी के अंदर झांक कर नहीं जोड़ेंगे, बेइमानी करने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एक्ट से नहीं रूकेगी, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) सुन लें आप, मैं बीच में बोला नहीं हूं।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): उसे लागू आप नहीं करेंगे तो यह घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि पीसीपीएनडीटी एक्ट बने दस साल से ज्यादा हो गये लेकिन इसको अमली जामा अब पहनाया गया है जब स्टिंग आपरेशन हुआ, पहले क्यों नहीं पहनाया गया।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब सुन भी लें आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1998 के बाद में, 1998 से 2003 का जो समय था, कितने केस किये, कितने सीजर्स किये, कितने एग्जाम्पल्स, सेम्पल सर्वेज किये, नहीं किये I am ready to punish any-one जिसकी मेरे को सूचना मिली है या मेरे को जानकारी मिलेगी, मेरे सात पीढ़ी में न तो कोई चिकित्सक है और न कोई चिकित्सक बनाने की इच्छा रखता हूं. I can take action, I will take action लेकिन उसकी जिनाइन सूचना होनी चाहिए अगर स्टिंग आपरेशन के आधार पर सूचना मिली है उसमें पनिसमेंट मिलेगा, कोर्ट देगी। स्टिंग आपरेशन नहीं भी हुआ तो यह रजिस्ट्रेशन जितने भी हैं बिफोर दिसम्बर इन सबका फिजिकल वेरिफिकेशन और चैक करके मैं आपको खुद रिपोर्ट दे दूंगा। आप सटिसफाई हो जाएंगे लेकिन कोई हाइड करने की बात नहीं है एनजीओज. का एक वर्ड एक सेंपल सर्वे क्या पूरे भारत में हो जाएगा? धौलपुर में लिंग अनुपात में अंतर है स्त्री और पुरुष में सर्वाधिक है। धौलपुर के अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी है परेशानी लेकिन 91 सेंसेस के बाद में इम्प्रूवमेंट आई है पोजिशन में वह तो आप नहीं कहेंगे क्योंकि आप अपोजिशन में बैठे हैं तो कम से कम सही बात तो लाया करो,

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मुझे आपत्ति नहीं है एक्शन लूंगा फिर भी मैं कह रहा हूं सर्वे करवाता हूं और करवाऊंगा जहां गलती पाई जाएगी निश्चित तौर पर मैं पनिसमेंट दूंगा। धन्यवाद।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने के पहले सरकार ने ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** नैक्स्ट क्वेश्चन ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ...(व्यवधान) आरक्षण की घोषणा की, आप यह कर दीजिए कि राज्य सरकार अगर बच्ची पैदा होती है तो उसके ऊपर आप कोई राशि दें ...(व्यवधान) अपने आप ही पैदा करने लग जाएंगे लोग, आप इंसेंटिव दीजिए लड़कियां पैदा करने के लिए अपने आप पैदा करने लग जाएंगे क्योंकि बगैर ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): उदयपुर सम्भाग में कितने बाहर मिले हैं, आदरणीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, नैक्स्ट क्वेचन, श्री नंदलाल पूनियां। माननीय सदस्य, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): इससे अच्छा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही उचित रहेगा कि एक बच्चा पैदा होने के बाद दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं कर सके चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। श्री नंदलाल पूनिया।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ...(व्यवधान) योजना शुरू की थी शेखावत साहब ने, ऐसी कोई दूसरी योजना शुरू कर दो आप।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) लागू करने के लिए किया और कलक्टर्स को भी यह डायरेक्शन दिए हुए हैं कि अलग से इसकी जांच की जाए, कहीं भी दोषी पाये तो दण्डित करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री नन्दलाल पूनिया।

## सहकारी भूमि विकास बैंकों से काश्तकारों को स्वीकृत ऋण

**139. श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(1) सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा काश्तकारों को कृषि ऋण देने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या सहकारी भूमि विकास बैंक व्यावसायिक बैंकों के बराबर भूमि पर ऋण देता है? यदि नहीं तो क्यों?

**सहकारिता मंत्री** (डा. एन.एस. गुर्जर): (1) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ऋण नीति, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देश तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के उप-नियमों के अनुसार काश्तकारों को बैंक का सदस्य बनाकर संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित मुख्य मानदण्डों के आधार पर कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

(2) सहकारी भूमि विकास बैंक, भूमि/भवन एवं अन्य अचल संपत्ति की प्रतिभूति पर, ऋणी की ऋण क्षमता, ऋण चुकौती की क्षमता तथा इकाई लागत के आधार पर ऋण देते हैं। व्यावसायिक बैंक, उनके स्वयं के मानदण्डों के आधार पर ऋण देते हैं।

**(मानदण्ड के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो रेट 2001 में तय की गई थी काश्तकार की भूमि की और आज 2008 में वह उसी रेट पर वह लोन दे रहे हैं, क्या आठ साल में उस भूमि की रेट नहीं बढ़ी? क्या छोटा काश्तकार ट्रैक्टर के लिए लोन ले सकता है? दूसरा मेरा राज्य सरकार से, मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या राज्य सरकार भूमि विकास बैंक से ट्रैक्टर के लिए लोन लेने पर भूमि की रेट डीएलसी रेट पर लोन देने का इरादा रखती है? क्योंकि डीएलसी रेट एप्रूव्ड रेट है यदि उससे कम बैंक मानता है तो मैं समझता हूं कि यह काश्तकार के साथ अन्याय है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। हम लोग जो प्रचलित डीएलसी दर है वहां का जो सब-रजिस्ट्रार होता है उससे वह दर मंगाते हैं, प्रचलित दर डीएलसी रेट, यह नहीं कि पुरानी और उसके आधार पर ही हमने निर्देश दे रखे हैं। उसके आधार पर ही काश्तकार को लोन दिया जाए अगर इसका कोई उल्लंघन हुआ है तो माननीय सदस्य मुझे बताएं, मैं उस पर कार्यवाही करुंगा।

**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर): ठीक है साहब, जो रेट डीएलसी द्वारा निर्धारित की गई है हम तो चाहते हैं वह रेट लागू हो।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमने निर्देश दे रखे हैं, सख्त निर्देश दे रखे हैं कि डीएलसी की दर पर उसमें यह और कर रखा है कि तीन साल का उसका एवरेज निकालकर के उस जमीन का और उसके आधार पर हम जो प्रचलित दर है उसके आधार पर देने के निर्देश दे रखे हैं। कहीं आपको शिकायत है तो मुझे बताइए मैं कार्यवाही करुंगा।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उनमें भी प्रयास करना चाहिए जो यह डीएलसी रेट पर ...(व्यवधान) वहां भी जाती है।

**श्री उपाध्यक्ष:** डीएलसी रेट धीरे-धीरे बढ़ती है। आपके और हमारे मीटिंग करके सहमति से ही बढ़ेगी रेट तो।

नैक्स्ट क्वेश्चन तारांकित प्रश्न संख्या-140 श्री अशोक कुमार नवलखा अनुपस्थित। (कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, तारांकित प्रश्न संख्या-141 श्री प्रमौद जैन ''भाया'' अनुपस्थित। (कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, श्री जुबेर खां।

## रामगढ़ (अलवर) विधान सभा क्षेत्र की कंसखाल योजना के अतिरिक्त जल उपयोग हेतु नहर निर्माण

**142. श्री जुबेर खान** (रामगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में कंसखाल योजना का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो इस योजना पर कितनी राशि स्वीकृत एवं कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के निर्माण से व्यर्थ जाने वाले पानी के सदुपयोग हेतु नहर की खुदाई होनी आवश्यक है? यदि हां, तो इस नहर की खुदाई एवं सफाई कब तक करा दी जावेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि जो नहर ग्राम अलावड़ा की ओर जाती है, उसकी खुदाई एवं सफाई किये बिना इस योजना का स्थानीय ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल सकता? यदि हां, तो फिर इस नहर की खुदाई एवं सफाई क्यों नहीं की जा रही है?

**सिंचाई मंत्री** (श्री सांवर लाल): (1) जी हां। इस योजना के निर्माण के लिए 84.60 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई तथा 54.99 लाख रुपए का व्यय किया गया।

(2) जी हां। यह कार्य ग्राम पंचायत अलावड़ा द्वारा किया जाना है।

(3) जी हां। इस योजना की स्वीकृति के पूर्व ग्राम पंचायत अलावड़ा द्वारा दी गई लिखित सहमति अनुसार नहर खुदाई का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर करवाया जाना है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, जैसे आपने विधान सभा में घोषणा के अनुरूप पिछले साल आपने यह कार्य मंजूर कर दिया और आपने 84 लाख 60 हजार रुपए आपने मंजूर कर दिये और तकमीना भी इतने का ही बना था लेकिन टेंडर प्रीमियम नीचे जाने की वजह से आपके 54 लाख 99 हजार रुपए खर्च हुए। लगभग 30 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं। आपने, आप याद कीजिए, उस समय यह कहा था क्योंकि जहां यह योजना बनी है वह खातेदारी की जमीन थी कि मुआवजा सरकार नहीं देगी, ग्रामवासियों ने चंदा इकट्ठा करके उस काश्तकार को पैसे दिये उस जमीन के जहां यह कंसखाल योजना आपने बनाई है। अब आपके पास 30 लाख बच रहे हैं मुश्किल से दो तीन लाख रुपए का काम है कि वह नहर दो ग्राम पंचायतों में पड़ती है और मैं माननीय सदस्य सदन के सामने छोटी बात नहीं करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वह इस काम को नहीं कराना चाहते हैं। क्योंकि इस पर अतिक्रमण है और रिकार्ड में यह सिंचाई विभाग की नहर है तो आपके 30 लाख बच रहे हैं आप अपनी शैली के मुताबिक किसान होने के नाते उदारता दिखाते हुए दो-चार लाख रुपये लगवा कर उस काम को कर दीजिए ताकि बरसात से पहले काम हो जाए और लाभ मिल सके।

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रीमियम कम लगे या ज्यादा लगे, पैसा बचा हुआ है या नहीं है, जनहित में अगर जरूरी है तो इस सरकार ने हर जगह व्यवस्था करके काम करवाये हैं। इसलिए आपकी भावना केवल काम होने की है अब दो लाख लगे या दो करोड़ रुपये लगे, बरसात के पहले-पहले हम इसको बना देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष:** नैक्स्ट क्वेश्चन डा. समरजीत सिंह।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ...(व्यवधान) यह दल को नहीं देते,

(श्री जुबेर खान)

किसान के बेटे हैं इसलिए मैं आपको सदन में भी इस बात का धन्यवाद देता हूं।

**श्री जीवाराम चौधरी** (सांचौर): यह हमारे कहने के बाद में किया है।

## अधिशासी अधिकारी भीनमाल द्वारा सड़क मरम्मत कार्य में अनियमितताएं

**143. डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में अधिशासी अधिकारी, भीनमाल (जालौर) द्वारा वर्ष 2004 से अब तक कौन-कौनसी पेच वर्क सड़कों की मरम्मत के नाम पर स्वीकृत राशि के बदले कितनी राशि कब-कब कहां-कहां पर व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भीनमाल से पाथेड़ी सड़क मार्ग की मरम्मत की राशि स्वीकृत होने के उपरांत अन्य स्थान पर व्यय कर दी गई? यदि हां, तो कहां पर व किस के आदेश से? यदि नहीं, तो उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अधिकारी, भीनमाल द्वारा वर्ष 2006-07 में पेच वर्क/मरम्मत की राशि का उपयोग अन्य स्थानों पर किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) अधिशासी अभियन्ता भीनमाल द्वारा वर्ष 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में सड़कों की मरम्मत मद में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट अ-1, अ-2, पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भीनमाल-पांथेडी सडक 31 कि.मी. लम्बाई के किमी 5/0 से 12/0 नवीनीकरण हेतु आर.एम.यू.पी. प्रथम योजना में वर्ष 2004-05 में राशि रु. 21.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। राशि के पेटे किमी. 5/0 से 12/0 में नवीनीकरण कर राशि रु. 21.47 लाख व्यय किया गया।

वर्ष 2006-07 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क मरममत मद में भीनमाल-पांथेडी सडक पर दासपां एवं पाथेडी गांव में किमी. 25 एवं 31 में सड़क

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मरम्मत हेतु राशि रु. 5.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके विरुद्ध राशि 4.94 लाख व्यय सड़क मरम्मत कार्य करवाया गया।

इस सड़क पर वर्ष 2004-05 व 2005-06 में रुपये 4.70 लाख का सड़क मरम्मत का कार्य करवाया गया है। वर्ष 2007-08 हेतु पेच मरम्मत कार्य प्रगति पर है तथा इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। भीनमाल खण्ड को प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)**

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने विवरण दिया है इस विवरण ...

**एक माननीय सदस्य:** धन्यवाद दे दो।

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): धन्यवाद भी दे देंगे जरूरत पड़ेगी तो क्यों चिन्ता कर रहे हो। इस विवरण से साफ जाहिर होता है कि भीनमाल सब डिवीजन जो एक्स.ईएन. सब डिवीजन है उसके अन्दर विभिन्न वर्षों में 87 लाख, 54 लाख, 64 लाख, 39 लाख और उसकी जगह 2004-05 में 87 की जगह 13 लाख व्यय किये गये, 54 की जगह 6 लाख व्यय किये गये, 64 की जगह 7 लाख व्यय किये गये। 39 लाख की जगह 4 लाख किये गये। यह सीधा सा भेदभाव दिख रहा है कि आप किस तरह विधान सभा क्षेत्रों में रानीवाड़ा, भीनमाल और सांचोर में भेदभाव बरत रहे हैं । सड़कों की हालत खराब पड़ी है । मैंने स्पेसिफिक आपको पूछा है सवाल कि भीनमाल से पाचेड़ी सड़क इसमें आपने 2004-05 में 5 से 12 के बीच में 21 लाख खर्च बताया। 25 व 31 किलोमीटर के बीच 2006-07 में आपने 4 लाख किये और विभिन्न 2005-06 में भी बताये। आज 2007-08 वर्ष में जो रिपेयर होनी चाहिए थी सड़क उसकी हालत बुरी तरह खराब है वहां पर वाहन नहीं चल सकते। मेरे यहां प्रश्न करने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, परसों से वहां रिपेयर कार्य शुरू हुआ है तो यह सरकार क्या सो रही थी इतने दिन से और उसमें भी अभी कोई डामर के ऊपर कोई रोलर नहीं चल रहा है कुछ भी नहीं चल रहा है। मेरा सीधा सा सवाल है कि आप इस तरह से ये भेदभाव करके ओर सड़कों की हालत को खराब करके क्या बताना चाहते हैं?

मंत्री महोदय, एक और पूछना चाहता हूं इसी तरह से मैंने आपसे

(डा. समरजीत सिंह)

तीसरा पूछा था कि पेच वर्क पर किन-किन सड़कों में आपने क्या-क्या किया है। इसमें जो आपने यह लिस्ट दी है 2006-07 की इसके अन्दर भी जो आपने व्यय बताया है कि ये पेच वर्क विभिन्न सड़कों पर मरम्मत कार्य पेटे व्यय विवरण। मैं आपको सीधा सा बताता हूं कि ये जो आपने बता रखा है भीनमाल, पुनासा रोड पर आज भी वो की वो हालत खराब पड़ी है। इसी तरह से आपने बतायी इसमें पूरी लिस्ट दी है आपने बरूडी, तवा, मोदा ये अर्जुनसिंह जी हैं यहां पर इन्हें भी ध्यान है कि क्या हालत है वहां की तो आप थोड़ा इस तरफ ध्यान दें सड़कों की हालत की तरफ ध्यान दें। आप लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं पूरे राजस्थान का नक्शा बदल देंगे सड़कों की हालत तो वो की वो है । मंत्रीजी, आपसे तो उम्मीद है और इतना भी आपने करेंट निकाला है तो कल से काम शुरू भी हुआ है मैं उम्मीद करता हूं कि ये सड़कें समय पर ठीक हों और नहीं की गयी तो एक्स.ईएन ने अगर पैसा सही यूटिलाइज नहीं किया तो आप उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस सड़क के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है यह सड़क 1980 में बनी थी, पुरानी सड़क है और इस सड़क के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि जो सड़क का हिस्सा ज्यादा खराब था वो 5 से 12 किलोमीटर के बीच में 21 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर उसका नवीनीकरण करा दिया गया है उपाध्यक्ष महोदय, फिर 2006-07 से राजस्थान में विशेष तौर पर जालौर जिले में काफी सड़कों का नुकसान हुआ है उसके अन्दर यह सड़क दो जगह से क्षतिग्रस्त हुई। दासपां पाथेडी सड़क है उपाध्यक्ष महोदय, उसमें दोनों जगह पर एक दासपां गांव में और पाथेड़ी में इसमें भी 9 लाख 49 हजार की स्वीकृति जारी करके उसको भी करा दिया गया है उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर 90158 किलोमीटर सड़कें हैं और इन सड़कों में 20 हजार किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिनका रिनुअल समय पर इसलिए नहीं हो सका कि पिछली सरकार ने सड़कों के रिनुअल में राशि कम दी । हमने उन पूरी सब चीजों को एक योजनाबद्ध तरीके से हाथ में लिया है । अब भी जो सड़कें रिनुअल मांग रही है जो रिनुअल साइकल में हैं उनको निश्चित तौर पर समय पर करायेंगे और पेच वर्क के अन्दर भी हमने जो पेच वर्क स्टार्ट किया था क्योंकि सड़कें बनती हैं और सड़कें टूटती भी हैं उपाध्यक्ष महोदय, और इसमें अगर कोई कमी खामी रह गयी है तो ये मेरे को ध्यान में लायेंगे तो मैं निश्चित तौर पर उसको ठीक करवा दूंगा।

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): माननीय मंत्री महोदय, ...(व्यवधान) एक मिनट श्रवण कुमारजी।

**श्री उपाध्यक्ष**: अंकित नहीं हो।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): मंत्री महोदय, एक तरफ तो आपने कहा ...

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**श्री रामलाल** (बनेड़ा): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: ये भीनमाल से संबंधित पूछ सकते हो आप, जनरल नहीं।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, विराजिये ...(व्यवधान)

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह बताया कि पिछले वर्षों में ...

**श्री श्रवण कुमार (**पिलानी): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, भाषण नहीं। माननीय सदस्य।

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी बताया कि पिछले वर्षों में कुछ पेचेज में आपने बताया कि इन-इन पेचेज में काम कर दिये गये, अगर कर दिये गये, तो आज क्या जरूरत पड़ गई कि आपको 0 से 22 तक करने की जरूरत पड़ गई? इसका मतलब काम नहीं हुआ, क्वालिटी सही नहीं थी इसलिए आपको पूरी सड़कें रिपेयर कराने की जरूरत पड़ गई। पिछले वर्ष अगर पैसा व्यय किया गया था तो इस वर्ष उसी सड़क पर पैसा व्यय करने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब हालत खराब थी वहां पर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो पहले कहा 31 किलोमीटर सड़क है अब सड़क का जो पेच पहले खराब था उसको पहले ठीक कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार ...

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): माननीय मंत्री महोदय, 31 है, एक अर्ज कर दूं आपको गुमराह किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा 0 से 22 का आप कमिट कर चुके कि हमने काम शुरू कर दिया और फील्ड में भी शुरू हुआ है 31 में से इसका मतलब आपने पिछले साल भर या दो साल में जो कार्य किये वो कार्य नहीं थे।

**श्री उपाध्यक्ष:** बात तो सुनें।

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो अधिकारी आपको रिपोर्ट दे रहे हैं उसको आप ढंग से दिखवायें और सही कार्यवाही करवायें क्योंकि काम मौके पर नहीं हो रहा है, सही काम नहीं हो रहा है इसलिए सड़कें टूटती हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्र में जितनी बड़ी संख्या में सड़कों का नवीनीकरण और मरम्मत में पैसा खर्च हुआ है आप कहें तो मैं आपको निवेदन कर दूं और उपाध्यक्ष महोदय, ये जो कहा कि सड़कें बनती हैं और सड़कें टूटती हैं ...

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): माननीय मंत्री महोदय, आप जो उपलब्धियां गिनाना चाह रहे हैं वो भी मुझे मालूम है आप कहना चाहेंगे कि 2008 और इसके अन्दर हम सड़कें दे रहे हैं। 31 करोड़ की सड़कें नवीनीकरण हो रही हैं भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में वो प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत भारत नवनिर्माण के तहत हो रही हैं। आपने स्कीम बना कर भेजी, धन्यवाद देते हैं, पर पैसा कहां से आ रहा है वो बतायें न?

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** जवाब सुनिये पहले । माननीय सदस्य, बीच में अंकित नहीं होगा।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): ×××

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): नहीं-नहीं, अभी यह कहा गया कि 71 करोड़ रुपये का जालौर का प्रस्ताव तैयार हुआ है वो भी भारत निर्माण के तहत ...(व्यवधान) योजना के अन्तर्गत हुआ है।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** पहले जवाब सुनिये। माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय आपका बीच में सवाल नहीं है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा आपका।

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): माननीय मंत्री महोदय, आप तो भीनमाल अधिशासी अधिकारी के तहत जो कार्य हैं उनकी जांच कराओ।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप जवाब सुन लें।

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): वो सीधा सा कहता है वहां लोगों को कि मंत्रीजी की सेवा करता हूं इसलिए मैं लगा हुआ हूं, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है (व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बात तो सुनें।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): ×××

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** आप बीच में नहीं ...(व्यवधान) कृपया शांति रखिये, बीच में नहीं। नम्बर आ रहा है।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर नहीं सुनना चाहें और इनको अगर इससे नाराजगी होती है तो मैं वो बताऊं कि इन चार वर्षों में भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में कितनी बड़ी धनराशि इनके क्षेत्र में खर्च की है और पिछले पांच साल में क्या-क्या, मैं नहीं बताऊं?

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): वो धन तो खर्च हो गया, सड़कें क्यों टूटीं (व्यवधान) आपने धन कहां खर्च किया हमें नहीं मालूम, सड़कों की क्या हालत है यह पूछ रहे हैं आपसे ...(व्यवधान) धन तो व्यय हो गया आपके कागजों में आपकी सरकार की तरफ से। आपने पता नहीं क्या व्यय किया, सड़कों की हालत देखिये आप, सड़कों की हालत क्या है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप विराजें तो सही।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, हो रहा है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे कार्यालय से... (व्यवधान) आपके पास पत्र आया, चीफ इंजीनियर की तरफ से आया, एडिशनल चीफ इंजीनियर की तरफ से आया इनको कहा कि डिफेक्ट लायबिलिटी की जो सडकें हैं उन सडकों पर माननीय विधायक महोदय दौरा कर लें अगर उनमें कमी खामी है तो हमें बतायें। पांच साल तक उसकी डिफेक्ट लायबिलिटी को साथ में डाल दिया । उस संवेदक को पांच साल तक रख-रखाव की जिम्मेदारी दे दी और आपको पत्र लिख दिया। (व्यवधान)

**डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): जिम्मेदारी दे दी तो आपने उसकी गारंटी राशि क्यों जारी कर दी । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

**(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए**
**कृपया आगे देखें)**

# स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मंगलाराम गोदारा एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ में विशेष श्रेणी कृषि कनेक्शन की 750 फाइल लगी होने के उपरान्त भी कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

दिनांक 15 मार्च, 2008 को सदन में बिजली पर विस्तृत चर्चा रखी गई है । माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अंतः स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं । (व्यवधान)

(2) श्री मांगीलाल गरासिया एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटडा के वाकल क्षेत्र को पंचायत समिति गोगुन्दा में नहीं मिलाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

दिनांक 5 मार्च, 2008 को सदन में ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, सामुदायिक विकास विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, अंतः पृथक से स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री रामनारायण मीणा सदस्य की ओर से जिला बूंदी में पूर्णतः फसल खराब होने के उपरान्त भी निर्धनतम एवं बीपीएल किसानों से नीलामी के नाम रुपये 300 प्रति बीघा राशि वसूलने के संबंध में ।

(4) श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में।

(5) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से राज्य में मेडिकल प्री पीजी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद मापदंड बदलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं । फिर भी माननीय सदस्य श्री रामनारायण मीणा, श्री जुबेर खान एवं श्री संयम लोढ़ा को अपने-अपने प्रस्ताव के विषय पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजली वाला तो किसानों का मुद्दा है ।

**श्री उपाध्यक्ष:** इस पर लम्बी चर्चा होगी । (व्यवधान)

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे क्षेत्र का बहुत ही गम्भीर मामला है । (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य:** आसन की व्यवस्था को चैलेंज मत करें प्रतिपक्ष के नेता महोदय । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य आप विराजिए । अंकित नहीं हो ।

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): ×××

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## किसानों को स्पेशल कैटेगरी में विद्युत कनेक्शन का मिलना

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): .... (व्यवधान) ध्यान आकर्षित करना चाहे, आप उस सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर भी प्रदान नहीं करना चाहते । (व्यवधान) स्पेशल कैटेगिरी के लिये किसानों ने वर्षों पहले विशेष राशि 5000 रुपये जमा कराई है और 5000 राशि जमा कराने का

(श्री हेमाराम चौधरी)

मतलब यह है कि उनको तत्काल कनेक्शन मिलता है, वह जनरल कैटेगरी से हट कर है । पूर्व में हमेशा ऐसा होता आया है परन्तु इस सरकार के सत्ता में आने के बाद स्पेशल कैटेगरी के नाम पर इन्होंने पैसे तो जमा कर लिये उन काश्तकारों के और उनको कहा कि आपको तत्काल कनेक्शन देंगे परन्तु तीन-चार साल से किसान घूम रहे हैं, इधर-उधर डोल रहे हैं उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा । इसके बारे में सरकार अपनी बात तो स्पष्ट करें। यह बात निवेदन करना चाहता हूं और इनसे जवाब दिलवा दें, फैसला हो जायेगा ।

**श्री उपाध्यक्षः** 10-5 दिन और इंतजार कर लीजिए ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मुद्दा है । पूरे प्रदेश में हजारों लाखों किसान ... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आप आसन की व्यवस्था को चैलेंज मत करो आसन की व्यवस्था हो गई है ।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता प्रतिपक्ष): ... (व्यवधान) स्पेशल कैटेगिरी के पैसे जो विभाग में जमा है.. (व्यवधान) और उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ।

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, यह करोड़ों रुपये किसान के चार साल में डकार चुके । (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): (व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपने स्पेशल कैटेगरी में ... (व्यवधान) आवेदन ले लिये तो फिर आप उनको तत्काल कनेक्शन क्यों नहीं देते । आप उनको भी एज जनरल ट्रीट करते हो तो जनरल में तो कोई भी ले सकता है स्पेशल का मतलब क्या है । आप यह समझा दें हमें कि स्पेशल कैटेगरी के तहत जो आपने आवेदन लिये और किसानों की जो राशि जमा की उसको कई वर्ष हो गये । यह सब बताना चाहते हैं कि कब-कब उनके पैसे जमा हुये, उसको कितना समय हो गया । (व्यवधान) पूर्व में हमेशा उसी वर्ष कनेक्शन दे दिये जाते थे और यह सरकार वर्षों से सो रही है इसको जगाने का काम हम करना चाहते हैं आप इस सरकार को सोते ही रहने देंगे या इसको जगाने का काम करेंगे । आप इसमें तो हमारा प्रोटेक्शन करें, हमारी मदद करें । यहीं अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा, हमारी मदद नहीं होगी तो हम यहां क्या कहेंगे फिर । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य, इस विषय में काफी समय लगेगा, पूरी डिटेल प्राप्त होगी... (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, चार साल हो गये किसानों का करोडों रुपया ले लिया । चार साल हो गये । (व्यवधान) करोडों रुपये किसानों का खा गये, एक भी स्पेशल कैटेगरी का कनेक्शन नहीं दिया।

**एक माननीय सदस्य:** उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी घूम रहे हैं और आसन पैरों पर है।

**श्री उपाध्यक्ष:** ... (व्यवधान). 10-10 साल हो गये, ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपया हजम कर गये किसानों का, एक कनेक्शन स्पेशल कैटेगरी में दिया हो तो यह बताये यहां पर । (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): कभी ऐसा नहीं हुआ, चार साल पैसे जमा हुए हो गये, कनेक्शन नहीं दे रहे । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप विराजिए। अंकित नहीं हो ।

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है । (व्यवधान)

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** आप इस संबंध में मंत्रीजी से चैम्बर में मिल लेना । (व्यवधान)

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): ×××

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): ×××

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है जब इसमें कोई चर्चा नहीं होगी । (व्यवधान)

## नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

(1) श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के ग्राम बजीरपुर के एक सस्ते मूल्य की दुकान के डीलर द्वारा तीन ड्रम डीजल ब्लैक में बेचे जाने के संबंध में ।

(2) श्री रामचन्द्र जारोडा, सदस्य की ओर से ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें आप, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मैंने व्यवस्था दे दी है । कोई नया मुद्दा नहीं है, साल भर से पेंडिंग पडा है । (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको मौका नहीं दे मंत्रीजी बता दें सरकार क्या करेगी, सरकार कनेक्शन देगी या नहीं देगी मंत्रीजी जवाब दे दें। मंत्रीजी से आप वक्तव्य दिलवा दीजिए । आप हमारे को बोलने का अवसर नहीं दे मंत्रीजी से कहलवा दीजिए। (व्यवधान) आज चार साल से स्पेशल कैटेगरी के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं । स्पेशल कैटेगरी में पैसा जमा कराया है, विभाग को दिया है ज्यादा उसकी कीमत होगी, पैसा ज्यादा लगेगा, टैरिफ की रेट ज्यादा होगी और बराबर उनको लटकाया रखा उसके लिये भी हम यहां पैरवी नहीं करें, उसकी बात भी नहीं करें .. (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): ×××

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): ×××

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आसन ने व्यवस्था दे दी है, इस पर कोई आपका अंकित नहीं होगा।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य आप..(व्यवधान)

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): ×××

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आपको मौका मिलेगा, बीच में नहीं। आपको बहुत डिटेल से बात रखने का मौका मिलेगा, बिजली पर चर्चा हमेशा से होती रही

(श्री उपाध्यक्ष)

है (व्यवधान) इस बार भी होगी और हर बात को आपको पूरा करने का मौका मिलेगा। (व्यवधान) यह दो मिनिट की चर्चा में अभी स्थगन प्रस्ताव करके परमीशन नहीं देंगे। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लीजिए, बहुत देर हो गई। मैंने परमीशन.. (व्यवधान) मैंने निर्णय दे दिया, बीच में नहीं बोल सकते। (व्यवधान) बिजली पर चर्चा हमेशा से होती आई है, इस बार भी होगी। (व्यवधान)

**श्री मंगला राम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़): ×××

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** नहीं, दो मिनिट का टाइम (व्यवधान) मैंने डिसिजन कर दिया।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : ×××

**(माननीय सदस्य श्री मंगला राम गोदारा द्वारा सदन में धरना)**

**श्री उपाध्यक्षः** यह कोई दस दिन का मामला नहीं है। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): ×××

**(प्रतिपक्ष के अन्य कुछ और माननीय सदस्यों द्वारा सदन में धरना)**

**श्री उपाध्यक्षः** 2. श्री रामचन्द्र जारोडा, सदस्य की ओर से जिला नागौर में वर्तमान रबी फसल को पाला पड़ने से हुए भारी नुकसान के संबंध में।

3. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से शाहपुरा अलवर राज्य मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू करने के संबंध में। (व्यवधान)

4. श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से रायपुर को जिला बनाने के संबंध में।

5. श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली के बांगड चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर खोलने के संबंध में। (व्यवधान)

6. श्री रिछपाल मिर्धा, सदस्य की ओर से जिला नागौर में वर्षा के पानी का स्टोरेज करने हेतु टांका निर्माण हेतु सब्सिडी देने के संबंध में।

7. श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में मिसिंग सड़क निर्माण के संबंध में। (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

8. श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिडावा के सुनेल नगर में तहसील एवं रायपुर कस्बे में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।

9. श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

10. श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की और से चित्तौड़गढ़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, चित्तौड़गढ़ नाम से पृथक संघ की स्थापना के संबंध में।

11. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से पुष्कर के पेराफेरी गांवों में कुएं, टयूबवैल खोदने पर लगी पाबंदी को तत्काल हटाने के संबंध में।

12. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सदस्य की ओर से पावटा (जयपुर) को तहसील बनाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

## व्यवस्था का प्रश्न

# आसन की व्यवस्था को चुनौती-आसन का अपमान

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला ऐसा दृश्य है कि आसन की व्यवस्था को चुनौती देते हुए (व्यवधान) सदन की वैल में आये। यह भूल गए इनके शासन काल के अंदर जितने बिजली के कनेक्शन मिले उससे डेढ गुणा ज्यादा कनेक्शन किसान को राजस्थान की सरकार ने दिये और यह भूल गये कि जब हमने बजट में घोषणा कर दी, मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, स्पेशल कैटेगिरी के कनेक्शन किसानों को हम रिलीज करेंगे इसी वित्तीय वर्ष में। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): धरने पर बैठे (व्यवधान) इतिहास में पहली बार...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** बहस की जाएगी, बिजली पर पूरी बहस होगी, बिजली पर हमेशा बहस होती आई है, बहस होगी। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आसन की व्यवस्था को चैलेंज करते हुए बैठे हैं । (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नियमों से बंधा हुआ है, यह आसन को चुनौती है । (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): इनको सब को बाहर निकाला जाए (व्यवधान) आसन की व्यवस्था के विरोध में इनको सबको बाहर निकाला जाए। आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, आसन को चैलेंज किया है। बाहर निकालो सबको। (व्यवधान) आसन की व्यवस्था के विरोध में अनुशासनहीनता ...(व्यवधान) इनको सबको बाहर निकालो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): आसन की व्यवस्था को चैलेंज किया है। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन का अपमान है। (व्यवधान) बाहर निकालो।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): आसन की व्यवस्था को चैलेंज किया है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): राजस्थान की 6 करोड़ जनता का...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): बाहर निकालो। आसन की व्यवस्था को इस तरह चुनौती...(व्यवधान) बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहली बार देख रहे हैं। (व्यवधान) यह आसन को चुनौती है।

**(सदन में भारी शोर शराबा)**

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। (व्यवधान) इस विरोध में (व्यवधान) बहिर्गमन करते हैं।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): पहली बार देखा है। (व्यवधान) अपमान आसन का नहीं होगा। (व्यवधान) आसन की व्यवस्था को चैलेंज किया है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): आसन की व्यवस्था को चैलेंज नहीं किया जा सकता । (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): यह आसन की व्यवस्था को चैलेंज है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस तरह का पहली बार देख रहे हैं। (व्यवधान) आसन की व्यवस्था को चैलेंज किया है।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): चैलेंज किया है आसन की व्यवस्था को। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: किसानों के हित में कार्य करने वाली सरकार... (व्यवधान) घोषणा कर चुकी है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष है यह। उपाध्यक्ष महोदय, यह गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष है। (व्यवधान) आपकी व्यवस्था को नहीं मानते।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है जो व्यवस्था आसन से दी उस व्यवस्था के विरोध में एक ऐसा दल जिसका अपना लम्बा राजनीतिक जीवन है जिसने देश पर और राजस्थान में इतने लम्बे समय तक सरकार चलाई (व्यवधान) उनके जिम्मेदार लोग आसन की व्यवस्था के विरोध में अगर यहां आकर धरना देकर हां-हुल्लड करें इससे बड़ा और कोई अपमान इस विधान सभा का नहीं हो सकता। इसको अगर आपने साधारण लेकर किया तो यह सदन कभी नहीं चल सकेगा। कभी भी इस सदन का मान नहीं रहेगा। इतनी बड़ी गलती की, इतने बड़े दल को निश्चित रूप से सज़ा देनी होगी तभी जाकर चल सकेगा बाकी नहीं चल सकता। अगर आसन की व्यवस्था के विरोध में वाक आउट करें, आसन की व्यवस्था के विरोध में आकर हां-हुल्लड करें फिर क्या व्यवस्था रह गई इस विधान सभा की, क्या मर्यादा रह गई ? वह दल जो दल इतने साल तक राज करने का ढोंग करता है वह इस प्रकार से आसन का अनादर करता है और अगर उसके बाद भी, (व्यवधान) मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसको साधारण घटना नहीं लिया जाए, नहीं तो भविष्य में कभी भी सदन की मर्यादा नहीं रहेगी। मेरी प्रार्थना है, कठोर जरूर होगा यह कदम लेकिन यह कदम निश्चित रूप से होना चाहिए। आसन की व्यवस्था के विरोध में आकर धरना दे, नारेबाजी करें ...(व्यवधान) आसन की व्यवस्था नहीं माने, निश्चित रूप से आप इसमें कुछ न कुछ करें। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जनता इनको बता देगी साहब। (व्यवधान) मांफी मागनी चाहिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन सर्वोपरि है, आसन के अनुशासन से हम सब बंधे हुए हैं। हो सकता है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में किसी बात को लेकर गतिरोध हो जाए, तकरार हो जाए (व्यवधान) मैं यह पहली बार देख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रतिपक्ष जिसने लम्बे समय तक यहां पक्ष और विपक्ष दोनों में बैठने का काम किया है। आपने व्यवस्था फरमा दी और आपकी व्यवस्था के खिलाफ पहले डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और उनके पीछे एक-एक करके सारे माननीय सदस्य वैल में आ जाए और प्रतिपक्ष के नेता असहाय बने देखते रहे। उपाध्यक्ष महोदय, यह चुनौती और यह अपमान, यह कोई सत्ता पक्ष का अपमान नहीं है यह आसन का अपमान है जिस आसन को हम सर्वोपरि मानते हैं। हम सब लोग सम्मान करते हैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आज की इस घटना का जिस तरह गृह मंत्रीजी ने कहा छोटी घटना नहीं है, आपको कोई न कोई लक्ष्मण रेखा के साथ सख्त हिदायत देनी पड़ेगी। प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं होता। आज आपसे गलती हुई है, आपके माननीय सदस्यों से गलती हुई है, आपको खड़े होकर क्षमा मांगनी चाहिए और क्षमा मांगनी पड़ेगी आपको। (व्यवधान) क्षमा मांगनी पड़ेगी आपको। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आसन से प्रार्थना करने का अधिकार है । (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन को प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): यह नहीं चलेगा । (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): क्षमा मांगने का अधिकार है, आदेश की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): आसन की अवहेलना की... (व्यवधान) वैल में आयेंगे, नारेबाजी करेंगे ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माफी मांगनी चाहिए।

**श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी): कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। (व्यवधान) ताकि भविष्य में लक्ष्मण रेखा पार नहीं की जा सके। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य:** आसन का अपमान करना राजस्थान की 6 करोड़ जनता का अपमान करने के बराबर है, कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दी जाए ताकि भविष्य में पुनरावृति न हो। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): माफी मांगनी चाहिए इनको... (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आपने राजस्थान की 6 करोड़ जनता का अपमान किया है, प्रतिपक्ष के नेता ने वाकआउट किया है, आसन का अपमान किया है इसका आपको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, इसकी सज़ा आपको जनता देगी। आपने 6 करोड़ जनता का अपमान किया है, इस आसन का अपमान किया है।

**श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन का अपमान करना, राजस्थान की गरीब जनता का अपमान करना है। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, हमें शर्म आती है। (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): किसान के लिये सदन में निवेदन करना, परमीशन मांगना गलत नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मिस्टर डिप्टी स्पीकर, मुझे निवेदन करना है। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आसन की अवहेलना होती रही, और आसन का अपमान किया जाता रहा लगातार। (व्यवधान) इतना बड़ा कांग्रेस पार्टी का दल, आसन की अवहेलना करे, व्यवस्था पढ़ने नहीं दे। यानी आसन व्यवस्था पढ़ रहा है और प्रतिपक्ष के नेता खड़े हो रहे हैं, यानी इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है और यहां वैल में आ गये। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): प्रतिपक्ष के नेता, वरिष्ठ सदस्य, जान-बूझकर आसन की अवहेलना करें। (व्यवधान) केवल आसन की अवहेलना करने का उद्देश्य है इनका।

**एक माननीय सदस्य**: आसन सर्वोपरि है। आसन का अपमान करना, आपको व्यवस्थाएं पढ़ने नहीं दें। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): हमको नियमों का पाठ पढ़ाते हैं, आप खुद अवहेलना करते हैं। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) कुछ कहना चाहते हैं, कहने नहीं दे रहे हैं ये। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में कोई बाहरी संस्था कोई निर्णय नहीं कर सकती है। क्योंकि सब को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इस सदन में जो भी गम्भीर अपराध हो उसके बारे में केवल यही विधान सभा निर्णय कर सकती है और इसलिये हमारे बारे में कोई संस्था निर्णय नहीं कर सकती है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, हां, करिये, करिये, करिये। (व्यवधान) करिये ना, किसने मना किया है, करिये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आज हमको निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर यह सदन कैसे चलेगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): क्या मतलब है। आप अपनी ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर दबाना चाहते हैं। नो, नो, नहीं चलेगा।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): दबाना नहीं चाहते, आसन की महत्ता को कायम रखना चाहते हैं। आसन का आदर करना चाहते हैं, आसन की महत्ता को कायम रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: यह विपक्ष सदन को नहीं चलाना चाहता है नियम से।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपकी नीयत हमको कल से मालूम है। आप कांग्रेस के एम.एल.एज. को सस्पेंड करना चाहते हो। कल से हमको आपकी नीयत पता है। लेकिन इस तरह से प्रजातंत्र का गला घोंटने से आप यह मत समझना कि आपकी सरकार वापस आ जाएगी। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बोलें, प्रद्युम्नसिंहजी बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ×××

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): एक मिनट, गजेन्द्रसिंहजी, मैंने पहले इजाजत ले ली है तो बेहतर यह होगा कि मैं अपनी बात कह दूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप, आसन के द्वारा व्यवस्था दी जा रही थी। आसन के द्वारा व्यवस्था दी गई, कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, एडजोर्नमेंट मोशन थे, उस पर आपके द्वारा व्यवस्था दी गई। किन्हीं के ऊपर तो आपने दो मिनट बोलने की इजाजत दी। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: नहीं दी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): नहीं, किन्हीं पर दो-दो मिनट कहा है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): जिसको चैलेन्ज किया है उसको नहीं दी है। (व्यवधान) इन व्यवस्था को नहीं दी है। (व्यवधान) नहीं, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): इसके लिये कोई मना नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप सुनो, आप सुनो। (व्यवधान) आप दूसरा...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): यह व्यवस्था है तीन स्थगन प्रस्ताव के बारे में। (व्यवधान) 295 के बारे में अभी व्यवस्थाएं पढ़ ही रहे थे वे, 295 की व्यवस्थाएं पढ़ रहे थे। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: तीन मेम्बर्स को 2-2 मिनट का दिया है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यही तो कह रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। (व्यवधान) आप सुनो तो सही, मेरी बात पूरी। बिना सुने ही आप...

**श्री उपाध्यक्षः** यही कह रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): कुछ माननीय सदस्यों को तो उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देखिये, प्रद्युम्नसिंहजी, मेरी सुनिये आप। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): तिवाड़ीजी, देखिये, आप मेरी बात सुनिये। मैं अपनी बात कह दूं उसके बाद आप कहिये। आप बैठिये ना। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप कहिये ना, मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, अपनी व्यवस्था पढ़ ही रहे थे और 295 की पढ़ रहे थे उसके बीच में ही आकर चढ़ गये आसन के ऊपर, आसन के ऊपर हल्ला किस बात का कर दिया। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप मुझे कहने दीजिये, आप मुझे कहने दीजिये ना। (व्यवधान) आप मुझे अपनी बात कहने दीजिये, पूरा सीक्वेंस बता रहा हूं मैं। आपके द्वारा आसन से व्यवस्था दे दी गई। आपने जुबेर साहब को और एक अन्य माननीय सदस्य को कहा कि 2-2 मिनट आप बोल सकते हैं। हमारे सम्माननीय सदस्य एक प्रश्न के ऊपर बहुत एजिटेटेड थे कि स्पेशल कैटेगिरी के कनेक्शंस का पैसा ले लिया गया है। (व्यवधान) एक मिनट, सुन तो लें, तिवाड़ीजी, देखो, आप इतने पुराने सदस्य हो, इस तरह से मैं लंग पावर में, उम्र में आप मुझसे छोटे हो, जीत नहीं सकता हूं। लंग पावर तो मेरी कमजोर है लेकिन बात कहने का भी अधिकार आप छीनना चाहते हो, अपनी इस ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर तो आपकी मर्जी है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): सवाल यह नहीं है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): देखिये, आप सुन लीजिये, मेरी बात पूरी। (व्यवधान) अब आप यूं करते हो, अब इसके ऊपर डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य एजिटेटेड थे, वे जाकर कुछ बैठ गये, कुछ लोग और भी इस मुद्दे के ऊपर कुछ सम्माननीय सदस्य सरकार का जवाब चाहते थे कि सरकार क्या करने जा रही है। वह एक-एक करके 5-7 आदमी बैठ गये। पूरी पार्टी आकर बैठी भी नहीं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): टुकड़ों में आ गये।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): पार्टी तो टुकड़ों में बंटी हुई है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): सुन लीजिये आप, प्लीज, राजेन्द्रजी, चीफ मिनिस्टरजी आ गयी हैं, आप अपनी सिनसियरिटी दिखाने के लिये

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

kindly don't intrupt. मैं नहीं आया था, बहुत से लोग नहीं आये थे। कुछ लोग जो पीड़ित थे, जिनकी परेशानी थी कि 2-2, 3-3 साल से स्पेशल कैटेगिरी के पैसे जमा हुए, उनको नहीं मिल रहा है। आपने व्यवस्था दी कि बिजली के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। आप उस वक्त इसके ऊपर अपनी बात कह दीजियेगा। यही आपकी व्यवस्था थी। कहीं इसमें आसन के अनादर की बात थी नहीं। कई दफे ऐसे आवेश के मौके आते हैं, आसन की व्यवस्था के उपरान्त भी कोई माननीय सदस्य जब संतुष्ट नहीं होते हैं और उनकी पीड़ा का समाधान सरकार की तरफ से नहीं होता है तो आकर बैठ जाते हैं। लेकिन आपका जो मुझे लगा, कटारियाजी, ऐसा मुझे लगा कि या तो आपकी यह इच्छा है कि सदन को चलाना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। आप एक ऐसे छोटे से मामले के अन्दर इतना तूल बना दिया है इसे लेकर के। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल (**संसदीय सचिव): छोटा कैसे, आसन की अवहेलना छोटी कैसे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपका असम्मान न हमने कभी किया है न हमारी पार्टी ने किया है कभी। हमारी यह मंशा नहीं रहती है। लेकिन पब्लिक इश्यूज के ऊपर मेम्बर एजिटेटेड होते हैं और होते रहेंगे। यह हमेशा से होता आया है। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): सदन की अवहेलना नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप मेजोरिटी के आधार पर हमको धमका कर चाहें कि माफी मांगें और यहां अपनी बात नहीं कहें, यह चलने वाला नहीं है। और मैं आपको कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कोई आसन का असम्मान करने की, न हमारी पार्टी की और न हम लोगों की इच्छा है। यह, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और बाकी यह शोर मचाना चाहें तो खूब मचाएं शोर। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आप इनसे माफी मंगवाएं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष:** पहले मंत्रीजी बोल रहे हैं, पहले मंत्रीजी बोल रहे हैं।

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी): एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट में बैठ जाऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद इस बात का है कि गांधीजी की बड़ी अवमानना हो रही है। गांधीजी का सपना यह नहीं था। गांधीजी का सपना यह नहीं था कि हमारी लोकसभा और विधान सभा में इस तरह के डिस्टर्बेंस होंगे। उनका सपना था कि मेरा भारत देश आजाद होगा और गरीबों की बात इस सदन में रखी जाएगी। परन्तु गांधीजी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, यह अलग बात है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का पूरा सम्मान रखते हुए और हम कई लोग वर्षों से इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं, हम स्वयं ईमानदारी से इस आज की घटना का अगर विश्लेषण करें, आपने केवल स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था देते हुए कहा कि 15 तारीख को इस डिमाण्ड पर डिस्कस होगा, तब आपको पूरा समय दिया जाएगा। उसके आगे, जो भी आपके पास स्थगन प्रस्ताव थे, उनको आप पढ़ रहे थे। उसे पढ़ते समय ही उसमें 295 की व्यवस्था करनी थी, बाकी सब कर ली थी। मान लो आपको किसी बात पर आपके स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसका कुछ निर्णय भी करना था तो आसन के बैठने के बाद, व्यवस्था आने के बाद अगर आपको कोई उनसे असंतोष हो तो जीरो-आवर में उसका उपयोग करने के लिये आप खड़े होते, अपना तर्क देते, अपनी बात कहते। किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन चूंकि आसन व्यवस्था पूरी नहीं दे पाया। केवल आपके विषय पर एक व्यवस्था दी और उससे आप असंतुष्ट थे लेकिन आपको उस समय तक तो इंतजार करना था जब आसन अपनी सीट पर बैठ जाता और उसके बाद आपका उनसे कोई असंतोष होता तो उसका आप विरोध करते, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। उसके बाद आप वैल में आते तो एक अलग चीज थी। लेकिन आसन व्यवस्था ही नहीं दे पाये, आसन पढ़ ही नहीं पाये और आसन के खड़े रहते हुए, व्यवस्था देते हुए, आप इस मामले में आकर जिस प्रकार का दृश्य आपने प्रस्तुत किया, राजस्थान की छह करोड़ जनता इसको अच्छा समझ रही है? हमको अच्छा लगा? और अगर हमसे कहीं भूल हो गई, या हमने कोई जाने-अनजाने में, जोश में, अगर हमने आसन का अपमान कर दिया तो क्या हम इससे छोटे हो जाते हैं कि किसी की गलती के कारण से इस सदन का अपमान हुआ है, इस आसन का अपमान हुआ है, उसको महसूस करना और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उस दुःख को अनुभव करना, क्या बहुत बड़ी कोई समस्या हो गई। लेकिन अगर यह भी नहीं करें और इस हठधर्मी में रहें और दुर्भाग्य तो यह रहा आज कि सारी घटना के बाद प्रतिपक्ष के नेता, स्वयं ने खड़े होकर के बायकाट अलग किया, यह क्या बात है। हमारा विरोध हो सकता है, किसी विषय पर आपसे हमारी और आपकी राय भिन्न हो सकती है। हमारे आपस में विवाद हो सकते हैं, उसका यह स्वरूप बन सकता है लेकिन आसन की व्यवस्था पूरी नहीं हो, आसन खड़ा हो और उसके बाद भी इस प्रकार का अगर हो तो यह न सदन चल पाएगा और न इस सदन की गरिमा रह पाएगी। इसको हल्केपन में लेने की कृपा नहीं करें। इसको उसी गम्भीरता से लें। हम इस सदन के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे पर इस सदन का जो सम्मान अब तक रहा है, उसकी जो मर्यादा रही है उनको यह छोटी बात पर टूटने मत दें। इतनी मेरी सदन के सभी माननीय सदस्यों से, चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, हम अपने दल से भी ऊपर उठें कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। यह सदन की गरिमा बनाये रखना हमारे में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को महसूस करके यह जो कृत्य हुआ है इसकी निन्दा भी करनी चाहिए और इसके बारे में अफसोस जाहिर करना कोई गुनाह नहीं होगा।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): वैरी सीरियस मैटर।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, अब इस पर ... (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो बात कही, आपके आसन पर, आप जहां विराजमान हो गये थे। सरकार ... (व्यवधान) आसन के खिलाफ कोई बहिष्कार नहीं किया है। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): नहीं-नहीं, यह गलत है। यह गलत है। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): बहिर्गमन किया है तो सरकार की ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस पर अब बहसबाजी नहीं। स्थान ग्रहण कीजिए आप। बैठिये आप। आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): हमने सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ ... (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): यह गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** देखिये, आप व्यवस्था पर ... (व्यवधान) आपने व्यवस्था पर क्या कहा था? (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): सचेतक महोदय, अभी भी जब स्पीकर खड़े हो गये तो आपको बैठने का स्वभाव ही नहीं है। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: हमारे माननीय सदस्य को उठाने गये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** बैठिये-बैठिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, बैठिये आप।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): क्या बात है? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** बैठिये आप। माननीय बैठिये आप। बैठिये आप अब। देखो बीच में अंकित नहीं हो। बैठिये-बैठिये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने जो बात कही, मैं समझता हूं कि पूरे सदन को कही और आसन के सामने अगर इस तरह कोई कृत्य हो जाए तो क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप नियम और प्रक्रिया के नियम, अगर 50 में आपने जो व्यवस्था दी है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू मेक मोशन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें साफ लिखा है कि एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं दिये जाएंगे। आपने तीन-तीन स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था उदार मन से दे दी और दो-दो मिनट बोलने का समय दे दिया और एक में नहीं दी। मतलब, या तो यह हो गया कि यह अधिकार हो गया कि यह सदन में जब चाहे, जिस विषय पर चाहे, जब बोलें और इसकी ताइद अगर प्रतिपक्ष के नेता और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य करें और आज सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को हुई, मैं चेहरा देख रहा था मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य को हुई कि वह देख रहे थे कि जब यह प्रतिपक्ष के नेता थे तो पूरा प्रतिपक्ष बंधा हुआ नजर आता था। आज इनकी टूटन के कारण सदन का अपमान हो और आसन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का अपमान हो इसलिए मेरी प्रार्थना है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ... (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): फूट डालो और राज करो, आप तो यही चाहते हो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन की कार्यवाही को चलाना चाहते हैं। जिस विषय पर जिसकी घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कर दी। अब उसका क्रेडिट कैसे लें अगर इसकी होड़ लगी है तो और नियमों में आ जाएं। यहां पर बात करें, चर्चा करें। जवाब देंगे पर आज मेरा नम्र निवेदन है, विशेष तौर से मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य से, अगर इनमें हठधर्मिता है तो आप तो बड़े मन के हो और आप आसन का सम्मान और संसदीय परम्पराओं में ...(व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): सबसे वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप हम सब में बुजुर्ग हैं। आप क्षमा मांग लें। आसन से क्षमा मांगनी चाहिए इनको और मैं भी चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी इसमें सख्त रहने की आवश्यकता है। व्यक्ति नहीं है। यह आसन है। इसलिए आसन का सवाल है। आसन की मर्यादा और हमारी परम्परा कितनी स्वस्थ परम्परा रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए क्षमा मांगने से छोटा नहीं होगा और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा प्रतिपक्ष के नेता आपसे कि दो गलती हो गयी आपसे। आसन के विरुद्ध में बहिर्गमन आज तक कभी नहीं हुआ राजस्थान विधान सभा के इतिहास में। आपने किया है। आपने किया है। आपने किया है। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आपने किया है। किया है। किया है। आप देख लो रिकार्ड में है। आप रिकार्ड निकलवाकर देख लो। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप प्रोसीडिंग निकलवा लीजिए। सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ किया है। आप प्रोसीडिंग निकलवा लीजिए। आप क्यों आसन से ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कई बार आवेश में हो जाता है। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आसन की व्यवस्था के खिलाफ किया है। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): सरकार तो है ही नहीं बीच में अभी। ...(व्यवधान) सरकार तो अभी बीच में ही नहीं आयी। अभी तो केवल आसन और आपका ही मामला है। सरकार आयी कहां बीच में? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवेश के अन्दर ... (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप तो वहां तक पहुंच जाते हैं। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? स्पीकर की परमिशन के बगैर आपने यहां से कागज उठाये। यह क्या परम्परा रही है? (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे बहुत अफसोस है। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप तो मर्जी आये जो परम्परा तोड़े जाओ। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीफ-व्हिप कांफ्रेंस में अभी ... (व्यवधान) वहां पर संकल्प लेकर आये हैं। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा राजस्थान के विधान सभा में कभी नहीं हुआ जो आज संसदीय कार्य मंत्री आपकी परमिशन के बगैर यहां से कागज उठाकर ले गये। ऐसा कभी हुआ है क्या? (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आप डाइवर्ट नहीं करें, इश्यू को। आप इश्यू को डाइवर्ट नहीं करें। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ऐसा कभी हुआ है क्या? आप इनको कुछ कहें नहीं। पूरा मंत्री मण्डल खड़ा हो जाता है जैसे स्प्रिंग लग गयी हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): यह गलत है आपका रवैया। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ... (व्यवधान) लगी हुई है क्या? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन जो है अब गरिमापूर्ण चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। यह मतलब विपक्ष अपनी धमकियों से ... (व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जुबेर खानजी मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। यह जुबेर खानजी इस मुद्दे को, अनशन के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। संसदीय मंत्रीजी ने कोई पेपर नहीं उठाया। आप इनको सख्त सज़ा दो। और आप जुबेर खानजी, जब भाजपा का राज बनता है जब ही आप जीतकर आते हो। कांग्रेस का राज बनता है तो आप हार जाते हो इसलिए आप तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दो। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): विपक्ष लगातार अपनी ... (व्यवधान) हम भी इस बात पर ... (व्यवधान) इस विधान सभा में जब प्रद्युम्न सिंहजी यहां बैठते थे तो हमको पता है कि प्रद्युम्न सिंहजी कोई जवाब ही नहीं देते थे। जब आसन की बिना परमिशन के कोई खड़े नहीं हो सकते थे। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** बैठिये।

माननीय सदस्यगण, राजाखेड़ा से आने वाले प्रद्युम्न सिंहजी ने भी अपनी बात रखी और इस तरफ से भी कटारिया साहब ने भी बात का जो है, जवाब दिया। (व्यवधान) वह आ गयी। राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार की तरफ से कटारिया साहब ने भी बहुत ही तरीके से, गम्भीर रूप से जवाब दिया। मेरा निवेदन सदस्यों से यही करना है कि यह बात तो बिलकुल निश्चित है कि यह सदन नियमों से और परम्पराओं से चलता है और आसन की व्यवस्था कई बार दी जाती है। आसन की व्यवस्था को मान कर सदन के सब सदस्यों को चलना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी बात होगी कि प्रद्युम्न सिंहजी ने इस बात को कहा कि यह कुछ लोगों ने गलती की है पर इसमें आइंदा के लिए, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आसन की व्यवस्था करने के बाद में और व्यवस्था में भी यह कहा गया था कि बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। बिजली का मुद्दा है। मुद्दा है। इसके ऊपर हमेशा इस सदन के अन्दर पूरे-पूरे दिन चर्चा होती है और यह कोई ऐसा इमीजिएट वाकया नहीं था कि

(श्री उपाध्यक्ष)

दो, चार, पांच दिन पहले ही कोई बात हुई हो। कोई दो, चार, छह महीने से पैसे भरे हुए पड़े हैं। दस-दस साल से आपको और हमको अच्छी तरह से पता है कि बिजली के लिए लोगों के नम्बर नहीं आ रहे हैं। पर जो बिजली की क्षमता है ... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): 1990 से पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** जो सरकार जिस तरीके से कर रही है। 90 से पड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के अन्दर कई तरह की स्कीम्स आयी हैं और कई स्कीम्स में अड़चन पैदा हुई है। कोशिश सभी की यही है और राज्य सरकार की विशेष तौर से कि बिजली के कनेक्शन काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा दिये जाएं। तो मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि आसन की व्यवस्था देने के बाद में सदस्यों को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। प्रद्युम्न सिंहजी ने कह दिया और इधर से कटारियाजी ने भी कह दिया इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक सदन को चलने दीजिए। सब का सहयोग होगा और हम अच्छी परम्पराएं इस सदन के अन्दर कायम कर सकेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल आपका ही नहीं है ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** वह आ गयी बात, बात छोड़ो। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, यह आसन का सवाल है। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): हमारा भी साथ है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** नहीं, उन्होंने कह दिया कि हमने नहीं किया ऐसा। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आसन का अनादर क्यों कर रहे हो, मुख्य सचेतकजी? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** किस बारे में? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्षमा कर दिया, यह तो बता दो। (व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): आसन ने क्षमा कर दिया। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): क्षमा वीरस्य भूषणम। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव। श्री रामनारायणजी मीणा, शार्ट के अन्दर। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने क्षमा तो कर दिया। नहीं, पर सदन को बता दो कि आपने क्षमा कर दिया। आप उदार मन हो। आप कर सकते हो। यह पता लग जाए, यह रिकार्ड में आ जाए कि आपने माफ कर दिया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** अब बात हो गयी।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप अनादर क्यों कर रहे हो, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में ... (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने माफ कर दिया। आपने इनको क्या किया है? छोड़ दिया, माफ कर दिया। आप भूल गये। किया क्या आपने? (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल** (सिंचाई मंत्री): आपने भविष्य में नहीं करें, इस बात की चेतावनी दी है। चेतावनी दी है। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): सदन में एक ऐसा मामला रख रहा हूं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): यह तो बताओ कि मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने माफ कर दिया इनको। आइंदा की चेतावनी देते हुए। (व्यवधान)

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## बूंदी जिले में फसल खराबे के बाद भी किसानों से वसूली

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): बूंदी जिले में चूंकि राजस्व अधिनियम के तहत 50 गुणा पैनल्टी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यदि दो रुपये भी कर दी जाए या दो गुणा पैनल्टी किसान के ऊपर जो ट्रेस-पासर है, सरकारी जमीन पर, उस ट्रेस-पासर के ऊपर की जाए। मैक्सिमम पैनल्टी 50 गुणा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों का दुर्भाग्य है कि अधिकारी लोग जो मैक्सिमम पैनल्टी है 50 गुणा, उसको करते हैं। इसमें कोई सवाल नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बैठक हुई थी, जिला कलेक्ट्रेट बूंदी में 19 जुलाई, 2004 को, उसमें राजस्व मुकदमों के बारे में जो था, अतिचार के मामलों में सिविल कारावास की सज़ा नियमानुसार दी जाए, कम्प्लसरी किया। औसतन 300 रुपया प्रति बीघा से कम, फसल नीलामी के प्रकरणों की गहनता से समीक्षा की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी उस जमीन को काश्त करता है, जिसमें फसल नहीं होती। यदि उसमें फसल नहीं है फिर भी अतिकर्मी से फैसले के नाम पर, फैसले के साथ ही 300 रुपये बीघा वसूल किया जा रहा है, बूंदी जिले में, अधिकतर 80 परसेंट में और मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास रसीद है। तीन बीघा जमीन का अतिक्रमण और उससे 1696 रुपया वसूल किये गये हैं। इसी तरह से दूसरे मामले में मैं आपको अर्ज करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल शॉर्ट में ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, मैं थोड़ा बीच में आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ट्रेस-पासर को अगर सज़ा दे दी नियमानुसार तो उसकी अपील वगैरह हुई कि नहीं हुई?

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सज़ा देना सैकिण्ड ट्रेसपासर पर है, मैं उसका क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। नहीं दी जानी चाहिये और मैं इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब गवर्नमेंट के आर्डर हैं 2003 के कि यदि इनको तीन साल से ज्यादा, चार साल से ज्यादा कब्जा है तो नियमन किया जाना चाहिये। लैण्ड आफिसर, सरकार का भूमि अधिकारी तहसीलदार होता है सरकार की तरफ से, वह रिपोर्ट पेश ही नहीं करता है कि इसका पुराना कब्जा है। तो उसकी पालना नहीं हो रही है अधिकारियों द्वारा। मैं किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं हुक्म। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो

(श्री रामनारायण मीणा)

सीमान्त कृषक है, जिसके खाते में दो बीघा जमीन है या बहुत-से कृषकों के खाते में जमीन नहीं है, एक तो उसके बारे में रिकार्ड को जब पेश किया जाये तहसीलदार के सामने पटवारी द्वारा तो रिकार्ड पटवारी के पास होते हुए भी वह पेश नहीं करता है, लेकिन इसका भी सवाल नहीं है। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि किसान को ट्रेसपासर अंकित कर दिया। फसल हुई नहीं, दो पूली जो घास की काटकर खेत से वह लाया उसमें भी कम्पलसरी कर दिया गया है कि 300 रुपये बीघा उससे फसल के नाम पर वसूल किया जाये और यही वसूली तहसीलदारजी उनसे कर रहे हैं। मैक्सिमम केसेज में कर रहे हैं। जब फसल नहीं है और जो गरीब किसान है बी पी एल परिवार का है, सीमान्त कृषक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है और खालों-नालों की जमीन है, जो उसने उसमें बाड़ा बनाकर, मन के शौक के लिए आदमी क्या करें बेरोजगारी में गांव का आदमी, कोई रोजगार नहीं है, ऐसे मामलों में जो वसूलियां की जा रही हैं और जो इस आदेश की आड़ ले रहे हैं, मेरे पास उसकी कापी है। जो 300 रुपये बीघा वसूल किया जा रहा है उसकी कापी है। दो रुपये की फसल पैदा नहीं होने के बावजूद भी यह जो 19 जुलाई, 2004 का है ...(व्यवधान) सुन लीजिये बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): इसमें वकालतनामा भी लगा रखा है?

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): वकालतनामा तो मैंने किया नहीं और माननीय महावीरजी, मैं वैट टैक्स कम कराने के लिए लोगों से चाय भी नहीं पीता हूं। यह 19 का 4 परसेंट, मेरा धंधा नहीं है। (व्यवधान) मैं आपको जानता हूं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): बिना फीस के?

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आपके समाज के लोग भी किसान हैं, जो वहां दुकान लगाते हैं, उनसे पूछ लीजिये आप। आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछ लीजिये कि बूंदी जिले में अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है दूसरे जिले में जो रहा हो, मैं पूरे बूंदी जिले की अर्ज कर रहा हूं। 19 जुलाई, 2004 का राजस्व अधिकारियों की बैठक का जो मसला है, उसमें 300 रुपये बीघा कलक्टर ने जो निर्णय दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन की गलत ढंग से पालना की जा रही है। फसल हो, आप लीजिये,

(श्री रामनारायण मीणा)

लेकिन फसल नहीं हो रही है, जब्त ही नहीं हो रही है, जब तक फसल जब्त नहीं होगी, भू-राजस्व अधिनियम में साफ है, उपाध्यक्ष महोदय, सब वकील जानते हैं फसल जब्त होगी, नीलामी होगी। फसल जब्त ही नहीं और उसका काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है माननीय राजस्व मंत्रीजी, जहां फसलें जब्त नहीं, जहां कुछ हैं नहीं, वहां जो पैसे लिये जा रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करे और आइन्दा के लिए इस मसले को बिलकुल बंद करवायें ताकि बी पी एल परिवार के व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, छोटे-छोटे काश्तकार, जिनके पास जमीन नहीं, बड़ी मुश्किल से दो-दो बीघा जमीन पर हांक जोत करते हैं, उनको ट्रेक्टर की इकाई का पैसा नहीं आता, ऐसी स्थिति में कोई इस तरह का आदेश जारी किया जाये, इस सरकार से वहां की पत्रावलियां मंगाई जायें और इस तरह से जितनी वसूली हुई है, यह 19 जुलाई, 2004 के बाद में, वह पैसे किसानों को रिफण्ड करने के लिए आपके माध्यम से अर्ज है, विनती है राजस्व मंत्रीजी, कि आप आदेश प्रसारित करें ताकि इस तरह का जो अन्याय किसानों के साथ हुआ है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। वह परेशान हैं, जेल में गये और पैसा जमा नहीं कराने के कारण 60-60 दिन की सज़ा दी जा रही है।

**श्री उपाध्यक्षः** जवाब देंगे आप?

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): इतना गजब का अन्याय, यह मैं नहीं कहता, अधिकारियों की गलतफहमी से, गलत काम जो रहा है, वह नहीं हो। उनको न्याय मिलना चाहिये, यही मुझे कहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्षः** आ गया आपका स्पष्टीकरण। माननीय राजस्व मंत्रीजी।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): रिकार्ड मंगा लेंगे साहब। क्या मामला है, कोई किसी प्रकार का है तो रिकोर्डली बात करें, क्योंकि यह मैटर आधा तो जुडिशली मैटर है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आधा नहीं, पूरा ही जुडिशली मैटर है, आफबेलेबल आर्डर है।

**श्री उपाध्यक्षः** श्री जुबेर खान।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): यह जुडिशली नहीं है। यह अन्याय है किसानों के साथ और आप किसान के बेटे हो।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): नहीं-नहीं, मंगा लेंगे रिकार्ड। मंगा लेंगे आपके वहां कोई इस प्रकार का है तो हमें लिखकर दे दें।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): नहीं लिखकर क्या, हाउस में बोल रहा हूं। मैं आपसे ज्यादा पढ़ा-लिखा हूं। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): जो आपने हाउस के अंदर बोला है, उन सभी बिन्दुओं पर हम रिकार्ड मंगा लेंगे।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मंगा लें।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री जुबेर खान।

## राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा कि 2005 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जो पहले एक योजना थी कुटीर ज्योति योजना, जिसमें गरीब और बी पी एल को एक लाइट का कनेक्शन गांव में दिया जाता था, उसके टार्गेट आते थे। आदरणीय यू पी ए चेयरपर्सन सोनियाजी की पहल पर एक कार्यक्रम बनाया। केन्द्र की सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना कार्यक्रम बनाया। इसके अंदर पूरे हिन्दुस्तान में जितने बी पी एल परिवार की जितनी ढाणियां और जितने भी गांव ऐसे थे, जहां विद्युतिकरण नहीं हुआ था, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह विद्युतिकरण का कार्यक्रम 2005 में शुरू हुआ। राजस्थान में भी राज्य सरकार ने इस पर टेण्डर लगाया और टेण्डर लगाकर जेनेसिस ओवरसीज को पूरे राजस्थान का ठेका दे दिया, जब कि होना यह चाहिये था कि जिलेवाइज, डिवीजनवाइज या पंचायत समितिवाइज होते। इसमें हालत यह हुई कि जेनेसिस ओवरसीज ने जिले सबलेट कर दिये। जिले वालों ने पंचायत समिति सबलेट कर दी और पंचायत समिति ने ग्राम पंचायत सबलेट कर दी और ठेकेदार क्या कर रहे हैं उस गरीब परिवार वालों को कह रहे हैं कि खम्भे भी आप उठाकर लाओ, तार भी आप उठाकर लाओ, खम्भे भी आप गाढ़ो, लाइन भी आप खींचो और ठेकेदार सरकार से पैसा उठा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब फरवरी, 2006 में इसके आदेश हुए 1997 की बी पी एल सूची लागू थी, अब तक जो सितम्बर, 2007 में नई सूची आई तब तक बी पी एल के पुराने परिवारों को भी कनेक्शन दिये गये, अब राज्य सरकार ने विद्युत बोर्ड में मौखिक बात कहकर यह रोक लगा दी कि पुराने बी पी एल परिवारों को नहीं दिया जाये तो पहले आपको एक हजार रुपये प्रति बीघा बी पी एल परिवार

(श्री जुबेर खान)

मिलता था, अब केन्द्र सरकार से ढाई हजार रुपया मिल रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा जमा हो गया है, गांवों में, ढाणियों में तो इन गरीब परिवारों के साथ यह दुर्भावना नहीं रहनी चाहिये कि कुछ लोगों को तो पुरानी बीपीएल सूची के अनुसार कनेक्शन दे दिये विद्युत के और बाकी लोगों पर रोक लगा रहे हैं। मंत्री महोदय, थोड़ा उदार होइये। क्योंकि आपके पास खजाने की तो कमी है नहीं, वित्तीय प्रबन्धन आपका अच्छा, आपका आकार बहुत बड़ा, आपका सरप्लस बजट हुआ। यह बीपीएल परिवार वालों के लिये आप कनेक्शन नहीं दे सकते? आपको तो मुश्किल से 20-30 मीटर की डोरी लगानी है और मीटर लगाना है। कोई आपको काम नहीं करना है। लट्ठे गढ़ गये, लाइन खिंच गई, इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत हो गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यह घोषणा करिये कि बी पी एल परिवार और आप नई सूची के तो आपको पता है अभी राशन कार्ड भी नहीं बने, हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो बी पी एल सूची, जो 1997 की थी, इसमें केन्द्र सरकार का कहीं राइडर नहीं है। सीधा है कि बी पी एल परिवार के लोगों को कुटीर ज्योति को बदलकर सब को कनेक्शन देना है, यह मंशा है। उस मंशा के अनुरूप आप पूरे बी पी एल परिवार को यह घरेलू कनेक्शन दीजिए और यह घोषणा करिये। ठेकेदार जो वहां लोगों से पैसा ले रहे हैं, हालत यह है पैसा दे दो तो तीन कि.मी. दूर की ढाणी में भी कनेक्शन हो रहे हैं और पैसा नहीं दो तो गांव में भी नहीं हो रहे हैं। यह मारा-मारी हो रही है ठेकेदार के आदमियों के माध्यम से। बिजली विभाग में जाते हैं तो वह कहते हैं कि हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह तो जयपुर से ठेका दिया गया है एक आदमी को, तो आप यह व्यवस्था ठीक कीजिये।

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मेरी मांग है कि बी पी एल के परिवार जितने भी हैं, 1997 की सूची को आधार मानकर उनका कनेक्शन करवायें और इस ठेकेदार के जो आदमी बेइमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगवाइये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): एक मिनट, आप जवाब दे रहे हैं तो एक बात और कह दीजिये।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मामला उठा दिया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): I will not put you in an embracing position. मैं यह कह रहा था कि आपके सिस्टम के बारे में भी कुछ बता दें कि जो सब-लेटिंग कर रहे हैं कांट्रेक्टर, चौथी जगह पहुंच गया है मामला। जयपुर में हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा। किसी की कोई रेस्पांसिबिलिटी नहीं है। जिले के अधिकारी कह देते हैं, आपके वहां जो कम्पनियों के लोग बैठे हुए हैं, वह कहते हैं साहब इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं यह अलवर का ही नहीं, धौलपुर का भी किस्सा है तो आप इस सिस्टम को जब तक खतम नहीं करोगे, कांट्रेक्ट कोई ले गया और पता चला चौथे आदमी के पास पहुंच गया। इसके ऊपर भी आप जवाब दे सकें तो इस समस्या का निदान काफी हद तक हो जायेगा। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): डूंगरपुर के अंदर जब आप, डूंगरपुर को राजीव गांधी विद्युत मिशन में जोड़ा गया तो उसी पैटर्न पर बांसवाड़ा को क्यों नहीं जोड़ा गया, जब कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सारी परिस्थितियां एक जैसी हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि 100 मीटर पर वहां बी पी एल परिवारों को कनेक्शन दे रहे हैं जब कि हमारे ट्राइबल बैल्ट में आदिवासी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सारा का सारा भौगोलिक क्षेत्र चार-चार किलोमीटर, दो-दो किलोमीटर पर सारे अलग-अलग टापरे में बसे हुए हैं, इस राजीव गांधी विद्युतीकृत मिशन को बांसवाड़ा, डूंगरपुर उस पूरे इलाके में फैलाया जाए।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, माननीय एनर्जी मिनिस्टर साहब, मेरे नैनवां में जो कर्मचारी हैं इनके कम्पनीज के ...(व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, बीच में कोई अंकित नहीं होगा आपका। अंकित नहीं होगा।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं, देखो, यह बहस नहीं है, मंत्रीजी अगर जवाब देना चाहते हैं, आप पहले जवाब सुन लीजिए, कोई बात होगी तो ...(व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): ×××

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): ×××

**अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आ रही है, आ रही है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, फिर आप बीच में, कुछ अंकित नहीं होगा आपका। अब यह बहस थोड़ी हो रही है, बिजली पर ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका कोई अंकित नहीं होगा, भाषण नहीं बीच में।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बीच में भाषण नहीं। कोई अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): ×××

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** फिर बीच में नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अब आप काहे के लिए, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आर.जी.जी.वी.वाई. स्कीम है यह भारत निर्माण चार ईयर जो बिजनस प्लान है यह 2005 के अन्दर भारत सरकार ने इसके तहत जैसे आपके रोड्स हैं, आपके बिजली है, इन इश्यूज को इन्होंने लिया था और जो इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि हमारे देश के अन्दर, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर 2012 तक हर घर को एक्ससेबिलिटी दी जायेगी बिजली के कनेक्शन के लिए, वो नहीं लेना चाहे वो और बात है। उसके बाद में जब यह स्कीम चालू हुई, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह पूरी जो स्कीम है यह बिलकुल ही, बिना सिर पैर की स्कीम थी। उन्होंने जो मापदण्ड अपनाये, हमने कई बार अपील की और उसके बाद इस स्कीम में संशोधन किया गया।

जहां राजस्थान का मामला था उन्होंने, केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसको उन्होंने बिलकुल भी कंसीडरेशन नहीं दिया और आज राजस्थान के अन्दर हर घर के अन्दर अगर बिजली का लट्टू जलाया जाए और उनको बिजली दी जाए तो 16 हजार करोड़ रुपये का खर्चा है और हमारी जो स्कीम्स हैं, इन्होंने 1091 करोड़ की स्कीम को एप्रूवल दिया। हमारी 18 स्कीम्स को एप्रूवल दिया और बाकी जो स्कीम्स हैं सो हमारी रह गयी हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): और जो इन्होंने मापदण्ड अपनाये हैं, इन्होंने यह बोला कि जो-जो गांव हैं, जहां पर जो विद्युतीकृत नहीं हैं उनको साढ़े छह लाख रुपये हम देंगे और जो गांव विद्युतीकृत हैं और जिनका इन्फ्रास्ट्रैक्चर तगड़ा करना है, आगे कनेक्शन देने के लिए उसको एक लाख रुपये देंगे। अब साढ़े छह लाख रुपये और एक लाख के अन्दर क्या होगा? बी.पी.एल. कनेक्शन जो हैं, हमें केन्द्र सरकार ने कहा कि बी.पी.एल. कनेक्शन आप खूब दो, पूरे दो। साढ़े सत्तरह लाख कनेक्शन का हमें उद्देश्य दिया है पर वो पैसे भी तो देंगे जब काम होगा, साहब। यह कुटीर ज्योति जो स्कीम थी इसी को आर.जी.जी.वी.वाई. में सब्मर्ज किया गया।

अब 1500 रुपये के अन्दर हम कनेक्शन कैसे दे सकते हैं? हमारा जो 2500 रुपये का एक एस्टीमेट हुआ कि बी.पी.एल. कनेक्शन को हम देंगे। हम प्रजेण्ट एग्जिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रैक्चर से दे पायेंगे, आप सोचें कि, साहब, चार घर को बिजली देनी है और पांच किलोमीटर लाइन खींचनी है, कैसे हम 1500 के अन्दर कर सकते हैं? तो एग्जिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रैक्चर से हम जब कनेक्शन देंगे तो हमारा खर्चा होगा 2500 रुपये, केन्द्र सरकार से जो उनके चेयरमैन, आर.ई.सी. है, मैंने उनको जोधपुर बुलाया, मेरे गांव ले गया, मेरे यहां ठहराया और इनको ढाणियों के अन्दर ले गया। मैंने कहा, यह आपकी जो स्कीम है, आप देखिये स्कीम से क्या होने वाला है। उन्होंने जब ढाणियां देखीं, उन्होंने जब देखा, पहले तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कीम में यह था कि जितने भी पंचायत समिति के ब्लोक्स हैं उनके अन्दर 33 के.वी. के सब-स्टेशन को भी इन्होंने स्कीम में ले लिया था। बिहार, यू.पी. जैसे स्टेट के अन्दर जहां 33 के.वी. सब-स्टेशन बने ही नहीं थे, पैसे उठा रहे थे और जहां पर बिजली का काम ही नहीं हुआ था उनको खूब फंड्स मिल रहे थे, राजस्थान को पैसे नहीं मिल रहे थे। तो ज्यादातर जिले तो हमारे एप्रूव्ड ही नहीं हैं, हमें फंड्स ही नहीं मिले हैं।

रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात करी, पहली चीज आपको एक और सूचना देनी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि विपक्ष के माननीय सदस्य, यह आप केयरफुली सोचियेगा, आपने पांच साल के अन्दर आपके कार्यकाल के अन्दर केवल 65 हजार बी.पी.एल. कनेक्शन दिये और हमने चार साल के अन्दर 3 लाख 22 हजार कनेक्शन दिये हैं और अभी हमारा एक साल और रह गया है। (व्यवधान) आपने 15 हजार कनेक्शन दिये

(श्री गजेन्द्र सिंह)

थे और हम 3 लाख 22 हजार कनेक्शन आज की तारीख में दे चुके हैं। (व्यवधान)

तो यह जो आप स्कीम के अन्दर कमियां निकाल रहे हैं, आप जाकर बोलिये न केन्द्र सरकार को ...(व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): काश्तकार का पसीना निकाल दिया आपकी बिजली ने और आपके काल में हुआ है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** बीच में नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): और उसके लिए आप जिम्मेदार हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): ×××

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके कार्यकाल में क्या किया था आपने? (व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): ×××

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके कार्यकाल में ...(व्यवधान) हम नहीं पहचानते क्या, आपके कार्यकाल के अन्दर ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बीच में नहीं। किसी का अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): ×××

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने बिजली की दरें क्या बढ़ायी थीं? (व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): ×××

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने कितने एग्रीकल्चर कनेक्शन दिये थे? उससे दोगुना कनेक्शन आपको दे रहे हैं।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): ×××

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमने चार साल में अगर एक पैसा बढ़ाया हो ...(व्यवधान) आपने 85 प्रतिशत बिजली बढ़ा दी थी ...(व्यवधान)...

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): ×××

**श्री उपपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपसे डबल कनेक्शन दे रहे हैं हम।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आ गयी बात। (व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): ×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (**सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): ×××

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): ×××

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): ×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। आ गया जवाब, बस आ गया, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, अब बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह इश्यू नहीं, यह सदन का मुद्दा नहीं है, माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। श्री संयम लोढ़ा। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आ गया, जवाब आ गया, बता दिया, जवाब आ गया। श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान) मैंने नाम पुकार लिया, आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। आपका प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

**श्री महीपाल सिंह यादव** (बानसूर): ×××

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** कह दिया इन्होंने, जो कहना था वो कह दिया। (व्यवधान) कह दिया इन्होंने, कह दिया। इन्होंने कह दिया हमने तीन लाख ... (व्यवधान) इन्होंने कह दिया, भाई ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** कह दिया मंत्रीजी ने ...(व्यवधान) जवाब दे दिया इन्होंने।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** बता दिया इन्होंने।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सब बी.पी.एल. को कनेक्शन देंगे केन्द्र सरकार हमें पैसा देवे तो।

**श्री उपाध्यक्ष:** बस हो गयी बात।

**श्री गजेन्द्र सिंह (**राज्य मंत्री, ऊर्जा): सब को देंगे, हम साढ़े 17 लाख को देंगे, आप पैसे दिलाएं न हमें। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): ×××

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** आपका प्रश्न नहीं है। बिजली वाले दिन करनी है चर्चा। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें। श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं, आपका अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** नहीं, मैं अलाऊ नहीं करूंगा, दस लोग और खड़े हो जायेंगे। ...(व्यवधान)... आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** आपका अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। आप फालतू समय बरबाद कर रहे हैं। बिजली पर चर्चा होगी जब आपकी बात ... (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। कुछ भी अंकित नहीं हो।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, आप फालतू समय खराब कर रहे हैं, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। श्री संयम लोढ़ा।

## मेडिकल प्री. पी.जी. परीक्षा परिणाम के बाद मापदण्ड बदलना

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलने की आज्ञा दी है, मैं आपका आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा जनवरी, 2008 के अंदर मेडिकल की प्री पीजी परीक्षा का आयोजन किया गया और उसका परिणाम घोषित किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बुकलेट इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी उसमें जो एलिजिबिलिटी फार एडमिशन दी गई है "Secure at least 50% marks, 40% in case of natural born SC, ST & OBC at the pre-PG medical Examination 2008." आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इसमें 50 फीसदी सीटें इन-सर्विस कंडीडेट के लिए हैं और 50 प्रतिशत नान सर्विस कंडीडेट के लिए हैं और इस परीक्षा में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहु विकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें अगर जो विद्यार्थी एपीयर हुआ है उसने सही उत्तर, सही विकल्प चुना तो उसको चार अंक दिये जाते हैं, गलत उत्तर दिया तो एक अंक घटा दिया जाता है और कोई नहीं दिया तो उसको शून्य अंक दिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी विवरणिका के आधार पर एग्जाम कंडक्ट हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उसके बाद में जो इन-सर्विस कंडीडेट हैं वे सिर्फ 6 कंडीडेट पास हो सके। यह लगातार प्रेक्टिस रही है, अदालतों के फैसले रहे हैं कि सामान्य वर्ग के अंदर 50 फीसदी का रिजल्ट नहीं आने पर इन-सर्विस कंडीडेट की सीटें हैं वो नान-सर्विस कंडीडेट को अलॉट की जाती हैं। यह सब परिणाम आने के बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विवरणिका में जो एडमिशन टेस्ट लेने के लिए

(श्री संयम लोढ़ा)

पुस्तिका विश्वविद्यालय ने जारी की थी उसमें ''एन'' पर बहुत साफ यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है ''Each answer with correct response shall be awarded 4 marks, negative marking will be adopted for incorrect responses, one mark will be deducted for each incorrect response, Zero mark will be given for the question 'not answered'.''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस नम्बर 278 (ईएमजी) में बहुत साफ दिया हुआ है ''यदि सेवारत चिकित्सक निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जो न्यूनतम सामान्य वर्ग में 50 प्रतिशत है उसकी पूर्ति नहीं करता है तो नान-सर्विस कंडीडेट्स को वे सीटें आबंटित की जाएंगी, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने एग्जाम होने के बाद, परिणाम घोषित होने के बाद, अपने कुछ चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मानदण्ड के अंदर परिवर्तन किया और 5 फरवरी, 2008 को जो मीटिंग सेक्रेट्री, मेडिकल एजुकेशन की प्रजेंस में कंडक्ट हुई और जिसका आर्डर मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेट्री ने जारी किया उसमें यह फैसला उन्होंने किया ''If sufficient number of in-service general category candidates have not secured 50% marks or above, the negative marking may be dispensed with in case of the candidates who have got less than 50% marks in the first result.'' मतलब, जिनको परीक्षा परिणाम में 50 फीसदी अंक नहीं मिले हैं तो निगेटिव मार्किंग हटाकर उन फेल हुए चिकित्सकों को पास करने के लिए 50 परसेंट तक पहुंचाने के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन हटा दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं विधिवेत्ता हैं, आपका बहुत लम्बा सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, राजस्थान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिन मानदण्ड के आधार पर एग्जाम कंडक्ट किया गया, रिजल्ट घोषित होने के बाद एक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए उन मानदण्डों में परिवर्तन करके सैकड़ों की संख्या में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 50 परसेंट से ज्यादा मार्क्स गेन किये हैं उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम सरकार करे, मैं कहना नहीं चाहता सरकार को फैसला करना है, सरकार को सोचना है, आज पूरे राजस्थान में यह चर्चा है कि इन-सर्विस कंडीडेट्स को पास करने के लिए एक-एक सीट के लिए +++ किन लोगों को दिया गया है यह ..(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात कहें बिलकुल छूट है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** यह जनरल बात आप ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लेकिन वेग चार्ज लगा दिया बिना कारण से।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): वेग चार्ज नहीं है, जनता में चर्चा है। चर्चा है राजस्थान के अंदर ..(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जब चर्चा के आधार पर इस तरह की बात करेंगे ..(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): कुछ लोगों को आप बेनिफिट पहुंचाने के लिए ..(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): या तो इनको जानकारी हो, या कोई तथ्य हो, मेरा निवेदन है कि इसको एक्सपंज कराएं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हरीश शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जो फैसला दिया ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप जनरल इस तरह से ..(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं उस फैसले के अंश आपको सुनना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ×××

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): ×××

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): ×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हो।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: यह वेग एलिगेशन है। माननीय सदस्य, यह वेग एलिगेशन है, स्पेसिफिक ऐसा नहीं। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** नहीं होगा। अंकित नहीं हो, कह दिया।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। आपने कह दिया कि यह नियमों के विरुद्ध है तो जवाब आने दीजिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** आपने बात कह दी। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** आपने कह दिया कि गलत हुआ है।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। मंत्री जवाब दे रहे हैं। माननीय लोढ़ा जी। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय लोढ़ाजी। यह अंकित नहीं होगा। बीच में दोनों ही अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप पहले जवाब सुनिए मंत्रीजी का। आप अपनी मर्जी से वेग इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते इसका। आ गई बात आपकी। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन है। जिस समय एग्जाम कंडक्ट हुआ उस समय निगेटिव मार्किंग का नियम था तो जो ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** वह आ गई बात।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): जो विद्यार्थी इसमें एपीयर हुए इन सर्विसेज में जिन्होंने इसमें आन्सर नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आन्सर रांग हो गया तो नेगेटिव मार्किंग से मेरे नम्बर कम हो जायेंगे। अगर उसको यह पता होता कि नेगेटिव मार्किंग से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई नम्बर कटेंगे नहीं, लैस नहीं होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो वह भी कोई न कोई आन्सर दे देता। उसका खामियाजा उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं हुआ। एक्जाम कंडक्ट हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, मार्किंग का मापदण्ड तय कर दिया उसके बाद अब आप कमेटी की मीटिंग बुलाकर के यह फैसला करो कि नेगेटिव मार्किंग का मामला हम हटा देते हैं, क्यों हटा देते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष:** आ गयी बात आपकी।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए हटा देते हैं कुछ नेगेटिव मार्किंग हटा देने से कुछ लोगों को अगर फायदा हो सकता है, उनको फायदा देने की मंशा अगर नहीं है तो और इसके पीछे कौनसी मंशा है, आप बता दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: जवाब दे रहे हैं।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के माननीय नेता का मैं आभार प्रकट करता हूं कि यह जानकारी तो दी है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुर्गा इतना बड़ा होता है और दूसरा हाथ नीचे वाला नहीं रखेंगे तो अधूरी जानकारी है। 20.1.08 को एग्जाम हुआ, पचास पर्सेण्ट सीटें अखिल भारतीय प्री पीजी कोटा हेतु भारत सरकार को स्थानान्तरित की जाती हैं। शेष पचास पर्सेण्ट में जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवारत हैं उनके लिए पचास पर्सेण्ट और जो सेवारत नहीं हैं उनके लिए पचास पर्सेण्ट। अब प्रश्न इतना ही है कि पचास पर्सेण्ट पे वह काबिज होना चाहते हैं जो सेवारत जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं और जिन्होंने पिछले एक साल में नौकरी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

नहीं की। अधिकांश इसमें नेगेटिव मार्किंग हटने के बाद जो पास हुए हैं उनमें से अधिकांश ने पांच से आठ साल तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा की है। आज कोई फ्रेश आदमी होगा और आज आप एम.ए. का एग्जाम देंगें उसका अन्तर पड़ेगा।

एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कोटा मैं खाने दूं और आप लोग चार्ज अभी लगा रहे हैं उसके बाद विपरीत चार्ज लगने दूं, मेरे रहते हुए यह कभी नहीं हो सकता। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): एस.सी., एस.टी. का विवरणिका में पहले दिया हुआ है। उन पर नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं है। पहले ही दिया हुआ है उनके लिए आप गलत कोट कर रहे हैं ।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एस.सी. के 99 एपीयर हुए उसमें से चार पास हुए, एस.टी. के नब्बे एपीयर हुए उसमें से एक पास नहीं हुआ नेगेटिव मार्किंग के आधार पर ओ.बी.सी. में 155 से तेईस पास हुए और जनरल में 255 में से छह पास हुए। अब कौनसा मेरा रिश्तेदार है, कौनसा मेरा भाई है, कौनसा वर्ग विशेष है। एस.सी. वाले अगर रिश्तेदार हैं तो मैं स्वीकार करता हूं, एस.टी. वाले रिश्तेदार हैं मैं स्वीकार करता हूं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह विवरणिका में साफ एस.सी., एस.टी. के लिए लिखा हुआ है "For SC & ST candidates two results will be prepared; one with negative marking and the other without negative marking ..." (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आपके दवाब से मंत्री महोदय जवाब नहीं देंगे ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ....SC & ST candidates don't pass the exame with negative marking than the other results without negative marking will be declared and will be considered in the counseling." एस.सी., एस.टी. के लिए साफ लिखा हुआ है। स्पष्ट दिया हुआ है। एस सी. एस टी का नाम लेकर के आप अपने गलत वक्तव्य को पूरा करने की चेष्टा मत करिये मंत्रीजी।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप पूरा जवाब सुनिये, बीच में नहीं।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ओ.बी.सी. के भी तेइस ही पास हुए थे, वही बोल रहा हूं। दो रिजल्ट हुए हैं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): नेगेटिव मार्किंग थी कि नहीं थी, आप तो

(श्री संयम लोढ़ा)

यह बताइये। (व्यवधान) यह फैसला क्यों किया, पूर्व में क्यों किया फैसला आपने यह?

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह भी बताऊंगा मैं।

**श्री उपाध्यक्ष:** जवाब सुन लो।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बार-बार ऊपर नीचे उठने से तो कुछ होगा नहीं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अगर आप गलत कोट करेंगे तो मुझे इंटरविन करना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप सुनें तो सही, पूरी बात सुनिये पहले।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य को खुद का रिकार्ड चैक करना पड़ेगा, 2406/05 डाक्टर घेवरराम भील बनाम सरकार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, सेवारत चिकित्सकों की सीटें भविष्य में गैर सेवारत चिकित्सकों को स्थानांतरित नहीं होंगी, यह निर्देश स्पष्ट दिये हैं तो पचास पर्सेण्ट कोटा तो खा ही नहीं सकते आप और नहीं खा सकते तो उसमें जो एलीजिबिल है और उनकी एलीजिबिलिटी नेगेटिव मार्किंग हटाकर अगर दी है तो उसमें वहीं गांव का गरीब सेवा करने वाला है उसको मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। उस कोटे में से अगर कोई खाना चाहे तो पहले, पास्ट प्रैक्टिसेज होंगी, उसका तो मैं नहीं कहना चाहता। मेरे रहते हुए तो यह नई प्रैक्टिस नहीं चालू हो सकती। पचास पर्सेण्ट उन लोगों के लिए आरक्षित है तो भविष्य में भी रहेगी, कोर्ट का आदेश है यह। अब यह मैंने जो आपको दिया है आप उस भील का ....

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नियमों को, मापदण्डों को रिजल्ट आने के बाद चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रामीण चिकित्सकों की सहायता करनी है तो आगे जो एग्जाम हों उसके अन्दर अपने नये मापदण्ड बना लेना, नयी नियमावली बना लेना लेकिन रिट्रोस्पेक्टिवली आप नेगेटिव मार्किंग चेंज करके उन छात्रों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वह गलत है। आपने नियम गलत क्यों बनाये, जिन नियमों के आधार पर परीक्षा ली गयी उन नियमों को बाद में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए चेंज करके पचास पर्सेण्ट आप पूरा करना चाहते हैं।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोर्ट के आदेश की अवहेलना, फिर आप चैक कर लें।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): तो वह गलत है क्योंकि अगर आपको उन पचास पर्सेण्ट लोगों को लेना है तो अलग नियम बना लें और लोगों को ले लो लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि सारे एग्जाम हो गये, रिजल्ट आ गया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सब चीजों को दरकिनार करके आपने उन नियमों को ही चेंज कर दिया कि हमने जो एग्जाम लिया था वह मापदण्ड चेंज कर रहे हैं हम। यह कहां तक उचित है?

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्ञानी तो काफी हैं लेकिन ज्ञान काम में कम लेते हैं। अगर इस डाक्टर घेवरराम भील बनाम सरकार का फैसला पढ़ लें उसके आधार पर पचास पर्सेण्ट सीटों पर कोई अधिकार नहीं जमा सकेगा ...(व्यवधान) नहीं-नहीं, पचास पर्सेण्ट जो सेवारत रिजर्व्ड हैं उसकी है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): घेवरराम भील एस.टी. कैंडीडेट है why you are quoting again and again about Ghevar Ram Bhil? एस.सी., एस.टी. का तो अलग से रिजर्वेशन है और उसमें नेगेटिव मार्किंग का साफ आपने बुकलैट में दिया हुआ है इसमें नेगेटिव मार्किंग ...(व्यवधान) हम जनरल कैटेगरी सीट की बात कर रहे हैं आप भील के इश्यु को ला रहे हो You want to divert the issue.

**श्री उपाध्यक्ष:** पहले सुनें तो सही।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जनरल कैटेगरी की बात एस.टी. का मैंने कहा है, एस.टी. का एक भी डाक्टर पास नहीं हुआ है ...(व्यवधान) एस.टी. का, पूछ क्यों नहीं रहे हो पूरी ...(व्यवधान) आप अपने लेवल की बात कह दें मैं पूरी बात ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हमारा इश्यु जनरल कैटेगरी की सीट्स का है, मान्यवर, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की सीट्स का, उस पचास पर्सेण्ट की बात हो रही है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: पूरी बात सुनिये।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन पचास पर्सेण्ट सीटों पर शेष जो सेवारत हैं उनका अधिकार उसमें एस.सी. का एस.टी. का बैकलाग नहीं बढ़े वह व्यवस्था हमने की है फिर भी हमने

(श्री नरपत सिंह राजवी)

घेवरराम भील बनाम सरकार के फैसले के विरूद्ध अपील की खण्ड न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रिजेक्ट किया है We have no option. We have to look at. और इसलिए मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि वह फैसला पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद अगर आप यह कहें तब तो फिर भी समझ में आती है और चर्चा के आधार पर मेरे पर चार्ज लगेगा ना तो बाकी लोगों पर पहले लग जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि ना तो मैं नजदीक किसी के जाता, ना मैं किसी से इस प्रकार की व्यवस्था रखता हूं लेकिन एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लोगों को अब छह जने पास हुए हैं उसमें अगर दो लड़के और पास हो गये तो वर्ग विशेष हुए, मेरे भाई हो गये, मेरे रिश्तेदार हो गये, क्या लेना देना है इन बातों का। चर्चाएं बहुत हैं।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): एस सी, एस टी को तो आप नियमों में भी नहीं टाल सकते क्योंकि नियमों में प्रावधान है उनको लेने का। (व्यवधान)

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चर्चाएं बहुत हैं।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनको नियमों को बाद में चेंज करके किया और उसके बाद ....

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किया, कांशसली किया और जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि हमने जान बूझकर किया है, यह कोर्ट के फैसले के आधार पर उसको इम्पलीमैंट करने के लिए किया है और उसके ऊपर फिर भी अगर कहो कि जनता में चर्चा है तो चर्चा तो ऐसे प्रश्न उठाने वालों पर भी चलती है। हम ऐसी चर्चाओं की परवाह नहीं करते। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: नियम 295 ...(व्यवधान) चर्चा समाप्त।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** आ गया जवाब है यह। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): भ्रष्टाचार का मामला है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): रुपये एक करोड़ का लेन-देन हुआ है ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** कुछ ही अंकित नहीं होगा यह । माननीय सदस्य

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (अनुपस्थित) श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

## नागौर में रबी फसल को पाला पड़ने से भारी नुकसान

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता): महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्तमान की फसल को जिला नागौर में भारी नुकसान हुआ क्योंकि माह जनवरी-फरवरी में अत्यधिक सर्दी पड़ने से पाला पड़ गया जिससे जीरे, रायड़ा, गेहूं, ईसबगोल, हरी सब्जियों की खड़ी फसल पूर्णतया चौपट हो गयी। हरे वृक्ष भी जल गये। विधान सभा क्षेत्र मेड़ता नागौर के ग्राम लाम्बा, जाटा, बासमी, सेजा, गंठीया गगराना, पून्दलू, बीटन, इन्दावड़, जारोड़ाकला, मेड़ता रोड़, कलरू, मोकला, ढाढासनी, शेरवा, सर्ग, गंगारड़ा, गंगारड़ी, खाखड़ की, आकेली बी, कात्यासनी, भूरियासनी, डांगवास एवं अन्य कई ग्रामों से करोड़ों की फसल नष्ट हो गयी है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति रियो बाड़ी के अनेकों गांवों में भारी नुकसान हुआ है। अंत: सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि इसकी शीघ्र गिरदावरी करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की जावे।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री जुबेर खान (अनुपस्थित) श्री सी. डी. देवल।

## रायपुर को नया जिला बनाने हेतु

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): महोदय, रायपुर विधान सभा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और अधिकांश भाग मगरा क्षेत्र है। यहां के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में दूर-दराज इलाकों में अलग-अलग ढाणियों में रहते हैं। वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया में उनको उपखण्ड कार्यालय जैतारण जाना पड़ता है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कठिनाई पूर्ण है। पूर्व में राज्य सरकार ने कई उपखण्ड कार्यालय एवं सहायक कलक्टर कार्यालय खोले परन्तु रायपुर क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल सके। हजारों मुकदमे लम्बित हैं तथा गरीब

(श्री सी.डी. देवल)

काश्तकार जैतारण के चक्कर लगाते रहते हैं। इन काश्तकारों के पुश्तैनी बने हुए मकानों एवं बाड़ों का नियमन नहीं हो रहा है तथा कृषि भूमि पर जो उनका पुराना अतिक्रमण है उनका भी नियमन नहीं हो रहा है। किसान परेशान हैं।

इन किसानों को राहत पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि रायपुर (पाली) में या तो उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय खोला जाए या सहायक कलक्टर का कार्यालय खोला जाए जिससे किसानों को सस्ता न्याय मिल सके और उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। साथ ही काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिए सोजत की उप तहसील का मुख्यालय बगड़ी के बजाय चन्दावल में किया जाए ताकि काश्तकारों को आने-जाने में असुविधा नहीं हो। चन्दावर राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर आया हुआ है और काश्तकारों की यह मांग रही है कि उप तहसील सोजत का मुख्यालय बगड़ी के बजाय चन्दावल में किया जाए।

पाली जिला बहुत बड़ा जिला है। प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए तथा लोगों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि पाली जिले के कुछ भाग को अलग कर एक नया जिला बनाया जाए। पंचायत समिति रायपुर की साधारण सभा में गत दिनों प्रस्ताव पारित कर रायपुर, जैतारण, सोजत व ब्यावर को मिलाकर एक नया जिला बनाने का प्रस्ताव किया है और जिस प्रकार गुजरात की राजधानी गांधीनगर है उसी प्रकार इन चारों तहसीलों के मध्यम में आये हुए बर को इस नये जिले का मुख्यालय बनाया जाए ताकि सभी लोगों को राहत मिल सके। रायपुर के लोग ब्यावर में नहीं जाना चाहते हैं इसलिए रायपुर को नया जिला बनाने के लिए सरकार कार्यवाही करे। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): कांस्टीट्वेंसी का क्या पता है ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** यह ब्यावर के ... (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): बिलाड़ा में ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** यह ब्यावर के और आपके झगड़े हैं। ब्यावर वाले आपके यहां नहीं आना चाहते।

## पाली के बांगड़ चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर खोलने हेतु

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को जानकारी देना चाहता हूं कि पाली शहर के मध्य से दो राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 14 एवं 65 गुजरते हैं। यहां प्रति दिन 30-40 दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बांगड़ अस्पताल में भर्ती होते हैं। जिले के अन्य दुर्घटनाग्रस्त होने वाले व्यक्ति भी सी.टी. स्केन मशीन एवं अन्य सुविधाएं होने के कारण पाली के बांगड़ चिकित्सालय में रैफर किये जाते हैं। पाली में समाज से भी संस्थाओं द्वारा खून एवं नि:शुल्क दवाइयों की भी व्यवस्था आसानी से कर दी जाती है परन्तु ट्रोमा सेण्टर नहीं होने से जितनी अच्छी एवं तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये उसमें कोई भी कमी रह जाती है। ट्रोमा सेण्टर होने से दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को तत्काल एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि पाली में ट्रोमा सेण्टर की आवश्यकता को देखते हुए बांगड़ चिकित्सालय पाली में ट्रोमा सेण्टर खोलने की स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करें। धन्यवाद।

**(समय : 13.20 बजे)**

**(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)**

**श्री सभापति**: श्री रिछपाल सिंहजी। (अनुपस्थित) श्री मांगीलालजी गरासिया।

## गोगुन्दा में मिसिंग लिंक सड़क निर्माण

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा से कई मुख्य सड़क ऐसी हैं जो बहुत कम दूरी की रोड बन जाने से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कम समय में पार हो जाती है। निम्नांकित गोगुन्दा मुख्यालय से सिरोही, पाली व राजसमन्द तथा कई एक तहसील से दूसरी तहसील को जोड़ती हैं। अत: मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कराकर पक्की कराये जाने की अनुकम्पा करावें।

1 सड़क : कड़ेच से कोयलवाव भीमाणा।

2 सड़क : बालावेरा से पांबा गोरिया।

3 सड़क : छिपोला से राठोड़ों का मुड़ा से आगे मुख्य सड़क वाटी कदमाल।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

4 सड़क : सेनवाड़ा से माड़ाखेत।

5 सड़क : चांपा की नाल से कोयलवाव।

6 सड़क : कड़ेच से चांपा की नाल।

7 सड़क : मदरड़ा से मोड़ी।

8 सड़क : तीलरवा से बोरीसीमा।

9 सड़क : पाटिया से बगड़न्दा।

10 सड़क : धणावल से केलवाड़ा मुख्य रोड।

11 सड़क : काम्बा से राणकपुर रोड।

12 सड़क : रिछवाड़ा से बड़ेच।

13 सड़क : पिपराना से पलां।

14 सड़क : मादड़ा से कुकराघाटा सिवरखड़ी।

15 सड़क : तेजा का वास से भीमाणा।

16 सड़क : रावछा से देवरा नमण।

17 सड़क : पलों से रावछ।

18 सड़क : क्यारी से सामोली।

19 सड़क : समीजा से जुड़ा (कोटड़ा)

20 सड़क : बगडुन्दा सिमराली से उवेश्वरजी।

**श्री सभापति**: श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

## सुनेल में तहसील एवं रायपुर कस्बे में उप तहसील खोलने हेतु

**श्री कन्हैया लाल पाटीदार** (पिड़ावा): माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त विषय में विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में तहसील कार्यालय पिड़ावा में विद्यमान है लेकिन इसका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत होने की वजह से किसानों को अपने राजस्व कार्यों के निपटारे में काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और कार्य में भी काफी विलम्बना होती है। तहसील के आखिरी गांवों को 35-40 किलोमीटर की दूरी तय कर तहसील मुख्यालय तक पहुंचना होता है जिसकी वजह से समय और धन दोनों ज्यादा खर्च होते ही हैं। सुनेल नगर में तहसील खोलने हेतु जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा भी प्रपोजल राज्य सरकार को भिजवा दिये हैं।

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहता हूं कि सुनेल नगर में शीघ्र ही तहसील कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह हमारे क्षेत्र का रायपुर कस्बा पिड़ावा व सुनेल दोनों नगरों से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां राजस्व के छोटे-मोटे कार्य निपटाने हेतु एक उप तहसील की स्थापना किया जाना आवश्यक है। वहां उप तहसील स्थापित होने के पश्चात् लगभग 8 ग्राम पंचायत के किसानों को काफी राहत मिल सकेगी। आपके माध्यम से रायपुर में सब तहसील खोलने हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** श्री विनोद कुमार।

## हनुमानगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु

**चौधरी विनोद कुमार** (हनुमानगढ़): महोदय जी, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है तथा यहां की आबादी करीब एक लाख से ज्यादा है। जिला मुख्यालय होने के उपरान्त यहां राजकीय महाविद्यालय नहीं है। यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है।

बड़े खेद का विषय है कि जिला मुख्यालय होने के बाद भी राजकीय महाविद्यालय सरकार स्वीकृत नहीं करती है। कहने को तो सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील है लेकिन जिला मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय न होना बड़ा दुर्भाग्य है। वहां के निवासियों के साथ बड़ा अन्याय है। कस्बे में निजी क्षेत्र में महाविद्यालय जरूर है लेकिन वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी खर्चा उठाना पड़ता है। निजी क्षेत्र में महाविद्यालय होने के कारण फीस भी ज्यादा वसूली जाती है।

अतः मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि जिला मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

**श्री सभापतिः** श्री बद्रीलालजी।

## चित्तौड़गढ़ में पृथक डेयरी संघ की स्थापना

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से चित्तौड़गढ़ जिले के किसानों की प्रमुख मांग चित्तौड़गढ़ में पृथक डेयरी संघ की स्थापना एवं स्वीकृति दिये जाने संबंधी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(श्री बद्रीलाल जाट)

चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिले से संग्रहित दुग्ध के संग्रहण का प्लांट व प्रशासनिक कार्यालय संचालित है। साथ ही नया प्लांट व बड़ा प्रशासनिक भवन भी बन चुका है। केवल मात्र प्रशासनिक नियंत्रण भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन कर रखा है। जबकि वर्तमान भौतिक स्थिति को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पृथक संघ की परिभाषा में आता है। अतः उक्त समिति से भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का नियंत्रण समाप्त किये जाने एवं पृथक संघ की स्वीकृति दिये जाने एवं इस प्लांट में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किये जाने की महत्ती आवश्यकता है।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पर से भीलवाड़ा संघ का नियंत्रण समाप्त किया जाकर जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ पर चित्तौड़गढ़ जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, चित्तोड़गढ़ नाम से पृथक संघ की स्वीकृति प्रदान की जावे। साथ ही लंबे समय से कार्यरत कार्मिकों को स्थाई किये जाने का आदेश भी प्रदान किया जावे।

**श्री सभापति**: श्री गोपाल बाहेती। (अनुपस्थित) श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

## पावटा ग्राम को तहसील में परिवर्तित करने विषयक

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की पंचायत समिति विराट नगर के ग्राम पावटा की वर्तमान जनसंख्या लगभग 15 हजार है। ग्राम पावटा के नीचे दो गिरदावर सर्किल पावटा तथा दांतिल हैं। गिरदावर सर्किल पावटा में 13 पटवार मण्डल तथा 22 राजस्व ग्राम हैं। इसी प्रकार गिरदावर सर्किल दांतिल में 10 पटवार मंडल तथा 32 राजस्व ग्राम हैं। इन सभी ग्रामों की कुल जनसंख्या लगभग 1.50 लाख है।

पावटा ग्राम को तहसील बनाये जाने की मांग काफी समय से चली आ रही है। ग्राम पावटा से कोटपूतली तहसील की दूरी लगभग 20 किमी. है। पावटा तथा उपरोक्त राजस्व गांवों के लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए लगभग 30 से 30 किमी. की दूरी तय कर कोटपूतली जाना पड़ता है जो बड़ा कष्टसाध्य है तथा किसानों के लिए बड़ा पीड़ादायक है। पावटा में बड़ी व्यापारिक मंडी भी है तथा आसपास के सभी गांवों के लोगों का सम्पर्क पावटा से ही ज्यादा रहता है।

(श्री सुभष चन्द शर्मा)

पावटा में वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेन्ट्रल बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, बी.एस.एन.एल. कार्यालय, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता (जलदाय विभाग), अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय एवं वन विभाग तथा अन्य विभागों के कार्यालय स्थित हैं। ग्राम पावटा हर दृष्टि से तहसील बनाये जाने की योग्यता रखता है।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत इस विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया तथा सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए उक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पावटा को तहसील बनाने की मांग रखता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: पर्ची। श्री सुभाष बहेडिया। शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के संबंध में।

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

### शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के संबंध में

**श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया** (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, केन्द्र में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार थी, तब एक योजना चालू हुई, 'पूरा' प्रोविजन आफ अरबन एनिमिटीज इन रूरल एरिया, इसका ग्रामीण आबादी का पलायन शहर की तरफ नहीं हो और गांवों में शहरों की सुविधा मिले। इस दृष्टि से अटलजी ने यह योजना शुरू की और राजस्थान में केवल एक कस्बा शाहपुरा इस योजना में सम्मिलित हुआ और काफी बड़ा बजट इस योजना का शाहपुरा में आया, लेकिन शाहपुरा में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने की वजह से लोगों को एम्प्लायमेंट, नौकरियां मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से जब केन्द्र सरकार ने यह योजना चालू की जिससे ग्रामीण अंचल के निवासियों का पलायन शहरों में ना हो और उनको गांवों में ही रोजगार मिल जाये। इस वजह से इस 'पूरा' को वहां शुरू किया।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है, निवेदन है कि वहां पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाये क्योंकि शाहपुरा

(श्री सुभाश चन्द्र बहेड़िया)

करीबन 40 हजार की आबादी का कस्बा है और वहां पर काफी उद्यमियों को कोशिश करके तैयार भी कर रहे हैं। अगर वहां पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो गयी तो वहां उद्योग शुरू हो जायेंगे और वहां के निवासियों को वहीं पर रोजगार मिलने लग जायेगा, ताकि केन्द्र सरकार ने, अटलजी ने जो योजना शुरू की, उसका उद्देश्य भी पूरा होगा। मैंने इस पर एक तारांकित क्वेश्चन भी दिया था परन्तु सदन नहीं चलने की वजह से उस पर कोई वाद-विवाद नहीं हुआ लेकिन उसके उत्तर में मना कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा क्योंकि वहां पास में जहाजपुर में औद्योगिक क्षेत्र है। जहाजपुर में होने की वजह से वहां नहीं लगाया। जहाजपुर शाहपुरा से 45 किलोमीटर दूर है और वहां जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें आज की तारीख में कोई प्लाट खाली नहीं है।

सभापति महोदय, अतः शाहपुरा के अंदर यह आवश्यक है कि वहां पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाये ताकि वहां की जो आबादी है उसको वहां रोजगार मिल सके। धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** बिराजिये, माननीय सदस्य। श्री जयरामजी जाटव। खैरथल कस्बे में अंडर ब्रिज।

## खैरथल कस्बे में अंडर ब्रिज

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): सभापति महोदय, खैरथल कस्बा अलवर जिले का बहुत बड़ा कस्बा है। यहां ए ग्रेड की अनाज मंडी एवं सब्जी मंडी है और खैरथल पूरे राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली तक फेमस है लाल प्याज की मंडी से। बहरोड़ में औद्योगिक क्षेत्र है और भिवाड़ी भी औद्योगिक क्षेत्र है।

सभापति महोदय, खैरथल में कोई बाई पास नहीं है और वहां रेलवे फाटक पर 24 घंटे में से लगभग 10 घंटे जाम लगा रहता है। मेन रोड का फाटक है और वहां से इतना ट्रैफिक जाता है और आवागमन अवरूद्ध होने से वहां रोजाना एक्सीडेंट का भी डर रहता है। मैंने पर्ची के माध्यम से जो मांग की है माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से, बजट सत्र में ऐसी कोई बात निकलकर आयी थी कि रेलवे की परमिशन, डिवीजनल रेलवे, जयपुर से कुछ फाटक या ओवर ब्रिज बनाने के लिए उनको परमिशन नहीं मिली।

सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां हैं नहीं, लेकिन कहीं न कहीं तो टी.वी. देख रहे होंगे, उनका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि रेलवे से परमिशन हम लेकर आये हैं। उसमें लंबा-चौड़ा खर्चा नहीं है। पी.डब्ल्यू.डी.

(श्री जयराम जाटव)

की जमीन में से अंडर ब्रिज निकलेगा और उसमें 35-40 लाख का खर्चा है। अगर यह अंडर ब्रिज बन जायेगा तो अलवर जिले के भिवाड़ी और बहरोड़ से आने-जाने वाले ट्रक तो फाटक से निकल जायेंगे लेकिन जो छोटे व्हिकल हैं फोर व्हिलर, मोटर साइकिल, ऊंट गाड़ियां अंडर ब्रिज से निकल जायेंगे तो मेरी पुरजोर शब्दों में डिमांड है, निवेदन भी है क्योंकि मैं ज्यादा जोर-शोर से तो क्या कहूं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, जो हमारे विधि मंत्रीजी बैठे हैं, इनकी भी उतनी ही पावर है। मुझे भी लग रहा है ...(व्यवधान) कई बार इतनी गड़बड़ ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** ठीक है।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): जब सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष में कोई बातचीत होती है, सभी एक जगह खड़े होकर के अपनी बात पुरजोर शब्दों में कहने लग गये। ऐसा इस बजट सत्र में हमने कई बार अनुभव किया है तो मैं इनका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि सीआरएफ के माध्यम से वहां 1 करोड़ 49 लाख का रोड बन चुका, वहां रोड की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा लंबा-चौड़ा खर्चा नहीं है। यह जनहित का मामला है। आये दिन लोगों को रोजाना संकट रहता है। मेरा निवेदन है कि अंडर ब्रिज को स्वीकृत करने के लिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के स्थान पर हमारे जो विधि मंत्री बैठे हैं घनश्यामजी तिवाड़ी, वह कृपया घोषणा करें। मेरा यह आपसे आग्रह है, अपील है, धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** श्री मांगीलालजी गरासिया।

**एक माननीय सदस्यः** यह आ गये ना सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): आ गये।

**श्री सभापतिः** पंचायत समिति कोटड़ा में मादड़ा, परणावती, कला खुर्द, समीजा की सरकार की घोषणा के बाद भी पंचायत समिति गोगुन्दा में सम्मिलित नहीं करने के संबंध में ...(व्यवधान)

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): सभापति महोदय, आ गये हैं मंत्रीजी, घोषणा हो जाये तो सबसे अच्छा रहेगा। बड़ा अच्छा मैसेज चला जायेगा, एक ही डिमांड है पूरे अलवर जिले की, कोई डिमांड ही नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** घोषणा करें। घोषणा की जरूरत नहीं है, कागजों में तो राहत ...(व्यवधान)

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): अंडर ब्रिज के लिये ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, खैरथल कस्बे में नगर पालिका की तरफ से एक रेलवे अंडर ब्रिज का प्रस्ताव 40 लाख का प्राप्त हुआ था। सरकार उस पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की कृषि उपज मण्डी और वहां की नगर पालिका अगर आधी राशि व्यय करे, दे दे तो आधी राशि जो हमारा स्टेट फण्ड है उसमें से देकर इसको बना देंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय मांगीलालजी गरासिया।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको लेकिन लग यह रहा है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने गाड़ी के पाडा बांध दिया। (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): अब खैरथल तो विधान सभा क्षेत्र भी नहीं है। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जोशीजी, राज को राज रहने दो।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): राज को राज ही रहने दो, मुख्य मंत्रीजी ठीक हैं, इस राज से बड़ा राज क्या हो सकता है? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राज तो राज ही रहेगा।

**श्री सभापति**: माननीय मांगीलालजी गरासिया।

## वाकल क्षेत्र की पांच पंचायतों को कोटड़ा से गोगुन्दा पंचायत समिति में मिलाया जाना

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दूरगामी, आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा की ओर दिलाना चाहता हूं। कोटड़ा एरिया भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही अलग-थलग एरिया है और यहां पर वाकल क्षेत्र की वास, मादड़ा, समीजा, पड़ावली कलां और पड़ावली खुर्द जो पांच पंचायतें, चार पटवार मण्डल और बावन गांव हैं। माननीय सभापति महोदय, इस क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कोटड़ा मुख्यालय है, वहां पर लोगों को कामकाज करने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करके पंचायत और पंचायत समिति मुख्यालय पर जाना पड़ता है। इस आने-जाने में उनको कई गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। इसमें समय की बर्बादी और धन की

(श्री मांगीलाल गरासिया)

बर्बादी उन काश्तकार भाइयों को भुगतनी पड़ती है। इसके बावजूद भी यदि वहां पर सही काम नहीं हो तो रात्रि में विश्राम भी उनको कोटड़ा में ही करना पड़ता है, यह एक भयंकर समस्या उस एरिये के लोगों के लिए है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के एरिये में माननीय मुख्य मंत्री महोदया का 24 अप्रैल, 2006 को आगमन हुआ। उन्होंने वहां पर घोषणा भी की कि यह पांच पंचायतें पूरी की पूरी पंचायत समिति कोटड़ा से पंचायत समिति गोगुन्दा में मिलाई जाएंगी, तहसील भी पंचायत समिति कोटड़ा से पंचायत समिति गोगुन्दा में मिलाई जाएगी क्योंकि इस एरिये के लगता हुआ और नजदीकी पंचायत समिति तहसील गोगुन्दा पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, यह घोषणा होने के बाद कुछ त्वरित कार्यवाही हुई, दो माह में तहसील राजस्व विभाग का काम तो कोटड़ा से गोगुन्दा में मिला दिया परन्तु जो 52 गांव, 5 पंचायत और 4 पटवार मण्डल हैं, उस घोषणा के एक वर्ष 10 माह और 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी उस एरिये को अभी कोटड़ा से गोगुन्दा में नहीं मिलाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार बड़ी-बड़ी डींगे हांका करती है और कहती है कि हमारी बड़ी ही संवेदनशील सरकार है, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री है परन्तु मुझे नहीं लग रहा है। आज वह वाकल क्षेत्र के लोगों को राजस्व के काम करने के लिए तो गोगुन्दा जाना पड़ता है और पंचायतीराज के काम करने के लिए कोटड़ा जाना पड़ता है। हालत वह की वह है। अब वह भाई न कोटड़ा में है और न गोगुन्दा में है, स्थिति गम्भीर है। माननीय सभापति महोदय, आप इनको हिदायत देंगे तो सरकार की थोड़ी ऊंघ उड़ सकती है, नींद उड़ सकती है वर्ना मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही है कि इतनी घोषणा करने के बाद भी इनको लग यह रहा है कि उन लोगों को जो यह कहते हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, घोषणा करने के एक वर्ष 10 माह, 3 दिन बाद भी स्थिति साफ नहीं हो रही है।

**श्री सभापति:** आपने यह बात तीन बार कह दी, आप विराजो।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पंचायत समिति को जो हमारी ट्राइबल सब

(श्री मांगीलाल गरासिया)

प्लान एरिया का पार्ट रहा है, जनजाति उपयोजना क्षेत्र है, वाकल क्षेत्र है वास, मादरा, पड़ावली कलां, पड़ावली खुर्द और समीजा का एरिया, उनमें जनजाति उपयोजना क्षेत्र का लाभ देते हुए इस एरिया को कोटड़ा से गोगुन्दा में मिलाए जाने की अनुकम्पा करने के लिए मेरा अनुरोध है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पंचायतीराज मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, वह सुन ही नहीं रहे हैं, वह बात करने में मदमस्त हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है कि राज चले कि नहीं चले। उनको यह भी पता नहीं है कि मैं पंचायतीराज के बारे में ही निवेदन कर रहा हूं, पंचायतीराज मंत्रीजी सुन ही नहीं रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जो पांच पंचायतें हमारी कोटड़ा पंचायत समिति की हैं उनको गोगुन्दा में मिलाये जाने के लिए, जनजाति उप योजना क्षेत्र में कब तक मिला दिया जाएगा। अच्छा हो हमारे मंत्री महोदय जवाब दे दें तो यह लगेगा कि उन लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत राहत तो आपके माध्यम से मिल पाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप थोड़ा इंगित करिये, निर्देश दिलाएं।

**श्री सभापतिः** चार-चार बार घुमा कर कह दिया, बहुत हो गया, विराजिए।

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): मेरा जवाब दिलवाने का काम कराइए सभापति महोदय। मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद भी आज तक वह जो ट्राइबल सब प्लान एरिया है हमारे कोटड़ा का...

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बहुत पीड़ा हो रही है इस विधान सभा में परन्तु यह इससे पहली सरकार में भी एम एल ए थे, तब यह 130 किलोमीटर की दूरी शायद इनको दिखी नहीं थी। हम लोगों को दिखी और उसका हल निकालने के लिए जो भी प्रयास करने हैं वह किए और वह प्रोसेस में है और आपने तो सरकारी विधायक रहते हुए भी एक शब्द भी उस समय अपनी सरकार के सामने, मैं भी सदन में था तब आपको इसकी दूरी कोई ध्यान में नहीं आती थी कि कोटड़ा कैसे जाते हैं। काम किया हमने और वाहवाही लूटने के लिए आपने तर्क अच्छा दिया।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): कटारियाजी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने किया पर ट्राइबल सब प्लान एरिया में गोगुन्दा का इलाका

(डा. सी.पी. जोशी)

नहीं आता है। आपको यह काम करने के साथ में यह भी करना जरूरी है कि वह पंचायतें जो गोगुन्दा से जुड़ रही हैं ट्राइबल सब प्लान एरिया से बाहर निकाल कर उनको ट्राइबल सब प्लान एरिया में जोड़ने के बाद आप करें तो उनको लाभ मिलेगा। आपने यह काम तो कर दिया, धन्यवाद, लेकिन ट्राइबल सब प्लान एरिया में गोगुन्दा नहीं आता है तो ट्राइबल सब प्लान एरिया से आदमी आ रहा है...

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): इसीलिए इसमें यही प्रोब्लम जो भी, ऐसा है कि यह विषय संकट का था, इस प्रोब्लम को ही ध्यान में रखकर चूंकि ट्राइबल सब प्लान एरिया से नोन ट्राइबल सब प्लान एरिया में आ रहा है इसके कारण से इसमें विलम्ब हो रहा है। बाकी तो अब तक यह आदेश भी हो जाते और काम भी हो जाता, इस संकट को कैसे बचाकर काम किया जाए, वही एक प्रोब्लम है जिसके कारण से इस पर विचार...

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): मान्यवर, यही तो आप हमारी सरकार को दोष दे रहे हैं। आप कहें तो बात ठीक है, यह मेन मुद्दा है कि जब तक ट्राइबल सब प्लान में गोगुन्दा को डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक यह एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन पहले निकाल रहे हैं यदि आपने इसको गोगुन्दा में डाल दिया तो वह ट्राइबल सब प्लान के लाभ से वंचित रह जाएंगे, यही तो मोटी प्रोब्लम है। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): यह दिल्ली में जाकर होगा, दिल्ली से ट्राइबल में डालने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): फिर आप श्रेय क्यों ले रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं ...(व्यवधान) कटारिया साहब, इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकाली कि कोटड़ा से गोगुन्दा में जाओ क्योंकि यह कोटड़ा की सब पंचायतें ट्राइबल सब प्लान का पार्ट है गोगुन्दा, ट्राइबल सब प्लान का पार्ट नहीं है तो आप इन पंचायतों को इधर डाल कर उन पंचायतों के लोगों को ट्राइबल सब प्लान के बेनिफिट से वंचित कर रहे हैं तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकाल कर लोगों को तकलीफ हो रही है तो ऐसे सोल्यूशन से क्या मतलब है? आप साथ में यह भी अमेंडमेंट करिए तब उनको रिलीफ मिलेगी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कि जो विषय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपके ध्यान में है वही विषय ध्यान में रखते हुए इस कार्य को कैसे किया जाए, प्रोब्लम इसी से थी, अगर यह पहले भी थी, यह ट्राइबल सब प्लान में थे उस समय भी जो हम करने के लिए जिस प्रोसेस में चल रही है वह प्रोसेस माननीय विधायक और उस समय की सरकार भी कर सकती थी। अभी तक जब तक इसका पूरा फैसला नहीं होगा इसमें विलम्ब होने में जो मुख्य कारण है वही आप बता रहे हैं, मैं भी वही प्रोब्लम बता रहा हूं, क्योंकि जो एडवांटेज इन पंचायतों को मिल रहा है, गोगुन्दा के साथ मिलाने के कारण वह इससे वंचित हो जाएंगे इसके कारण से यह वंचित न हो और कैसे इसका रास्ता निकले, इसी से इसमें विलम्ब हो रहा है।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): इसमें एक समस्या और जुड़ी हुई है। पंचायतों का रिआर्गेनाइजेशन एक्ट लागू है। पंचायतों के रिआर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू किए बिना एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं कर सकते। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकाल कर पंचायतों के काम को भी पूरा नहीं किया। दो चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सारे राजस्थान में पंचायतों का रिआर्गेनाइजेशन जो आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि रिआर्गेनाइजेशन के लिए सरकार की दूसरी प्रोब्लम है, दूसरी ट्राइबल सब प्लान की है इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर निकाल दिया, उसको आप रखें लेकिन यह जो दूसरी प्रोब्लम है, इससे भी पब्लिक को नुकसान न हो, इसका ध्यान रखें।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): रिआर्गेनाइजेशन होता है तो सभी पंचायतों का पुनर्गठन सुओमोटो हो जाता है लेकिन यदि बीच में ऐसा मामला है जिसमें इधर-उधर मिलाना है तो उसकी प्रक्रिया है और वह अपना करके कर सकते हैं। उसमे यही है कि नोटिफिकेशन जारी करने के पहले आपत्तियां वगैरह लेकर के ...(व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): तो नोटिफिकेशन में tribal sub-plan is the biggest problem.

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, ट्राइबल सब प्लान की ही प्रॉब्लम है, इसके तो खैर भारत सरकार से भेज करके इसको भी करवाया जा सकता है। यह प्रक्रियाधीन है।

**डा. सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): तो पहले करवाएं फिर।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, तो करवाएंगे न।

**श्री सभापति:** They will not be benefited in the tribal sub-plan. That is the main problem they are facing.

श्री अर्जुनजी बामनिया।

**श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, उदयपुर संभाग पूरा आदिवासी क्षेत्र है।

**श्री शिवचरण माथुर** (माण्डलगढ़): आज पूरा उदयपुर संभाग ही है।

## सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में भर्ती में कथित अनियमितताएं

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (दानपुर): आप भी उदयपुर संभाग से बिराजते हैं। माननीय सभापति महोदय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 264 पद स्वीकृत हैं और उसमें एस.सी., एस.टी. के 16 परसेंट और 12 परसेंट के हिसाब से 74 पद इनके वर्गों के आरक्षित बनते हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़े दुःख के साथ में कहना पड़ रहा है कि 74 पद इन दोनों वर्गों के होते हुए भी एक भी शिक्षक वहां वर्तमान में कार्यरत नहीं है। सभापति महोदय, 3 मार्च, 2006 को सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 27 प्रोफेसर के पद, 40 एसोशिएट प्रोफेसर के पद और और 88 पद सहायक प्रोफेसर के पदों का विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन के आधार पर 20 मार्च को विधान सभा में विभिन्न विषयों के बैकलाग के बारे में माननीय तात्कालिक शिक्षा मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया था और उस वक्तव्य के आधार पर उन्होंने यह कहा था कि एस.सी., एस.टी. के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा और बैकलाग पूरा करने के बाद में ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, उसके बावजूद 16 मार्च को तात्कालिक शिक्षा मंत्रीजी ने पुनः विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि वास्तविक स्थिति एस.सी., एस.टी. का अन्याय नहीं होगा। उसके बावजूद भी 29.6.2006 को विश्वविद्यालय द्वारा 23 सहायक प्रोफेसरों के सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जिसमें से 9 पद एस.सी., एस.टी. के लिए आरक्षित दर्शाये गये थे लेकिन पूर्व कुलपति महोदय ने 23 पदों का 20 जून, 2007 को साक्षात्कार शुरू किया और माननीय सभापति महोदय, उस समय सरकार को यह इन्होंने असत्य जानकारी दी कि 9 पदों के बजाय 5 पद उन्होंने आरक्षित होने का

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

बताया। आनन-फानन में उन्होंने साक्षात्कार लिया और उसके साथ में ही, माननीय सभापति महोदय, बैकलाग और एस.सी., एस.टी. की बात को दबाने के लिए उन्होंने पांच दिन पूर्व बैकलाग 5 सीटों का दर्शाया। बड़े दुःख के साथ में, माननीय सभापति महोदय, कहना पड़ रहा है कि एस.सी., एस.टी. की अनदेखी होने के बावजूद भी तात्कालिक कुलपति ने 23 पदों का साक्षात्कार करके अवैधानिक तरीके से उन पदों को पिछले बैक डोर एंट्री से रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देते हुए उन पदों को भरा है और भरा, यही नहीं, उन्होंने इतनी बेइमानी की, इतना गलत काम किया कि उनकी पुत्र वधु जो प्रोफेसर के क्राइटेरिया में नहीं आते हुए भी उनकी नियुक्ति दी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्रीजी इस सारे प्रकरण की जांच करा कर जो एस.सी., एस.टी. का बैकलाग है और एस.सी., एस.टी. के अभ्यर्थियों को बेनिफिट नहीं मिला है उसके लिए जांच करा कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, 27 अशैक्षणिक पद जो थे, कर्मचारियों के पद थे उसमें भी, माननीय सभापति महोदय, तात्कालिक कुलपति बी एल चौधरीजी ने 27 जो अशैक्षणिक पद भी भरे जिसमें से एक भी एस.सी., एस.टी. का उम्मीदवार नहीं भरा है। माननीय सभापति महोदय, यह 27 कर्मचारियों की लिस्ट मैं टेबल करने को तैयार हूं। माननीय सभापति महोदय, यह मसला न शिक्षा मंत्रीजी के ध्यान में है, ऐसी बात नहीं है, यह मसला माननीय मुख्य मंत्री महोदया जो उदयपुर के प्रवास पर वहां गई तो वहां के करीब चार हजार छात्रों ने उनको ज्ञापन दिया था। वह सारी प्रक्रिया सरकार के ध्यान में होते हुए भी सरकार इन सभी पदों के लिए नजरअंदाज इन एस.सी., एस.टी. को कर रही है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2-3 दिन से इस सदन में यह बात उठ रही है कि सत्ता पक्ष एस.सी., एस.टी. के लिए बहुत बड़ा वफादार, हिमायती है पर इस सारे प्रकरण को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाह रहा हूं कि इतना अत्याचार आदिवासी और एस.सी., एस.टी. के खिलाफ कभी नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि जो प्रबंधन कमेटी है उसमें पिछली सरकार में भी वहां के एमएलए को उस कमेटी के सदस्य के रूप में रखा गया था और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वहां आज दिन तक कोई भी न एस.सी. का, न एस.टी. का उस प्रबंधन कमेटी में सदस्य है। उससे साफ

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

जाहिर है कि सरकार पिछले दरवाजे से इनके अधिकारों का हनन करना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से वक्तव्य चाहूंगा कि क्या उस अधिकारी के खिलाफ, क्या उस कुलपति महोदय के खिलाफ आप जांच करवा कर उचित कार्यवाही करेंगे और यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, वापस उसी अधिकारी को वहां कुलपति बना कर पोस्टिंग देना चाह रही है सरकार तो उस बात के लिए भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर उदयपुर संभाग में जिस कुलपति ने इतनी बेइमानी करने के बाद भी अगर सरकार वापस वहां नियुक्ति देती है तो पूरे उदयपुर सम्भाग के वागड़ अंचल में आग लगने की पूर्ण सम्भावना है। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, मेरी बात सुनी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यहां ...(व्यवधान) सुनिए, सुनिए, मैं वह मंत्री नहीं।

**श्री सुरेश मीणा (**करौली): हम पूर्व शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहते हैं कि पहले बोला था उसका क्या हुआ ?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): बैठिए, बैठो तो सही।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): सदन में बोलने से काम नहीं चलता है, करने से चलता है। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): इसीलिए, मैं कहा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात यहां पर कही, वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की और सदन को गुमराह करने की कोशिश की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में भी यह मामला उठा था 8 मार्च, 2007 को और उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने भर्ती की प्रक्रिया को रोक दिया था और फिर विभाग ने पूरे मामले का पुनर्परीक्षण किया तथा डीओपी की राय भी प्राप्त की, कुल मिला कर कोई अनियमितता नहीं पाई गई, रोक हटा दी गई और 30 मई, 2007 को उसके अनुरूप निर्देश जारी कर दिये गये। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 264 शिक्षकों में से एक भी अनुसूचित जनजाति का नहीं है।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

मैं बताना चाहूंगा कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में शैक्षणिक संवर्ग के कुल, रिक्त एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| **नाम पद** | **कुल पद** | **कार्यरत** | **रिक्त** |
|---|---|---|---|
| प्रोफेसर | 26 | 1 | 25 |
| रीडर | 52 | 13 | 39 |
| व्याख्याता | 184 | 91 | 93 |

आपने कहा कि कार्यरत शिक्षकों में से एक भी एस.सी., एस.टी. का नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यरत शिक्षकों में से व्याख्याता पद पर अनुसूचित जाति के 5 व्यक्ति कार्यरत हैं, अनुसूचित जनजाति का एक शिक्षक 1993 में चयनित हुआ था लेकिन 1998 में विश्वविद्यालय की सेवा छोड़कर चला गया। अनुसूचित जनजाति का एक शिक्षक एडहाक बेसिस पर 1991 में नियुक्त हुआ था जो 1992 में नौकरी छोड़कर के चला गया।

दूसरा, आपने कहा कि कुलपति श्री बी. एल. चौधरी के कार्यकाल में 23 सहायक प्रोफेसरों के पद भरने को कहा था और ये सभी पद पहले बैकलाक को भरने के पश्चात् भरे जाने चाहिए थे लेकिन आरक्षण प्रावधानों की अवहेलना की गई व मात्र 9 पद आरक्षित किये गये एवं इन 9 पदों में से 5 पदों को साक्षात्कार से मात्र 5 दिन पूर्व सामान्य वर्ग में बदल दिया गया और आरक्षित वर्ग के पदों की समाप्ति के बाद भी इस वर्ग के उम्मीदवारों का साक्षत्कार ले लिया गया। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के द्वारा परीक्षण करने पर 23 पदों में से 12 पद सामान्य श्रेणी के, 3 पद अनुसूचित जाति के, एक पद अनुसूचित जनजाति का तथा 7 पद ओ. बी. सी. हेतु आरक्षित किये जाने हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई 23 शिक्षकों के पद भरने की स्वीकृति के क्रम में 10 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, शेष 13 पद कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अन्तर्गत विज्ञापित किये हुए हैं और उनकी चयन प्रक्रिया होना शेष है जिनमें एस.सी., एस.टी. हेतु रोस्टर के अनुसार बनने वाले पदों को भर लिया जाएगा। आपने यह भी कहा कि यू.जी.सी. गाइड लाइन, 2006 की अवहेलना करते हुए अवैध भर्ती की जिसमें पूर्व कुलपति की पुत्रवधु भी शामिल है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भर्ती प्रक्रिया में यू. जी. सी.

(श्री कालीचरण सर्राफ)

गाइड लाइन की कोई अवहेलना नहीं हुई तथा कुलपति की पुत्रवधु नियमानुसार वहां चयनित हुई है।

इसी प्रकार से माननीय सदस्य ने यह कहा है कि 27 अशैक्षणिक कर्मचारियों को बिना विज्ञापन के इसी कार्यकाल में स्थायी नियुक्ति दे दी गई और उसमें एक भी एस.सी., एस.टी. का व्यक्ति नहीं है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में लम्बे समय से स्थिर पारिश्रमिक पर कार्यरत 27 कर्मचारियों को 1.1.2004 से नियमित किया गया है। उक्त कर्मचारियों में 3 अनुसूचित जाति के हैं, दो अनुसूचित जनजाति के हैं, 8 ओ.बी.सी. के हैं और 6 मृतक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यरत हैं। तो इसमें आपने कहा कि ओ.बी.सी. और एस.सी., एस.टी. के हैं ही नहीं तो मैंने बताया कि 3 अनुसूचित जाति के हैं, दो अनुसूचित जनजाति के हैं, 8 ओ.बी.सी. के हैं और 6 मृतक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यरत हैं। इसलिए आपने जो कहा है कि नियमों की अवहेलना हुई है वह बिल्कुल गलत है, कोई नियमों की अवहेलना नहीं हुई और जिस प्रकार जो गाइड लाइन है उसके अनुसार ही सारा काम हुआ है और जो भी पद रिक्त हैं उनको निश्चित रूप से एस.सी., एस.टी. का ध्यान रखते हुए भरा जाएगा। धन्यवाद।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा। मंत्रीजी, आप यह बता दीजिये.....

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): हमें यह बताओ कि भरा कब जाएगा? इसके बारे में तो बता दीजिये कम से कम कि भरा कब जाएगा?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): जैसा मैंने कहा कि उसकी चयन प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी और भर दिये जाएंगे।

**श्री सुरेश मीणा (**करौली): 4 साल तक तो माने नहीं इस बात को और यहां सदन में रोज आश्वासन देते हैं, आश्वासन दो हमारे लिये। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सभापति महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिस क्षेत्र में 70 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं उस क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय है वहां एक भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं.....

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): एक भी कैसे नहीं है, अभी तो मैंने बताये हैं सारे। आप गुमराह कर रहे हो।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): उस क्षेत्र में करीब ढाई सौ बच्चे ऐसे हैं जो पीएच.डी. किये हुए हैं और सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं परन्तु उनको किसी भी तरह से अवसर नहीं दिया जा रहा है। मंत्रीजी, अगर आपने धार ही लिया है, आपके मन में ठान लिया है कि यह सारा सब कुछ चौपट करना है तो कर दीजिये, हमें कुछ नहीं कहना है परन्तु जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं वो करेंगे और आप में अगर थोड़ी भी सहानुभूति है तो थोड़ा-सा दिखवाइये। इसके अलावा यह जो माननीय सदस्य अर्जुनजी बामणिया ने बात उठाई है, आप इसकी जांच करायेंगे क्या? आप बताइये कि जांच करायेंगे क्या।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): पहले जांच हो गई और उसमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। जहां तक एस.सी., एस.टी. का सवाल है, यह सरकार एस.सी., एस.टी. के हितों का पूरा संरक्षण करती रही है और करती रहेगी। (व्यवधान) उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आप सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): माननीय मंत्री महोदय, आप भरो तो सही, आप करो। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ....पिछली बार ये जो मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): माननीय मंत्री महोदय, यह तो बताएं कि कब तक हमारा बैकलॉग भरा जाएगा उदयपुर में?

**श्री सभापति:** विराजिये आप। अब अंकित न करें आप।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री सभापति:** विराजिये आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ×××

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): इस वर्तमान सरकार ने एस.सी., एस.टी. का ध्यान रखा है और ध्यान रखा जाएगा। किसी प्रकार का अहित नहीं होने दिया जाएगा।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ×××

**श्री सभापति:** मंत्रीजी, कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) विराजिये आप।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ×××

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): ×××

**श्री सभापति**: विराजिये आप, बैठिये। अधिसूचना। (व्यवधान) विराजिये, आपकी बात आ गई, सरकार के ध्यान में भी आ गई है।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री सभापति:** आप विराजिये। अधिसूचना रखी जा रही है। अधिसूचना रखी जा रही है। विराजिये आप।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## अधिसूचना

### आबकारी विभाग

**श्री सभापति:** श्री घनश्याम तिवाड़ी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, आबकारी विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.4 (6)वित्त/आब/07 दिनांक 20 फरवरी, 2008 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीगंगानगर को भूमि स्थानान्तरित करने हेतु

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भूमि अवाप्ति के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीकरणपुर को प्राधिकृत किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

## उपनिवेशन विभाग

**श्री सभापति**: श्री रामनारायण डूडी, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री उपनिवेशन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : एफ.4(11)उप/97 दिनांक 21.9.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;

(2) अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)उप/07 दिनांक 3.10.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;

(3) अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)उप/98 दिनांक 11.1.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 में संशोधन किया गया है ;

(4) अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)उप/88 दिनांक 11.1.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1968 में संशोधन किया गया है ;

(5) अधिसूचना संख्या : एफ.4(3)उप/99 दिनांक 11.1.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;

(6) अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)उप/99 दिनांक 11.1.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है ;

(7) अधिसूचना संख्या : एफ.4(16)उप/99 दिनांक 11.1.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में

(श्री रामनारायण डूडी)

सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;

(8) अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)उप/01 दिनांक 11.1.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

(9) अधिसूचना संख्या : एफ.4(13)उप/88 दिनांक 11.1.2008 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जवाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1978 में संशोधन किया गया है ।

## याचिका का उपस्थापन

**श्री सभापति:** श्री बाबूसिंह राठौड़ तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

**श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

**सेतरावा (शेरगढ़) व चामू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नयन करने बाबत**

1- विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत सेतरावा (शेरगढ़) व ग्राम पंचायत चामू (बालेसर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत् ;

**शेरगढ़ अनुसूचित जनजाति का छात्रावास खोले जाने बाबत**

2- शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति का छात्रावास (छात्र) खोलने बाबत् ; एवं

**बालेसर का तहसील में क्रमोन्नयन**

3- उप तहसील बालेसर, तहसील-शेरगढ़, जिला-जोधपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने बाबत् ।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री सभापति:** श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

## कोटड़ा में 132 के.वी. सब स्टेशन की स्थापना बाबत

**श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया): सभापति महोदय, मैं कोटड़ा (उदयपुर) में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री रणवीर सिंह गुढ़ा** (गुढ़ा): ×××

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री सभापतिः** मैंने आपकी बात सुन ली। सरकार के ध्यान में आपने ला दी। अब आप बिराजिये। आप बिराजिये।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढ़ा** (गुढ़ा): ×××

# विधायी कार्यः पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

## राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008

**श्री सभापतिः** विधायी कार्य, पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008, कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री रणवीर सिंह गुढ़ा** (गुढ़ा): ×××

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री सभापति:** आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-2009। इस पर बहस चल रही है। अब आप बिराज जायें। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री सभापति:** श्री रामनारायण मीणा। आय-व्ययक अनुमान पर बोलें। आप बजट पर बोलें। आपका नाम पुकार रहा हूं। रामनारायण मीणा। (व्यवधान) आपकी बात सुन ली है हमने, आपकी पूरी बात सुन ली गई है।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री सभापति:** आपकी बात सुन ली। कोई अंकित नहीं होगा। आपकी बात पूरी सुन ली है।

**श्री सुरेश मीणा** (करौली): ×××

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ×××

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आज का वाद-विवाद इधर से शुरू होना है। (व्यवधान) आप इधर से शुरू करवाओ ना।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री सभापति:** आप बैठिये। आराम से बैठिये आप।

## धरना

**(श्री सुरेश मीणा, श्री अर्जुन सिंह, श्री रघुवीर सिंह मीणा, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री पूंजीलाल गरासिया ने सदन के कूप में धरना दिया)**

**श्री सभापति:** श्री रामनारायण मीणा। आप वाद-विवाद पर बोलें, बजट पर बोलें। (व्यवधान) माननीय गुढाजी, माननीय रणवीर सिंहजी, बैठिये आप। मैं कह रहा हूं Sit down. Sit down. This is not the way. Every time you rock the House. Please sit down. बोलिये आप रामनारायणजी।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री सभापतिः** सिट डाउन। मैं आपको कह रहा हूं। मैं आपका नाम लेकर पुकार रहा हूं। आप बाहर चले जायें। आप बाहर चले जायें। (व्यवधान) यह कौनसा तरीका है।

**(श्री सुरेश मीणा, श्री रघुवीर सिंह मीणा, श्री अर्जुन सिंह, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री पूंजीलाल गरासिया का धरना समाप्त हुआ)**

## आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-2009 पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि...

**श्री सभापति**: आप बोलें साहब।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां):...बजट 2008-2009 पर जो माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण है, उसके ऊपर वाद-विवाद चल रहा है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इस सरकार ने जितने एस.सी. एस.टी. के बैकलोग को पूरा करने का काम किया है, यह ऐतिहासिक काम किया है सभापति महोदय। 11,000 से ज्यादा बैकलोग पूरा किया है। जो टीचर्स की भर्ती हुई है, 33,936 भर्ती हुई और उसमें 14,471 एस.सी. एस.टी. के लोगों को भर्ती किया गया। पुराने बैकलोग के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सामने बैठे लोग हैं।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): ×××

**श्री सभापतिः** माननीय रणवीर सिंहजी, बैठ जाइये। माननीय रघुवीर सिंहजी, बैठ जाइये प्लीज। रामनारायणजी बोल रहे हैं। उनको बोलने दो। अब आप एस.टी. की बात कर रहे हो। यह तो आप बजट में उठा लेना। एस.टी. वालों को बोलने भी नहीं दोगे आप। एस.टी. वाला एस.टी. वाले को रोकेगा क्या? बोलने दो आप, बिराजें आप। बिराजिये फिर आप ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ये खड़े होते हैं, ये सदस्य हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी जो बहस चल रही है, बैकलाग की, मैं मेरे भाषण में बोल रहा हूं, मेरा जो अधिकार है, मुझे आप बोलने दीजिये। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से अर्ज कर रहा हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी नहीं, आजकल तो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं, जो कुछ ये बोले, बहुत अच्छे हैं,

(श्री रामनारायण मीणा)

ये हमारे चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वसुन्धराजी के खेमे के खिलाफ के हैं और आजकल चतुर्वेदीजी नहीं है, आपने कमान संभाल रखी है इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध है सभापति महोदय, कि अभी पिछले दिनों फूड एण्ड सप्लाई में...(व्यवधान) मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, कृपा करके मुझे बोलने दीजिये। मैं आपसे...

**श्री सभापति:** कृपया शान्ति बनाये रखिये। सत्ता पक्ष के लोग टोकें नहीं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) ये पूछ रहे हैं कि रामनारायणजी कौन से खेमे के हैं? मैं कह रहा हूं कि इनका खुद का खेमा है।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): खाद्य एवं रसद मंत्रीजी, मैं कांग्रेस के खेमे में हूं और मेरी नेता आदरणीय सोनिया गांधी हैं। जो आदरणीय सोनियाजी को नेता मानता है, वह मेरा भाई है। सीधी बात है।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): कौन है आपका नेता? राजस्थान में कौन है नेता आपका, यह तो बताओ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): हेमारामजी हमारे सदन में नेता हैं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): माननीय रामनारायणजी....

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप तो मेरे साथी रहे हो। आप छोड़कर भाग गये। वहां मंत्री बनकर बैठ गये।

**श्री सभापति**: कृपया शान्ति बनाये रखें। बीच में कोई टोकाटोकी नहीं हो। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं माननीय रसद मंत्रीजी, आपने इन्टरव्यू लिये। आपने कहा कि सबको हम देंगे। फेयर प्राइस शोप्स में आपका नियम है कि आदिवासी हरिजनों को महत्व देंगे। मुझे आप बता दीजिये, बूंदी जिले की लिस्ट है, आप नोट कर लीजिये, आप जांच कर लीजिये, जो आदमी 10वीं पास है, बेरोजगारों को और वह भी पढ़े-लिखे ग्रेजुएट बेरोजगारों को आप प्राथमिकता देंगे फेयर प्राइस शोप्स में। 90 प्रतिशत आपका चयन गलत है। मैं नहीं कहता हूं कि आपके समय में हुआ, कब हुआ है, लेकिन 90 प्रतिशत गलत है। मैं आपको चैलेंज

(श्री रामनारायण मीणा)

करता हूं, सदन में कहता हूं, मैंने पूरा देखकर आपको अनुरोध किया है। कृपा करके माननीय सभापति महोदय, इस बारे में मंत्रीजी जांच करें और एक बात और बता रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, जो दुकानें फेयर प्राइस शोप्स की हैं, यदि उनकी राशन कार्ड से वितरण की जांच कर ली जाये तो 95 प्रतिशत बेइमानी और गड़बड़ियां आपको मिलेंगी। लेकिन जांच करने वाले कौन हैं क्योंकि आपका दोष नहीं है। आपके पास कर्मचारी नहीं है, आपके पास इंसपैक्टर्स नहीं है। है तो कम है और या फिर वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, किसी न किसी के प्रभाव में है। इसलिए कृपा करके माननीय रसद मंत्रीजी, आप अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से और बहुत-सी बातें भी हैं जो वहां लिमिट से ज्यादा गड़बड़ियां आपको मिलेंगी इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि राजस्थान में आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग ज्यादा हैं। हम मानते थे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लिस्ट को रिजेक्ट किया था, इसलिए निरस्त किया गया कि गरीब लोग रह गये और सम्पन्न लोग आ गये। आज की आपकी सूचियों में अंता में बालापुरा गांव में मास्टर उसमें चयनित हो गये। इतने बवंडर के बाद, इतने लड़ाई-झगड़ों के बाद आज भी वह चयनित परिवार का है और सभापति महोदय, अभी आदिवासी हरिजन की बात कर रहे थे, आज आदिवासी हरिजनों के पास बचा क्या है? यदि इन्दिरा आवास भी दिया जाता है तो बी.पी.एल. को दिया जाता है। शूद्र हरिजन को इन्दिरा आवास नहीं मिलता है माननीय टी.ए.डी. मंत्री साहब, यह गरीबों के साथ अन्याय है। बी.पी.एल. के परिवार को शफाखाने से गोलियां दी जाती हैं, शूद्र हरिजन को, आदिवासी को, एस.सी. के गरीब परिवार को नहीं मिलती है। नियमों में ऐसा बदलाव है। मुझे उम्मीद थी कि इस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी उन परिवारों के लिए जो धीरे-धीरे अपने अधिकार को खोते जा रहे हैं, अपने अधिकार से वंचित होते जा रहे हैं और जिसके लिए कोई नहीं है, सरकार उसके लिए आगे आकर के बढ़ोतरी करेगी, कुछ न कुछ बजट में प्रावधान भी करेगी जो बजट उनके हाथ से निकलकर फिसलकर जा रहा है। मैं इसी कड़ी में एक बात अर्ज करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में स्थिति बड़ी खराब है समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की। मैं आरोप नहीं लगाता माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी के ऊपर, बजट नहीं है। आखिर बजट नहीं है, कहीं भी किसी

(श्री रामनारायण मीणा)

भी छात्रावास में न बच्चों को कपड़े दिये जा रहे हैं, न बच्चों को ढंग से रहने का वह दिया जा रहा है, इसलिए इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे, यह बहुत भयंकर स्थिति है, इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से कि मुख्य मंत्रीजी जब अपना दोबारा इसके कन्क्लूजन पर भाषण दें तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इसके बारे में बोलेंगी। माननीय सभापति महोदय, बजट में दो साल पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, हम नहरों का सुदृढ़ीकरण करेंगे, चम्बल की नहरों का सुदृढ़ीकरण करेंगे, अंतिम छोर तक का पानी पहुंचायेंगे किसानों को। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है माननीय सभापति महोदय, आज भी देईखेड़ा गांव में, जो केशोराय पाटन में है, रास्ता रोक कर किसान बैठे हुए हैं। वहां से टेल जो बड़ा खेड़ा आती है, पन्द्रह और सोलह किलोमीटर दूर टेल है, ऐसी स्थिति में उनका पानी नहीं पहुंच रहा, संसाधन नहीं, नहरों पर बजट नहीं और जो मशीनें थीं, फील्ड मशीनरी डिवीजन खतम कर दिया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से अर्ज करना चाहूंगा, सिंचाई मंत्रीजी, आप तो किसान के हित की बात करते हो, निश्चित तौर पर आप मशीनरी डिवीजन वापिस डालेंगे, मशीनें रखेंगे। नहरें टूटने के बाद ठेकेदार काम करते नहीं हैं। बांई मुख्य नहर जो चम्बल की है, एक साल में दो दफा टूटी है और उसका नतीजा है कि आज भी टेल के गांवों में टेल के किसान को पानी से महरूम रहना पड़ रहा है। जो परिस्थितियां बन रही हैं, मैं इसलिए इसके बारे में अर्ज कर रहा हूं। आपने चार योजनाओं के लिए कहा है सिंचाई मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, हम लोव के बारे में देखेंगे करौली में, सिंगपुर के बारे में, भगदरी के बारे में, पिण्ड के बारे में, न्यू फतेहपुर के बारे में, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, ऐसे बहुत से आपके बांध हैं और हमने अभी आपको पत्र लिखा है और आपके भी ध्यान है, जो स्टेट टाइम के डेम हैं, दुगारी बांध आप कर नहीं रहे, पानी वहां पचास किलोमीटर का आपके पास फालतू बह रहा है, पाई बालापुरा के लिए आपने किया, वह आपकी व्यक्तिगत एप्रोच थी, मैं सरकार की उसको सफलता नहीं मानता, सिंचाई मंत्री की हैसियत से आपने किसान का दुःख-दर्द समझा लेकिन बटावदी बांध ऊंचा उठ सकता है, गंगासागर ऊंचा उठ सकता है, पाई बालापुरा से जो दो फीट आपने ऊंचा उठाया है उससे आपके बांक्या के बांध में पानी आ सकता है, आप ऐसी वृहत् योजना क्यों नहीं बनाते, आप इंजीनियर्स को क्यों

(श्री रामनारायण मीणा)

नहीं कहते? मैं मानता हूं स्टाफ कम है आपके पास, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से आपका लतारिया बांध टूटा। लतारिया बांध टूटा, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं सभापति महोदय, लतारिया बांध का गुणवत्ता की दृष्टि से काम कतई घटिया स्तर का है और इतने घटिया स्तर का है कि आप इसकी जांच करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसमें बहुत-सी बेइमानियां मिलेंगी, गड़बड़ियां मिलेंगी और उसके लिए आपका जो भी है, तय तो अब है नहीं, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा माननीय सिंचाई मंत्रीजी, कि इसके बारे में आपको देख करके, सोच करके कुछ न कुछ करना चाहिए।

जहां तक सहकारिता का सवाल है माननीय सभापति महोदय, 1991 में एक आदेश जारी हुआ था, माननीय भैरोंसिंहजी उस टाइम मुख्य मंत्री थे, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन नहीं किया जाय। हमने इसके बारे में प्रश्न रखे, माननीय मुख्य मंत्रीजी के यहां पत्र लिखा, उसके बाद में 1991 से आज 2008 तक सतरह साल तक सहकारी समितियों का पुनर्गठन नहीं हो, उसका नतीजा है माननीय सभापति महोदय, आज सहकारी समिति पन्द्रह किलोमीटर दूर मुख्यालय से है, जो तीन किलोमीटर दूर के मुख्यालय से जुड़ सकती है, वह जुड़ नहीं रही और जब वह उसके समीप जुड़ नहीं रही है तो सहकारी समितियां बिलकुल डिफंक्ट होती जा रही हैं। आपको मैं एक ध्यान दिलाऊंगा और मैं आशा करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी अपने जवाब में इसके बारे में कुछ कहेंगी। आदरणीय जवाहर लालजी नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री के समय में मूल से ज्यादा ब्याज सहकारी समितियों में नहीं लिया जाता था। ब्याज का कालम अलग होता था, मूल का कालम अलग होता था और जब मूल से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाता था माननीय सभापति महोदय, किसान आत्महत्याएं कम कर रहे थे। आज किसान आत्महत्याएं इसीलिए कर रहे हैं कि खेत में फसल पैदा नहीं हो रही और उसके ब्याज का ब्याज, उसके ऊपर पेनल्टी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, एक उदाहरण देकर के अपनी बात इससे आगे बढ़ाना चाहूंगा, हणोतिया गांव है, ग्राम हणोतिया ग्राम पंचायत ख्यावदा तहसील बूंदी में जिस व्यक्ति ने भूमि विकास बैंक से 45 हजार का कर्जा लिया उसको 1 लाख 36 हजार का नोटिस आ रहा है, जिसने 40 हजार का कर्जा लिया उसको 1 लाख 35 हजार का नोटिस आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमने सोचा था कि राजस्थान के बजट में, सरकार कहती है हम किसान के लिए हैं, ऐसे मामलों में चूंकि सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी

(श्री रामनारायण मीणा)

समितियां राज्य के अधीन हैं, हम यहां बैठ कर उसके बारे में कानून बना सकते हैं, मैं इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी से मिला हूं, बिल भी पेश कर रखा है, माननीय सभापति महोदय, मूल से ज्यादा ब्याज सहकारी समितियों में नहीं होगा तो निश्चित तौर पर किसान को आत्मसंतोष मिलेगा। जिसकी वसूली हो नहीं पा रही है, बैंक अपने आप को प्रोफिट में बता रहे हैं, इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध है कि उस जमाने की बात को ध्यान में रखकर के, चूंकि यह एक प्रश्न के जवाब में कहा था, मैं नहीं बोला माननीय सहकारिता मंत्रीजी, 1977 में जब सरकार बनी थी जनता पार्टी की, आप तो शायद यहां नहीं थे, वहां चले गये थे या कहां थे, लेकिन उस जमाने में इस कानून का संशोधन किया गया आपके राजस्थान में। आप चूंकि किसान की बात करते हो इसलिए आप कृपा करके इसको रिव्यू करिये और सहकारिता में (व्यवधान) जो भी हो, इसलिए आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप किसान के बेटे हो, सवाल यह है, मैं दिलीप चौधरी से मिल कर आया हूं, आपको बाद में बताउंगा।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह तो हीरो हैं, हीरो।

**श्री सभापतिः** नो कमेन्ट्स।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मैं दिलीप गुर्जर से मिलकर आया हूं, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, उसके बारे में बाद में बात बताउंगा, मैं तो सहकारिता मंत्रीजी से अर्ज कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, कि इस कानून के बारे में माननीय सहकारिता मंत्रीजी, आप सारी बात छोड़िये, मूल से ज्यादा ब्याज नहीं हो, राजस्थान को नम्बर वन स्टेट बनना पड़ेगा, इसके बारे में एक तरह से माडल स्टेट बनाइये आप इसको और आपने यदि यह माडल स्टेट बनाया तो मैं, चले गये यहां से रसद मंत्रीजी तो, लेकिन रसद मंत्रीजी के पहले आपका दर्जा आपकी पार्टी में स्वतः ही किसान मान लेंगे, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हम एक प्वाइंट को, माननीय सभापति महोदय, बार-बार इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सहकारी समितियों के पुनर्गठन के बारे में आप कहियेगा। जो भी हो, एक रेडियस होना चाहिए कि पांच...

**श्री सभापतिः** एक सैकण्ड। बीच में आपको टोकना नहीं चाहता। सभी माननीय सदस्यों को जितने भी अब बोलने वाले शेष हैं, दस मिनट से ज्यादा

(श्री सभापति)

समय नहीं मिलेगा। आपको, आप पहले वक्ता हैं, इसलिए बीस मिनट आपको दिये हैं पार्टी के हिसाब से और उधर से भी बोलेंगे पहले वक्ता बीस मिनट। अब चलें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): पन्द्रह मिनट आपने लिये तो वह बढ़ा दीजियेगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: नहीं, अब विराजें आप। चलिये, आप चलिये।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, मैं आरोप तो नहीं लगाता लेकिन यही बात सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग में...

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आरोप लगाने को है भी नहीं।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): वह आप जवाब दे देना, क्या बात करते हो आप। उसके बारे में हमें विश्वास है कि आप कुछ न कुछ करोगे।

**श्री सभापति**: बाद में दे दें जवाब, बीच में नहीं, फालतू समय खराब होता है।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मैं, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि राजस्थान बहुत शांत प्रदेश है लेकिन राज्य में इस तरह का भ्रष्टाचार होगा, मैं नहीं कहता माननीय सभापति महोदय, हैलीकाप्टर खरीद में घोटाला हुआ है, मैं नहीं कहता माननीय सभापति महोदय, एयरोप्लेन और हैलीकाप्टर के किराये में पांच करोड़ से ज्यादा पैसा, पांच करोड़ उनहत्तर लाख छह सौ सत्तानवे रुपये हमने किराये में खर्च किये हैं। हमारे पास तो बेड़ा है, तीन है। यह गरीब का पैसा क्यों खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है? जो हैलीकाप्टर +++ आरोप लगा रहा हूं...

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): यह कहां से लाये हो, यह कहां से लाये यह फीगर? यह फीगर कहां से लाये हो, अपनी मर्जी से...

**श्री सभापति**: विराजें आप। बोलने दें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): वह कौन अधिकारी है जिसने इसका टेण्डर काल किया है, सरकार को चाहिए, मुख्य मंत्रीजी को चाहिए कि पारदर्शिता लाये और इसकी जांच कराये कि 19 करोड़ का हैलीकाप्टर वास्तव में...

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): पूरी पारदर्शिता है, पूरी पारदर्शिता।

**श्री सभापति:** विराजें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): इंटरनेशनल उसमें शामिल है या नहीं है, यह कहीं अधिकारियों की गलती भी हो सकती है, समझाइश की गलती भी हो सकती है इसलिए मेरा...

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, देखिये, इस तरह के गम्भीर कोई आरोप लगाते हैं तो पहले नोटिस देना चाहिए, नम्बर वन।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): यह कोई आरोप नहीं है। मैंने आरोप नहीं लगाया है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): एक मिनट सुनिये। नोटिस देना चाहिए, नम्बर वन।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): खरीद-फरोख्त होगी तो क्यों नहीं बात करेंगे।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): नम्बर टू, खरीद-फरोख्त की बात कर रहे हैं, कौन सा मेक है, कौन सा उसका डिजाइन है, वह अलग-अलग है जिसकी अलग-अलग रेट होती है इंटरनेशनल मार्केट में।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): नहीं, आप चाहें तो रख लीजिये...

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): अब आप हैलीकाप्टर, हैलीकाप्टर सब तरह के होते हैं।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप अपना टाइम रख लीजिये अलग से।

**श्री सभापति:** कृपया आप अपना, माननीय विधायक, आप अच्छे वक्ता हैं तो आप अपने तक, अपना सीमित रखें आप।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): आप ऐसे एक केवल वेग, यानि एक चलता-फिरता आरोप चाहे जो लगा देना, खड़े हो जाना, यह...

**श्री सभापति:** जो आपको कहना है वह मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, इधर-उधर की बात कर रहे हैं आप, फिर कहोगे हमारा बैकलाग पूरा नहीं हो रहा है।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): बजट भाषण में पाइंट नम्बर 126, माननीय सभापति महोदय, पाइंट नम्बर 126 है, 57 पेज पर, उस... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजें।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): नहीं-नहीं, इस तरह से आरोप लगाना...

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मैंने किसी के ऊपर नहीं लगाया है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): This is not to be allowed.

**श्री सभापति**: वह एक्सपंज कर देंगे।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मैंने कोई नामजद नहीं लगाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं वेग आरोप की बात नहीं करता लेकिन इसके बारे में...

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): एक्सपंज कर दिया न?

**श्री सभापति**: हां, एक्सपंज इट। चलिये आप। एक्सपंज करो इसको।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप जरा बैठ जाइये, वास्तविकता मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मैं तो यह कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, पाइंट नम्बर 126 है घरौंदा योजना, यदि बजट में वह चीज डाली जाय, मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में वह चीज आये जो पहले से ही राजस्थान में जेरकार हो, चल रही हो, घरौंदा योजना पहले से चालू है क्योंकि ज़मीनों के भाव बढ़ गए हैं। आपका आवासन मण्डल अरबपति हो गया, उसमें दस रुपये, बीस रुपए लेकर के हम घरौंदा योजना चला रहे हैं तो मेरा दुर्भाग्य है यह कहते हुए कि यह घरौंदा योजना लिमिटेड एरिये में चल रही है। माननीय सभापति महोदय, इसको पूरी तरह से पूरे राजस्थान में इसको ले जाएं ताकि गरीब को आवास मिल सके और योजना का लाभ गरीब को मिल सके। एक बात आई है, माननीय सभापति महोदय, सबको विद्युत एक मुख्य मंत्री योजना और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा 17 पाइंट पर है इस भाषण पर केन्द्रीय सरकार ग्राम विद्युतीकरण योजना के मापदण्डों के अनुसार पैसा कहां से आ रहा है? श्रेय कौन ले रहा है? कोई बात नहीं, श्रेय लें, पैसा भारत सरकार का है, हमारी भारत सरकार, राजस्थान की सरकार, पार्टी का सवाल नहीं है, सरकार जनता की है, राजस्थान की है, कल को कौन बनता है इसका सवाल नहीं है, लेकिन मुख्य मंत्री सब के लिए विद्युत योजना, मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना यह जो

(श्री रामनारायण मीणा)

जिस तरह से बराबरी का दर्जा है कोई प्रधानमंत्री का फोटो ही नहीं लगाता, किसी राष्ट्रपति का फोटो दफ्तर में नहीं मिलेगा माननीय सभापति महोदय, आप तो पुराने आदमी हैं, प्रधानमंत्री का ...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके घर पर नहीं लगा है क्या?

**श्री सभापति**: कृपया टोकें नहीं माननीय मंत्रीजी, विराजे आप। कोई टोका-टोकी नहीं, बंशीजी, बैठे रहिए।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मैंने समाज कल्याण मंत्रीजी पर आरोप नहीं लगाया है, मैं पुराने फटे कपड़े बेचने वाला...

**श्री सभापति:** बंशीलालजी, विराज जाइए आप, मैं आपसे कह रहा हूं विराजें आप। टाइम खराब मत करो आप, टाइम खराब नहीं करेंगे। बैठिए आप, समय खराब मत करो, आप बोलने दो उनको।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): एक आदमी जो नौ-नौ पेट्रोल पम्प का मालिक हो, मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि नीचे सोने वाला आदमी ...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सोनियाजी का फोटो भी नहीं लगाते हो?

**श्री सभापति:** मंत्रीजी, विराजें आप, बैठ जाइए आप. This is not the way. पहले इनको बोलने दें. Let him finish.

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मेरा तो आपसे निवेदन है, सभापति महोदय, मैंने कतई आरोप नहीं लगाया, पुराने फटे कपड़े, दूसरों की साड़ी पुरानी बेचने वाला आदमी अरबपति बन गया। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं इसलिए बोले नहीं मेरे सामने, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं जो अर्ज कर रहा हूं.....

**श्री सभापति:** आपके पांच मिनट शेष बचे हैं।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप तो पहले यहां रह चुके हैं, इस सीट पर बैठ चुके हैं, आप तो सारी बात जानते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग...

**श्री सभापति:** नहीं, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए दो मिनट बढ़ा दिए हैं आपके, चलिए आप जल्दी समाप्त करें।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप तो मेरी पार्टी का टाइम ले लीजिए, जब पार्टी के लीडर कहे तब बोलने दीजिए...

**श्री सभापतिः** पार्टी के सचेतक से मैंने पूछ लिया है, बीस-बीस मिनट दोनों बोलेंगे। आप पांच मिनट में समाप्त करें। बात कहना चाहें तो बहुत कुछ कह सकते हो आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): सचेतक भी यही है, आज राजस्थान विधान सभा में मामला आया है, मेरे क्षेत्र में गांवों में खंभे बिजली के जा रहे हैं, ठेकेदार नहीं ले जा रहा है और मैं यह आरोप की बात नहीं कहता मुझे जानकारी मिली है, माननीय सभापति महोदय, जो ठेका 700 करोड़ रुपये का दिया हुआ होगा, निश्चित तौर पर उस ठेके को आप ढंग से दीजिएगा, आप ईमानदारी से यह करिएगा 700 की जगह 200 करोड़ में ठेका हो जाएगा और नहीं हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने आरोप नहीं लगाया, माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बिजली के कनेक्शन में भी बेइमानी और एक कोई योजना चलाई है डांग क्षेत्र में गुर्जर बाहुल्य इलाक़ों में मेरा तो आपसे अनुरोध है कि सरकार को उस क्षेत्र का यदि विकास करना है तो मांगते ही बिजली का कनेक्शन दे दो, वहां गरीब लोगों के बिजली के कनेक्शन नहीं है, लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं है और गर्मी के दिनों में कांग्रेस सरकार के जमाने में गर्मी के दिनों में भी यदि कुआं और ट्यूबवैल सूख जाता था और अकाल का समय होता था तो वहां बिजली के बिल माफ होते थे चार महीना, तीन महीना जब तक होता था। इसलिए, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, मैं तो इसलिए आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए और इसमें आप अमेण्ड करिएगा कि किसानों के हित में जो कुछ भी होगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध करना है, माननीय सभापति महोदय, पुरानी बातें खोलने की जरूरत नहीं, 2004-05 का मैंने बजट भाषण पढ़ा, बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो बढ़ा-चढ़ा कर की गई हैं, पूरी नहीं हो पाई, सरकार की क्या मजबूरी है लेकिन बजट भाषण करके उस दिन को अख़बार में छा कर वाहवाही लूटने के बजाय इन सब को अपने ढंग से करना चाहिए था। एक बात मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह 264 पदों की बात आई है, अभी शिक्षा मंत्रीजी ने कहा हमने 91 में किया और 92 में नौकरी छोड़ गया, वहां है

(श्री रामनारायण मीणा)

ही नहीं और मैं आपसे कहना चाहता हूं उसी व्यक्ति को कुलपति दुबारा बना दिया गया। आदिवासी, हरिजनों को इतना बड़ा भयंकर नुकसान होगा जिसके मन में मैल हो उसको आप नियुक्ति दोगे, जब आपको पता चल गया है गरीब के खिलाफ है यदि आपकी सरकार गरीब को चाहती है तो निश्चित तौर पर ऐसे आदमी को रोकना पड़ेगा और सही आदमी को आपको आगे लाना पड़ेगा। इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध है, माननीय सभापति महोदय, पाकिस्तान बार्डर पर ज़मीनें बिक रही हैं...

**श्री सभापतिः** धन्यवाद, विराजें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): दलाल कौन है? उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो। यदि गंगानगर जिले का प्रमुख ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराज जाइए आप, हो गई बात।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आर्म्स लाइसेंस है, आर्म्स लाइसेंस पहचानने में गंगानगर का जिला प्रमुख...

**श्री सभापति**: श्री ज्ञानचंदजी पारख।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): का नाम आ जाए, सारे मुक़दमे खतम, इस तरह यह पारदर्शिता होती सरकार की। इसलिए मेरा आपसे अर्ज है, माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं...

**श्री सभापतिः** विराज जाइए आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बीपीएल के परिवारों के आपके यहां बजट नहीं है, सरकार का जवाब है अच्छा होता बीपीएल परिवारों की चिकित्सा सुविधा के लिए स्पेशल बजट दिया जाए। गरीब के हक में सोचा जाए और एक वाहवाही लूटने के लिए हम विधान सभा में बोले उस सरकार ने किया, आज क्या हो रहा है?

**श्री सभापति**: विराजें अब आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): यह सरकार का दायित्व है, इसलिए कृपा करके आज क्या हो रहा है इसके बारे में सरकार सोचे।

**श्री सभापति**: विराज जाइए आप, हो गई बात आपकी, सब आ गई ज्ञानवान की बातें, सब हो गई आपकी, विराजें आप। आपको दूसरों से ज्यादा टाइम दिया है हमने।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ज्ञानवान बात नहीं हुई, माननीय सभापति महोदय यह...

**श्री सभापति**: पारख साहब।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): मेरा निवेदन है...

**श्री सभापति:** आपको दूसरों से ज्यादा टाइम दिया है हमने।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बजट पर चर्चा हो रही है...

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): टाइम का सवाल नहीं है, मैंने तो बोलना शुरू किया आपने बंद कर दिया। चूंकि आसन की बात मानना हमारा फर्ज बनता है...

**श्री सभापति:** नहीं, हो गई अब ...(व्यवधान) वैसे ही दिन भर में अपन बहुत बोलते हैं। विराजें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप कुछ कहेंगे, कुछ बातें सुनेंगे तो बताएंगे, नहीं तो कुल मिलाकर के ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** डिमाण्ड्स पर बोल देना आप, डिमाण्ड्स पड़ी हुई है अभी।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): 2008-09 का जो बजट है यह चुनावी पुलिंदा है, पूरा करने का न इनके पास मौका है, न कोई संसाधन है, न इनकी इच्छा है, न इनकी भावना है। इसलिए कृपा करके जब इसका जवाब मुख्य मंत्रीजी दें जो जल्दबाजी में उनसे बना है उसको थोड़ा-सा अमेण्ड करें, ठीक करें और गांव ...(व्यवधान) इतनी बात कहीं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: विराजें आप, हो गई। ज्ञानचंदजी, बीस मिनट में आप पूरा करेंगे, आप बीस मिनट बोलेंगे, दूसरे सभी माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के दस-दस मिनट से ज्यादा नहीं होंगे। चलिए आप ...(व्यवधान) टाइम आना चाहिए इसमें, कड़की नहीं है, सब को बोलने देंगे। चलिए आप।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बजट पर चर्चा हो रही है...

**श्री सभापति**: फरमायें आप, कोई कमेंट्स बीच में नहीं होंगे।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): चाहे ना पक्ष के सदस्य हो, चाहे हां पक्ष

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

के सदस्य बजट में कोई कमी निकाल दे लेकिन आज गांव-गांव, ढाणी में जो चर्चा हो रही है वह चर्चा इस बात की पुष्टि करती है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया, जो उम्मीद करती थी जनता हम से, हम उसमें खरे भी उतरे हैं और उम्मीद से ज्यादा काम करके हमने आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी की जनता को दिखा दिया। कहते हैं तू तो कदम बढ़ाए जा, मंजिल खुद-ब-खुद तेरे पास आएगी। क्या हालत थी पूर्ववर्ती सरकार की, जब भी कोई काम की बात होती तो एक ही बात कहते थे हमारा खजाना खाली है, हम कुछ नहीं कर सकते और आज हमारी सरकार की हालत यह है जो चाहे काम मांग लो, अगर मांग वाजिब है तो हमारी मुख्य मंत्री ने उस हर मांग को पूरा किया है, जनता को समर्पित किया है, मंजिल दूर उनको लगती है जिनके क़दमों में ताकत नहीं होती और जो मंजिल को पाना चाहते हैं और दम है उनके क़दमों में तो मंजिल मिलना कोई मुश्किल काम नहीं। एक कीर्तिमान स्थापित किया है हमने इन पांच सालों में राजस्थान में एक नया आयाम दिया है। विकास के आज से चार साल पहले का राजस्थान देख लो, राजस्थान के गांव देख लो, ढाणी देख लो कैसी सड़कें थी वहां पर, दो चार किलोमीटर की दूरी अगर नापनी है तो आधा और एक घंटा लगता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई मेरा ना पक्ष का साथी मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे घर से पाली विधान सभा क्षेत्र के किसी भी गांव में चले, कहीं गाड़ी का कांटा 90 और 100 से कम नहीं होता। गाँवों की सड़कों की यह हालत थी।

इस हद तक हमने विकास किया। क्या हालत थी, स्कूल के बच्चे बाहर बैठते थे भवन तो जर्जर हालत में थे और आज गांव में स्कूलों के जो भवन हैं वो हमारे विकास की गवाही के लिए खुद खड़े हैं इतने सुन्दर और अच्छे भवन और जितने कमरे चाहिए उतने कमरे उसमें मौजूद। कैसी थी पानी की हालत मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में मुझे पता है कि लगभग चालीस गांवों में पीने का पानी मीठा या पीने योग्य नहीं था, लोगों को खारा पानी पीना पड़ता था और आज हमारे जलदाय मंत्रीजी की और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की उदारता की वजह से कोई भी गांव ऐसा नहीं जहां पीने का मीठा पानी नहीं हो और वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो। जो भी क्षेत्र हैं हमने हर क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त की, उपलब्धि हासिल की और हमारे इस वर्ष का बजट भी आने वाले कल में नये आयाम पैदा करेगा। हमारी मुख्य मंत्रीजी का जो काम-काज का तरीका है एक मन में इच्छा है उनकी ...

**श्री सभापति**: कृपया शांति बनाये रखें। आपस में बातचीत नहीं। आपस में बातचीत नहीं।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): ...कि जो जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने हमें सौंपी है वो जिम्मेदारी हम ईमानदारी से निभायें और उस जिम्मेदारी के चलते आज हमें दर-दर सफलता मिलती जा रही है। विकास में हम नये आयाम एक के बाद एक खड़े करते जा रहे हैं और ये नहीं ...

**श्री सभापति:** बीच में टोका-टाकी नहीं।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): ...कि कोई हमें ऊपर से या केन्द्र से बहुत ज्यादा पैसा मिल गया। हमने हमारे संसाधनों का भी पूरा ख्याल रखा और पिछले चार वर्षों में इस बात के लिए भी पूरा प्रयास किया कि हमारे अपने संसाधन कैसे बढ़ें और हम किस प्रकार राजस्थान का विकास कर सकें। राजस्थान के रहने वाले लोगों को जो भी राहत की आवश्यकता है जो उनको जरूरत है उनको पूरा कर सकें। यह सारा करिश्मा, यह सारा चमत्कार हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कर दिखाया । आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हम इनकी तुलना में कितना आगे बढ़े हैं और हमने इनकी तुलना में कितना ज्यादा काम किया। योजना व्यय के आंकड़े देखें तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमारे विकास की छलांग कितनी ऊंची है। हमारी सरकार ने जब शासन संभाला था योजना व्यय और पूंजीगत निवेश की स्थिति चिंताजनक थी और पूर्ववर्ती सरकार खजाना खाली होने की बात दोहरा कर विकास की योजना को ठंडे बस्ते में पटक रखा था पूर्व सरकार ने। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री इस स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन लायी और हमने योजना व्यय इन पांच वर्षों में लगभग पांच गुना बढ़ा दिया। वर्ष 2003-04 में स्वीकृत वार्षिक योजना जो 4258 करोड़ की थी, हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 6044 करोड़ रुपये व्यय करके इसका लाभ राजस्थान की जनता को दिया। 2005,06,07 में भी हमने योजना व्यय में 7200 करोड़ रुपये व्यय किये और 2008 में संशोधित बजट के अनुसार, 2006-07 में हमने 8969 करोड़ रुपये राजस्थान की जनता को विकास के लिए समर्पित किये और 2007-08 में संशोधित बजट के अनुसार हमने 13684 करोड़ रुपये योजना व्यय में खर्च करने की योजना बनायी है। इतनी लंबी छलांग हमारी है। वर्ष 2002-03 के मुकाबले में लगभग पांच गुना तक हम इन पांच वर्षों में पहुंच गये हैं । इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने जनता को जो राहत देने की बात है किस वर्ग को क्या राहत चाहिए, समाज

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

का कौनसा तबका है जिसको सरकारी मदद की सरकारी सहयोग की आवश्यकता है तो ऐसे एक वर्ग को भी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने पीछे नहीं छोड़ा। चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई तबका हो। हर एक का जीवन स्तर ठीक हो जाए हमने हमारे बजट प्रावधान किये ऐसे कि उनको भी उम्मीद हो गयी कि हमारा जीवन स्तर भी कुछ दिनों बाद में ऊंचा उठेगा और हम भी बराबरी का हक पायेंगे। यह जो करिश्मा हमारी मुख्य मंत्री ने किया एक ही कारण कि हममें काम करने की चाहत थी और जिनमें चाह होती है उनको राहें अपने आप मिल जाती हैं, उनके लिए राहें अपने आप खुल जाती हैं। आपके तो जो पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्री थे वो तो जादूगर थे।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): किसने कहा?

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): सबको पता है। पश्च‍िमी राजस्थान में सबको पता है कि वो माने हुए जादूगर हैं। पश्चिमी राजस्थान के। आपको नहीं पता यह आश्चर्य की बात है। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं।

**श्री सभापति:** विराजें। विराजें।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): मेरे साथ रहे हैं क्लास में, मेरे को पता है। क्लास में मेरे साथी रहे हैं।

**श्री सभापति:** सदन का समय जाया न करें।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): हम तो दरोगा को ही ठाकर साहब मानते हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): और इनके पिताजी बाबू लक्ष्मण सिंहजी भी जादूगर थे उनके नाम का बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क बना है जादूगर के नाम का। वहां सब जादू की चीजें रखी हैं।

**श्री सभापति**: विराजिये। रामनारायणजी, विराजिये आप ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): घर की बात यहां मत करो।

**श्री सभापति:** विराजें। टोका-टाकी न करें। अनावश्यक समय जाया होता है। बोलने दें। नो कमेंट्स।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): और उस समय जनता को भी लगा कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

ये जादूगर हैं उस समय जनता को भी महसूस हुआ कि ये जादूगर हैं कुछ करिश्मा दिखायेंगे। कुछ जादू करेंगे। लेकिन कैसा जादू दिखाया, पूरा खजाना खाली । जिसने भी जादूगरी के खेल देखे उनको पता होगा कि हर जादूगर का एक आइटम होता है वाटर आफ इंडिया। एक पानी का मटका होता है जिसमें कभी पानी खाली नहीं होता है। एक बार पानी खाली किया जादूगर ने डंडा घुमाया दुबारा मटका भरा का भरा। आपके जादूगर के खेल में क्या हुआ कि सारा मटका खाली। कहीं भी पानी नहीं, किसी बांध में पानी नहीं, तालाब में पानी नहीं, नलों में पानी की जगह हवा ज्यादा आती थी । यह हालत थी आपकी सरकार के काल की। इसको स्वीकार करने में आपको हिचक नहीं होनी चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): दूषित पानी के मुकाबले में पानी नहीं होना ठीक है।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): दूषित पानी तो आपका किया हुआ प्रोपेगेंडा है। दूषित पानी कोई मुद्दा नहीं है। ये तो आपने अपने स्तर पर बना दिया उसको। एक जादू का खेल यह भी होता है, एक नोट होता है, डंडा घुमाता है नोटों की बरसात होती है और आपके मुख्य मंत्री ने पूरा का पूरा खजाने के ऊपर ऐसा डंडा घुमाया कि पांच साल तक आपका खजाना हमेशा-हमेशा के लिए खाली रहा और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, काम आपने भी देखे हैं काम आपके इलाके में भी हुए हैं।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आपने या आपके मुख्य मंत्रीजी ने ?

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): हमारे मुख्य मंत्रीजी ने।

**श्री सभापति**: विराजिये।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप तो गौण हो।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): हम सब उनके साथ हैं।

**श्री सभापतिः** विराजिये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): हां, हम उनके सामने गौण हैं पर हम सब उनके साथ हैं।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): सभापति महोदय, कोई कुछ नहीं है, बंटाधार है, एक ही है।

**श्री सभापतिः** विराजिये।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): माननीय सभापति महोदय, यह कहते हैं कि इनके मुख्य मंत्री के साथ ये नहीं थे.

**श्री सभापति**: विराजिये आप।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): ...(व्यवधान) हम तो हमारे नेता के साथ हैं।

**श्री सभापतिः** विराजिये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वो करिश्मा दिखाया कि आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पीने का पानी मौजूद है जो पानी आपने गायब कर दिया था आज हमने वापस गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक उसको पहुंचा दिया...।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): इनके तो पानी रहा ही नहीं।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): जो खजाना आपके काल में बिलकुल खाली हो गया था आज वो खजाना भरा हुआ है और उस भरे हुए खजाने से ही विकास की बहुत सारी योजनाएं राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में चल रही हैं।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): यशस्वी मुख्य मंत्री बोलना बीच में छोड़ जाते हो कई बार।

**श्री सभापति**: चलिये, बोलिये आप, नो कमेंट्स ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): आपकी केन्द्र सरकार ने चाहे हमें कितना भी असहयोग किया हो ...(व्यवधान) केन्द्रीय सरकार ने चाहे कितना भी असहयोग किया हो ...

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): देश को तोडने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिये, देश एकजुट हो ऐसे शब्द बोलने चाहिये ।

**श्री सभापतिः** प्लीज, आप बार-बार खडे नहीं हो इससे अनावश्यक समय जाया होता है । विराजिए आप ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): बोर्डर पर जमीने बेचने वालों के बारे में कहो ।

**श्री सभापतिः** नोट अलाउड, कोई अंकित नहीं होगा ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): ×××

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, एक-आध बार हंसने के लिये तो ठीक है पर बार-बार खडे हो जाने से मजा नहीं आता, बैठ जाइए आप ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): केन्द्र सरकार ने चाहे कितना भी असहयोग किया हो, चाहे हमारी कितनी भी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया हो तो हमने हमारे संसाधनों से भी जनता की जो आवश्यकता थी, जहां विकास की जरूरत थी हमने वह सारी आवश्यकताएं पूरी की और विकास के वह सारे काम भी पूरे किये । बिजली की योजनाएं थीं, 15 योजनाएं पिछले तीन वर्षों से ...

**श्री सभापति**: अब आपके चार मिनट शेष हैं ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): सभापति महोदय, बीच में इन्होंने टोका टाकी भी की है ।

**श्री सभापति**: एक मिनट मैंने उसका अलग कर दिया, बोलिए आप । एक-एक मिनट का हिसाब है, कन्क्लूड इट, बीच में नहीं ।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सभापति**: विराजिए आप ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने हर गरीब की पीड़ा को पहचाना है । वह देवी पूजा के काबिल है हमें पूजा करने में कोई संकोच भी नहीं है, हम आप जैसे हैं भी नहीं, कितना काम किया उन्होंने। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को बिजली मिल जाये उसके लिये ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: हीरालालजी बीच में नहीं ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): सभापति महोदय, जो भी व्यवधान हो रहा है वह समय मैं लूंगा, मैं पहले कह दूं आपको या आप व्यवधान रोको ।

**श्री सभापति**: कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए आप । आप जबरदस्ती डिस्टर्ब हो रहे हो, बोलिए आप ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): गांव-गांव, ढाणी तक बिजली मिल जाये इसके लिये जो हमने 15 योजनाएं भेजी थी केन्द्र सरकार को पिछले तीन सालों से वह ठंडे बस्ते पडी है । कई बार मीटिंगें हो गई, कई बार आग्रह भी कर दिया लेकिन कोई ध्यान नहीं । लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी निराश नहीं हुई और उन्होंने सब के लिये विद्युत योजना लागू करके गांव वालों को विश्वास दिला दिया कि हम आने वाले चार महीनों में उन गांव-ढाणियों को भी बिजली दे देंगे जो बिजली के लिये वर्षों से इंतजार कर रहे हैं ।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सर्व शिक्षा अभियान में प्रावधान था कि सन 2007-08 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा, 1500 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में था । हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने उसके लिये डेढ़ सौ करोड रुपये का प्रावधान भी अपने बजट में कर दिया। लेकिन इन्होंने धोखा किया जो राशि हमें एक साल पहले मिलनी चाहिये थी उस राशि के लिये बार-बार बैठकें करते रहे, बार-बार आश्वासन देते रहे, बार बार घोषणाएं करते रहे और इस एक साल में जो बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते थे, 9-10वीं की कक्षा में पढ़ना चाहते थे उनको वंचित रहना पड़ा और इस बार बजट में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 3108 विद्यालयों की घोषणा करके उन बच्चों की उम्मीद को वापस जगाया है कि अगर केन्द्र सरकार नहीं देगी तो मैं बैठी हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो भी तुम्हें चाहिये । (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** कृपया शांत रहें, बोलने दें ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): माध्यमिक शिक्षा के लिये जो पैसा मिलना चाहिये था... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब आप एक मिनट में कन्क्लूड करें । (व्यवधान) विराजिए, विराजिए धर्मजी, इनको बोलने दें । (व्यवधान) विराजिए, राम नारायणजी, नहीं यह अलाऊ नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा । आप एक मिनट में समाप्त करें ।

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

**श्री सभापति**: कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं, बैठिए आप । उनको बोलने दें बाद में सुनेंगे आपकी बात । एक मिनट में बोलें आप, कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं ।

**श्री अमराराम** (धोद): सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर, सदन सोने के लिये नहीं है, हमारे मंत्रीजी सो रहे हैं, यह सदन सोने के लिये बिस्तर तो नहीं है यहां ।

**श्री सभापति**: विराजिए आप, इसलिए मैंने आपका पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट कर दिया था ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): इस बार जब प्रदेश में शीतलहर और पाले का प्रकोप पड़ा तो उसमें भी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कर राजस्थान के राजकोष से 127 करोड़ रुपये देने की घोषणा की ताकि जो भी पीड़ित किसान हैं उसको हम कुछ राहत दे सके । केन्द्र सरकार को पता है कि राजस्थान के किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है लेकिन उनके ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंगी, उनको कोई चिंता तक नहीं । मैं बिलकुल कहना चाहूंगा कि समाज के जिस-जिस वर्ग को जैसी-जैसी आवश्यकता है हमारी मुख्य मंत्री जी ने हमेशा आगे बढ़ कर उनको दिया और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां रोजगार की है ...

**श्री सभापति:** श्रीमती राजकुमारीजी, विराजिए आप ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): मेरे 20 मिनट हुए ही नहीं, साहब ।

**श्री सभापति:** हो गये ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): घडी तो देखो आप ।

**श्री सभापति:** आप धीरे-धीरे बोलो तो उसका तो इलाज ही नहीं है मेरे पास ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): मैं अंत में एक लाइन तो बोल दूं ।

**श्री सभापति:** हां एक लाइन बोल दो ।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): अंत में मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये राजस्थान की जनता की ओर से बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना शानदार बजट पेशकर के राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, धन्यवाद ।

**श्री सभापति:** श्रीमती राजकुमारीजी । 2.57 हुए हैं और 10 मिनट में आपको समाप्त करना है ।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): सभापति महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने सोमवार को इस सदन में पुन: ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया और महिलाओं को समर्पित करते हुए, किसानों को समर्पित करते हुए, बालिकाओं को समर्पित करते हुए, हमारी अल्प संख्यक महिलाओं को समर्पित करते हुए उन्होंने इस सदन में बजट रखा । मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है । नगर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य कल बता रहे थे कि तेजाजी, गोगाजी, राम सा पीठ उनके लिये तो उन्होंने दिया लेकिन किसी मस्जिद के लिये नहीं दिया । मैं सदन को बताना चाहती हूं मेवात की बालिकाओं के लिये पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने 25 आवासीय और

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

16 विद्यालय खोले हैं और उसमें उन्होंने चार करोड़ रुपये व्यय किये हैं और डेढ़ करोड़ का काम हो गया है । हमारे नगर से आने वाले माननीय सदस्य सुनें, मैं उनको बताना चाहूंगी, पहली बार हमारी मुख्य मंत्रीजी, हज कमेटी के लिये निशुल्क बसों का आबंटन कराया, प्रशिक्षण कराया और उनकों वहां भेजने के लिये जयपुर में जहाज उपलब्ध कराये ताकि हमारे अल्प संख्यक भाई वहां आसानी से पहुंच सके। नगर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगी कि 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया है पहले कभी वक्फ के लिये एक स्थान नहीं था हमेशा किराये में ही रहते थे और वह भी कैसा जहां बदबू ही बदबू आती थी उस किराये में रहते थे । पहली बार हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने एक करोड का निर्माण करवा कर वक्फ की स्थापना की है । नागौर जिले से हमारे मंत्री महोदय हैं उनको पता है आईटीआई में छोटे छोटे प्रशिक्षण देकर, हमारी महिलाओं को स्वयं सेवी संस्था से जोडा । ऐसे पच्चीसों उदाहरण मैं आपको बता सकती हूं । नगर से आने वाले माननीय सदस्य मंद- मंद मुस्करा रहे हैं । (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): सीकर से आने वाली माननीय सदस्या, वह इसलिए मुस्करा रहे हैं कि यह जितने भी काम किये हैं मुख्य मंत्रीजी ने, वह माहिर आजाद साहब के कहने से ही किये हैं ।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): आप इतना तो मानते हो ना ।

**श्री सभापति:** बोले नहीं। बोलने दें इनको।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): हमारे भाई साहब ने कल बहुत सारे शेर प्रस्तुत किये थे1 मैं बता देती हूं,

हवाओं में फिजाओं में खूशबू का पैगाम तो हमने भेजा है,
सूरज ने धरती पर रोशनी का अयाम तो भेजा है,
आपको दिखाई न दे यह तो आपकी नजरों का कसूर है
हमने तो बजट से खुशहाली का पैगाम भेजा है,
हमने तो बजट से खुशहाली का पैगाम भेजा है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): इलाज करा दो आंखों का। (व्यवधान)

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): इलाज भी करा देंगे, मेरे यहां तो बहुत सारे डाक्टर साहब बैठे हैं। (व्यवधान) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री सभापति**: मैं कभी उपाध्यक्ष नहीं रहा, अध्यक्ष ही रहा। आप सभापति कहें।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): आरदरणीय अध्यक्ष महोदयजी...

**श्री सभापति**: सभापति कहें आप।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): सभापति महोदय, इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में सभी जिलों में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। दूरदराज रहने वाली जनता के लिए धन्वन्तरी एंबूलेंस सेवा योजना, जो यह मृत्युन्ज्य योजना साबित होगी कि कोई भी दवा के अभाव में, शिक्षा के अभाव में नहीं मरे। हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री ने रोजगार के क्षेत्र में बजट का, यह भी नहीं, हमारे विरोधी दबी जबान से कहते हैं कि हमको तो क्षेत्र में जाने लायक ही नहीं छोडा, ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, तो हम वहां जाकर क्या कहेंगे। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): नगर से आने वाले माननीय सदस्य को समर्पित है। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** नो कमेंटस।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): आदरणीय, मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगी, कल मैं गणेशजी के दर्शन करने गई वहां जो भिक्षा लेती है वह बहन नींद से ऊंघ रही थी, मैंने पूछा, बहन घर जाकर क्यों नहीं सो जाती हो आप, तो बोली सोऊं कैसे कल मेरे को यहां धरने पर बिठा दिया था। आदरणीय विपक्ष के लोगों ने कहा कि 100-100 रुपये देंगे। आप यह बताइये जबरदस्ती उनको लाकर, मैं सोऊं कैसे आज मेरी भिक्षा में मेरे को कुछ मिला ही नहीं और उन्होंने 100 रुपये दिये ही नहीं। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, यह आरोप दिल्ली में रैली में गई जो मौत हुई उस परिवार ने लगाया और पचास हजार रुपये लिये हैं। आप अपने आरोपों को दूसरों पर मत गढ़ो। सारे अखबारों में छपा है। (व्यवधान) पचास हजार रुपये लिये (व्यवधान) उस लाश को दिया।

**श्री सभापति:** बिराजिए। अंकित नहीं होगा। बिराजिए।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): माननीय मुख्य मंत्री साहेबान, मैं इस बात के लिए विशेष ध्यान देना चाहूंगी उन्होंने मेरे क्षेत्र में...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री सभापति:** माननीय सदस्या,(व्यवधान) आप अपनी बात को भाषण तक सीमित रखो। हरिमोहनजी। बिराजिए आप।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ×××

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर): ×××

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): मैंने तो अभी चालू ही किया है, अभी तीन मिनिट हुए हैं। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर): ×××

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): ×××

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री सभापति:** मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं, आप बैठ जाइये।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री सभापति**: श्री हरिमोहन जी।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): हम आपके बीच में नहीं बोलते हैं। हरिमोहन साहब बिराजिए। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** कोई बीच में नहीं बोलेंगे अब। माननीय बिराजिए आप। मंत्रीजी, बिराजिए आप। Please don't invite unnecessary trouble. आप अपने को अपने भाषण तक सीमित रखे, चलिये आप। (व्यवधान) वह ही बोलेंगे जिनको इनवाइट किया हो।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): हमारी मुख्य मंत्री ने महिलाओं को पंचायती राज में 33 प्रतिशत से करके 50 प्रतिशत का आरक्षण कर दिया और इसलिए उनको बार-बार धन्यवाद। हमारे विपक्ष के लोग कहते रहते हैं कि विधान सभा और केन्द्र सभाओं में क्यों नहीं कहा, तो केन्द्र के लिए आप बोलिए। केन्द्र का बजट आने वाला है, पहले ही उन्होंने दाल मंहगी कर दी। दाल रोटी खाओ हरि के गुण गाओ, कैसे गाएंगे ? इतनी मंहगी दाल कर दी और उसका बजट आयेगा तो, अख़बार में आज पहले ही दे दिया कि 33 रुपये पहले दाल करके उसको आज 32 रुपये करेंगे। एक-एक रुपये, जैसे पैट्रोल को

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

कहां से कहां पहुंचा देते हैं और उसके दो रुपये घटाते हैं, ऐसी योजना बनाती है केन्द्र सरकार तो। कभी पेट्रोल के भाव बढ़ा देती है, कभी किसी के भाव बढ़ा देती हैं।

**श्री सभापति:** दो मिनिट शेष है आपके। बोलिए आप।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): मैं तो साहब अभी बोलने ही लगी हूं। दो दिन से तो इंतजार कर रही हूं और..

**श्री सभापति:** दो मिनिट आपके शेष है, बोलिए आप फटाफट1 कहना चाहें तो एक मिनिट में भी कह सकती हैं।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): अंत में, मुख्य मंत्री महोदय, मैं इस बात के लिए विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में अल्पसंख्यक महिलाओं की कम साक्षरता को देखते हुए वहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जाने की घोषणा की है, इस घोषणा के लिए मैं मुख्य मंत्री साहिबा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और उन्होंने कितनी ही योजनाएं बनाई, ज्ञानोदय योजना, बालगणेश के लिए योजना है, एम्बूलेंस योजना है, डाक्टर के लिए है, अमृतादेवी विश्नोई योजना है, घरौंदा योजना है, यहां तो वीणापाणि योजना है1 उन्होंने सबसे बड़ा जो कार्य किया हमारे गुरु गोविंदसिंह जो हमारी यात्रा लेकर राजस्थान पधारे थे उनका जो सरोवर है उसका जीर्णोद्धार करवाने के लिए उन्होंने चूरू में जो, ऐसी योजना चला रहे है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री साहेबान को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारी मुख्य मंत्री धार्मिक प्रवृति की हैं। उन्होंने गायों के लिए अनुदान दिया है, उन्होंने गोशालाओं के लिए अनुदान दिया है। उन्होंने गौमाता के लिए समर्पित भाव से 50 लाख रूपये की घोषणा की, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा को यह बताना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी खोले और महिला पुलिस थाना खोले। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

**श्री सभापति:** बिराजिए, बिराजिए।

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): मैं मेरे समय से आगे नहीं गई हूं। सिर्फ पांच मिनिट में ही धन्यवाद।

**श्री सभापति**: भरत सिंहजी।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय सभापति महोदय, पाली से बाहर किसान आए हैं। उनकी जीरे की फसल पूर्णत: नष्ट हो गई है।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

गिरदावरी की..(व्यवधान) गिरदावरी में एक भी गांव नहीं जोड़ा गया। सभापति महोदय, यह फसल देखिये, पूर्णतया यह फसल नष्ट हो गई है। (व्यवधान) कृपया माननीय मंत्री महोदय को आप कहें...

**श्री सभापति:** इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): सभापति महोदय, जीरे की, पाली जिले में एक भी गांव सम्मिलत नहीं किया गया है, गिरदावरी में कम दर्शाया गया है। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** बिराजिए आप।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): मेरा आपसे अनुरोध है अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको टेबल कर सकता हूं, आप देख लें ।

**श्री सभापति:** कल किया था ना टेबल। (व्यवधान) बिराजिए आप।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): नहीं, नहीं, वह परसों...(व्यवधान) सभापति महोदय, इजाजत हो तो टेबल करूं।

**श्री सभापति**: बिराजिए आप। रहने दो आप। (व्यवधान) कोई टेबल नहीं करना अपने को, बिराजिए आप। भरत सिंहजी।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन है कि सत्ता पक्ष की ओर से हमें थोड़ी सी जानकारी दिलवा दें, मुख्य मंत्री है, ये यशस्वी है, या ...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** बिराजें आप।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): या देवी हैं या महारानी हैं? (व्यवधान)

**श्री सभापति:** कोई अंकित नहीं होगा। बिराजिए।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सभापति:** कोई नोटिंग नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सभापति:** कोई अंकित नहीं होगा, कह दिया।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): ×××

**श्री सभापति:** कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सभापति:** किसी प्रकार का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): ×××

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री सभापति:** सुरेन्द्र सिंहजी बिराजिए आप। माननीय सुरेन्द्र सिंहजी, बिराजिए आप। आपसे अनुरोध कर रहा हूं, बिराजिए आप। (व्यवधान) बैठिये आप।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सभापति:** कोई अंकित नहीं होगा। मैं कहूंगा वो ही अंकित होगा।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री सभापति**: मुझे कठोर कार्यवाही नहीं करनी पड़े किसी पर भी, बिराज जाइये आप। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सभापति:** सुरेन्द्र सिंहजी, बैठिये आप, बैठिये आप।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सभापति**: कोई अंकित नहीं होगा। मैं कहूंगा वही अंकित होगा।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): ×××

**श्री सभापति**: बिराज जाए आप।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर):000

**श्री सभापति:** बिराज जाए आप। बिराजिए, माननीय भरत सिंहजी। कोई टोका-टोकी बीच में नहीं होगी I will not tolerate it till I am here.

(श्री सभापति)

मैं यहां जब तक बैठा हुआ हूं, इसको टोलरेट नहीं करुंगा। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये आप। अब की बार मेरे को किसी को सदन से बाहर नहीं करना पड़े। कोई बीच में नहीं बोलेगा। माननीय भरतसिंहजी। भरतसिंहजी को बोलने दें, आप। He is a good orator.

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): माननीय सभापतिजी, वर्ष 2008-09 के बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा आपसे कि जो इस बजट में अच्छा है उसके बारे में तो हमारे सामने बैठे हुए सदस्य उस पर ध्यान दिला रहे हैं। मैं, मुख्य मंत्रीजी ने जो इसके प्रथम पृष्ठ पर कुछ 6 प्रमुख बिन्दु, जिनके ऊपर इन्होंने अपना ध्यान केन्द्रित किया है, उसमें से पांचवें नम्बर पर 'अच्छा शासन' की बात की है। प्रथम पृष्ठ पर अच्छे शासन का उन्होंने उल्लेख किया है और आखिरी पृष्ठ पर उन्होंने कहा है कि मैंने इन प्रस्तावों के द्वारा प्रयास किया है कि न केवल सामाजिक और आर्थिक आधारभूत ढांचें के विकास में सन्तुलन हो, बल्कि समाज के हर तबके को बराबर की तवज्जोह मिले। इन दो बातों के ऊपर पिछले 4 साल में बजट में जो इस विधान सभा में उन्होंने बजट पेश किये हैं, मैं एक बात पर खास तौर से इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कितना ही विकास हो जाए, कितने ही आप बड़े काम कर लें, मगर हम बुनियादी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ही नकार दें तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। और यह बात जो मैं आज कहने जा रहा हूं सदन में, इस प्रदेश की जनता ने विभिन्न बार समाचार पत्रों...(व्यवधान)

**श्री सभापति:** कृपया शान्ति बनाये रखें। सांगसिंहजी, इधर-उधर बातें नहीं।

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): बैठे हुए, वे यूं-यूं कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** आप इधर-उधर मत करिये, इधर देखिये। बोलने दें इन्हें आप। कृपया शान्ति बनाये रखें। (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): माननीय सभापतिजी, मैं प्रयास करुंगा, मैं सदस्यों से निवेदन करुंगा और आसन से भी व्यवस्था चाहूंगा कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 10 मिनट से भी कम समय में अपनी बात खतम करुं।

**श्री सभापति:** हां, फरमायें आप।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनी गई सरकार और जिसका विश्वास लेकर यह सदन में बैठी है, उसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ही गला घोंट दिया जाए। जो बात एक विधायक के रूप में विधायक कह सकता है उसको भी अगर हम विधान सभा में नहीं रख सकें तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है और स्वच्छ प्रशासन के ऊपर यह सबसे बड़ा तमाचा है। एक व्यवस्थित रूप से एक विधायक अपने अधिकार का उपयोग करके प्रश्न विधान सभा में रखे, जिसको विधान सभा की व्यवस्था लिस्टेड करे और उस प्रश्न को अगर विधान सभा में पूछ नहीं सकें तो इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती। अगर विधान सभा के सदस्य अपनी पार्टी के अन्दर बात नहीं रख सकें और अखबारों के अन्दर उन्हें अपनी बात कहनी पड़े तो यह पूरे प्रशासन के सामने, जो सारी बातें, जो विकास की हैं, उससे आम जनता के ऊपर दुष्प्रभाव का असर पड़ना स्वाभाविक है। मंत्रिमण्डल के सदस्य, वह आरोप लगाये भ्रष्टाचार के, समाचार पत्रों में वह प्रकाशित हो, उससे आम नागरिक का जीवन प्रभावित होना स्वाभाविक है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं, दैनिक जीवन में रोज इस प्रकार की घटना घट रही है।

अभी इस सदन के अन्दर 50 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण की बात हुई। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, सांगोद नगरपालिका है। नगर पालिका में महिलाओं का पद सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष थी। उसको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया गया और उस... (व्यवधान) ये कौन बोल रहे हैं। आप ध्यान से सुनें। आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं बैठ जाता हूं।

**श्री सभापतिः** नहीं, अच्छा लग रहा है, आप बोलिये।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): आपकी भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष थी। वहां महिला के लिये पद रिजर्व था। अविश्वास प्रस्ताव लाये, उसको लाने का अधिकार था। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वह महिला हट गईं। हट गईं, उसके बाद उस महिला की जगह पुरुष बैठा दिया गया। प्रशासन का जो आदमी कुर्सी पर बैठा है, व्यवस्था बनाने के लिये, उसने अव्यवस्था पैदा की और 6 महीने तक उस महिला के पद के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव के बाद पुरुष बैठा हुआ है। तो मुझे विधान सभा में प्रश्न रखना था। विधान सभा में हम प्रश्न करते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिये दूसरा प्रश्न करना पड़ता है, क्योंकि जवाब ही नहीं आ रहा है। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था की

(श्री भरत सिंह)

व्यवस्था है। इसके अन्दर आपने व्यवस्था की है। आपने जो बजट में बात कही है, आपने किसान की बात की है। किसान के सम्बन्ध में बहुत शोर-शराबा हुआ विधान सभा में, उसकी फसल नष्ट हुई। आज एग्रीकल्चर का जो सैक्टर है, उसकी तीन प्रतिशत ग्रोथ है। पूरे नेशनल लेवल के ऊपर चिन्ता हो रही है। उस एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो गांव के आदमी की, जिसकी यह सारी योजना है, उसके पास क्या चीज पहुंच रही है। आप स्कूल खोल रहे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरे गांव में भी, मैंने मांग की थी, दो साल पहले, मिडिल स्कूल हाई-स्कूल हो गया। मगर अध्यापक कहां से लाएंगे आप। आज स्कूल आपने खोल दिये इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा यह निकलेगा कि हर पंचायत में आपने स्कूल खोल दिये, आपकी जब नियुक्ति होगी, गांव के स्कूल, जो शहर के किनारे के स्कूल खोले हैं, उसमें सब अध्यापक चले जाएंगे। गांव में स्कूल है तो अध्यापक नहीं है। सफाखाना है तो डाक्टर नहीं है। बिजली के कनेक्शन हैं तो बिजली नहीं है। आप 24 घण्टे की बात कर रहे हैं, आज 24 घण्टे की बिजली तो शहर में भी नहीं मिल रही है। 24 घण्टे में बिजली, जिसको आप गांव को देने की बात कर रहे हैं, 24 घण्टे बिजली तो शहर में भी नहीं मिल रही है। तीन घण्टे कटौती तो शहर में भी चल रही है। तो कौनसी 24 घण्टे की बात है। आप घोषणाएं करें और जब वह बात आखिरी कोने तक पहुंचे नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। चिकित्सालय के अन्दर, आज सब डिवीजन हेडक्वार्टर के ऊपर, सांगोद के अन्दर चिकित्सालय, महिला चिकित्सक, उसकी पोस्ट है, मगर वहां है नहीं। आपने एक बहुत अच्छी योजना की घोषणा की कि हम 50 करोड़ रुपये, 45 मिनट के अन्दर यह व्यवस्था कर देंगे, गांव के हर कोने में से कोई भी मरीज को सफाखाना पहुंचा दें। 45 मिनट क्या, 2 घण्टे का तो सफर है, अगर वह जाएगा तो एम्बुलेंस वाले को भी, एम्बुलेंस के भरोसे लाना पड़ेगा, उसकी भी टक्कर हो जाएगी। आपने जिस प्रकार की, आज तो व्यवस्था आपको करनी है, आपके डाक्टरों को गांव में पहुंचाना है तो मैं तो यह कहूंगा कि 50 करोड़ रुपये आप इस बात के लें कि जो डाक्टर गांवों में जाने को तैयार नहीं हैं, आप उसको कोटा से एम्बुलेंस से रोज अप-एण्ड-डाउन करा दें तो शायद उसकी व्यवस्था सुलझ जाएगी। नहीं तो गांव में चिकित्सा की स्थिति की यह हालत है कि चिकित्सा के अभाव में लोगों को अपना पैसा खर्च करके गांवों से शहरों को आना पड़ रहा है। और यह एक जगह की बात नहीं है। यह पूरे राजस्थान का नक्शा है। नहरों के बारे में प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न मैंने नहर के बारे में, कोटा की चम्बल की नहरों के आखिरी टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है, एक प्रश्न मैंने

(श्री भरत सिंह)

इसी सत्र में पूछा कि इसकी नहरों की कुल क्षमता क्या है। उन्होंने बताई साढ़े छह हजार क्यूसेक और कितनी क्षमता से नहर चलाई। खुद अखबारों में छप रहा है, पूरे लोग-बाग़ जानते हैं कि साढ़े पांच हजार क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं। तो जवाब नहीं दे रहे हैं, विधान सभा में जवाब देना नहीं चाहते हैं। जवाब देते हैं, पूरी क्षमता से चला रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तरों को घुमा-फिराकर देते हैं। जो चुना हुआ आदमी लोगों की पीड़ा को विधान सभा में रखना चाहता है, उसको वह बोल नहीं पाता है। और इस विधान सभा के अन्दर हम जो बात व्यवस्था के तहत करना चाहते हैं, वह नहीं बोल पाता है। और जो आदमी व्यवस्था से बोलना चाहता है उसको आसन स्वयं आमंत्रित करता है कि अव्यवस्था पैदा करें। आसन जब अव्यवस्था पैदा करे तो यह व्यस्थित कैसे रहेगा। यह सत्यमेव जयते का तो नाटक हो रहा है। यहां असत्य ही जीत रहा है, इस सदन के अन्दर। सही आदमी बोलता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है। विधान सभा के अन्दर आज पानी के ऊपर बात हो रही है। पानी के लिये एक लाख हैण्ड-पम्प देने की बात की। एक लाख हैण्ड-पम्प हमने खोदे हैं, कितने हजार ट्यूबवेल खोदे हैं। बूंद-बूंद पानी की बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं। सतही जल बहकर जा रहा है। हैण्ड-पम्प खोदे जा रहे हैं, वह कितने हैण्ड-पम्प चल रहे हैं। पानी है कहां? जिस सम्भाग से मैं आता हूं, हजारों आदमियों ने नदी के सूखे पेटे में प्रदर्शन किया है कि इस नदी के अन्दर पानी रोको। आज एक लाख हैण्ड-पम्प खोद रहे हैं। 50 हजार एक हैण्ड-पम्प की लागत है। स्टेट का सरफेस वाटर, आज भी 40 प्रतिशत पानी बहकर जा रहा है। क्या किया है सरकार ने। सरकार ने घोषणा की इसके अन्दर कि हम 400 करोड़ रुपये काली-सिंध योजना के ऊपर लगाएंगे। जिस योजना का सर्वे नहीं हुआ, उसके लिये 400 करोड़ रुपये और जो परवन सिंचाई योजना है, बृहद, उसी झालावाड़ जिले में, जिसका सर्वे हो चुका है, या तो गलत छप गया है, मुख्य मंत्रीजी उसको संशोधित करें कि 400 करोड़ जिसका सर्वे हो चुका है, उसको दें और जिसका सर्वे नहीं हुआ उसके लिये 400 करोड़ की घोषणा देकर इस सदन के माध्यम से उस गरीब जनता, जो आशा कर रही है उसका खिलवाड़ करना है। तो मैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार में लोग-बाग़ बैठे हुए हैं, सरकार का मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री अगर यह बात कहें, अखबारों में छपे कि मुझे डर है कि सरकार मुझे एन.डी.पी.एस. एक्ट में फंसा देगी, और दुर्भाग्य से वह मंत्री फंस भी गया कोई दूसरे केस के अन्दर, जिससे हमें कोई लेना-देना नहीं था। मगर एक मंत्री, सार्वजनिक रूप से अखबारों में यह प्रकाशित हो, जिसको वह

(श्री भरत सिंह)

खण्डित न करे और यह कहे कि मैं एन.डी.पी.एस., एक विधायक उसी क्षेत्र का, यह कहे कि मुझे डर है कि मुझे उल्टे-सीधे मुकदमे में फंसा देंगे तो यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिये सबसे चिन्तापूर्ण बात है। जब कोई चीज, मुझे लगता है कि जो मेरा प्रश्न लगा था वह भी षड्यंत्र के रूप में ही लगाया गया था। मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि वह लगाया तो उसको आना चाहिए था। और जब नहीं आने दिया तो उनको डराया, देखो, प्रश्न लग जाएगा तो यह होगा और आप अनुशासन में रहेंगे तो यह चीज होगी। और उस अंदरूनी पार्टी कलह को रोकने के लिये यह सारी बातें प्रकाशित हुई। और आज पूरी व्यवस्था उसी के ऊपर, इनकी जो अंदरूनी पार्टी में विधायक डरें, विधायक बोल नहीं सकें, उनको बोलने नहीं दिया जाए तो प्रजातांत्रिक तरीके से राजस्थान के लिये शर्म की बात है। आपने इतना मुझे समय दिया और मैं सदन के सब सदस्यों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शांति से मेरी बात सुनी। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि बहुत समय पर समाप्त किया आपने। श्रीमान बीरूसिंहजी।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): माननीय सभापति महोदय, एक जमाना था जब मंत्रियों ने ... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य:** यह बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** विराजिये आप। Please don't invite trouble. Please don't invite trouble.

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप मेरा माइक तो चालू करवाओ। मेरा माइक बंद है। इससे ज्यादा अन्याय क्या होगा? ... (व्यवधान)

**श्री सभापति:** नहीं, बिलकुल नहीं है।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): विपक्ष के साथ इससे बड़ा, अब जाकर, देखिये आप।

**श्री सभापति**: नहीं-नहीं। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): एन.डी.पी.एस. के मंत्री यहां पर बैठे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** विराजिये। बोलने दें आप इनको। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): बेइमानी और भ्रष्टाचारी तो जन-जन में है ... (व्यवधान) कमाल हो रहा है, याद ही नहीं है। ... (व्यवधान)

**श्री सभापति:** विराजिये। बोलने दो। आप कहां बोल रहे हैं बीच में। आपको कोई टोकाटाकी नहीं की। विराजिये आप। (व्यवधान)

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे इष्ट देवता है उनका मैं नमन करना चाहूंगा। ॐ गुरुवे नमः, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, मां भगवती को प्रणाम।

हम लोग जितने भी यहां बैठे हैं, बजट आपके सामने है। आपने सबने पढ़ लिया होगा और मैं जो आपके सामने बोलना चाहता हूं, आप में से कोई भी मेरी बात सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है इसलिए मैं मेरा समय खराब नहीं करना चाहता लेकिन चार सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** बोलने दें उन्हें।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): मुझे महाभारत का वह दृश्य याद आता है जब भगवान कृष्ण के सामने सुदामा आते हैं। इसको आप लोग गम्भीरता से मनन करें। मुझे लगता है कि हम सब लोग भगवान कृष्ण तो बन गये हैं लेकिन सुदामा हमारे घर पर काम कराने के लिए आता है, हम उसको भूल चुके हैं। इस सुदामा के कारण आज पूरा समाज चार वर्गों में बट गया है। चाहे मेरे कांग्रेसी मित्र हो, चाहे मेरे बी.जे.पी. के मित्र हो। आज पूरे देश में सीधे-सीधे दो पार्टियां बन गयी हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ लगभग 24 पार्टियां, कांग्रेस पार्टी के साथ लगभग 16 पार्टियां। पूरी राजनीति का ध्रुवीकरण इन दो प्रकार की पार्टियों में हो गया है। हमें इस समाज का जो मनोविज्ञान है, इस समाज की जो मूल चिन्ता है, इस समाज के जो मूल सिद्धान्त हैं, इस समाज की जो मूल व्यवस्थाएं हैं, आम आदमी की हमसे क्या अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को हमको बजट में लाना पड़ेगा। इस भारत भूमि का जो पहला समाज है उसका नाम है पूंजीपति, उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति। आप में से दोनों पार्टियों में दम नहीं है, पिछले 60 साल में इन लोगों का कोई काम रुका नहीं और आगे भी रुकने वाला नहीं है और मजे की बात है कि यह लोग मतदान भी नहीं करते हैं। सरकार भी नहीं बनाते हैं और यह वर्ग सब प्रकार की सरकारों को चलाता है। इस पर हमको गम्भीरता से चिन्तन करना पड़ेगा।

समाज का जो दूसरा वर्ग है उसको मैं उच्च मध्यम परिवारों के नाम से पुकारता हूं। चमचमाती गाड़ियां, शानदार बंगला, नौकर-चाकर और 100

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

रुपये का कूकरे का खर्चा, आदमी को रोटी नहीं मिलती है। समाज का यह वर्ग लगभग 100 में से 5 व्यक्ति मतदान करने के लिए जाते हैं। सरकार बनाने में इनका कोई योगदान होता नहीं है और पिछले 60 साल में इन लोगों का कोई काम रुका नहीं, आगे भी नहीं रुकेगा। आप विधान सभा में कितने भी प्रस्ताव पास करा लें, कितनी ही आप अपने एक-दूसरे की आलोचना कर लें, कभी बी.जे.पी. आ जाएगी, कभी कांग्रेस आ जाएगी, सुदामा वैसे ही रोता रहेगा। इस 60 साल की सम्पूर्ण व्यवस्था ने हम सब आदमियों को मछली बना दी है और मछली का मतलब क्या है? जिस प्रकार एक मछली पानी में रहते हुए, कब पानी पी जाती है दुनिया का कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकता है और हम जितने भी प्रकार के राजनैतिक लोग हैं, भ्रष्टाचार के रूप में हम कब पानी पी लेते हैं, दुनिया का कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकता है। हमारे शरीर में जो शिव तत्व है, उसको हम सब को विकसित करना पड़ेगा। हम जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे अन्दर शिव का तत्व है और शिव का मतलब होता है वैराग्य। किसी प्रकार की कामना नहीं। किसी प्रकार की इच्छा नहीं। किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं और भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि आप धतूरा चढ़ा दो तो वह राज़ी, आकड़े का फूल चढ़ा दो तो राज़ी, विल्व-पत्र चढ़ा दो तो राज़ी और यह सब चीजें नहीं भी मिले तो घर की टूटी में से पानी लिया और ॐ नमः शिवाय, यह सब शिव तत्व, शिव तत्व हमारे सब के शरीर में है। यह जो हमारा शिव तत्व सो गया है। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय मंत्रीजी, सुनिये आप।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): इस शिव तत्व को हमको उजागर करने की आवश्यकता है।

समाज का जो तीसरा वर्ग है, जिसको मैं मध्यम परिवार के नाम से पुकारता हूं। मेरे खुद के पिताजी भी आर्मी के अन्दर चपरासी थे और चपरासी की मनोदशा क्या होती है, आप लोग समझते हैं। एक कर्मचारी की मनोदशा को यदि आप समझते हैं, एक जो कोने पर नाई बाल काट रहा है अगर आप सारे लोग यह प्रण कर लें कि साल भर तक एक भी बाल आदमी नहीं कटाएगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। जिसकी तनख्वाह 15 तारीख को खतम हो जाती है, जो कर्जे से डूबा रहता है, जो सामाजिक बंधन में बंधा रहता है और यह लोग 100 में से 60 वोट देते हैं। सरकार को बनाते हैं और इनके ही काम नहीं होते हैं। इनकी जूतियां घिस जाती हैं और यहीं से

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

विटामिन-आर के केप्सूल का विकास हो गया जिसको मैं रिश्वत के केप्सूल के नाम से पुकारता हूं। एक नीचे के कर्मचारी से लेकर ऊपर तक का कर्मचारी इन्हीं लोगों से पैसा लेता है और इन्हीं लोगों के काम नहीं होते हैं। यानी, मजे की बात है कि जो लोग सरकार बना रहे हैं उनका तो काम हो नहीं रहा है और जो सरकार नहीं बना रहे हैं उनका काम हो रहा है। इस पर हम दोनों प्रकार की राजनैतिक पार्टियों को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

समाज का जो चौथा वर्ग है। उसको मैं गरीबी रेखा के नीचे के नाम से पुकारता हूं। परम आदरणीय हमारी भारत की पहली प्रधान मंत्री ने बहुत सुन्दर नारा दिया था कि हम हिन्दुस्तान से गरीबी हटाएंगे। प्रयास भी किये और परिणाम भी निकले लेकिन हम जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे आपके नगर-निगम के हो, चाहे पंचायत समिति के हो, चाहे प्रधान हो, चाहे उप प्रधान हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हमने इस वर्ग के बारे में सोचा है क्या? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कितने लोग हैं? 100 में से 60 आदमी है। मेरा भाई जो कच्ची बस्ती में रहता है हम 25 रुपये की थैली देकर उसके वोट मांग लेते हैं और उसको वोट देने का होश ही नहीं रहता है। हमने 25-25 रुपये की यह थैलियां देकर उनके यह वोट हमने खरीद लिये हैं और हम सरकार बनाकर यहां पर विधायक बनकर बैठ जाते हैं। उसका दोष क्या है? क्योंकि वह गरीब है। उसकी कीमत क्या है, थैली की 25 रुपये की, यह दारू की कीमत हमने तय कर दी है। हमारे अलग-अलग विंग खुल जाते हैं। गाड़ियां तय हो जाती हैं। थैलियों के ठेके हो जाते हैं। एक दिन का खेल है। एक दिन में मतदान हो जाता है और हम पांच साल के लिए विधायक बन जाते हैं। एक मेरा वह जो बिलकुल कोने में, गांव के अन्दर बैठा है, छत्ता बुन रहा है, जूतियां गांठ रहा है, उसको आरक्षण का पिछले 60 साल में फायदा नहीं मिला है। मैं जब भी गांव जाता हूं, मेरे गांव के बाहर जो हरिजन की झोपड़ियां हैं, उसके दादाजी मैला उठाते थे, उसका आदमी मैला उठा रहा है और उसका बेटा भी मैला उठा रहा है लेकिन उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है और आदरणीय मायावती ने नारा दे दिया कि- 'तीर, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार' और फिर- 'यह हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है।' देखिये, हमारी चालें देखिये आप लोग। हमने पहले क्या नारा दिया और आज हमने क्या नारा दे दिया और हम यहां मुख्य मंत्री बनकर बैठ गये। देखिये। समाज का जो चौथा वर्ग है, जिसको मैं गरीबी रेखा

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

के नीचे के नाम से पुकारता हूं, इसके बारे में हमको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** विराजिये।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): जो मजदूर है, जो कारीगर है, जो बेलदार है, जो खेत के अन्दर काम करता है उन सबके बारे में हमको यह चिन्तन करना पड़ेगा और अगर हम इस बारे में चिन्तन नहीं करेंगे तो ... (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर** (श्रीगंगानगर): गाली निकाली जा रही है, किस बारे में कहना चाहते हैं यह? (व्यवधान)

**श्री सभापति:** चिन्तन की बात है यह।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें केवल भारत एक ऐसा देश है जिसके आगे मां लगता है और हम बोलते हैं भारत माता की जय। आपने आज तक फ्रांस माता या बांग्लादेश माता या जापान माता या अमरीका माता का नाम नहीं सुना होगा। हमारी कोई भी जाति हो, चाहे हम हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जब तक इस भारत माता के प्रति हमारा समर्पण नहीं होगा, हम लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।

माननीय वसुन्धराजी ने अपना जो सम्पूर्ण बजट दिया है, उसमें उन्होंने मातृ-शक्ति को रखा है प्राथमिकता के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इस विषय को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस हिन्दुस्तान का, राजस्थान का भला कर नहीं सकते।

**श्री सभापति:** कृपया, समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क): जब हम हिन्दू धर्म की बात करते हैं, महिला का मतलब क्या है? महिला का एक ही मतलब है। महिला का मतलब होता है, मां और मां का मतलब होता है समर्पण की पराकाष्ठा। महिला का मतलब होता है- मां भगवती, महिला का मतलब होता है- मां सरस्वती, महिला का मतलब होता है- मां दुर्गा, महिला का मतलब होता है- मां सीता, महिला का मतलब होता है- मां राधा और महिला का मतलब होता है- मां गौरी। इसलिए जब तक इस महिला वर्ग को हम संतुष्ट नहीं करेंगे, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप सब लोगों ने बिना मानसिकता खोए हुए मेरी बात को सुना, नमस्कार। भारत माता की जय।

**श्री सभापतिः** श्री जयरामजी जाटव।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने जो विचार रखे हैं उस पर सब को गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि सरकारें कैसे बनी हैं और कैसे बनती रही हैं।

**श्री सभापतिः** विराजिये।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह बहुत गम्भीर चिंतन का विषय है कि वर्तमान सरकार सहित पूर्व की सरकारों पर उन्होंने जो कहा है उस पर आपको चिन्तन करना है। (व्यवधान) एक-एक थैली में ..(व्यवधान) आपको याद करना चाहिये।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ..(व्यवधान). यह दिल्ली की बात कह रहे हैं। ...(व्यवधान).

**श्री सभापतिः** कृपया बिराजिये। श्री जयरामजी। (व्यवधान)

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): चिन्तन सभी को करना है।

**श्री सभापति**: सभी को करना है। बिराजिये आप। हां, आप बोलें।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2008-09 आय—व्ययक में 25 फरवरी को जो इस सदन में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजे ने बजट प्रस्तुत किया, उस बजट के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और इस बजट के बारे में 26-27-28 तीन दिन से, आज तीसरा दिन है, बहस हो रही है। इधर से कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने इसकी प्रशंसा की, जिसमें आज श्रवण कुमारजी, माननीय सदस्य अभी नहीं हैं, उन्होंने सिंचाई में कुछ कहा था। बजट की बहस में कई माननीय सदस्यों ने ऐसे विचार रखे, जो इस बजट सत्र की कॉपी में नहीं थे, कोई भी संस्था हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, छोटी हो या बड़ी हो और वह संस्था अपना बजट बनाती है, अपना प्लान तैयार करती है और उस प्लान के आधार पर, बजट के आधार पर वह संस्था चलती है और उस संस्था का मुख्य उद्देश्य और उसका लक्ष्य क्या है, हमने इन पांच सालों में सभापतिजी, देखा है कि इस राज में जो पांचवां बजट प्रस्तुत किया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही कि आज से पहले इन चार साल के बजटों में जो बजट प्रस्तुत किये गये और जिन मदों में जितना लेखा-जोखा व्यय का किया गया उसमें खर्चे बहुत हुए और अब तक का जो रिकार्ड

(श्री जयराम जाटव)

रहा है, इतना ऐसा काम हुआ है विकास का, चाहे सड़क का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे पेयजल का हो, यह काम नीतिगत थे।

**(समय : 15.31 बजे)**

**(श्री बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)**

कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इस बजट की कॉपी को रात-दिन घुमा-फिराकर देखा था। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल कहा था कि जब यह बजट लिखा गया तो इसमें कुछ अशुद्धियां रह गयीं। तहसील का नाम जहां मुसलिम समुदाय के लोग रहते हैं, उसका नाम ना लिखकर दूसरा नाम लिख दिया। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजादी के बाद में अगर किसी ने मुसलमान का ध्यान रखा है, धार्मिक स्थल, जहां उर्दू पढ़ायी जाती है, जिनको मदरसे कहा जाता है, पहली बार अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करा दिया और रजिस्ट्रेशन के आधार पर वहां कम्प्यूटर शिक्षा के लिए वहां कम्प्यूटराइज कर रहे हैं और वहां अध्यापक लगाने के प्रयास कर रहे हैं, अध्यापक दे रहे हैं तो यह काम कोई गलत तो नहीं हुआ। मैं जिस जिले का रहने वाला हूं उस जिले में 4-5 तहसीलों में अधिकांश मुसलिम समुदाय के लोग रहते हैं और मेवात विकास बोर्ड से कई सालों से, देश की आजादी के बाद कहते थे कि मेवात का जो विकास है और मेवात विकास बोर्ड के लिए अलग से फण्ड होना चाहिये। अलग से फण्ड आता था और वह फण्ड कहां लगता था, कुछ पता नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जनसंख्या वृद्धि इनमें नहीं रूक रही, लेकिन उनमें शिक्षा का प्रसार करने से और जहां आवासीय विद्यालय हमने अपने-अपने क्षेत्रों में दो-दो खुलवाये हैं, माननीय जुबेर खानजी ने भी खुलवाये हैं, जो रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं। मैंने अपने क्षेत्र में दो आवासीय विद्यालय और इस तरह के एन जी ओ चलाकर उन गांवों में शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जहां कभी उन्होंने सदियों से सोचा नहीं था। मैं एक मिर्जापुर गांव में गया, जहां 14 साल की एक लड़की, जिसको इनाम दिया गया एक साईकिल, एक एनजीओ काम कर रहा था वहां और वह पांचवी-छठी क्लास में पढ़ रही थी और उसकी शादी घरवालों ने कर दी, उसको स्पेशल लाकर, उनके प्रार्थना कर-करके तब उसको वहां पढ़ाया जा रहा है। इस बजट के माध्यम से काम दिया गया है। इस पैसे

(श्री जयराम जाटव)

का योजना के अनुकूल उसका इस्तेमाल, उसका खर्चा है, उस स्थान पर किया गया इन चार सालों में, जहां बहुत अति आवश्यकता थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां एस.सी या एस.टी. की कुछ लोग बात करते हैं। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों का कोई बुरा नहीं मानता हूं और ये जो अपनी बात रखते हैं, यह भी अपनी तर्कसंगत बातें रखते होंगे, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैंने इस जीवन में जो देखा है राजनीति में पांच साल में, जो तस्वीर मेरे सामने महात्मा गांधीजी की जो लगी हुई है, इस तस्वीर को शीशे की या कागज की, इस तस्वीर की आत्मा को अगर शांति मिली है तो इन चार सालों में मिली है।

बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता थे। इस देश में ही नहीं, किसी प्रदेश में भी याद नहीं किया और यहां इस प्रदेश में याद किया। इस प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने याद किया और ऐसे ही खाली नाम लेकर याद कर लिया हो, ऐसा नहीं है। 77 बीघा जमीन और उसके लिए बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर विद्यापीठ की स्थापना करवाना और वहां करोड़ों रुपये का खर्चा होना और वह पूरे देश की मिसाल और उसके शोध वहां होंगे, किस तरह वह पढ़े, कहां रहे, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाई सही और उनकी वहां स्थापना, जो पिछले 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयन्ती के रूप में जहां जितने धार्मिक स्थल थे, जैसे हमारे अलवर में भृतहरिजी हैं, वहां की मिट्टी को लाकर और कलश लाकर वहां पुजवाया। खाली दिखावा नहीं था कि हम पत्थर लगा दें और उसके बाद में शिलान्यास के बाद में वहां काम नहीं हो।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सभापति महोदय, चालू किया है हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? हम बार-बार कहते हैं नये सदस्यों को पहले मौका दिया जाये। जब कुछ छोटी-मोटी तैयारी करके आते हैं तो सामने से घण्टी बज जाती है इधर से। हमारे लिये पहले घण्टी बोली। हम तो जानते हैं कि पांच मिनट में घण्टी चालू हो जायेगी। सभापतिजी, आपसे प्रार्थना है, आप भी नये हो। आपने सारी ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** ये पर्ची मुझे आपकी पार्टी ने दी है। मैं कोई घर से बनाकर नहीं लाया हूं।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): सभापतिजी, सारी पार्टियां आपके लिये बराबर हैं।

**श्री सभापति:** यह पर्ची आपकी पार्टी ने दी है। इसको फाड़ दूं क्या? पर्ची को फाड़ दूं क्या?

**एक माननीय सदस्य:** हमारे समय में से दे देना।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): चलो, मैं बैठ जाता हूं। मैं माननीय सभापतिजी, ज्यादा नहीं कहूंगा लम्बी-चौड़ी। मैं वह बात कहूंगा जो यथार्थ में सत्यता है और ईश्वर जिसको कहते हैं, सत्य को ईश्वर कहते हैं। मैं सत्यता की बात कह रहा हूं। इसको पवित्र सदन कहते हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नहीं कहता हो अगर मैंने असत्य बोला हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूं, यही कहता है। मैं यह बात भी नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं पांच साल में अगर सरकारी सड़क का इस्तेमाल किया, किनको इस्तेमाल की जरूरत थी, गरीब को। अमीर फार्म हाउस बनाकर रहता है, खुद की सड़क बना लेता है, पी एच ई डी की स्कीम बनी गांव में, वह किसके लिये बनी, गरीब के लिये। अगर स्कूल की आवश्यकता हुई तो सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। जो पैसे वाले हैं वह तो फार्म हाउस के साथ जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें आवासीय उनके छात्रावास हैं, करोड़ों रुपये देकर, खर्च करके अपने बच्चों को अध्ययन करा लेते हैं, शिक्षा दिला लेते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश की मुख्य मंत्री को, इस सरकार को, इन पांच सालों में जो गरीब को, गांव को केन्द्र बिन्दु मानकर विकास किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भावनाएं ऐसी हैं, वह ही बदली हैं, परिवर्तन आया है। परिवर्तन यात्रा के बाद जगह-जगह मांग उठाई जा रही है। अब मांग क्यों उठा रहे हैं? लोग मांग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मांगा उससे जाता है जिससे आशा होती है। चाहे छात्र हो या कर्मचारी हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे कोई भी आदमी हो। नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे करनी, हथोड़ी, बसोली और लगाने वाले लुहार बनाता है क्या, असत्य बोलते हो, सारा फैक्टरियों का सामान है।

12 परसेंट से जब सैल्स टैक्स 4 परसेंट कर दिया, कर मुक्त नहीं किया लेकिन कर का सरलीकरण किया उससे हमारी आय बढ़ी। पांच साल में समय पर तनख्वाह दी। इस राज की जितनी प्रशंसा हम करें कम है। अगर करने बैठें, अगर हम अपनी इस पांच साल की अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों

(श्री जयराम जाटव)

में विकास की प्रशंसा करें, सच्चाई, यथार्थ को कहें तो हमको चार दिन चाहिए। इससे ज्यादा विकास प्रदेश में नहीं हो सकता।

गांव में जो कहते हैं, जब शादियां होती हैं लड़की को रई देते हैं, लड़की को फ्रीज देते हैं, कपड़े धोने की मशीन देते हैं, प्रैस देते हैं, सारा सामान, इलैक्ट्रिक सामान देते हैं, हमारे जिले में मैं आपको सत्य बता रहा हूं जो चार साल पहले इस कांग्रेस के राज्य में जितना इलैक्ट्रोनिक्स का सामान आया वो तूडे के घर में रख दिया गया था, एक भी नहीं चला, फ्रीज सड़ गये। मैं आज बता रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 60 गांव हैं जहां 18-20 घंटे बिजली मिल रही है। इससे ज्यादा क्या होगा? किसान को 6 घंटे बिजली मिली है, समय पर कर्मचारियों को तनख्वाह मिली है।

सबसे बड़ी एक बात कहना चाहूंगा, जो लोक सेवा आयोग में नौकरी दी गयी उसमें शिड्यूल्ड कास्ट का जितना भला हुआ है, इस प्रदेश में उन गरीब परिवारों का भला हुआ है, वहां दादा-परदादा, भाई-भतीजावाद नहीं हुआ, वहां कोई मेरिट का आधार नहीं हुआ, एग्जाम के माध्यम से लगभग 20 हजार छात्रों का उनका भला हुआ जो बाजार में पल्लेदारी करते थे मंडियों में, जो रिक्शा चलाते थे। मैं अपने क्षेत्र खैरथल का उदाहरण देना चाहता हूं, लगभग पांच छात्र तो ऐसे हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य श्री रघुवीर सिंह मीणा।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): अभी कर रहा हूं। मीणाजी, आप बैठिये। आप शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी हो, सुनो, एक बात कहूंगा मैं सिर्फ, मैं आपकी बात कहूंगा, प्लीज। चलो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप मेरी बात मान गये।

मैं एक बात और कहना चाहता था कि यहां जो नौकरियों की बात के साथ-साथ मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट सत्र में घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति का ...

**श्री सभापति**: अभी सभी लोगों ने आसन के सम्मान की बड़ी गम्भीरता से चर्चा की थी।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): नहीं, प्लीज, प्लीज। जो उसको शून्य करने की बात कही इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को ...

**श्री सभापतिः** फिर हमको एक-दूसरे पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।

**श्री जयराम जाटव** (खैरथल): और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सभापति महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको उसमें सम्मिलित करता हुआ कुछ बातें निवेदन करना चाह रहा हूं, कुछ सुझाव दूंगा, सरकार की कमियों को भी उजागर करने की कोशिश करूंगा और सरकार ने कोई अच्छे काम किये हों, उनकी तारीफ भी करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके लिए पूरे राजस्थान का चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो इस उम्मीद के साथ पूरे साल भर इन्तजार करता है कि इस बजट में हमारे लिए कुछ न कुछ होगा और इस बजट दस्तावेज के पीछे इसके साथ ही राजनीति में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, उनकी क्रेडिबिलिटी भी जुड़ी हुई है, उनकी साख भी इसके पीछे जुड़ी हुई है।

आज हम बजट में घोषणाएं दुनियाभर की कर दें और उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर समय पर और सही नहीं हुआ तो राजनीति में काम करने वाले लोगों की साख गिरती है इसलिए यह नितान्त आवश्यक समझता हूं कि बजट दस्तावेज में जो घोषणाएं की हैं वो निश्चित तौर पर पूरी होनी चाहिए और समय पर होनी चाहिए तभी हमारी क्रेडिबिलिटी रहेगी।

पिछले बजट 2007-08 की चर्चा करें तो उसमें मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में मुख्य तौर पर तीन-चार बातों को प्रमुख रूप से स्थान दिया था। उसमें उन्होंने अलग से 54 परियोजनाएं पूरी करने के लिए राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया था, 38 नवाचारों को लागू करने की बात कही थी, तीन अभियान के जरिये राजस्थान का विकास करने की बात कही थी और दस सूत्र जो थे कुशल प्रशासन एवं सामाजिक सुधार के लिए पेश किये थे उसके अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहूंगा और, सभापति महोदय, इन संकल्पों के साथ काम शुरू किया था, बहुत बड़ी उम्मीद थी राजस्थान की जनता को और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले हर वर्ग को।

बजट में, पिछले साल भी बजट सरप्लस बताया गया, इस वर्ष भी

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सरप्लस बताया गया परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है मैं अगर करैक्ट नहीं होऊं तो जब सरकार जवाब दे उस समय इस बात को इंगित कर के और स्पष्ट कर सकते हैं।

मुझे याद है जब मैं पहली बार विधायक बन करके आया था तब तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी साहब थे। उन्होंने एक बात कही थी कि गरीब को गणेश मान कर हम काम करते हैं, तो उसी भावना से अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर गरीब का तभी भला होगा।

सरप्लस बजट बताया तो है, मैं ज्यादा आंकड़ों के जाल में तो फंसना नहीं चाह रहा हूं, तीन जनवरी, 1998 को पांचवे वेतन आयोग पर जो समझौता हुआ था उसमें यह था कि केन्द्र में जब-जब कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी तो राजस्थान में भी उसी दरमियान लागू हो जायेगी। यह समझौता तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी साहब और वित्त मंत्री हरिशंकरजी भाभड़ा थे, तो उनके अनुरूप कर्मचारियों को जो देना था, 50 परसेंट का डी.ए. देना था उसका करीब 32 महीने तक सरकार ने दिया नहीं। उसका 900 करोड़ रुपया करीब बनता। अब सभी देनदारियां पूरी करने के बाद अगर रुपया बच जाता है तब हम मान सकते हैं कि यह सरप्लस बजट रहेगा।

इस वर्ष जो बजट घोषित किया है उसमें 180 करोड़ सरप्लस बजट बताया है, 180.39 करोड़। अगर वो देनदारियां, जो कर्मचारी मांगते हैं सरकार से वो अगर चुका दी जाएं तो मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट 726 करोड़ के करीब घाटे का है। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है, चूंकि मुख्य मंत्रीजी ने जिद कर ली थी, 32 महीने का कर्मचारियों का पैसा नहीं दिया। इसके अलावा भी कोटा में जनवरी, 2007 में केबिनेट की मीटिंग हुई, चूंकि उसमें वरिष्ठ सदस्य भी हैं, मंत्री भी हैं, जो तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी साहब के चहेते भी हैं, इस मीटिंग में यह तय होना था कि वो जो 900 करोड़ है वो नहीं देना है, उसके बाद जो बनता है वो देंगे। तो उसमें सिर्फ 6 केबिनेट मंत्री, सीनियर, उन्होंने इस मीटिंग का विरोध किया और वो इस मीटिंग का बहिष्कार भी कर गये और उसके बाद भी सी.एम. साहब को जो करना था वो किया।

कुल-मिलाकर मुझे यह कहना है कि इस वर्ष के बजट में मुख्य मंत्रीजी ने बिलकुल ही जिक्र नहीं किया कि छठे वेतन आयोग की घोषणा हो जाती है तो देंगे, नहीं देंगे, कितना देंगे, कहां से देंगे। कोई जिक्र नहीं है।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

विश्वस्त सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि वित्त विभाग ने 20 परसेंट बजट की अलग से व्यवस्था रखी है। तो अगर आपने बजट पढ़ा और सदन में कोई जिक्र नहीं किया ...

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): यह सूत्र आप कहां से लाए?

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सूत्र तो अभी नहीं बताऊंगा मैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): बाद में?

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): बाद में।

तो सदन में घोषणा नहीं की और बाद में किसी तरह से अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर सदन को गुमराह करने वाली बात या भ्रम रखने वाली बात या राजस्थान की जनता को भ्रम में रख कर कोई काम करने का फैसला होगा। मैं यह मानता हूं।

चलो, यह लम्बी-चौड़ी बात करके मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने पिछले वर्ष जो बजट में घोषणा की थी, प्रमुख, प्रमुख लोग जो लाभान्वित होने चाहिए थे उनके बारे में ही चर्चा करूंगा क्योंकि राजस्थान लेवल से तो बहुत सारे वक्ता हैं, करेंगे, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो जनजाति बाहुल्य है, बहुत पिछड़ा हुआ और पहाड़ी क्षेत्र है, अभावों से घिरा हुआ है। राजस्थान में काम करने के लिए सरकार के लिए बहुत सारे वहां अवसर हैं और उन अवसरों के अनुरूप वहां के लोगों का काम करें तो निश्चित तौर पर भला हो सकता है।

पिछले बजट में सरकार ने बहुत सारी लम्बी-लम्बी घोषणाएं की थीं, उन घोषणाओं के अनुसार काम हुआ या नहीं हुआ, क्या पूरा हुआ यह मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

ट्राइबल सब प्लान इलाके में बी पी एल परिवार के लोगों को आश्वासन दिया था कि झौंपड़ी जल जाएगी तो दस हजार रुपये बी पी एल परिवार के लोगों को और गैर बी पी एल परिवार वालों को पांच हजार रुपये देंगे। तो ऐसे कितने लोगों की आपने मदद की, जब जवाब दें तो निश्चित तौर पर बताने की कृपा करें। प्रमुख-प्रमुख मुख्य बातें हैं उन्हीं को उजागर करूंगा बाकी तो बहुत लम्बी-चौड़ी जैसा मैंने यहां पर निवेदन किया कि 54 परियोजनाएं, 38 नवाचार, तीन अभियान, दस कुशल प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार के सूत्र थे, इन सब पर विचार करेंगे तो बड़ा लम्बा समय हो जाएगा। इसलिए कम समय में मैं कुछ बातों पर ही ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री  रघुवीर सिंह मीणा)

हाडी रानी आर्म्स फोर्स के गठन की योजना थी, क्या हो गयी, क्या कर दी? केवल महिला सशस्त्र सिपाहियों की बटालियन बनानी थी। बेरोजगारी भत्ता योजना की घोषणा की थी आपने, चार सौ रुपये ग्रेजुएट को, बच्ची को पांच सौ रुपये और छह सौ रुपये विकलांग को, राजस्थान में कितने बेरोजगारों को आपने भत्ता दिया? यह भी मेहरबानी करके बताने की कृपा करेंगे। (व्यवधान)

एक आपने, सरकार ने सबसे बड़ी गलती जो की है वह सबसे पहले पिछले साल के बजट में जो किया, आज तक इतिहास में किसी सरकार ने इतना गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाया जितना इस सरकार ने उठाया था। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, जनजाति उप योजना क्षेत्र में जहां टेम्परेंस प्रोग्राम चलता था, जहां शराबबंदी थी और गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से वहां सिर्फ तेइस पंचायत समितियों में 69 दुकानें थीं मात्र। जहां पर आदिवासियों को उनके कल्चर के अनुसार काम करने के लिए सस्ते दाम में शराब दी जाती थी, देशी शराब बारह रुपये का क्वार्टर, चौबीस रुपये का अद्दा और अड़तालीस रुपये की बोतल। उसके जरिए वह शादी ब्याह, मरण-मौत, देवी-देवताओं को पूजना वगैरह जो भी काम करते थे, इस सरकार ने उस आदिवासी का ध्यान नहीं रखकर मात्र तीन करोड़ रुपये के कारण, सात करोड़ रुपये गंगानगर शुगर मिल देती थी, तीन करोड़ रुपये के कारण करीब पैंतालीस लाख आदिवासियों को बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया।

आबकारी नीति के जरिये जहां प्राइवेट ठेकेदारों को शराब बेचने का लाइसैंस दे दिया, उन्होंने गली-गली में मंदिर, स्कूल सैंकड़ों, हजारों की तादाद में दुकानें खोल दीं और जो गरीब मजदूरी करके अपने बाल-बच्चों का पेट भरने के लिए घर पैसे लेकर आता था वह दारू की दुकान पर रखकर आया। वह गंगानगर शुगर मिल से लेकर प्राइवेट लोगों को दे दिया। सरकार ने पहला काम तो यह किया जो गरीब को मारने वाला काम था।

उसके अलावा नमक बांटने का काम, एक करोड़ का प्रावधान रखकर 5 लाख 67 हजार परिवारों में नमक बांटेंगे आयोडाइज्ड नमक, हमने देखा बढिया है सरकार की सोच, गरीब आदिवासी के दिमाग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमने माना कि सरकार ठीक कर रही है पर यह जब सामने आया कि नमक नकली है, खाने योग्य नहीं है और सांभर झील में जो नमक बनता

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

है वह नमक देना था परन्तु वह नहीं देकर नावां की किसी कम्पनी का दिया नकली नमक। जिसमें आयोडीन भी नहीं, कई तरह के तत्व उसमें नहीं थे और नाममात्र का नमक सब जगह बंटवाकर उस आदिवासी के साथ सिर्फ अन्याय ही नहीं किया, उसकी मजाक भी उड़ाई।

आरक्षण नीति के बारे में .....

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसकी जांच हुई, शत-प्रतिशत ठीक पाया गया इसके बावजूद भी अपने तथ्य गलत प्रस्तुत करें, यह ठीक नहीं है।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): आप मंत्री नहीं हैं, मंत्रीजी अपने आप जवाब देते रहेंगे टी ए डी के, आप तो महिला विभाग सम्भालो और मस्त रहो।

मेहरबानी करें, डिस्टर्ब नहीं करें तो बढ़िया ही रहेगा, वह घंटी बजा देंगे, मेरा ही काम बिगड़ जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आरक्षण नीति के बारे में समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। आज सुबह भी हंगामा हुआ, सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे थे परन्तु दुर्भाग्य है सरकार के मंत्रीजी ने उस बात को गोल कर दिया और गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहां जवाब दिया गया। मैं उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बात कह रहा हूं। जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाया था, 27 लोगों को बैक डोर एंट्री दी है। मैं अभी भी सवाल रखता हूं, जब जवाब दें मुख्य मंत्रीजी बता देवें कि 264 शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी में, एक भी आदिवासी जनजाति का व्यक्ति क्यों नहीं है। क्या कभी जानकारी करने की कोशिश की क्या? उनके अधिकारों का हनन किस तरह से हो रहा है, क्या रेस्पर एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, यू जी सी का उल्लंघन हो रहा है, इस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। हम यूं ही कह देते हैं कि कोई मिला ही नहीं।

मैं यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि आप पता करावें कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी या ट्राइबल सब प्लान इलाके में कितने ऐसे नवयुवक हैं जो पी एच डी हैं, मेट हैं, जो भी योग्यताधारी हैं उन लोगों को अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है?

दूसरा, सरकार ने जोधपुर यूनिवर्सिटी में तो आप हो इसलिए करा रहे हो, आपको धन्यवाद देना चाहिए, दे भी रहा हूं, जोधपुर यूनिवर्सिटी मात्र एक

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां बैकलॉग के लिए विज्ञप्ति निकली है और वहां बैकलाग पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु दूसरी जगह दूसरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी न तो रोस्टर रजिस्टर का प्रावधान है, न रोस्टर का ध्यान रखा जा रहा है, न यू जी सी के नियमों का पालन किया जा रहा है। अभी विधेयक भी जो आ रहा है उस विधेयक के जरिये भी इसी तरह का कुठाराघात एस सी और एस टी के लोगों के साथ होना है, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं।

दूसरा, ट्राइबल सब प्लान इलाके में मुख्य मंत्रीजी भी कई बार कह चुके हैं और बड़े-बड़े एड भी छपवाए हैं कि कैटेगरी एक से नौ तक और सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं मुख्य मंत्रीजी को। पर मैं यहां कहना चाह रहा हूं कैटेगरी एक से नौ तक, मेहरबानी करना, पांच मिनट रुक जाना, मैं बिलकुल तथ्यात्मक और नम्र निवेदन करना चाह रहा हूं कैटेगरी एक से नौ तक 1997 से अभी तक लागू है रिजर्वेशन, अभी आप धन्यवाद दिला रहे हो जनता से, धन्यवाद प्राप्त कर रहे हो। आपने उसके आगे किया उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रशासनिक सेवाओं के अतिरिक्त अब आपने मेंशन नहीं किया है उसमें कौन-कौनसी सर्विसेज हैं ।

मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यूनिवर्सिटी के लैक्चरर होंगे वह इस केटेगरी में आयेंगे या आपके अकाउन्ट्स सर्विसेज के जो लोग होंगे वह लोग इसमें आयेंगे1 इन सारी चीजों को आप मेंशन करें कि ये-ये सर्विस होंगी जिसमें वहां से ट्राइबल सब प्लान इलाके में रहने वाले आदिवासियों के लिए 45 प्रतिशत अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान है यह आप मेंशन करें। खाली गोल-मोल बात करने से काम नहीं चलेगा।

दूसरा, अगर आपकी मंशा साफ है तो अभी अध्यापकों की भर्ती हुई थी बी एड में वह तीस हजार में से सत्ताइस सौ करीब वेकेन्सी बनती थी 45 प्रतिशत के हिसाब से परन्तु आपने लिये कितने 400, यह क्या न्याय कर रहे हो? जहां अस्सी प्रतिशत आदिवासी रहते हैं वहां उनको तीस हजार में से चार सौ लोगों को बी एड में भर्ती कर रहे हो, यह कौनसा न्याय हो रहा है। इसलिए मेहरबानी करें।

खनन नीति की जहां बात है आज भूरिया कमेटी की सिफारिश के

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

अनुसार ट्राइबल सब प्लान इलाके में खानें कैसे अलॉट होनी चाहिए मुझे कोई किसी का विरोध नहीं है, कुछ भी नहीं है, करना चाहिए सब को करो परन्तु वहां के लोगों को भी तो आगे बढ़ाने का कुछ सोचो। 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था संता वर्सेज आंध्रा एण्ड अदर स्टेट उस फैसले को गोल कर गये।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे बड़ी उम्मीद लगाये हुए हूं। सम्पूर्ण उदयपुर सम्भाग आदिवासी बाहुल्य है वहां अनपढ़ कहो, चाहे जान बूझकर अनजाने में आपस में लोगों में झगड़े टंटे होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, केसेज होते हैं और कोई-कोई ऐसे केस होते हैं जिनमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। जोधपुर के अलावा कहीं जा नहीं सकते और वहां का गरीब आदमी जोधपुर जाने की स्थिति में नहीं रहेगा। लम्बे समय से मांग चल रही है उदयपुर में हाई कोर्ट की ब्रांच खुलनी चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पर मांग करूंगा और इस मांग पर हमारे गृह मंत्रीजी उसी सम्भाग से हैं और वहीं से हैं, निश्चित तौर पर वह भी सहमत होंगे, हमारे चपलोत साहब भी उसी क्षेत्र से हैं, निश्चित तौर पर पूरे जो भी इस सम्भाग के हैं सभी इसमें सहमत होंगे। वहां हाई कोर्ट ब्रांच की मांग लम्बे समय से चल रही है और होना चाहिये ताकि वहां के गरीब आदमी को लाभ मिल सके।

पेयजल योजना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। जयसमन्द झील से लिफ्ट करके पानी फिल्टर प्लांट बनाकर और पिछली गवर्नमेंट के समय योजना स्वीकृत हुई थी 6 करोड़ के आस-पास, 5 करोड़ 70 लाख थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के जयसमन्द के अन्दर 13 गांव करीब पाइप लाइन से पीने थे पर यह सरकार जब से बनी है तब से वह पाइप लाइन वहां से हिली नहीं, न पानी आगे गया है। अधिकारियों ने फलां महीने, एक महीने बाद, पन्द्रह दिन बाद, परन्तु उस बात को भी एक साल हो गया ... (व्यवधान)

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

अभी तक तो हिले ही नहीं हैं। मुझे कोई इस सरकार से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है पर मैं सरकार का ध्यान निश्चित तौर पर आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

सबसे बड़ी चाल सरकार की खेल नीति पर देखो। कितनी लम्बी सोच है ? खेल नीति जो बनायी सरकार ने, पिछली बार जो पैकेज दिया है पिछले बजट में ओलम्पिक में स्वर्ण जीतने वाले को 15 लाख, रजत वाले को 10 लाख, कांस्य वाले को 5 लाख, एशियन गेम्स जीतने वालों में स्वर्ण 5 लाख, रजत को 3 लाख ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य रामलालजी शर्मा।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): एक मिनट माननीय सभापति महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** यह आपको मैंने अलग से तीन मिनट का डिस्काउंट दिया है।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): थोड़ा दो मिनट का डिस्काउंट दे दीजिए ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** नहीं-नहीं, गलत बात ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): खिलाडियों के हित में कह रहा हूं ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय रामलालजी शर्मा।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): राम लालजी, प्लीज ... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्यः** दे दो। कोई अगर ढंग की बात हो तो सुनने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

**श्री सभापतिः** चलो आपके पड़ोसी कह रहे हैं, आपको डेढ़ मिनट का समय और दे रहा हूं।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): एशियन गेम्स के लिए 5 लाख, 3 लाख और 1.50 लाख। कामन वैल्थ में 5 लाख, 3 लाख और 1.50 लाख। नेशनल गेम्स में 1.50 लाख, 75,000 और 25,000, अब एक शार्क गेम होता है। वह भी अन्तरराष्ट्रीय गेम है पर सरकार कितनी गम्भीर है उसे भूल ही गयी है। तो इससे इनकी गम्भीरता का पता चलता है कि सरकार कितनी गम्भीर है खेलों के प्रति। बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थी तहसील स्तर पर बन जायेंगे, जिला स्तर पर बन जायेंगे, सम्भाग स्तर पर खेल के मैदान बन

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

जायेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या यह सारे बन गये? आपने कहा कि खेल केन्द्रों पर संचालन हेतु राज्य स्तर पर बारहवीं कक्षा पास 349 छात्रों को अनुबंध पर संयोजक नियुक्त किये जायेंगे, कर दिये क्या? (व्यवधान) कर दिये ना ... (व्यवधान)

**श्री यूनूस खान** (यातायात मंत्री): कर दिये। नियुक्ति पत्र दे दिये, ट्रेनिंग करवा दी।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ठीक है उसके लिए आपको धन्यवाद। रोडवेज के किराये पर बता दूं। (व्यवधान)

एक काम सरकार ने बहुत जोरदार किया। मैं यह अंतिम मेरी बात कहकर समाप्त करता हूं। गायों का कुछ हुआ कि नहीं हुआ यह तो मुझे जानकारी नहीं है। गाय कई मर गयीं। कई बाड़ों में और कई कैम्पों में मर गयीं परन्तु आपने एक काम जोरदार किया है। कुत्तों का टीकाकरण 4103 संख्या। पोस्ट बाइट चिकित्सा, 231 कुत्तों का पंजीकरण हरिमोहनजी, सुनो ना आप। 1456 ... (व्यवधान) +++

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): +++ ? (व्यवधान) +++ थोड़े ही हैं।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): कुत्तों के टीकाकरण ... (व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह हम भी नहीं समझ पाये कुत्तों का नाम ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): सुनो ना आप। ... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह हमारे जिगर का टुकड़ा है आपको याद है कि नहीं है ... (व्यवधान) रघुवीर मीणा पूरे उदयपुर सम्भाग में जो भी आप इधर-उधर बैठे हुए हो ना सबसे हीरो हैं यह ... (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): तभी टीकाकरण कर रहे हैं आपका ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, समझने वाले समझ गये, आप बीच में व्यवधान न करें।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): कुत्तों का बधियाकरण 176, कुत्तों की डीबर्मिंग 3915, अब गायों को भी कुछ कर दो। भेड़ों का भी कुछ कर दो। भैंसों का भी कुछ कर दो मंत्री महोदय।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार को अभी कहना चाह रहा हूं कि खाली साड़ियां बांटने से, घाघरे बांटने से वोट नहीं मिलेंगे। आपको राज में आना है तो मेरे एक पड़ोसी विधायक हैं ... (व्यवधान)

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य राम लालजी शर्मा।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): जिनका नाम मैं नहीं लूंगा उनसे पूछो क्या-क्या बांटना पड़ता है राज में आने के लिए, जीतने के लिए तो वह तरकीब बतायेंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति:** आपने सूचना दी उसके लिए धन्यवाद।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा सराड़ा से आने वाले विधायक ने कहा कि स्केल नम्बर 1 से 6 ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): 1 से 9 ... (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): 1 से 6 भी भैरोंसिंहजी की कृपा से शिड्यूल्ड एरिये में 45 परसेंट ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): हां तो 1997 बोला ना मैंने ... (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): और उसके बाद आपकी सरकार फिर पांच साल रही फिर भी स्केल नम्बर 9 तक भी हमको ही स्वीकृत करना पड़ा उस ट्राइबल एरिये के लोगों के पक्ष में ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): नहीं, आपने नहीं किया। वह भैरोंसिंह जी के समय हो गया था। माननीय भैरोंसिंहजी के समय हो गया था। अशोक गहलोत सरकार ने मेडिकल में पी एम टी और पी वी टी में 45 प्रतिशत आरक्षण दिया है ... (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): केवल मेडिकल में ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): एक मिनट। ऐसा है ... (व्यवधान) यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ... (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): कांग्रेस राज में उदयपुर डिवीजन में ... (व्यवधान) अगर यह 45 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की है तो यह भैरोंसिंह जी के सरकार के टाइम में हुआ है ... (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 125 करोड़ दिये हैं ... (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): कांग्रेस के लोगों ने तो रोटियां सेकने का काम किया है ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): आपसे तो हमें उम्मीदें हैं। इनसे कुछ नहीं हुआ, आपसे कुछ उम्मीदें हैं कुछ करके दिखाइये। यह चार, छह महीने हैं अभी आप ... (व्यवधान) बात कर रहे थे ना हमें तो करना है ... (व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उस समय जनजाति विकास मंत्री दयारामजी परमार थे। अशोक गहलोतजी मुख्य मंत्री थे। यह सामने बैठे थे और मैं उप चुनाव जीतकर आया था। उस समय बड़े परेशान हो रहे थे। आंखों में आंसू आ गये। मुझे दस करोड़ रुपये मिले, मैं कहां से लाऊं ? मैं मुख्यमंत्री को कैसे बोलूं ? पचास बार निवेदन कर दिया, नहीं मिले और अब 125 करोड़ रुपया मिला है और इतना विकास का काम हुआ और 125 करोड़ यह कोई कम होता है क्या ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): वह कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो। वह महाराष्ट्र पैटर्न का मैथड है। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है ... (व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): पत्र व्यवहार किया था। टेलीफोन से भी कभी सम्पर्क नहीं हुआ। ऐसे काम हुए हैं ... (व्यवधान) आप इसको पढ़ो ना ... (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): रघुवीर सिंहजी, आप तो जयसमन्द के आस-पास रहते हो। मच्छियां खा जाते हो। आपके यहां टीबी और ... (व्यवधान) नमक में आया है ... (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): ऐसा है 125 करोड़ कोई मेहरबानी नहीं है। महाराष्ट्र पैटर्न की मूल भावना है। महाराष्ट्र पैटर्न की मूल भावना यह है कि आपने ... (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ... (व्यवधान) हो रहा था इससे मुक्ति दिलायी है इसका भी आपको आभास है क्या ? (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): यह कोई अहसान कर रहे हो क्या? (व्यवधान)

**श्री सभापति:** चलो, आप दोनों माननीय सदस्यों ने एक-दूसरे को अपनी जानकारी की सूचना दे दी है। सब को धन्यवाद। माननीय रामलालजी।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो इस पवित्र सदन के अन्दर बजट रखा है उस बजट की चर्चा में अपने आपको शामिल करते हुए इतना मैं जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक भी वर्ग को ऐसा अछूता नहीं छोड़ा जिसके बारे में इस बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं किया हो या उस वर्ग के बारे में कोई चिन्ता नहीं की हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बातें मात्र रोजगार तक सीमित रखूंगा चहुंमुखी विकास की बात नहीं करूंगा क्योंकि पूरे विकास की बात करुंगा तो काफी लम्बा समय लगेगा। मेरा यह मानना है और लोगों का भी यह मानना है जब तक व्यक्ति के भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं की जाती, जब तक व्यक्ति के पेट की भूख को शांत करने की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उस व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह समाज के अन्दर सकारात्मक भूमिका निभाने का काम करेगा या वह समाज के अन्दर सभी रचनात्मक पहलुओं के अन्दर अपना सहयोग देगा। माननीय सभापति महोदय, जहां एक ओर सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि पेट की भूख आदमी को अपराध की ओर अग्रसर करती है और यदि पेट की भूख को शांत कर दिया जाए तो सामाजिक कामों की गतिविधियों के अन्दर भी अपने आपको शामिल करता है।

पिछले चार साल में प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अनेकों युवाओं को रोजगार देकर जो युवा आत्महत्या के कगार पर खड़ा था उन युवाओं के आंसू पोंछने का काम किया है। रोजगार देकर उस परिवार को सम्बल देने का काम किया है जो दर-दर की ठोकरें खाया करता था। स्नातक या स्नातकोत्तर करने के बावजूद भी उसको दो हजार की नौकरी मिलना भी मुश्किल था। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार के अन्दर उस पढ़े लिखे युवक को बारह सौ रुपये देकर अपमानित करने का काम जरूर उस सरकार ने किया था।

माननीय सभापति महोदय, कुछ आंकड़े मैं आपके सम्मुख पेश करूंगा

(श्री रामलाल शर्मा)

कि सरकार ने पिछले चार साल में जहां शिक्षा विभाग में प्रारम्भिक शिक्षा में 59,045 युवाओं को रोजगार दिया, संस्कृत विभाग में 867 युवाओं को रोजगार दिया और जिन महिलाओं के साथ प्रकृति ने अन्याय किया है, भगवान ने उनके साथ अन्याय किया है उस गरीब, हीन, विधवा और परित्यक्ता ऐसी 3,759 ऐसी महिलाओं को नौकरी देकर सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है।

सभापति महोदय, लगभग 525 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, 1496 व्याख्याताओं की नियुक्ति, 2359 वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति और 284 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति, इतनी नियुक्तियां तो मात्र शिक्षा विभाग में हुई हैं। जो 1200 रुपये की नौकरी करने वाले पैरा टीचर्स कांग्रेस सरकार में लगे थे, सरकार ने उनका भी ध्यान रखकर के उनका मानदेय, वेतन बढ़ाने का काम भी किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्मिक थे, जो लोक जुम्बिश में काम करते थे, जो डीपीईपी में काम करते थे, जो शिक्षा कर्मी थे उनको भी अन्य विभागों में समायोजन करने का काम भी इस सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, इस सरकार ने अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी, जिनका मैं उल्लेख अलग-अलग विभागों के माध्यम से करना चाहूंगा। गृह विभाग में 935, रोडवेज में 330, परिवहन में 15, वन विभाग में 217, महिला बाल विकास में 217, पशुपालन में 54, शिक्षा विभाग में 2167 और इतनी नियुक्तियां इन विभागों में अनुकम्पा के आधार पर पहली बार एक साथ की गयी।

सभापति महोदय, मात्र सरकारी नौकरियां मिलना ही पर्याप्त नहीं है, सरकार ने ऐसे अनेक अवसर उपलब्ध कराये जिनके माध्यम से भी रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हुए। मैं एक छोटा-सा उदाहरण मेरे क्षेत्र का देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में भी सरकार ने आईटीआई का एक संस्थान खोला और आज लगभग सौ सीटें उस आईटीआई में हैं। तीसरा बैच आईटीआई के माध्यम से संचालित है, मेरे क्षेत्र में जैतपुरा और कालाडेरा दो इंडस्ट्रियल एरिया हैं और आज उस आईटीआई की स्थिति यह है कि वहां पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, एक भी छात्र रोजगार पाने से वंचित नहीं है और जब उसकी पढ़ाई का समय पूरा होता है उससे पहले ही बांड भराकर के उन छात्रों को रोजगार के अवसर दिये जाते हैं। मात्र सरकारी संस्थानों के माध्यम से ही

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं, सरकार ने विभिन्न आईटीआई खोलकर के, विभिन्न शिक्षा के कालेजों को एनओसी देकर के प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम किया है।

सभापति महोदय, जहां एक ओर 2003 में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की संख्या 23 थी, अभी वर्तमान में 2008 में इस प्रदेश में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 40 हैं, आईटीआई की संख्या जहां 152 थी, आज 430 पूरे प्रदेश में संचालित हैं। सरकार ने पहली बार पैरा मेडिकल कार्सेज शुरू करके लगभग 6 महाविद्यालय पूरे प्रदेश में संचालित किये जहां पर 755 सीटें संचालित हैं और उन सीटों के माध्यम से पैरा मेडिकल कोर्स के अंदर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। जहां एक और इंजीनियरिंग कॉलेज 2003 में 39 थे, आज 64 कालेज प्रदेश में संचालित हैं। मैं चाहे एमसीए की बात करुं या एमबीए की बात करूं या फार्मेसी की बात करूं, बी.एड. के माध्यम से भी जो छात्रों का शोषण हुआ करता था, राजस्थान के बाहर जाकर, जहां नर्सिंग की ट्रेनिंग करने के लिए छात्र जाते थे उनको फीस के माध्यम से प्रेक्टिकल में फेल करने के डर से, अनुपस्थिति के कारण हजारों छात्रों का जहां शोषण हुआ करता था और उनसे मोटी राशि फीस के रूप में वसूली जाती थी। सरकार ने लम्बा दायरा करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों महाविद्यालय इस प्रकार के खोले हैं। अनेकों फार्मेसी के कालेज खोले हैं। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को मान्यता देकर के हजारों छात्रों के साथ होने वाले शोषण से मुक्ति पाने का काम भी किया है। सभापति महोदय, सरकार ने मात्र रोजगार के अवसर ही नहीं, विकास के नाम पर भी मैं बात करूं, कृषि विभाग के द्वारा भी अनेकों मंडियों को खोलकर वहां पर स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने का काम किया है। जहां एक ओर मेरे क्षेत्र में भी पैक हाउस बना है, उसके बनने के बाद में हमारे क्षेत्र के युवा किसान भी बाहर विदेशों में फल और सब्जियों का निर्यात कर रहे हैं। उसके अवसर भी उपलब्ध कराने का काम सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मुझे आज भी वह दिन याद है, दिसम्बर, 2003 में पहली बार मुझे जयपुर विकास प्राधिकरण में जाने का मौका मिला था और जब मैं वहां आयुक्त साहब से मिला था तो उन्होंने उस समय कहा था कि विकास के कामों की स्वीकृति नहीं हो सकती है और यह इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अभी भी ओवर ड्राफ्ट जेडीए के अंदर जारी है। लेकिन आज

(श्री रामलाल शर्मा)

मुझे खुशी है कि मेरा एक छोटा-सा विधान सभा क्षेत्र है जहां मात्र दो ग्राम पंचायतें हैं और एक नगर पालिका का क्षेत्र है और आपको बताते हुए खुशी है कि लगभग 30 करोड़ रुपयों के विकास के काम उस विधान सभा क्षेत्र में चल रहे हैं और उन विकास के कामों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। जहां रोड बनती है वहां पत्थर भी काम में आते हैं, पत्थर निकालने में भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जहां पत्थरों को ढोने के लिए ट्रेक्टर ट्राली की आवश्यकता भी पड़ती है वहां पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जहां व्यापार करने वाले चाहे वह सीमेंट बेचने वाले हों, चाहे लोहा बेचने वाले हों, वहां पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि इतने विकास के कामों के माध्यम से भी इस सरकार ने हजारों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आने वाली सरकार में जहां प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री ने पदों के अंदर यह प्रावधान किया है कि हम रोजगार के द्वारा भी सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार देने का काम करेंगे। इस प्रदेश का युवा इस सरकार को आशा भरी निगाहों से देखता है और आज उनके मन में इतनी संतुष्टि जरूर है कि पिछले पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने जहां युवाओं को दर-दर की ठोकरें खाने के ऊपर मोहताज कर दिया था, आज इस सरकार ने ऐसे लाखों युवाओं को रोजगार देकर के सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बिना टोके यह अवसर उपलब्ध कराया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से प्रदेश की मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट पेश करके सभी वर्गों की संवेदनाओं के साथ अपने आपको जोड़ते हुए आने वाले भविष्य में उन सभी वर्गों का ध्यान रखने का काम किया है, धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** माननीय रामलालजी, आपको धन्यवाद। आपने नौ मिनट में अपनी पूरी बात कह दी। माननीय बंशीलालजी खटीक। आपको अपना विषय मात्र दस मिनट में पूरा करना है और मैं आशा करता हूं कि आप समय का ध्यान रखेंगे।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): सभापति महोदय, यह समय मेरे में नहीं जोड़ा जाये। आज बड़े हर्ष का विषय है मेरे लिये कि मुझे बजट पर बोलने

(श्री बंशीलाल खटीक)

का आप मौका दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदया जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष हुआ करती थी और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, राजसमंद जिले से उन्होंने परिवर्तन यात्रा शुरू की प्रभु श्री चारभुजा नाथजी के चरणों में प्रार्थना करके, इस प्रदेश की जो स्थिति थी उससे आप सभी वाकिफ हैं। पूर्व में इस प्रदेश की सरकार चलाने वाले लोग इस प्रदेश को बीमारू छोड़कर निकल गये थे। प्रदेश की जनता ने माननीय वसुंधराजी के समर्थन में निर्णय करके उनको प्रदेश के मुख्य मंत्री का दायित्व दिया। परिवर्तन यात्रा के समय प्रदेश की ढाणी-ढाणी, गांव-गांव, मजरे-मजरे में जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी आंखों से स्थितियां देखी। देश आजाद होने के इतने सालों के बाद भी उस गरीब के घर में किसी ने चिमनी नहीं जलायी। किसी ने उसका दु:ख-दर्द नहीं देखा। लेकिन मुख्य मंत्री महोदया ने अपनी आंखों से उसकी झौंपड़ी में जाकर उसका दु:ख-दर्द देखा और प्रभु श्री चारभुजा नाथजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे यह अधिकार दो कि मैं इस प्रदेश की जनता के दु:ख-दर्द का समाधान कर सकूं।

सभापति महोदय, जो स्वच्छ मन से प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है और इस प्रदेश की जनता ने प्रभु श्री चारभुजा नाथजी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष वसुन्धराजी को प्रदेश की मुख्य मंत्री बनाया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जो उस समय कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जो प्रदेश की जनता हर प्रकार से तबाह हो चुकी थी, परेशान थी, किसको जाकर कहें, ऐसी पूर्व की सरकार से हमारी जनता बहुत दु:खी थी परन्तु उसी जनता के दु:ख-दर्द को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी विकास यात्रा शुरू की, इस प्रदेश को नए आयाम देने के लिए, इस प्रदेश को उच्च श्रेणी में लाने के लिए इस प्रदेश के दु:ख-दर्द का समाधान करने के लिए उनके मन में जो मनोकामना थी, उन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही यह यात्रा शुरू की।

यह उनका पांचवां बजट है, इस बजट के पूर्व के चार बजटों ने हमारे प्रदेश का जो कायाकल्प किया है, वह कायाकल्प आज प्रदेश की जनता जान रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट दिया है, मानवीय गुणों को देखते हुए, आम जन को

(श्री बंशीलाल खटीक)

लाभ पहुंचाने के जो काम किए हैं, मैं इसको चार भागों में बांटता हूं। मानवीय व्यवस्था है, जनम, परण, शरण और मरण। मैं जनम से शुरू करता हूं। इस प्रदेश में हमारी महिलाएं प्रसव पीड़ा से परेशान होकर मर जाती थीं, उनके दु:ख को दूर करने वाला कोई नहीं था, उनका इलाज करने वाला कोई नहीं था, उनको समय पर दवा देने वाला कोई नहीं था लेकिन एक महिला होने के नाते हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पहले जननी सुरक्षा योजना चलाई। माननीय सभापति महोदय, जननी सुरक्षा योजना जहां से उत्पत्ति होती है मानव की, उसको ठीक करना। जब महिला प्रसव की पीड़ा से जूझती है, उसको पहले हास्पिटल में जाने के लिए प्रेरित किया गया और उस महिला की यदि हास्पिटल में डिलीवरी होती है तो उसके पहले सरकार द्वारा उसकी देखरेख की जाती है, टीकाकरण किया जाता है और खुराक दी जाती है इससे आराम से प्रसव होता है। यही नहीं उसके जापे-धापे के लिए, उसकी अजवाइन और सूंठ के लिए, उसकी तन्दुरस्ती के लिए, बच्चे की तन्दुरस्ती के लिए सरकार ने सत्रह सौ रुपए की भी व्यवस्था की है। सभापति महोदय, आज दिन तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो मानव कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं वे काबिले तारीफ हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उनके मन में एक तड़प है और उस तड़फ में उन्होंने घोषणा ही नहीं की, उसको साकार भी किया है, उन्होंने इसको बजट में समावेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आता हूं परण पर, जब जनम हो गया तो परण तो होना ही है। मानव को मानव की व्यवस्था में चलना पड़ता है और उसका परण होता है और परण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सहयोग किया है, स्वस्थ व्यक्ति तो शादीशुदा हो जाता है परन्तु कोई विकलांग है, नि:शक्त है तो उसके साथ शादी कौन करेगा, वह सोचता है मैं कैसे शादीशुदा होऊंगा तो उसकी भावना को भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने साकार किया है, विकलांग विवाह योजना, यदि विकलांग की जोड़ी की व्यवस्था हो जाती है तो उसको बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग से उसको विकलांग विवाह के लिए बीस हजार रुपए दिए जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्रीजी का भी बहुत आभारी हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने बजट में इसकी व्यवस्था की और उसका आकार बढ़ाया।

(श्री बंशीलाल खटीक)

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सभापति महोदय, आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा कि किसी के घर में उसके मुखिया की मौत हो जाती है और उसकी बच्ची शादी के लायक होती है और उसका कौन रखवाला? मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी रखवाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके विवाह में कन्यादान के लिए, विधवा की पुत्री के विवाह में दस हजार रुपए देने का आज दिन तक किसी ने नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, हमारे समाज में कुछ जातियां ऐसी होती हैं कि अठारह-उन्नीस वर्ष की आयु में किसी कारणवश या कोई दुर्घटनावश किसी के पति की मौत हो जाती है तो वह बाकी का जीवन किसके सहारे निकाले, कई हमारी जातियां होती हैं, कई नातायत कौम होती है, लड़की नाते जाती है, उसका घर बार और अलग बसाया जाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए विधवा पुत्री विवाह में दस हजार रुपए देने का, यह भी किया है, विधवा पुत्री विवाह उसके लिए पन्द्रह हजार रुपए की व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है। हमारे समाजों में कम खर्च में शादी को प्रेरित करने के लिए, लोग विलासिता पर ज्यादा खर्च न करें इसके लिए, सामूहिक विवाह योजना, इसमें भी हमारी सरकार व्यवस्था करती है।

माननीय सभापति महोदय, शादी हो गई, बच्चे जवान हो गए, रोजगार की आवश्यकता होती है, हमारी सरकार ने युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, यदि हमारा कोई युवा बेरोजगार परेशान है, वह रोजगार कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, यह मौका है, इसे मुझे मत छोड़ने दो, यह आप घण्टी मत बजाना, विशेष रूप से मेरी तरफ थोड़ा ध्यान रखना। अभी तो मेरी मांग है वह करनी है।

**श्री सभापतिः** सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक से मैं निवेदन करूंगा कि आगे जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनके 20-25 मिनट कट जाएंगे।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): हां, काट दो आप, मेरे में जोड़ दो।

**श्री सभापतिः** आप कैसे कह सकते हैं कि काट लो।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): हमारे मुख्य सचेतकजी से कह देंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दे दो।

**श्री सभापति**: राठौड़ साहब, आप भी नहीं कह सकते हैं, यह अधिकार केवल माननीय महावीरजी को ही है, आप अधिकारों का अतिक्रमण न करें।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): महावीरजी, बोल दो न, यह अच्छा बोल रहे हैं, इनके नाम पर क्यों आपत्ति कर रहे हो, अब काफी सुधार आ गया है।

**श्री सभापति:** यह तो अधिकार माननीय महावीरजी को ही है, आपमें से किसी को नहीं है, अगर वह कह देंगे इशारे में तो काट लूंगा समय।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): पांच मिनट और बढ़ा दो।

**श्री सभापति:** बोलिए आप।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, शादी हो गई, बूढ़े हो गए, बुढापे में शरण की आवश्यकता होती है। हमारे वृद्धजनों को, वरिष्ठजनों को यदि कोई बेटा अपने माता-पिता के प्रति न्याय नहीं करता है तो उसके लिए वृद्ध श्रवण योजना चलाई है। हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं के द्वारा...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): अब आप अपनी खास बात पर आ जाओ।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): हां आ रहा हूं। कृषक साथी योजना। (व्यवधान) रघुवीरजी, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला इसलिए आप मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो। अब मैं मेरी मांगों पर आ जाता हूं। इस बजट में...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब इनके बारे में तो कुछ बोलो न।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): अब मैं मरण पर आता हूं। कांग्रेस के लोगों का मरण तो उसी समय हो गया जब 1885 में एक अंग्रेज अफसर सर ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इनकी स्थापना भी अंग्रेज ने की और इनका समापन भी अंग्रेजों के हाथों ही होगा।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): मैं यही बात कहने वाला था लेकिन आपने कह दी। जहां से रवाना हुई वहीं पर वापस कांग्रेस आ गई है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): स्थापना और अंत पर कांग्रेस पर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आरोप लगा रहे हो, पर आप तो खुद अपना ही अंत कर लोगे, आप इसलिए बधाई के पात्र हैं कि आप अपना अंत स्वयं ही कर लेंगे, धन्यवाद।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): हरिमोहनजी, डोंट डिस्टर्ब मी। (व्यवधान) यह थोड़ी-बहुत अंग्रेजी आ जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र दो भागों में बंटा हुआ है, रेलमगरा पंचायत समिति और राजसमंद।

रेलमगरा पंचायत समिति एक तहसील मुख्यालय है। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि रेलमगरा तहसील मुख्यालय को उप खण्ड कार्यालय में परिवर्तित किया जाए और उप तहसील कुंवारिया है उसको तहसील में क्रमोन्नत किया जाए और जो हमारी राजसमंद झील है, आज सबसे पानी के संकट में, पेयजल के संकट में, सिंचाई के संकट में, हमारा राजसमंद जिला है। मैं इस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय सिंचाई मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि खारी फीडर पर उन्होंने 6 करोड़ रुपये देकर जो पानी की आवक झील में बढ़ाई है, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके साथ में, देवास योजना चल रही है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी मोहन लालजी सुखाड़िया ने इस देवास योजना को शुरू किया था और भविष्य की मांग को ध्यान में रख कर इस योजना को बनाया था और वागड़ क्षेत्र का 1400 एमसीएफटी पानी सागरमती गुजरात में जा रहा है। उसकी दिशा बदल कर जो टनल के माध्यम से ग्रेवेटी के आधार पर उदयपुर क्षेत्र की ओर लाना निश्चय हुआ था। मेरा जब जन्म हुआ था उस समय यह कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ था, 1963 में और इसकी प्रथम स्टेज का डेम बोराणा में बन कर 200 एमसीएफटी की आवक प्रारम्भ हुई और द्वितीय फेज आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी माननीय वसुंधराजी ने यह शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि उस योजना को नंदसमंद से जोड़ कर राजसमंद झील की खारी फीडर के माध्यम से राजसमंद झील में पानी लाया जाए तो हमारा राजसमंद जिला पूरा पानी के, पेयजल से, सिंचाई से उसका समाधान हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, जो केलवाड़ा से कपासन रोड है जो वाया पोडा रेलमगरा होते हुए, गिलूण्ड होते हुए जाता है...

**श्री सभापति**: यह सारे विषय आपके कटमोशंस में आएंगे, उसमें रखें आप।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): रख दिया उसमें, और यह मौका है न।

**श्री सभापति:** यह बजट पर नहीं आते, यह आपके सारे विषय कट मोशंस में आएंगे, सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, आप उसमें रखें।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): स्टेट हाई-वे घोषित किया जाए और मेरा जिला चिकित्सालय, राजसमंद है, सौ बेड का है उसको 200 बेड का किया जाए और सिटी स्केन जो महत्वपूर्ण मशीन है...

**श्री सभापति:** यह सारे विषय कटमोशन में आएंगे।

**श्री बंशीलाल खटीक** (राजसमन्द): धन्यवाद, आपने समय दिया।

**श्री सभापति:** हां, धन्यवाद। माननीय सदस्य, खुशवीर सिंहजी, एक मिनट, आपकी पार्टी का जो मेरा पास यह आया है कागज मात्र केवल 37 मिनट का समय है और माननीय चार सदस्य आपके बोलने वाले हैं, उस हिसाब से आप चारों सदस्य तय कर दें। माननीय खुशवीर सिंहजी।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): कम से कम 15 मिनट तो दें, सभापति महोदय। धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, हाल ही में ... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय वाद-विवाद हो जाए उसके बाद बोलूं। सभापति महोदय, हाल ही में हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया है और बजट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, अच्छी बातें हैं। कुछ बातें तो बहुत ही सराहनीय हैं। मैं आपको सबसे जो अच्छी बात इसमें जो मुझे लगी है मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले बताएंगे। (व्यवधान) वह तो मुझे बताना है, क्या करना है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद है कि एक रि-साइकल वाटर जो एक योजना मुख्य मंत्रीजी ने रखी है, यह वास्तव में आने वाले समय के लिए एक संदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ पानी की कमी होती जा रही है हमारे और दूसरी तरफ पानी का दुरुपयोग होता जा रहा है। उस पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने जो पहल की है, मैं उनका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और 60 प्रतिशत से अधिक यहां आज भी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, पिछले चार वर्षों में सरकार ने सिंचाई के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, किसानों के कृषि कार्य हेतु रबी फसल के लिए 7 से 8 घंटे प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति, जहां वर्ष 2003-04 में वित्तीय प्रावधान 73 करोड़, 2008-09 में

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

माननीय मंत्री महोदय, फिर आप बात कर लें। (व्यवधान) माननीय मुख्य सचेतक महोदय, पहले उनकी बात हो जाए, महावीरजी की। (व्यवधान) सभापति महोदय, वर्ष 2008-09 में उसको बढ़ा कर सात गुना अधिक कर दिया, वर्ष 2003-04 में 1178 क्विंटल बीडर सीड, उसको आठ गुना बढ़ा दिया, वर्ष 2007-08 में, 2003-04 में मात्र 2748 करोड़ रुपये कृषि ऋण के मुकाबले इन्होंने 8130 करोड़ रुपये कर दिया। कृषि कनेक्शन देने के संबंध में इन्होंने एक लाख से अधिक दावा किया है। मेरी सरकार ने गत वर्षों में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक हैक्टेयर की सिंचाई की क्षमता का सृजन किया है। शासन की बागडोर सम्भालने के बाद 173 लम्बित परियोजनाएं हैं उनको माइनर सिंचाई योजना 149 पूर्ण कर ली गई हैं, 7 में से 6 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। 7 में से 3 बड़ी परियोजनाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं, सभापति महोदय, और कृषि पर वर्ष 2002-03 में 604 करोड़ रुपये व्यय हुए और जब कि 2008-09 में 1318, जस्ट डबल।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि यह एक व्यवस्था पर हमें सोचना होगा। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद में इतना पैसा, इतनी भारी रकम खर्च होने के बाद में हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, उत्पादन नहीं बढ़ा है, यह बड़े दुःख की बात है। यह पैसा कहां लीकेज हो रहा है? सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्ष 2003-04 में प्रोडक्शन था हमारा 18 मिलियन टन और आज इतना मुख्य मंत्रीजी ने बताया करोड़ों करोड़-रुपये खर्च हो गये, कृषि पर सिंचाई पर और आज प्रोडक्शन हुआ है 15.15 मिलियन टन, मतलब, 3 मिलियन टन प्रोडक्शन हमारा घटा है। बढ़ा नहीं है, तो यह मात्र वादे-वादे ही रह गये और यह आंकड़ों में ही उलझ कर रह गया है। सभापति महोदय, इस बार सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट था वन और वन को एक अगर राजस्थान की लाइफ लाइन भी हम कहें तो कम नहीं होगा क्योंकि वन से हमारा पर्यटन जुड़ा हुआ है, वन से आम नागरिक कि, परोक्ष रूप से हम सभी वन से जुड़े हुए हैं। सभापति महोदय, वन में, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 30 वर्षों से एक भी भर्ती नहीं हुई है, नीचे के कर्मचारियों की, गार्ड, कैटल गार्ड, फोरेस्टर, रेंजर इक्के-दुक्के ले लिए हैं, बाकी इनके जो ऊपर के अधिकारी आईएफएस हैं, सफेद हाथी, जो वन रक्षक हैं, उनकी तो भर्ती नहीं हुई लेकिन वन भक्षकों की भर्ती और उनका जामा बढ़ता ही जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

2003-04 से लगा कर 2007-08 तक वन विभाग में वृक्षारोपण के नाम पर 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया है इन्होंने, 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण हुआ है, सभापति महोदय, और वन क्षेत्र कितना बढ़ा है? मात्र 15 हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ा है और 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया है। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है, मात्र सात प्रतिशत भी सफलता नहीं मिल पाई है। इस विभाग को बंद कर देना चाहिए। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूंगा, इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी का जिला है, जहां पर भी वन क्षेत्र घटा है, 27 स्क्वायर किलो मीटर, मुख्य मंत्रीजी के जिले में, ऐसे ही 10 जिले हैं उनमें वन क्षेत्र घटा है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो चरागाह भूमि पर पिछले 30 वर्षों में वन विभाग वृक्षारोपण करता आ रहा है और आज अगर हम उस क्षेत्र में जाकर देखते हैं तो एक स्थान आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो वृक्षारोपण वाला क्षेत्र जो 30 वर्षों में ये करते आ रहे हैं उसमें सफलता एक प्रतिशत भी नहीं मिली है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री को एक सुझाव है कि जो चरागाह भूमि पर वन विभाग वृक्षारोपण करता है उसको बन्द करवा दिया जाए और अगर कोई ग्राम पंचायत ग्राम सभा में यह निर्णय ले ले कि हम वृक्षारोपण करना चाहते हैं तो वो ग्राम पंचायत को ही सुपुर्द कर दिया जाए, वो ही वृक्षारोपण कराये। वन विभाग तो मात्र वन तक ही सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतने पैसे से अगर वन विभाग की भूमि पर वृक्षारोपण होता तो निश्चित रूप से सफलता मिलती।

सभापति महोदय, एक आई एफ एस की ए सी एफ से शुरूआत होती है और मंत्री महोदय, पांच सालों में वो 6 प्रमोशन ले लेते हैं और इसके ऊपर व्यवस्था यह है कि वो अपनी सुविधा ही बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं होता है। आज वन के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि नॉन प्लान में कितना पैसा खर्च हो रहा है, 170 करोड़ रुपये नॉन प्लान में खर्च हुए हैं और प्लान में मात्र 23 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 170 करोड़ रुपये इन महाशयों के एयर कंडीशन की व्यवस्था, इन महाशयों के टेलीफोन की व्यवस्था, इनकी गाड़ियों की व्यवस्था, इनकी सुख-सुविधाओं पर खर्च हो रहे हैं और जिस विभाग के नाम से ये रोटी खा रहे हैं उस विभाग पर मात्र 23 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। पिछली बार भी

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी दर्रा सैंक्चुरी के लिए। हमारा सरिस्का में बाघ समाप्त हो गया, यह बिलकुल सही है, स्टेट टास्क फोर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है लेकिन इस बार सरिस्का में वापस रिहेबिलिटेशन के लिए कोई योजना नहीं है। 4 वर्ष होने को आये हैं, आज उसी की बदौलत हमारा टूरिज्म उद्योग समाप्त हो गया है1 इसलिए मेरी आपसे विनती है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस वन क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहिए। हमारी जो भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी है, जो विश्व प्रसिद्ध है, वह समाप्ति के कगार पर है। मात्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से नहीं होना चाहिए। यह सभी को ध्यान में रखते हुए इस वन क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, टूरिज्म की बात मैं कहना चाहूंगा कि टूरिज्म हमारे राजस्थान का एक अहम् हिस्सा है और इसमें मैं मेरे क्षेत्र की बात भी करूंगा। समय कम है, आप घड़ी की ओर देख रहे हैं, मुझे मालूम है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दार्जिलिंग के बाद में पहला ऐसा स्थान है जहां रेलवे लाइन का इतना विहंगम दृश्य है और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य को भी हमने दिखाया था कि रेलवे लाइन 26 किलोमीटर स्लोप है। इतना विहंगम दृश्य है, झरने हैं, 200-200 फीट की ऊंचाई से सीधे झरने गिरते हैं, सुरंगें हैं, और इतना अच्छा जंगल है। इसके अलावा गोरमजी का पहाड़ है जिसके लिए कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को वहां से गिराया था। उसकी परिक्रमा करते हुए रेलवे लाइन नीचे पहुंचती है। उस क्षेत्र को टूरिज्म के हिसाब से बढ़ावा दिया जाए। वहां सिंगापुर की तर्ज पर नेशनल सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एनीकटों का निर्माण हो और रेलवे कार चलाई जाए, यह मेरा सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट और दें, मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और मंत्रीजी विराजमान हैं, इस बार हमें मिसिंग लिंक की सड़कें जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं तो सभी माननीय विधायकों को 25-25 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कें अगर दी जाए तो मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्यों की यह आवश्यकता है और सभी के जरूरत भी है। इसके साथ ही हमारे विधायकों का जो विधायक कोष है वह 80 लाख रुपये है। उस वक्त 50 रुपये में सीमेंट बैग आता था और आज 250

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

रुपये में आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि इसको एक करोड़ रुपये कम से कम बढ़ाया जाए।

**(समय : 16.45 बजे)**

**(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि यह पशुपालन विभाग का एक मामला था, पशुधन सहायकों की नियमित भर्ती प्रक्रिया-निदेशालय स्तर पर मैरिट निर्धारण में हुई धांधली की जांच माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश के अनुसार करवा ली गई थी और उसमें पाया गया कि वास्तव में उसमें धांधली हुई है, गलत तरीके से भर्ती किये गये हैं। उस जांच के आधार पर उन सभी व्यक्तियों को उनका लाभ मिलना चाहिए, यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं। (व्यवधान) बोलने दो साहब, आप इतना बोलते हैं तो हम तो बोलते ही नहीं है आपके लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डोडा-पोस्त की बात हमने पिछले सत्र में भी उठाई थी और आज पुनः मैं डोडा-पोस्ट की बात पर अनुरोध करना चाहूंगा कि डोडा-पोस्ट किसान का खरीद मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित हुआ है। मेरे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में भी आ चुका है कि हमने किसान का 15 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह आज 800 रुपये प्रति किलो में बिक रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, वो किनको बिक रहा है? जिनका परमिट है, लाइसेंस होल्डर हैं, जो पीने वाले हैं उनको परमिट मिला हुआ है, बाकायदा वो पैसे देते हैं, रिन्यू होता है उसका भी भुगतान करते हैं और आज वह 800 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अभी निविदाएं आमंत्रित कर ली क्योंकि मालूम था उनको कि यह जल्दी होने वाला है इसलिए उन निविदाओं को निरस्त किया जाए। क्रय दर तो आपने निर्धारित कर दी लेकिन विक्रय दर निर्धारित नहीं की है। दुनिया भर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी कि 15 रुपये की चीज 800 रुपये में बिके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और अंतिम बात कह कर मेरी बात समाप्त कर रहा हूं कि वेद मंत्रों की जो बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है कि विश्वविद्यालय के सहयोग से

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

वेद मंत्र प्रतिष्ठान की स्थापना की जाए। उसमें मेरा सुझाव है कि पिछली बार भी मैंने सदन में यह बात कही थी नेफ्रोलॉजी पर, मेघशास्त्र पर। जहां हमारा कम्प्यूटर, सुपर कम्प्यूटर आज वेदर फोरकास्ट करने में फेल हो रहे हैं वहीं हमारे इस मेघशास्त्र के जानकार जो लोग हैं, बहुत कम इने-गिने रह गये हैं, उनकी भविष्यवाणी सही और सटीक निकलती है। तो इस पर भी मेरा अनुरोध है कि राजस्थान में आप वेद मंत्रों के प्रतिष्ठान की स्थापना करने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि आप इस प्रतिष्ठान के लिए, मेघशास्त्र के बारे में शोध संस्था की स्थापना की जाए और उसके बारे में हमारा यह जो ज्ञान और गणित आधारित विज्ञान है उसको हमें जिन्दा रखना है तो इसकी भी एक स्थापना की जाए। समय आपने मुझे दिया इसलिए धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री जालम सिंह रावलोत।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाता है।

## आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अपना जो 5वां बजट प्रस्तुत किया उसकी राजस्थान के हर कोने में, हर वर्ग में बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रशंसा हुई है। सवा चार साल पहले जब हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते विधायक दल की नेता के रूप में जब मुख्य मंत्रीजी चुनी गईं और जब उन्होंने पदभार सम्भाला तो उस समय राजस्थान की हालत एक बीमारू प्रदेश के रूप में थी। उस राजस्थान को विकसित राजस्थान के रूप में कैसे बढ़ाया जाए, इस हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये, उनके अनुरूप योजनाएं बनाई गईं, उनके लिए संसाधन

(डा. जालम सिंह रावलोत)

जुटाये गये और उसका शानदार क्रियान्वयन हुआ जिसके परिणामस्वरूप आज राजस्थान पिछड़े, बीमारू प्रदेश से निकलकर एक विकसित राजस्थान, क्रमांक एक की तरफ बढ़ता हुआ राजस्थान हम सब को दिख रहा है। सवा चार सालों में चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे सड़कों के विकास का मामला हो, चाहे बिजली उत्पादन का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, हमारी सरकार ने शानदार प्रगति हासिल की है। अब शिक्षा की बात करें क्योंकि उससे मैं जुड़ा हुआ हूं, जब हम चुनाव के समय मतदाताओं के पास गये थे, उस समय एक बात नजर आ रही थी, स्कूलों के भवन नहीं थे, अध्यापक नहीं थे और सबसे बड़ी बात, पिछली सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में मिडल स्कूल बहुत कम खोली थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल छह मिडल स्कूल खोली गई थीं। आज जब हम मिडल स्कूलों की बात करें तो पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में मिडल स्कूलें हैं, लगभग 11,080 मिडल स्कूलें खोली गई हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने राजीव गांधी पाठशाला खोली थी, जहां आठवीं पास युवकों को लगाया गया था। उन सब को हमारी सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया। उनकी संख्या 21,812 है। 4,162 नये स्कूल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के हिसाब से, 186 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, बड़ी संख्या में सैकण्डरी स्कूल और बड़ी संख्या में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली गईं।

जहां तक अध्यापकों की भर्ती का सवाल है, पूरे पांच साल में इन लोगों ने अध्यापकों की भर्ती नहीं की और हमारी सरकार लगभग 70,533 परमानेंट अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है और 17,474 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

पैराटीचर्स की बात करें तो हमारे पढ़े-लिखे युवकों को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पैराटीचर्स के नाम पर भर्ती किया था, उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि उन सब को परमानेंट करने की दिशा में आदेश निकाल दिये गये हैं। मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बात हुई, उसमें सैकण्डरी स्कूलों के बारे में हम दो साल की बात कर रहे थे, हालांकि 926 सैकण्डरी स्कूल खोल दिये गये, फिर भी बहुत ज्यादा मांग थी। सर्वशिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार बार-बार कह रही थी कि हम सर्वशिक्षा अभियान में सैकण्डरी स्कूल को ले रहे हैं। उनकी घोषणा केवल थोथी रह गई।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि जिन्होंने कहा कि चाहे केन्द्र सरकार सहयोग दे या नहीं दे, हम तो सभी पंचायतों पर एक-एक सैकण्डरी स्कूल खोलकर रहेंगे। निश्चित रूप से सैकण्डरी स्कूलों को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है और लगभग हमारे यहां पर बहुत सैकण्डरी स्कूल खोले जायेंगे, उसी क्रम में 3,108 सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे। न केवल स्कूल खोलने की बात है, हमारे सैकण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर लगे हैं, वह लगभग 6,608 स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें हमारे 10वीं पढ़ने वाले बालक-बालिकाएं तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर पायेंगे।

बात शिक्षा के विस्तार की हो रही है लेकिन इस बार के बजट में गुणात्मक विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। निश्चित रूप से गुणात्मक विस्तार की जरूरत है। पूरा सदन और माननीय सदस्य इस ओर अपना वक्तव्य देते रहे हैं। नेशनल टेलेंट स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत यदि किसी सरकारी विद्यालय का विद्यार्थी सलेक्ट होता है तो प्रति विद्यार्थी के हिसाब से 50,000 रुपये का इनाम रखा गया है जिसमें से 35,000 रुपये उस विद्यालय के विकास में और 15,000 रुपये उन अध्यापकों को दिये जायेंगे जिन्होंने उस विद्यार्थी को चयनित कराने में योगदान दिया है। इसी क्रम में चाहे एम्स हो, चाहे आई.आई.टी. हो, उनमें किसी सरकारी विद्यालय का विद्यार्थी सलेक्ट होता है तो एक लाख रुपये का पुरस्कार रखा गया है। हमारे यहां पर चूंकि 10वीं स्कूलों की बहुत ज्यादा मांग है। उसी क्रम में सरकार ने ज्ञानोदय योजना प्रारम्भ की है जिसके तहत बहुत सारी निजी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं उनको प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया है। वह भी पंचायत केन्द्रों पर सैकण्डरी स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल प्रारम्भ करें ताकि सैकण्डरी एजुकेशन में राजस्थान आगे बढ़ सके। इसी तरह से शिक्षक का अपना विद्यालय योजना है। वह भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की दिशा में एक बहुत शानदार कदम है।

बात करते हैं एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों के उत्थान की, दो दिन पहले प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस ओर बहुत भाषण कर रहे थे कि एस.सी. एस.टी. समाज कल्याण होस्टलों की हालत बहुत खराब है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं, हमारी सरकार ने समाज कल्याण छात्रावासों के सुधार

(डा. जालम सिंह रावलोत)

की दिशा में शुरू से ही बहुत ही शानदार प्रयत्न किया है। नये होस्टल्स खोले गये हैं। जो होस्टल थे उनकी हालत बहुत खराब थी। वे होस्टल, होस्टल के लायक नहीं थे। आज वे सारे होस्टल्स शानदार सरस्वती के मंदिर बन चुके हैं जहां सब सुविधाओं की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। इस बजट में 75 नये होस्टल, 25 अनुदानित होस्टल का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से यह एक शानदार कदम है और प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से 725 रुपये प्रतिमाह के रूप में उनको भत्ता दिया गया है और शिशु गृहों को 850 रुपये का भत्ता देने का जो प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से हमारे एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में खिलाड़ी होना और युवाओं को खेल के प्रति सजग करना, इस हेतु हमारी सरकार ने अपने पिछले बजट में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक पंचायत में एक बहुत शानदार खेल का मैदान हो। उस हिसाब से खेल के मैदान बनाने की दिशा में सरकार ने बजट दिया। लगभग 338 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान इसी सत्र में बन चुके हैं, 1,500 ग्राम पंचायतों में इस बजट में खेल मैदान बनाने के लिए प्रयत्न किया गया है। इसी क्रम में हमारे खिलाड़ियों को, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे यदि स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं या रजत पदक प्राप्त करते हैं या कांस्य पदक प्राप्त करते हैं, उनको जो इनाम मिलता है, उनके इनाम में भारी वृद्धि की गई है। स्वर्ण पदक के लिए 10,000 रुपये, रजत पदक के लिए 7,500 रुपये और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। स्पोर्ट्स क्लब और ओसीसीएल, जो इसी तरह के काम में लगी हैं, उनका पंजीकरण शुल्क भी खेल जगत को बढ़ावा देने के हिसाब से कम करके 50 प्रतिशत का शुल्क लिया गया है।

पी.एच.ई.डी., एक मुख्य विषय रहता है क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पानी का भयंकर संकट है बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर जिले में पानी के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पांच सालों में कोई काम नहीं किया था। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने शिलान्यास के पत्थर जरूर लगाये थे, लेकिन एक पैसे का प्रावधान बाड़मेर में पानी के लिए नहीं किया था। इस बार यदि बात करें, नर्मदा का पानी बाड़मेर आया है। बाड़मेर के लिए बाड़मेर-सिवाना-उण्डू लिफ्ट कैनाल बनी है। बाड़मेर शहर के लिए और शिव क्षेत्र के

(डा. जालम सिंह रावलोत)

लिए बाड़मेर लिफ्ट कैनाल बनी है। और बहुत सारी अन्य योजनाएं हैं, गिरवा-खडीन योजना है चाहे विश्वबड़ाई योजना हो, चाहे स्वजलधारा के तहत काम हो, चाहे अचिन्हित ढाणियों में पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे हैण्डपम्प की बात हो, चाहे ट्यूबवैल की बात हो, बहुत शानदार काम हुए हैं पानी के क्षेत्र में, लेकिन दो काम पानी के क्षेत्र में रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, एक तो पहले डीएलपी के कारण गडरा रोड तक नहर पहुंचनी थी, गडरा रोड का बैल्ट, रामसर की पूरी तहसील, चौहटन का बैल्ट, वहां पर पानी पहुंचे, इस लिफ्ट कैनाल के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। वह यदि जल्दी प्रयत्न हो तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, हमारी सरकार के वर्तमान कार्यकाल में भी उन क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा। इसी क्रम में हमारे जैसलमेर में फतेहगढ़ तहसील है, वहां का जो बसिया क्षेत्र है, वहां चूंकि हिमालय का पानी पेयजल के लिए नहीं पहुंच रहा है इसलिए बसिया-फतेहगढ़ लिफ्ट योजना यदि शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा।

एक मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में केवल एक तहसील ऐसी है, एक उपखण्ड ऐसा है फतेहगढ़, सब उपखण्ड और तहसील मुख्यालयों पर सी.एच.सी. है, फतेहगढ़ में पी.एच.सी. भी नहीं है। इन लोगों ने पांच साल के राज में इस तहसील मुख्यालय पर सब-सेन्टर नहीं खोला था। हमने सब-सेन्टर खोला है लेकिन पी.एच.सी. की जरूरत है। मुख्य मंत्रीजी से इस बारे में निवेदन किया गया है। यदि वे अपने बजट रिप्लाई में फतेहगढ़ उपखण्ड, विधान सभा क्षेत्र शिव, जिला जैसलमेर में पी.एच.सी. खोलने की बात करें, वहां पर पी.एच.सी. खोलने की सख्त आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उन गरीबों को फायदा होगा।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी को हार्दिक साधुवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह का उनका सोच है, राजस्थान को बहुत आगे ले जाना है, राजस्थान को क्रमांक एक का राज्य बनाना है, उस दिशा में उन्होंने जो बहुत सारे प्रयत्न किये हैं सब क्षेत्रों में, वे प्रयत्न बहुत शानदार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का काम हुआ है राजस्थान में हर क्षेत्र में, उसके हिसाब से राजस्थान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और राजस्थान की ऐसी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाले विधान सभा चुनावों में पुनः आएगा। इसी विश्वास के साथ, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्षः** श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट आज के इस कलियुग का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समाज-जीवन के सभी पक्षों को और उनका सभी तरह से विकास कैसे हो उसका विचार किया जाता है, और बजट बनाने वाले के सामने एक कल्पना होती है। इस देश या भारत माता के जब हम पुत्र हैं, उस देश में वसुधैव कुटुम्बकम् की जो एक प्रथा चली है, यह पूरा समाज हमारा परिवार है और उस प्रथा को लेकर चलते हैं तो बजट तैयार करते समय यह सारी विचारधाराओं को सामने रखना पड़ता है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य मुस्कुरा रहे हैं तो मैं एक कम्पेरिजन करता हूं और मेरी बात को प्रारम्भ करते समय विश्व के मानचित्र पर ऐसी दो संस्कृति और सभ्यताओं का कम्पेरिजन करते हुए मेरी बजट की बात को प्रारम्भ करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31 दिसम्बर की रात इटली के एक चर्च में दो कपल्स अपना परिचय देते हैं आपस में। यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरी पत्नी के बच्चे हैं और यह हम दोनों के बच्चे हैं। यह मेरे बच्चे, जब मैं किसी और के साथ था, यह मेरी पत्नी के बच्चे जब मेरी पत्नी किसी और के साथ थी और यह अब हम दोनों के बच्चे हैं। एक यह सभ्यता है और एक सभ्यता- यह मेरी माता है, यह मेरी धर्मपत्नी है, यह मेरे पिता हैं, यह मेरा भाई है, यह मेरे गांव की बहू है, यह मेरे गांव की बेटी है। यह हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता है। अब यह दो विचाराधाराएं हैं, हम किस विचारधारा से आगे चलें। आज जो विश्व के मानचित्र पर एक तरफ आर्थिक दुनिया के अंदर अंधाधुंध युद्ध हो रहा है, पूंजीवाद, अमेरिका जिस पूंजीवाद के अंदर अंधा हो रखा है, गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है, अमीर अधिक अमीर होते जा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी खाई। और दूसरी विचारधारा काल मार्क्स, जो कामरेड, जिन्होंने भी मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है और तीसरी विचारधारा है दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद, जीओ और जीने दो। हम जियें लेकिन दूसरों को भी जीने का अधिकार देने के लिए यह सोच वसुंधराजी ने सामने रख कर बजट का आकलन किया है जिसके कारण आज राजस्थान प्रदेश चारों तरफ चहुंमुखी विकास, कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर राजस्थान ने अपने विकास की दुनिया में डंका नहीं बजाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के अच्छे-अच्छे अर्थशास्त्री बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। (व्यवधान) वह सुरेन्द्रजी, मैं आपसे अकेले में पूछ लूंगा। माननीय

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में फाइनेंशियल, एक वित्तीय मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन के कारण राजस्थान एक बीमारू प्रदेश, जिस कांग्रेस के शासन में एक मोहर लग गई थी कि राजस्थान मतलब बीमारू प्रदेश और उसको एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। (व्यवधान) खजाना खाली, वह तो बात पुरानी हो गई है, अब जाने दो न, अब नई बात बतायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व में आंकड़े दिये गये हैं, वर्ष 2003-04 में जो वार्षिक योजना 4258 करोड़ की थी, वही आज 2008-09 में 15248 करोड़ रुपये की हो गई, मतलब अपने आप में लगभग चार गुना। यह एक अचीवमेंट है और अच्छी कल्पना करना, एक बड़े रूप में सोचना, एक मरू-मरू करके, खींचतान करके तो कोई विश्वास भी नहीं करता है। जब हमने योजना का आकार इतना बड़ा रखा तो बाहर से लोगों की नजरें हमारी तरफ आईं। इवन केन्द्र में कांग्रेस की सरकार, उस सरकार के अधिकारी एवं योजना आयोग के अध्यक्ष तक ने हमारी प्रशंसा की। ठीक है, केन्द्र की कई योजनाएं राज्य सरकार को क्रियान्वित करनी पड़ती है लेकिन राज्य के अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है उसके कारण एक बहुत बड़ी सफलता होती है और इसी का कारण है, बहुत चर्चा हो रही थी नरेगा, नरेगा का पैसा, अगर पैसा, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे राहुल गांधी, राहुल गांधी का तो तब मानते जब राजीव गांधी फाउण्डेशन ट्रस्ट से जो 45 हजार करोड़ रुपया +++ में पड़ा है, उस फंड में से अगर नरेगा का पैसा देते तो हम राहुल गांधी का मानते। (व्यवधान) 45 हजार करोड़।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह जो राजीव गांधी फाउण्डेशन के धन के +++ में होने की बात जो कही है आप उसको एक्सपंज करने की कृपा करें।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): नहीं-नहीं। किसने कह दिया। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): इस तरीके की ईर्रेलेवेंट बात करते हैं... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, यह असत्य बयान किया गया है, (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): यह इनके पास बैंक अकाउंट है क्या, बैंक अकाउंट...(व्यवधान) इस तरह के वेग आरोप लगाना...

**श्री उपाध्यक्षः** अंकित नहीं हो।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): ×××

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ××× (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** आवश्यकता नहीं है।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, इस कथन पर मुझे एतराज है क्योंकि मैं राजीव गांधी फाउण्डेशन से संबंधित हूं, मैं कार्डिनेटर हूं राजीव गांधी फाउण्डेशन का, इसलिए इस तरह के बयान सदन में करना बिलकुल गलत है, इसको एक्सपंज करवाया जाय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्षः** हो गया। (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): 23 दिसम्बर, 1997 के इण्डिया टूडे के अंदर यह स्पष्ट तौर से लेख था। अब ठीक है, यह आप कहें कि यह पत्र, अखबारों के माध्यम से नहीं माना जाता है, यह मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच वर्षों की अवधि में गत सरकार, 1999 से लगाकर 2004 तक व्यय उनका रहा 22078 करोड़ रुपये, हमारी सरकार के पांच वर्ष पूरे होंगे तब लगभग हम 52192 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय करेंगे, यह लगभग अपने आप में ढाई गुना है। क्यों नहीं लोग आयेंगे? निवेशक कैसे हैं, एक लाख बासठ हजार लोगों के एमओयू अगर हुए हैं, इसी का कारण है कि इतना बड़ा हमने प्लान रखा है। आपकी तरह, पिछली सरकार की तरह हम रोते नहीं रहे, भीख का कटोरा लेकर हम खड़े नहीं हैं। हमने कहा, योजना लाओ और पैसे ले जाओ, कोई कमी नहीं है। एक-एक वर्ग पर आप ले लीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही थी, विद्युत मंत्री विराजे हैं, अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी का नाम देकर योजना को नया रूप दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर आजाद के लिए अपने आप की आहूति दे दी, अगर कोई अच्छी योजना का नाम डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नाम पर दे दिया जाए तो उन्हें आपत्ति कैसे होगी? अपने आप की आहूति, बलिदान हो गये श्यामाप्रसाद मुखर्जी कश्मीर के आंदोलन में बलिदान हो गये...

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य बीच में no comments.

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रीसिटी के मामले में मैं बहुत-बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया की जिन्होंने अपने बजट का 40 प्रतिशत इलेक्ट्रीसिटी पर इसका कारण है एक प्रदेश में उद्योग जब ही आएंगे जब इलेक्ट्रीसिटी अपने आप पर निर्भर होने की स्थिति में आये। सड़क, पानी और बिजली, रघुवीरसिंहजी आप बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इतना बड़ा बजट इलेक्ट्रीसिटी पर दिया है। इसका कारण यह है कि अब किसानों की बिजली के बारे में मैं पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपने पाँच वर्षों के अंदर कितने किसानों की चिंता की और कितनी लम्बी लाइन थी जिनको आपने कनेक्शन दिये? यह सरकार है, धन्यवाद देना चाहूंगा वसुंधराजी को एक नहीं, दो नहीं साठ-साठ हजार कृषि कनेक्शन इश्यू कर दिये उसके बजट की तो आखिर व्यवस्था करनी ही पड़ती है। उसके बाद यह एफआरपी का जो काम चला और कैसे-कैसे छीजत को रोका जाए, कैसे-कैसे चोरी को रोका जाए? यहां एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उस सफलतम एक्सपेरिमेंट के तहत आज लगभग साढ़े नौ प्रतिशत छीजत को रोक दिया गया है, 19 हजार गांवों में 15 प्रतिशत से ऊपर छीजत को रोक दिया गया है और उन गांवों में शहर के द्वारा सिटी लाइट के अनुसार बीस से लगाकर चौबीस घंटे इलेक्ट्रीसिटी लाइट घरों में दी जाती है।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वियुत मंत्रीजी को मेरे आहोर में 100 प्रतिशत गांवों में 20 से 24 घंटे लाइट दी जाती है क्योंकि एफआरपी का काम कम्पलीट हो गया। 100 प्रतिशत गांवों में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुटीर ज्योति कनेक्शन पूर्व सरकार में 65 हजार और हमारे चार वर्षों में 3 लाख, कहीं हाथ-पांव भी नहीं पकड़ सकते हो आप लोग। मतलब एक दूर-दराज की ढाणी-ढाणी में रहने वाला गरीब से गरीब व्यक्ति भी अंधेरे में नहीं रहे इसलिए मुख्य मंत्रीजी ने स्पेशल योजना यह लगाई है कि केन्द्र सरकार की योजना से जो छूट जाते हैं उनमें हम लाइट पहुंचाएंगे और दूर-दराज की ढाणियों में रहने वाला अफसोस है 60 वर्षों के बाद आज भी गांव का बंधु अगर अंधकार में है तो हमारे मायने में धूल पड़ती है, मिट्टी पड़ती है। इसलिए यह तय किया वसुंधराजी ने हर गरीब की झोंपड़ी में

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

बल्ब जलेगा और उसका बच्चा पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, अपने आप में परिवार डवलप होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि सबको एक घंटा लगेगा...

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप कनकलूड कीजिए। आपको 12-14 मिनट हो गई है।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): एक पाइंट लेता हूं। सड़कों के मामले में आज पिछली सरकार से पांच गुणा बजट खर्च किया गया है। सड़कों के मामले में सड़कें अच्छी बनेगी कैसी नहीं, पहले आपकी सरकार के समय गुजरात से नींद में बस में सोता था व्यक्ति और जब नींद खुलती थी उसको लगता था राजस्थान आ गया और आज यह लगता है बिल्कुल चैन की नींद से वह गांव में पहुंचता है। सड़कों की यह क्वालिटी है, इतना सड़कों का काम हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे रानीवाड़ा के माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी उन्होंने बताया कि वास्तव में नर्बदा जालौर और बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जहां फ्लोराइड के कारण 25 साल, 30 साल, 35 साल के अंदर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मतलब आप पचास सालों से शासन सम्भाल रहे हैं और 30 वर्ष, 35 वर्ष की उम्र में जवान बूढ़ा हो जाता है फ्लोराइड पानी पीने से, कोई किसी ने चिंता नहीं की, नर्बदा के हिस्से का गुजरात को 600 करोड़ रुपए का पेमेंट देना था दस साल पहले, नहीं दे पाये और वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जालौर और बाड़मेर की जनता के लिए उन्होंने आते ही 600 करोड़ रुपए पेमेंट का दिया और नर्बदा का काम चालू हो गया। आने वाले दो वर्षों में प्रत्येक गांव में नर्बदा का पानी पहुंच जाएगा और एक भागीरथ की संज्ञा वसुंधराजी को दी जाएगी। यह काम है।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब आप कनक्लूड कीजिए। 15 मिनट हो गई है।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): दो-पांच मिनट में करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे अच्छी जो बात और बहुत छोटी-सी बात है लेकिन बहुत बड़ा काम किया है, यह जो गांवों के अंदर एक गांव के अंदर पूरे गांव की आस्था का केन्द्र होता है मंदिर और मंदिर में भगवान शिव या मां अंबे अगर अंधेरे में रहें तो यह हमारे लिए शर्म की बात थी क्योंकि वहां उसका चार्ज हमेशा कॉमर्शियल लगता था, वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

उसका चार्ज उन्होंने डोमेस्टिक घरेलू करके यह बहुत बड़ा गांवों के ऊपर उपकार किया है और आस्था के केन्द्र में हमेशा लाइट की व्यवस्था हो गई है।

मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, मोहम्मद माहिर आजाद ने बहुत अच्छा विषय लिया था, उन्होंने कहा कि इतने महापुरुषों का नाम लेकिन अल्पसंख्यकों का नाम नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए जितना करना चाहिए था उससे कई गुणा अधिक कर दिया है और हमने तो कोई ऐसा विश्वास कुछ किया नहीं, अलगाव नहीं रखा है। हमने तो यह कहा है कि मदरसों में कुछ वर्षों पहले कांग्रेस के जमाने में आपराधिक तत्व हुआ करते थे, उनका रजिस्ट्रेशन करके, उनको आईडेन्टिफाई करके और सरकारी नियमों के अंतर्गत उनको सुविधाएं देनी चालू कर दी। आज उनमें सही शिक्षा का वहन होता है। क्या वह अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। निश्चित रूप से मुसलिम बंधुओं के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा-दीक्षा बराबर मिले उसकी व्यवस्था की है, कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की है और गुरु गोविन्द सिंहजी के नाम से कुछ किया तो उनको आपत्ति हो जाती है, आपत्ति होती है होने दो, वहीं होगा इस देश के महापुरुषों के, जिन महापुरुषों ने इस देश को एक बड़ा आदर्श दिया है, जिस गुरु गोविन्द सिंहजी ने कल बताया, यह बात टीकमजी ने बतायी वास्तव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है जिस गुरु गोविन्द सिंह के आठ साल और बारह साल के बच्चों ने विदेशी मुग़ल धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण विदेशियों ने जिंदा उनको दीवारों में चुन दिया और जोरावर जोर से बोला, फतेहसिंह जोर से बोला कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रबानी, नहीं रुकती जवानी है और उन बच्चों ने अपने आपको अपने देश की, धर्म की रक्षा के लिए, हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए गुरु ग्रंथ साहिबा की रक्षा के लिए अपने आपको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया क्या उस गुरु गोविन्द सिंहजी के नाम से किसी-न-किसी, कुछ-न-कुछ तो होना नहीं चाहिए? अगर इसमें आपत्ति होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और जिनको आपत्ति होती है वह इस देश में रहने के लायक नहीं है। वो यहां रहने के अधिकारी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पॉइंट लेकर मेरा कहना समाप्त करुंगा। चारों तरफ कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा है, उस वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा इतनी संवेदनशील सरकार जिसने एक-एक वर्ग मतलब मूक प्राणी को भी नहीं छोड़ा, उनके लिए भी मदद की और इस देश की अस्मिता जो एक

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

गौमाता कहलाती है गौवंश, उनके लिए भी कुछ न कुछ किया और इस बार पहली बार वन्य अभयारण्य की तर्ज पर एक गौ अभयारण्य सरकार और प्राइवेट किसी गौशाला की पार्टनरशिप में बनाने की घोषणा की है बजट में । मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जालौर जिले में मेरे आहोर क्षेत्र में यह घोषणा की इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा कि गाय वहां पर विचरण करेगी और स्वच्छंद रूप से बीमार गायें वगैरह जो इधर-उधर भटकती है वो स्वच्छंद रूप से वहां अपना चारा सेवन कर सकेगी और ये भी अपने आप में एक उपकार का काम किया है । फिर से मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद देकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक निवेदन डिमांड्स में आगे कटमोशंस में आएगा, मेरे सीएचसी सेन्टर, आहोर, जालौर जिले में सबसे हाइयेस्ट ओपीडी है उसमें तीस बैड हैं उसको अपग्रेड करके सत्तर बैड तक करें यही निवेदन और फिर से मेरे जालौर की जनता को अच्छी सड़कें, बिजली और नर्बदा का पीने का पानी ये तीनों सुविधाएं इतने जोरदार बढ़िया तरीके से दे दी हैं, एक इतिहास बनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देकर, आपने मुझे जो समय दिया इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** धन्यवाद। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में बहुत-सी ऐसी बातें कहीं गईं जिनके बारे में यह कहा गया कि ये तो इस राज्य के लिए ऐसी सौगातें हैं जो आज के पहले कभी नहीं आयी और न जाने ये राज्य विकास करके न जाने कहां पहुंच जाएगा और अपने भाषण के बिन्दु संख्या 2 में जो दिया उन्होंने कि हमारी जो सोच है हमारी प्राथमिकताएं, 6 प्राथमिकताएं उन्होंने बताईं दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति, अशक्त और महिलाओं को सम्बल, मानव संसाधन विकास, रोजगार सृजन, अच्छा शासन और आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास, ये प्राथमिकताएं उन्होंने अपने आज के समय चार साल जो बीत गये उसको लेकर के और आने वाले हमारे नवम्बर माह तक जो अगला चुनाव हो तब तक के लिए उन्होंने अपनी बता दी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान समय में मैं ज्यादा पिछली बातों को न करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो पिछला समय अभी गया खरीफ की फसल का जो

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

था उस समय के हालात पूरे राज्य के किसी से छिपे नहीं हैं। अभावग्रस्त गांवों का चयन करने में जो मनमाना रूप सामने आया और वास्तविक रूप से ऐसे क्षेत्र जहां पर फसल नाम मात्र की भी नहीं हुई थी उनको अभावग्रस्त की श्रेणी में नहीं रखा गया और वहां की भूख से त्रस्त जनता आज दिन तक सरकार का मुंह देख रही है और हालत यह है कि कुछ ऐसे गांव जिनको वास्तव में अभावग्रस्त मान भी लिया था वहां पर भी अकाल राहत कार्य आज दिन तक प्रारम्भ नहीं किये गये। जो इस बात का सूचक है कि वास्तव में सरकार ने जो अपना बिन्दु संख्या-1 रखा है दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति इसके ऊपर कितनी संवेदनशीलता का परिचय दिया यह इस बात से उजागर होता है ... (व्यवधान) रिकार्ड बोलता है आप अगर पक्षधर हैं तो आप बता दीजिये मैं गांवों के नाम लेता हूं कि उन गांवों में क्या कार्य हुए।

दूसरी, उपाध्यक्ष महोदय, जो बात आती है, अपने उद्‌बोधन में माननीय नेता ने फरमाया कि जो अपेक्षाएं जनता ने हमारे प्रति रखीं और हमको चुनकर भेजा हम उन पर खरे उतरे। खरे नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पूर्णतया विफल साबित हुए। यह आज स्थान-स्थान पर लाठीचार्ज, गोलीकांड, किसानों की मौतें, धरने, प्रदर्शन ये इस बात को साबित करते हैं कि सरकार पूर्णतया विफल रही। बजट के अन्दर बहुत ऐसी प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया। सड़कें, हमने इतने हजार किलोमीटर सड़कें बना दीं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हमने सड़क से जोड़ने का विचार बना लिया आने वाले समय में हम इसको 2009 तक जोड़ देंगे। मैं लगातार एक ऐसी अहम सड़क का जिक्र करता रहा हूं जिससे कि हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला था। अस्सी किलोमीटर की उनकी यात्रा कम होने वाली थी। नेशनल हाइवे पर डूंगरगढ़ से गंगानगर जाने वाले लोगों को एक बड़ा शॉर्टकट मिलता है माननीय मंत्री महोदय को कई बार बताया कि अगर वाया कालू-लूणकरणसर होते हुए एक रास्ते को डवलप कर दें तो अस्सी किलोमीटर का सफर लोगों का कम हो जाए लेकिन न जाने कहां करोड़ों रुपये अरबों रुपये खर्च करके सड़कों का संरक्षण किया। उस सड़क की तरफ तो सोच माननीय मंत्री महोदय ने नहीं रखी जो इनकी भी संवेदनशीलता को दर्शाता है। पांच सौ की आबादी तक को सड़कों से जोड़ने का आपने एलान कर दिया। राज्य में न जाने कितने ऐसे गांव हैं जिनकी संख्या दो हजार से ऊपर है लेकिन वो आज दिन तक सड़क से नहीं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जुड़े। इसी सिलसिले में ध्यान आकृष्ट किया तो माननीय मंत्री महोदय बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता ये तो झूठ है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र का एक गांव सुरणाणा ..

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय सदस्य, एक गांव तो बतायें कम से कम दो हजार का?

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): बता रहा हूं न, सुन नहीं रहे हैं, आप बहुत जल्दी करते हैं।

**श्री बद्रीलाल जाट (**कपासन): दो गांव, दो हजार का एक गांव।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): हां, बता रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव सुरणाणा जो दो हजार से ज्यादा जनसंख्या का है वो गांव आज दिन तक सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा आपका आश्रय चाहूंगा ये बीच-बीच में टोका-टाकी न करें।

**श्री अध्यक्ष:** ये तो ट्रेस पास कर रहे हैं। वो भी अपनी जानकारी बता रहे हैं।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): जी। हां, ये बात भी ठीक है। उस गांव को सड़क से जोड़ने के लिए बार-बार मांग की जाती रही है लेकिन हर समय रटारटाया जवाब आता रहा कि नहीं, ये गांव तो सड़क से जुड़ा हुआ है। मैंने संबंधित आपके विभाग के अधिकारियों को भी कहा कि किसी दिन चल करके मेरे को बता दीजिये कि वो सड़क कहां है, क्या हम इस सड़क से गुजर सकते हैं? आज दिन तक कुछ नहीं हुआ उपाध्यक्ष महोदय, वो दर्शाता है कि सरकार जो अपनी बातें करती हैं बार-बार बजट के अन्दर जिन बातों को लिख कर रखा जाता है उनका हश्र क्या है। हो सकता है राज्य में अन्य स्थानों पर भी ऐसे और बहुत से गांव हों जो नहीं जुड़े हों। हमारे सत्तापक्ष के हर विधायक अपनी बात रखते हैं और राज्य की शान में इतने कसीदे पढ़ते हैं और अंत में कहते हैं लेकिन मंत्रीजी एक सड़क मुझे दे दीजिये, लेकिन मंत्रीजी चार स्कूल मेरे क्रमोन्नत कर दीजिये तो अगर सब कुछ हो गया तो ये बातें क्यों आती हैं? आपको तो एक तरफा केवल वाहवाही करनी चाहिए।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति है।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): बिलकुल-बिलकुल, मांग की मानव प्रवृत्ति है। उपाध्यक्ष महोदय, आज विद्युत के क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कल माननीय मंत्री महोदय, आज भी फरमा रहे थे, हमारे भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई बात रखी तब माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हमने बहुत विस्तार किया है लेकिन हकीकत यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी गांवों की स्थिति यह है कि आपने बहुत घोषणा तो कर दी कि हम सभी गांवों को शहर के समान विद्युत दे देंगे, कस्बों को हम आज तक विद्युत दे रहे हैं। हकीकत सबके सामने है गांवों के अन्दर विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप गांव को चौबीस घंटे बिजली कब देंगे, क्या करेंगे मैं नहीं जानता, अगर आप इस तरीके के जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, विद्युत सप्लाई से ये जो पानी उपलब्ध हो पाता है उन सिस्टम्स को आप चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवा दें तो वास्तव में यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। आज गांवों की स्थिति यह है कि उनके यहां पर सात-सात दिन में एक-एक घंटे से पानी आ पाता है। लाइट्स में फाल्ट आते रहते हैं। लम्बी-लम्बी लाइनें हैं तो ये जो घोषणा है इस घोषणा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हम धरातल पर रह कर इसके लिए कुछ कार्य करें यह मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे 132 केवी, 440 और न जाने किन-किन का जिक्र किया लेकिन उन स्थानों पर चिह्नित करके बिलकुल भी काम नहीं हुए जहां वास्तव में मांग है। राजनीतिक मांग तो आपने बहुत पूरी की होगी कि यहां से वो विधायक जीत करके आये हैं इसलिए कर देना चाहिए, वो जीतकर आये कर देना चाहिए। ठीक है विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं और मैं सत्ताधारी पार्टी का सदस्य नहीं हूं लेकिन सांसद तो आपके वहां से निर्वाचित हैं वोट तो उनको भी लोगों ने दिये होंगे, उन्हीं का ध्यान करके अगर आप कुछ काम कर दें और वहां पर जहां मांग है वास्तव में ट्यूबवैल जहां ज्यादा हैं वहां पर अगर आप 33 केवी प्राथमिकता से दें जहां 33 केवी दे दिये वहां लोड ज्यादा कर 132 केवी अगर आप देवें, तहसील लूणकरणसर में, तहसील बीकानेर में तो वास्तविक रूप से एक सही काश्तकार के साथ काम हो, मैं यह कहना चाहता हूं, बाकी आप आंकड़े तो कितने ही जुटा लें। इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, आज बात आ रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में मांग के अनुसार तत्काल प्रभाव से विद्युत उपलब्ध करा देंगे । 11 केवी के एक किलो मीटर के क्षेत्र में जैसे ही 10 आवेदन आयेंगे लेकिन वह क्या, यह सिस्टम तो

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पहले भी कई बार हुआ है, कई बार बातें आई हैं, बहुत योजनाओं के तहत विद्युतीकरण की बात आई है लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मांग पेश किये जाने के कितने दिन में कनेक्शन कर देंगे । यह भी अगर आप खुलासा करें तो वास्तव में मुख्य मंत्री महोदय ने जो घोषणा की है उस घोषणा की कितनी क्रियान्विति होगी यह स्पष्ट होकर आयेगा । क्योंकि हमारी पूर्व में स्थिति यह रही है कि आवेदन किये जाने के एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल तक फाइलें रहीं । नार्म्स में आवेदन हुये लेकिन फिर भी उन फाइलों को निरस्त कर दिया गया, उनके ऊपर कनेक्शन नहीं हुए । तो कहीं ऐसा ही इनका न हो और बाद में जब कभी भी रिकार्ड पेश किया जाये तो कहा जाये कि आवेदन ही किन्हीं कारणों से निरस्त हो गये । तो इसमें एक समय सीमा भी निश्चित कर दी जाय जो आवेदनकर्ता को भी पता रहे कि आज अगर 10 व्यक्ति आवेदन करते हैं और एक किलो मीटर की दूरी पर है तो उनको 15-20 दिन या महीने में कनेक्शन मिल जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई की नई–नई योजनाओं की भी बात की गई । हमने इतनी योजनाओं पर काम कर लिया, इतना विकास कर लिया, यह-यह काम कर लिये । लेकिन सालों से हमारी एक लम्बित योजना है सूई सब ब्रांच, उसके निर्माण कार्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा । तो अगर आपने सारी ही कर ली तो आपने उस महत्वाकांक्षी सिस्टम को क्यों छोड़ दिया । केवल इसलिए कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य का क्षेत्र उसमें पड़ता है और मेरा क्षेत्र उसमें पड़ता है । तो हम राजनीतिक रूप से देख कर कार्य कर रहे हैं और बात जनता की करते हैं कि हम जनता के हितचिंतक हैं, हम यह कर देंगे, वह कर देंगे और हमारे से बड़ी कल्याणकारी सरकार कोई नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें आई हैं। विद्यालयों की इसमें एक बात आई और सत्ता पक्ष ने बड़ी टेबलें थपथपाई मुझे तो लगने लगा कि कहीं एक दो टेबल टूट न जाये, इतने जोश के साथ टेबलें ठोकी गई कि इतने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक कर दिया जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उस भाषा को पढ़ा जाये तो यह तो बडी गोल-मोल सी भाषा है । आपकी इजाजत हो तो मैं दो शब्द इसमें से पढ़ना चाहूंगा । इसमें दिया गया है कि मेरी मान्यता है कि राज्य में जितनी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पंचायतें हैं उतनी ही माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय होने चाहिये। इस वक्त राज्य में 9343 पंचायतों के विरुद्ध 6235 माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं। यानी पंचायतों की संख्या के विरुद्ध इन विद्यालयों की संख्या 3108 कम है । मैं घोषणा करती हूं कि केन्द्र सरकार माध्यमिक शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान में ले या नहीं वर्ष 2008-09 में 3108 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा या निजी सहभागिता की योजना के अंतर्गत ऐसी पंचायतों में नये सैकेण्डरी विद्यालय स्थापित किये जायेंगे । निजी सहभागिता, अव टेबल ठोकते-ठोकते यह आवाज तो गायब ही हो गई निजी सहभागिता की । इस हेतु चार सौ करोड़ रुपये का कार्यक्रम हाथ में लेना आवश्यक होगा । आवश्यक तो बहुत कुछ है उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक तो सारे ही उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में क्रमोन्नत करना है क्योंकि उच्च प्राथमिक बनाये ही इसीलिये गये हैं । आज आपने ग्राम पंचायतों को आधार बना लिया कि प्रति ग्राम पंचायत एक विद्यालय को सैकेण्डरी बनाने का हमारा मानस है । लेकिन जो इतने बड़े-बड़े गांव हैं, आज बालिकाओं की, महिलाओं की बात हर समय की जा रही है । रिजर्वेशन की भी बात की जा रही है । पंचायती राज में 50 परसेंट रिजर्वेशन कर दिया गया । आज के समय में, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे हम कितना भी कह लें, हमारा देश कितना ही आगे चला गया, कितनी ही बात कर लें आज भी व्यवस्था यह है कि अभिभावक बालिका को उसी विद्यालय में भेजना पसंद करेगा जहां शिक्षक के स्थान पर शिक्षिका हो । ऐसे में आज उच्च प्राथमिक विद्यालय आप 3100 कुछ करके इतिश्री करना चाहते हैं और यह मानते हैं कि हमने पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा दिया तो यह कुछ भी नहीं है । आज विद्यालयों की आवश्यकता इतनी ज्यादा है विशेष रूप से बालिकाओं के लिये, अगर प्राथमिकता से सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करें तो वास्तव में बालिका शिक्षा को गति देने में यह एक मील का पत्थर साबित होगा वरना यह जो घोषणा अभी आई है यह घोषणा महज एक राजनीतिक घोषणा होगी । लिस्टें भी बनेगी राजनीतिक आधार पर बनेगी, स्कूल कहां क्रमोन्नत होंगे और अंत में यह जो भाषा आ गई कि निजी सहभागिता योजना के अंतर्गत, इसका तो हमको अभी ओर-छोर मिलेगा नहीं, इतने में नये चुनाव आ जायेंगे । नया चुनाव, नई पार्टी सत्ता में आयेगी फिर उसको ही देखना होगा कि क्या होने वाला होगा ।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): आप जो पढ़ रहे हो वह जनता बाहर सुन रही है ।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): जनता यह भी सुन रही है कि हमारा यह राज्य जो कि कृषि प्रधान राज्य है इसमें बजट में जो व्यवस्था की गई है, आज गायों की चिंता बहुत की जा रही है । कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ विकास की बात की जा रही है। शिक्षा में बहुत कुछ विकास की बात की जा रही है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय जो है उस कृषि विश्वविद्यालय में आज दिन तक जो कि एक अहम मांग थी डेयरी इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की उसका कहीं दूर-दूर पता नहीं है । वह अगर इसके साथ जोड़ा जाता तो वास्तव में एक ग्रामीण क्षेत्र की एक व्यवस्था को कुछ गति मिलती । इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसे नौजवान आगे निकलते जो वास्तव में कुछ कर पाते । उपाध्यक्ष महोदय, अभी कृषि के क्षेत्र में जो घोषणाएं की गई हैं आप नजर फरमायें। इसमें जो प्रोविजन किया गया है कृषि सम्बद्ध सेवाओं के लिये 618 करोड़ कुछ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । इसमें डेयरी के क्षेत्र में महज दो करोड़ रुपये । दो करोड़ रुपये से हम डेयरी को ज्यादा मजबूत करने वाले हैं, आर्थिक रूप से सक्षम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं यह बात समझ में नहीं आती है । कृषि विपणन के क्षेत्र में आपने 110 करोड़ रुपये के आस-पास की घोषणा तो कर दी कि कृषि विपणन मंडलों को हम इतनी राशि देंगे । किस उपयोग के लिये देंगे, क्या करेंगे यह भी आने वाले समय में ही पता लगेगा । पशु धन के लिये आज हमने जो बात करी है, राठी नस्ल की गाय हमारे बीकानेर में विश्व विख्यात हैं। उस राठी नस्ल के गौ संवर्द्धन के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया । राज्य में आज घोषणाएं की गई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र उच्च प्राथमिक में कर दिये जायेंगे, यह कर दिया जायेगा, वह कर दिया जायेगा । हकीकत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है बोलने वाले और भी हैं, मैं सार में अपनी बात को समाप्त करुंगा और यह निवेदन आपसे करुंगा कि इस बजट में जो भी प्रावधान किये गये हैं वह प्रावधान पूर्णत: जनता को गुमराह करने के लिये किये गये हैं। न तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में कोई इस प्रकार की योजनाएं बनाई जो इस क्षेत्र में कुछ लाभ मिलने वाला हो, न ग्रामीण क्षेत्र में हमने ऐसी योजनाएं बनाई कि शिक्षा में कोई बहुत ज्यादा गति मिले । आज बात करते हैं गांवों की किसी भी विद्यालय में आपने कृषि संकाय प्रारम्भ किया हो तो आप बता दीजिए । ऐसी घोषणाएं जरूर की गई हैं जिन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

घोषणाओं की क्रियान्विति होने के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहता है । इतने सौ रुपये इसमें दे देंगे, इतने हजार इसमें दे देंगे, बच्चियों को यह दे देंगे, किस को दे देंगे । गत बजट सत्र में इसी सदन में माननीय नेता ने यह घोषणा करी थी कि जितने भी बालिका माध्यमिक विद्यालय हैं सबको उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मेरे को तो एक भी देखने को नहीं मिला जो कि क्रमोन्नत हुआ हो । इस प्रकार की घोषणाएं करके जनता को गुमराह करके महज आने वाले चुनाव तक उलझाये रखने के मकसद से जो बजट पेश किया गया है यह बजट राज्य की जनता के विकास के नाम पर नहीं है । एक काला अध्याय मैं इसको कहना चाहूंगा जो यहां पर पढ़ा गया और पेश किया गया । इसका जवाब आने वाले समय में जनता ही देगी, जनता इसको समझेगी । जिस प्रकार से आज पाले के ऊपर 126 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है और उस घोषणा की क्रियान्विति किन पर होगी यह आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है । आबकारी क्षेत्र में घोषणा की गई है यह बहुत अच्छा है कि हम इतना विकास करेंगे, एक सौ कुछ करोड़ रुपये हमको और लाभ मिलेगा । यह सब ढकोसला साबित होगा । मैं पुरजोर शब्दों में इस पेश किये गये बजट को जो कि ग्रामीण जनता के हितों को कुठाराघात करते हुए पेश किया गया है इसका विरोध करता हूं । आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री भंवरलाल राजपुरोहित ।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्वत् 2008-09 के इस बजट पर अपनी बात रखूंगा । मुझे इस बजट को पढ़ते हुए यह बात याद आई कि इतना अच्छा बजट ...

जो बना उसका क्या बैकग्राउण्ड है। मुझे 2003 की याद आई जब तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय वसुन्धराजी हमारी प्रदेशाध्यक्ष थी और उन्होंने जब गांव-गांव में दौरा किया, राजस्थान के किसी गांव को अछूता नहीं रखा, मैं भी दो-तीन जिलों में साथ था। उन्होंने देखा होगा, गांव की सड़कें देखी होगी, गांव की स्कूल देखी होगी, गांव के अस्पताल देखे होंगे, गांव की महिलाओं की स्थिति देखी होगी, गांव में फटे—पुराने कपड़ों, रोते-फिरते बच्चों को देखा होगा और जो भी देखा होगा एक सपना संजोया होगा कि यदि मैं राजस्थान की बागडोर सम्भालूंगी तो मुझे क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

कि यही कारण है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने जो पहला बजट बनाया था वह पहली सरकार से दुगने के करीब था। ऐसे- ऐसे हर साल कीर्तिमान स्थापित किए जो सबके सामने है और कोई कहने की बात नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या तले पडे को साक्षी क्या।

विपक्ष को मैं तीन-चार दिन से सुन रहा हूं, बजट के विरोध में एक तर्कसंगत बात करते हैं लेकिन सत्यता इनको खुद का पता है कि कितने हजारों स्कूल खुले, कितने प्राइवेट स्कूल खुले, कितने प्राइवेट मकान बने, इनसे कोई छिपा हुआ नहीं है। जनता से छिपा नहीं है। कितनी शालाएं बनी, कितने अध्यापक, एक लाख करीब अध्यापक आये। पूर्व शिक्षा मंत्री को बहुत बड़ा पदक मिला। सड़कों में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। करीब-करीब आप तो यह कहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं नौ हजार गांवों में, ग्राम पंचायत की सड़कों में, गांव सड़क से जुड चुके हैं, 400-500 की मैं नहीं कह सकता और 250 वाले गांव जो रूके हैं उसमें तो हमारी सरकार ने अभी भी कहा कि उसके लिए हमने बजट प्रावधान रखा है, केन्द्र सरकार का इंतजार नहीं करेंगे।

चिकित्सा में आपको सबको पता है, चिकित्सालयों में, औषधालय जर्जर थे वह आज कैसेट हैं। मेरे खुद के गांव में एक करोड की लागत से अस्पताल का सुधार हो रहा है, राजस्थान के सारे अस्पतालों में सुधार हो रहा है ।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): इसी से मान ले ?

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): नहीं, इससे मत मानिये। मैं फिरता हूं, कोई एक गांव में नहीं रहता हूं, जिले में फिरता हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है सारे अस्पतालों में सुधार हो रहा है। आपके पास मेडिसिन कहां थी, आपने छोटी-छोटी दुकानें खोल रखी थीं और एजेंट बना रखे थे, डाक्टरों ने। डाक्टर दवाइयां लिखते थे उसमें उनको प्रतिशत मिलता था, आज तो पूरी की पूरी दवाइयां अस्पताल में आती हैं।

आज आपकी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी के लिए 400-500 रुपये देते थे। शाला का आपसे छिपा है क्या ? मैं तो बीस साल प्रधान रहा हूं मुझे मालूम है। आप स्कूल में घूघरे भेजते थे, वह ही तो सरकार थी आपकी। घूघरे भेजने वाली सरकार।

**श्री उपाध्यक्ष:** आपको इनको संकेत करने की आवश्यकता नहीं है।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): मैं सरकार की बात कह रहा हूं,

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

पूर्व सरकार की, मैं कोई नाम लेकर नहीं कह रहा। जो बात है, हालात को नकारते क्यों हैं? इस बात को, सही बात को मानना चाहिए ताकि इनको मौका मिले आगे बढ़ने का। जब तक यह सही बात को नहीं मानेंगे तब तक रास्ता प्रशस्त नहीं होगा और बुलबुले में रह जाएंगे। इनको पता नहीं क्या कि घूघरे खाते थे बच्चे (व्यवधान) आज गरीब बच्चा जो भूखा मरता था, नेकर फटा हुआ फिरता था, जो बच्चा नंगा फिरता था आज उस बच्चे को स्कूल भेजा गया है, उस बच्चे को खाना मिल रहा है। आज हर आठवीं क्लास बच्चे को अच्छा खाना मिलता है जो इनको अखर रहा है क्या ? कितने करोड़ रुपये खर्च हुए, आठवीं क्लास तक, फ्री स्कूल, फ्री शिक्षा है। आज बच्चों को साइकिल की सुविधा, आज करोड़ों रुपये गांव के अंदर, हमारे जो ट्राइबल्स है उसमें क्या क्या सुविधाएं दी है इनसे कुछ छिपा है क्या। आज कितने कुएं खुद गए, कितने टयूबवैल खुद गए, कितने हैंडपम्प खुद गए, इनसे छिपा हुआ है क्या, यह प्रगति नहीं है क्या ?

आपको कौन मना कर रहा था, आपको किसने रोक रखा था, आपने क्यों नहीं सुविधाएं उपलब्ध कराई, आपको रोकने कौन आया था? आपमें शक्ति नहीं थी, इच्छाशक्ति नहीं थी, कार्य करने की शक्ति नहीं थी। सबसे बड़ी बात, पक्का इरादा नहीं था, यदि आपका इरादा होता और यह होता तो जिस तरह हमारे मुख्य मंत्री ने बात की, पकड की है और पांच साल में इतना काम यह कोई छिपी हुई बात है क्या । इतने कालेज कभी सपने में सोचा था ? प्राइवेट कालेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सपने में भी नहीं सोचते थे हम तो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी राजस्थान में हो सकती है। कम उपलब्धि है ? आपके गांव में सड़क नहीं पहुंची होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 400-500 गांवों की तो मैं नहीं कह सकता बाकी इतनी सुंदर सड़कें, इतनी टिकाऊ सड़कें, जिसकी गुणवत्ता में असत्य आरोप लगाते हैं। आपने कभी शिकायत की क्या, आप कोई ऐसा लेटर बता सकते हो क्या, ऐसी कोई शिकायत की ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमने एक-दो दफा शिकायत की तो जो कन्सर्ट मंत्रीजी हैं उन्होंने एक्शन लिया।

आपने कभी देखा है, थाने की हालत देखी है, चोरों की हालत देखी है? आज क्राइम में कितनी कमी आई है, आपने कभी ऐसा होम मिनिस्टर देखा? (व्यवधान)

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): भंवरजी भाईसाहब, यह वापस उस क्षेत्र में जीतकर गये ही नहीं, आप इनसे तुलना न करें। (व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): हां, यह नहीं गये। मैं तो उनकी कह रहा हूं जो इसका क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बातें कह रहा हूं। मैं कहता हूं, गृह विभाग की बात कहता हूं, कितनी क्राइम में कमी आई यह छिपी हुई बात है क्या, थाने खुले हैं आज कितनी संख्या में, आप गृह मंत्रीजी के बारे में...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): यह अंगुली आप कर कहां रहे हो, यह तो खाली पड़ी है। (व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): मैं इन सीटों को सराह रहा हूं। ऐ सीटों, मैं इन सीटों को कह रहा हूं सीटों तुम जाकर...(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): चोरियां ज्यादा बढ़ गई इसलिए थाने खुले। मुकदमें ज्यादा हुए, अपराध बढ़े।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): नहीं बढ़े।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): जगह-जगह आपने गोलीकांड कराए, लाठीचार्ज कराए उनको पकड़-पकड़ कर लाने के लिए, किसानों को जेलों में ठूंसने के लिए आपको पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ी। (व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): किसने कहा था आपको झगड़े करने के लिए, यह पोलिटिकल झगड़े हैं आपके। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): कितनी खालें बनी (व्यवधान) शिकायत उसमें शुरू हुई...

**श्री उपाध्यक्ष:** आपस में मत उलझिये, आप अपनी बात कहिये।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, लड़ाई हुई, पोलिटिकल झगड़े...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): क्या हमसे छिपा हुआ है, क्या मैं कल का बच्चा हूं जो आप मुझे कह रहे हो ? यह झगड़े आपकी राजनीति से खड़े हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): आपके पैदा किये हुए झगड़े हैं। रास्ते पर झगड़े, बिजली पर झगडा किया करते थे। (व्यवधान) आज कम से कम 1900 गांवों में 24 घंटे बिजली जाती है, आज 19000 गांवों में बिजली जाती है। झगड़े तो आप कराते थे, इस झगडे का कारण पोलिटिकल रीजन था। क्या विकास झगड़ा कराता है, विकास से झगड़ा कभी नहीं होगा। आज स्कूल में बच्चे जाते हैं तो जाते ही हैं। आपकी बच्चियां साइकिल लेकर जाती हैं तो जाती ही हैं। आपको अस्पताल में अच्छा इलाज मिलता है तो मिलता ही है। आपको कालेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है तो मिलता ही है। उसमें सरकार यह देखती है कि यह विपक्ष का बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्या सरकार यह देखती है कि विपक्ष का बच्चा हॉस्टल में नहीं जाएगा, क्या सरकार यह देखती है कि यह लड़कियां जिनको साइकिल दी है उसमें विपक्ष की भी है, कांग्रेस की भी है ? देखती थोड़े ही है, यह तो आपके सोच की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह देख रहा हूं हमारी सरकार ने पक्के इरादे से काम किया है, जनता की नब्ज को समझा है। सही बात तो यह, अब आप झेंप मिटाओ तो आपकी मर्जी की बात है बाकी सत्य बात तो यह है आपने काम नहीं किया, आपके पास पक्का इरादा नहीं था। पक्का इरादा नहीं था, कोई टारगेट नहीं था यदि पक्का इरादा होता और आपका डिटरमिशल होता तो आप अच्छे दिन लाते, यही तो कारण है, आपके इतनी कम संख्या में आने का कारण ही यही है।

आने वाले समय में जनता क्यों नहीं चाहेगी, हमने कौन से सैक्टर को नहीं छुआ है, एक गरीब से लेकर टांका देने वाले, नाई से लगाकर, धोबी से लगाकर, गरीब से लेकर बुढे से लेकर विधवा से लेकर परित्यक्ता से लेकर, शिड्यूलड कास्ट से, शिड्यूलड ट्राइब से, किस आदमी को नहीं छुआ है। जिसको हमारी सरकार ने छुआ नहीं है, दुःख-दर्द को नहीं देखा, देखा है। मैं आंकड़ों से नहीं बताना चाहता हूं, आंकड़े आपके पास पड़े हैं। मैं तो एक बात कहता हूं जो कुछ आपके सामने हैं इसको नकारो मत, आप नकारोगे तो पीछे रह जाओगे।

मुझे याद आई बात, एक स्कूल में एक अध्यापक ने बोर्ड पर एक लाइन खींची और कहा बच्चों इसको छोटी कर दो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बच्चे ने थूक लगाकर बोर्ड से उसको आधा कर दिया, मास्टर हंसे कि ऐसा नहीं। एक चतुर, वसुन्धराजी जैसा कोई चतुर था उसने चाक लेकर लम्बी लाइन खींच दी कि यह छोटा हो गया। ऐसा करके दिखाओ कार्यकर्ताओं, आप गांवों में

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

जाओ और गांव के दुःख-दर्द को सुनो। अभी भी सुनो, समय है, तो कुछ संख्या आ सकती है नहीं तो जैसा मदेरणाजी की पुत्रवधू ने कहा ना यह संख्या घट सकती है। हम काम कर रहे हैं, हम लम्बी लाइन बनाने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार लम्बी लाइन के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में कर रही है, कोई क्षेत्र नहीं छोडा। आज एग्रीकल्चर में, मैं एक बात कहता हूं, आपसे क्या छिपा हुआ है, आप सैक्रेटेरियट जाते हो क्या यह सैक्रेटेरियट यही सैक्रेटेरियट था पहले ? यहां कोई धर्मशाला की तरह था, जैसे हाट लगी हुई मोटरसाइकिलें पड़ी रहती थी। आज सैक्रेटेरियट का रूप देखिये, आज सीएम हाउस देखिये। सीएम तो आपके भी थे। सीएम हाउस ऐसा लगता है जैसे कोई म्यूजियम हो। आज एग्रीकल्चर, स्थान देखिये, काश्तकार के ठहरने का स्थान देखें, जाकर देखें तो सही आप। (व्यवधान) किसान-किसान करते हो, जाकर देखो सात करोड का बना हुआ है, उस भवन को देखो, ऐसे पूरे जिले में बनेंगे। (व्यवधान) वहां पर खाना 20 रुपये में मिलता है, आपको गलतफहमी है, आप दूर दूर से बाते करते हैं। किसान हाउस में जाएं। 20 रुपये में खाना मिलता है, कमरा 10 रुपये में मिलता है, इतनी सुविधा आपने नहीं देखी होगी, इतना सुंदर भवन नहीं देखा होगा आपने। (व्यवधान)

इनको तो जनता ने छोड़ दिया, मैं क्या छोड़ूंगा। जनता ने छोड़ दिया और छूटते जा रहे हैं। असत्य क्रिटिसाइज न करके आपको यह कहना चाहिए, सत्य स्वीकार करना चाहिए कि यह आपने अच्छा काम किया है। आप कंसट्रेक्टिव सजेशन दीजिये कि जैसे कोई आदमी यह कहता है कि यह स्कूल इतनी बड़ी थी, उसमें यह और होना चाहिए। यह बात तो हमारी समझ में आ रही है। आप सरासर असत्य बोल रहे हैं। सड़क कल बनाई, आज फोड़ी, यह कोई होने वाली बात है। कल स्कूल में ऐसा.... (व्यवधान) आज स्कूल में इस तरह से, आज शिक्षा का प्रतिशत कितना बढ़ गया यह देखो आप। कल हम 30 हजार स्कूल खोल रहे हैं। आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या उसमें। मैं तो संक्षेप में यही निवेदन करना चाहता हूं, मुझे कोई आंकड़ों से लेना-देना नहीं है। आंकड़े इनके पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। किताबें हमारी बनी हुई हैं। लेकिन सत्य यह है कि हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने विकास किया। कोई स्टेटमेंट नहीं सुना।

**श्री उपाध्यक्ष:** धन्यवाद। श्री बत्तीलालजी मीणा।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): मैं दो-तीन बात, उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपके साथी आप से भी तेज हैं। (व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): नहीं, आधा ही मिनट। मैं अपनी एक छोटी, आधे मिनट में ही...

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे सबसे बड़ा मकराना क्षेत्र में जो काम किया है वह है मेरे 20 साल से इनकी सरकार के टाइम की डबल रोटी, मेरी मण्डी से मिलती थी, उस मेरी मण्डी का भट्ठा बैठा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, भट्ठा क्या बैठ गया था, उससे कई बाइ-प्रोडक्ट जैसे होते हैं, किशनगढ़ की मण्डी पनप गई, उदयपुर की पनप गई, चित्तौड़ की मण्डियां पनप गई, उसको हमारी बात को गम्भीरता से मुख्य मंत्रीजी ने लिया और उसमें इस टैक्स को एडजम्प्ट किया, माफ किया। इससे हमारी मण्डी को बहुत सहूलियत होगी, एक बात। दूसरी बात, हमारे खान मंत्रीजी ने, हमारी जितनी खानें जो रेगुलराइज नहीं थीं, उनको रेगुलराइज किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, एक बात और, दो सजेशन हैं मेरे। एक जो मैंने देखा, मैं इनको जनरल रूप में कह रहा हूं। एक तो सरकार ने फोरेस्ट गार्ड नहीं रखे। मैं देखता हूं, गार्ड बिना आपका फोरेस्ट अधूरा है, लोग बकरियां चरा देते हैं। एक होम डिपार्टमेंट में जो आपने दो हजार सिपाही लगा दिये, मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अब पोस्ट भरनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है, इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: बहुत-बहुत धन्यवाद, श्री बत्तीलालजी।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री): एक कविता सुनाइये, दो लाइनें सुनाइये।

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): भीतों को सुनाऊं क्या मैं, भीतों को नहीं सुनाना चाहता हूं, धन्यवाद।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट पारदर्शी सरकार का संवेदनशील और कल्याणकारी बजट है। मान्यवर, जब अविकसित राज्यों को विकसित करने का मार्ग ढूंढा जाएगा, जब यह बजट, वेद में मंत्र और गणित का सूत्र तथा राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में काम करके लोगों का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह बजट वह बजट है जो सही नीयत और नेक इरादों से,

(श्री बत्तीलाल)

जनता को चकमा देने के लिये नहीं, जनता की जन-कल्याणकारी भावना, गरीब को गणेश मानकर पूजा करने के लिये बनाया गया है।

मान्यवर, यह कोई मामूली बजट नहीं है। इस बजट में वह चीजें हैं जो राजस्थान को अविकसित राज्य से विकसित श्रेणी में लाये। और इनको हम आंकड़ों के द्वारा समझाएं तो इनके समझ में नहीं आयेगा। मैं इनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क के मामले में आपकी सरकार 5 बार चुनकर आती, 5 बार जनता को वोट डालने पड़ते, उतना काम हमने एक बार में कर दिया। क्या आप नहीं मानते यह? 5 बार वोट डालने पड़ते, उतना काम हमने एक बार कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? राजस्थान की जो रेतीली माटी थी और जो धोरों की जमीन समझा जाता था, उस जमीन को अब लोग कहने लगे कि जमीन दमदार है, सोने का कण है। क्योंकि हमने गांव-गांव तक सड़क बना दी। और सड़कों के कारण आप मानकर चलेंगे कि जमीन के भाव क्या हो गये। आज जो जमीन कौड़ियों के भाव बिकती थी वह रुरल कनेक्टिविटी के कारण आज लाखों-करोड़ों रुपये में बिक रही है। यह क्यों बिक रही हैं। यह कारण है कि हमने गांव-गांव को सड़क से जोड़ा है। गांव-गांव में जहां भी माननीय राठौड़ साहब गये हैं, वहां एक ऐसी चेतना है, ऐसी सड़क बनाई है, जो वास्तव में एक किसान को, हमारी जमीन की कीमत बढ़ी, जमीन सोने के भाव हो गई। यह क्या कारण है। जो हमने आधारभूत...(व्यवधान) आप सुनिये साहब, रघुवीरसिंहजी, आज आप अर्थशास्त्र को समझेंगे नहीं। मैं आपको यह कह दूं अगर हमने ऋणों का भार कम किया है, हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है तो आपके समझ में नहीं आयेगा। हम 30 प्रतिशत से राजकोषीय घाटे को लाकर के 3 प्रतिशत ले गये तो आपके समझ में नहीं आयेगा। आपके समझ में नहीं आयेगा, हमने योजनाओं का आकार बढ़ाया है और 22 हजार करोड़ से 52 हजार करोड़ रुपये ले गये। आप 22 हजार करोड़ पर रोक रहे थे, आपसे ढाई गुना बढ़ा दिये। तो आपके समझ में यह भी नहीं आयेगा। मैं इकोनोमिक्स का विद्यार्थी हूं। यदि इकोनोमिक्स की बात करें तो आपके समझ में नहीं आयेगा। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये ना साहब, हमारी जमीनों के भाव इसलिये बढ़े कि हमने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया। गांव को शहर बनाने के लिये, ताकि गांव की जनता शहरों की ओर पलायन नहीं करे, इसके लिये हमने गांव से बिजली, पानी, सड़क और हेल्थ, सारी सुविधा प्रदान की है।

(श्री बत्तीलाल)

यह बजट नहीं, यह जीवन का महाकाव्य है। जैसे शिशु मां के गर्भ में आता है और सारे क्रियाकलाप करके अन्त में इस धरा-धाम से जाता है, वह सारे जीवन की प्रेरणा इसमें दी गई है। आप मानिये, जब मां के पेट में शिशु आता है, उसमें हम सारी व्यवस्था, उसकी जननी-हैल्प सेवा प्रदान की गई। हमने वह किया है जो पहले राजा-महाराजाओं और सेठ साहूकारों के बच्चे जहां जन्म लेते थे वहां एयर-कंडीशन कमरे बनाकर के और गरीब के बच्चे को जन्म दिया जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं मेरे गुढाचन्द्रजी के स्थान के बारे में कहता हूं। वहां सी.एच.सी. है। वहां न कभी डाक्टर मिलता था, न कभी दवा मिलती थी। आज वहां एक करोड़ का बजट देकर के माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब ने एक इस तरह का एयर-कंडीशन रूम बना दिया है जहां पर गरीब महिलाओं के प्रसव होता है। इससे ज्यादा बात कोई हो नहीं सकती है। हमने चरम सीमा तक पहुंचा दी है बात को। मान्यवर, ये क्या करेंगे। इनके पास न कोई दवा थी, न पट्टी थी। लेकिन हमने जो किया है, वह मानवता याद रखेगी। फिर जब बच्चा जन्म लेकर के वह कैसे स्कूल में जाएगा और जैसे गरीब के बच्चे को जैसे महामाया देवी ने जितना लाड़ लड़ाया है, इस बजट के अन्दर इन चार सालों में, ऐसा कोई लड़ा नहीं सकता है। मान्यवर, आप मानिये कि आपने पहले घूघरी खिलाकर देश को कितना कमजोर कर दिया। हमारा बच्चा राजकुमारों जैसे जाकर वह खुराक पाता है, सात दिन में मिड-डे मील के अन्दर से, अलग-अलग तरीके की, वह कैसा हैल्दी उसका शरीर होता है, आपने कभी देखा था, उसको चैक-अप किया जाता है, जैसे कि फौज में भर्ती करने से पहले लड़के को चेक-अप करते हैं। वैसे आप जानते हो कि इकोनोमिक्स का यह सिद्धान्त है कि राष्ट्र की पूंजियों में मनुष्य का, नागरिकों का स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पूंजी होता है। हमने इस ओर पहली बार ध्यान दिया है कि यदि नागरिक स्वस्थ होंगे तो वह देश आगे बढ़ेगा। उनकी कार्यक्षमता ज्यादा होगी। (व्यवधान) आप सुनिये, मान्यवर रघुवीरसिंहजी, आप इसमें जानते तो कुछ हैं नहीं। जापान हमारे देश के साथ-साथ आजाद हुआ था। लेकिन आज हम कांग्रेस के टाइम में भीख का कटोरा लेकर घूम....(व्यवधान) बार-बार पढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को नष्ट कर दिया गया था। मान्यवर, आप तो 10 मिनट ही देंगे, इसमें मुझे जो बात कहनी है...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह विद्वान हीरा कहां छिपा रखा था। यह विद्वान हीरा कहां छिपा रखा था आपने।

**श्री हीरालाल** (निवाई): यह आपके समझ में नहीं आयेगा।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): दाढ़ी बढ़ाने से और हमला करने से भी कोई ज्यादा विद्वान नहीं होता। आप मेरी बातों का तर्क दीजिये। एक रथ आप बैठाइये, एक रथ में हम वसुंधराजी को ले सकते हैं जिसके सारथी होंगे घनश्याम तिवाड़ी और हनुमानजी की तरह ध्वजा में होंगे राजेन्द्रजी राठौड़। आप तो एक गांव में चलिये ना। आपको कौन घुसने देगा गांव के अन्दर। आपने क्या किया है जो गांव में घुसेंगे। हमें कैसे विद्यार्थी पैदा करने हैं मान्यवर और ये कैसा विद्यार्थी पैदा करना चाहते थे, महादेवी वर्मा का घीसा। आपकी समझ में नहीं आयेगा। और हम कैसे करना चाहते हैं, चाणक्य चन्द्रगुप्त। आप मान लीजिये हम कैसा करना चाहते हैं विद्यार्थी चाणक्य चन्द्रगुप्त। आपके यह बात समझ में नहीं आयेगी। आपके तो क्या है कि ऐसी शिक्षा देंगे कि पढ़े भी लेकिन आगे नहीं बढ़े। आपका तो मतलब यह था कि देश गरीब रहे। आपकी कांग्रेस ने कितना राज किया, 40 साल। हारी कांग्रेस उदयपुर में, हारी कांग्रेस बांसवाड़ा में, हारी कांग्रेस भीलवाड़ा में। अब वहां के आदिवासी और एस.टी., एस.सी.। यह देखना हालत, और वहां उनको पहनने को कपड़ा नहीं। इनको मानव कहने में भी शर्म आती है। लेकिन वसुंधराजी के राज में उनके लिये कितना कुछ किया गया। महिलाओं के लिये पहली बार 50 प्रतिशत रिजर्वेशन करके यह सिद्ध कर दिया हिन्दुस्तान के अन्दर, हमारी मुख्य मंत्री कितनी साहसी, कितनी संवेदनशील और कितनी कल्याणकारी हैं, जो महिलाओं द्वारा, समाज को चलाने के लिये दो पहियों की आवश्यकता है। एक पहिया तो आपने बिलकुल पंक्चर कर रखा था और आज भी पंक्चर है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं 33 प्रतिशत। नहीं दे सकते हैं आप। मान्यवर, इनमें कुछ क्षमता नहीं है। न राज करने की क्षमता है। मुझे तो दया आती है क्योंकि आज ये कोने में आ गये, जैसे कोने में मरीज आ जाता है ना। मान्यवर, मैंने कल एक अख़बार में पढ़ा था और अखबार में क्या देखा कि सोनियाजी मायावती के चरण छू रही हैं और कह रही हैं कि और करो जो करो पर संजयसिंह को अमेठी में खड़ा मत कर देना। हमारा तो परिवार का ही सत्यानाश हो जाएगा। यह बात आज देखने को मिल रही है। आपने चकमा बहुत दिया है दुनिया को। इसलिये आपके सारी बात समझ में आ जाएगी। मान्यवर, आप 10 मिनट ही देना चाहेंगे, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

(श्री बत्तीलाल)

मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मान्यवर, अब शिक्षा के बारे में ले लीजिये। शिक्षा के बारे में हमने कैसे-कैसे काम किये थे। शिक्षा के बारे में हमने क्या-क्या काम किये हैं। घनश्यामजी तिवाड़ी का सपना था कि कैसे विद्यार्थी पैदा किये जाएं। जिनके शरीर में, जिनकी भुजाओं में यथेष्ट बल हो, जिनके चेहरे पर आभा हो। जिनकी बुद्धि में पांडित्य हो और जिनके मन में प्रचण्ड इच्छा-शक्ति हो ओर वह दिखने में कैसे लगें, जैसे कोई महापुरुष की आकृतियां प्रतीत होती हों। ऐसे विद्यार्थी हम पैदा करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है आदर्श राजस्थान का निर्माण करना। हमारा लक्ष्य है कि लोग हमारा अनुसरण करें, हम आगे-आगे जाएं, लोग पीछे आएं।

आपके टाइम में क्या था कि लोग बुलाने पर भी नहीं आते थे। एक दिन मैं जयपुर आया तो मैंने क्या देखा मान्यवर, कि यहां पर बंदरों को पकड़ा जा रहा है। गायों को पकड़ा जा रहा है तो मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा है? तो बोले साहब, बाहर से कोई आएंगे उद्योगपति इसलिए कहीं शहर गंदा नहीं हो गाय के गोबर से, कहीं बंदर उछल-कूदता नहीं दिखे, तो मैंने कहा बढ़िया है। उनको लाकर उन्होंने किया और दो करोड़ रुपये खर्च किये और उन्होंने कहा कि तुम हमको क्या-क्या आधारभूत सुविधा दोगे जिससे हम उद्योग लगायें तो बोले, वैसे तो हमारे पास में कुछ नहीं है। तो बोले, तुम दिवालिया हो तो हम ऐसे मूर्ख थोड़े ही हैं हम पूंजी डूबाएंगे और दो करोड़ रुपये तो खर्च हो गये और एक पैसा भी पूंजी का निवेश नहीं हुआ। आप अब देखिये न कि लाइन लग रही है हमारे पीछे। हमारी साहूकारी को देखिये आप। गरीब आदमी को कोई जमीन-गहने धर कर भी पैसा नहीं देता है, वह हालत आपकी थी और साहूकार व्यक्ति के बिना ब्याज पर भी लोग पैसा बांट जाते हैं। आप ऋण लेते थे। ऋण लेते थे किसके लिए? ऋण के द्वारा ऋण चुकाने के लिए। आप कर्ज के द्वारा कर्ज चुकाने के लिए ऋण लेते थे। हमने ऋण लिया। ऋण लिया लेकिन पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण किया। हमने प्रदेश के विकास के लिए किया और फिर ऋण की मात्रा वह नहीं, आपके टाइम में अनाप-शनाप ऋण का भार बढ़ा था। हमने बिना करों के जनता पर भार डाले हुए राजकोष को इतना समृद्ध किया है कि आप इसका अन्दाजा भी नहीं लगा सकते। (व्यवधान) 30 परसेंट से 3 परसेंट ले आये।

मान्यवर, हमारा इरादा अलग है। हम राजस्थान में, हिन्दुस्तान में

(श्री बत्तीलाल)

एक अलग तरह की राजनीति पैदा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम राजस्थान को यह दिखा दें कि हमारी राजनीति स्वच्छ है। हमारे इरादे नेक हैं और हम क्या करना चाहते हैं जो माननीय शेखावत साहब के रूप में हमने राजस्थान को दिया, हिन्दुस्तान को दिया, महामहिम उप राष्ट्रपति, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हम हमारी महामहिम यह ममतामयी मां, यह करुणामयी देवी, यह आकर हिन्दुस्तान के आसन को सुशोभित करें। इस तरह की हम परिकल्पनाएं कर रहे हैं सारी की सारी। हमारा इरादा कोई मामूली इरादा नहीं है। हमारा इरादा यह है कि हमको कुछ नहीं चाहिए। मुझको पत्रकारों ने पूछा कि आप वसुन्धराजी को देवी कैसे मानते हो? तो मैंने कहा कि देवी-देवताओं की यह परिभाषा है कि जो दूसरों के लिए जीता है, जो गरीब की सहायता करता है, भगवान को भी इसलिए भगवान कहते हैं कि हे भगवान, तुम दीन बंधु हो, तुम दीनों की रक्षा करना इसलिए पूजा करते हैं। वसुन्धराजी को कुछ भी नहीं चाहिए। उनको केवल गरीब के लिए चाहिए और गरीब को गणेश मानकर जो पूजा करते हैं, आप कहते हैं कि उनको साड़ी दी। आप कहते हैं कि उनका क्या किया? उनकी 73 रुपये से 100 रुपये मजदूरी बढ़ायी वह तो आपने नहीं कहा और हमारे कोई जाते हैं गांवों में और साफ़ा बंधाता है तो क्या वह हमारे लिए रिश्वत हो गयी? नहीं, वह हमारे सम्मान का प्रतीक है। हमने उस बहन का, उस माता का, उस जननी का सम्मान किया है, साड़ी देकर जिस तरह कृष्ण भगवान ने द्रोपदी की साड़ी बढ़ायी थी, हमने उसका सम्मान किया है। हमने कहा, उसको आप रिश्वत समझते हो, वह साड़ी बांटती है तो। आपका क्या था? आप किस तरह का भारत पैदा करना चाहते हो? किस तरह का राजस्थान चाहते हो? बोला, हमने यह एन.आर.ई.जी.पी. लागू कर दी, साहब। राष्ट्रीय रोजगार हमारा है। यह राष्ट्रीय रोजगार में माटी खुदवाते होंगे आप। हमने इतने लोगों को सर्विस दी है। आप अंदाज लगाओ कभी आप में यदि दम है तो सेण्ट्रल से पैसा लाइये। हर गरीब आदमी को परमानेंट नौकरी दीजिए। यह क्या है? यह तो माटी खोदने का धंधा है। इससे हिन्दुस्तान में हम वर्ल्ड लेवल पर, हम हाई-क्लास बन सकते हैं क्या? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बत्तीलालजी।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): क्या संसार में प्रदेश को हम ले आएंगे? हिन्दुस्तान को हम 21वीं सदी में, 20 साल बाद में जो हमारे पूर्व उप राष्ट्रपति

(श्री बत्तीलाल)

महोदय ने यह परिकल्पना की थी कि हम विश्व के प्रथम तीन नम्बर की शक्ति होंगे तो क्या आप माटी खुदवा कर और इसको प्रथम नम्बर की शक्ति बनाना चाहते हो? नहीं। हमारे इस तरह के उद्योग-धंधों का विकास नहीं किया। आप हमारी तरफ पूंजी का निवेश करवाइये। आप हमारी तरह उच्च व्यवसाय की शिक्षा दीजिए। आप हमारी तरह आधारभूत ढांचों को मजबूत कीजिए। हमने क्या-क्या नहीं किया? सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में वसुन्धराजी ने जो सोचा कि गांव का एक लड़का चिमनी से पढ़ता है और एक शहर का लड़का जो 24 घंटे लाइट आती है, वह व्यवस्था, मान्यवर, हमने 35 हजार गांवों में कर दी और हम यह चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी गांव हैं उनको पूरी की पूरी हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी जाएगी। यह कोई कम बात है? आपने कभी सोचा भी नहीं था।

**श्री उपाध्यक्ष:** बीच-बीच में नहीं।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): संसदीय सचिव के एक-दो पद तो बढ़ाये जा सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): आपने कभी यह नहीं सोचा था कि बिजली कहां से पैदा होगी। हमारे टाइम में कभी कोई हड़ताल हुई है? अब आपके तो एक बार आये, साहब। आपने एक बार बहुत अच्छा काम किया कि महापड़ाव यहां रखा। उसके बाद में आपको आदमी 100-100 रुपये में नहीं मिल रहे हैं लाने के लिए। कहां गये वह आपके महापड़ाव आन्दोलन? कभी कोई आन्दोलन करवाते तो सही आप जाकर कहीं। देखो, न कोई किसानों में आन्दोलन, न कोई कर्मचारियों में आन्दोलन और न कोई मजदूरों में आन्दोलन, कहीं है ही नहीं, सारा वर्ग हमसे संतुष्ट है।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): सारा वर्ग हमसे संतुष्ट है। हम वैसे भी, क्या मुंह लेकर आप गांवों में जाओगे? आप किसको भड़काओगे? यह चकमा बहुत चल दिया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): आपको गुजरात का याद है। चार बार में कांग्रेस नहीं आयी वहां पर। आपको अच्छी तरह से याद है कि यू.पी. में आज तक आप 20 साल से गिर गये। पैर नहीं ले रहे हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बैठिये। स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): और हमसे यहां तक बात कर रहे हो कि यह करेंगे, वह करेंगे। मान्यवर, अब मैं मेरे क्षेत्र के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा। आपने मुझे घंटी बजा दी है। मेरे एक कालेज की आवश्यकता है। कालेज खुल जाना चाहिए। मान्यवर, और तो सब काम कर दिया और मेरे क्षेत्र में कालेज खुलना चाहिए। आपने टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष:** डा. सी.एस. बैद।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): डा. सी.एस. बैद साहब, यह तो इकानोमिक्स के स्टूडेंट थे इसलिए इन्होंने तो विस्तृत व्याख्या कर दी। आप तो मेडिकल के रहे हो इसलिए आप क्या करेंगे अब?

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): यह पोस्टमार्टम करेंगे।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): कांग्रेस का खतम हो गया समय लेकिन अब डाक्टर साहब बोलेंगे तो कोई न कोई सर्च करके ही बोलेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष:** ज्यादा नहीं बोलेंगे। डाक्टरों का समय खतम नहीं होता। इतना ज्यादा लम्बा बोलते भी नहीं हैं यह। हां, डाक्टर साहब, शुरू करिये। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ठीक से डायग्नोसिस करके। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** अच्छे सुझाव देंगे। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें बिन्दु संख्या तीन, उसमें आखिरी लाइन में आपने यह लिखा है कि हम राज्य को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर ले आये हैं। 2004 से लेकर आज तक पांच बार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण हो गये और पांच बार बजट प्रस्तुत हो गया और राज्य में कई बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में है। अब गेट पर खड़े हैं। अब बाहर निकल रहे हैं। बीमारू राज्यों की श्रेणी से, यही तक नहीं इन्होंने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, धाभोस के अन्दर बोला कि हम बीमारू राज्यों की श्रेणी में हैं और अब बाहर निकल रहे हैं और अमरीका में भी बोला, स्वीट्जरलैण्ड में

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

भी बोला और इंग्लैण्ड में भी बोला। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान की 6 करोड़ 40 लाख जनता, जो बार-बार बीमारू कहकर आम आदमी के स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुंचायी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जब यह पूछा गया कि बीमारू राज्य क्या होते हैं, बीमारू राज्यों के होने का मापदंड क्या है और आपने बीमारू राज्यों से बाहर आने के लिए कौन-कौन से इंडिकेटर हैं, उनमें क्या-क्या सुधार किया, 2004 से लेकर अब तक। जवाब में क्या मिला? जवाब में, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से कि सरकार द्वारा बीमारू राज्यों के क्या मापदंड है, किन आधार पर निर्धारित किये गये हैं, निर्धारित मापदंडों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उसके जवाब में लिखा है कि सरकार द्वारा बीमारू राज्य के कोई मापदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं। जब मापदंड ही आपने निर्धारित नहीं किये तो यह क्या बरगलाने के लिए आप बार-बार कहते हैं कि आज बीमारू है, कल बीमारू से बाहर आ गया, अब और परसों गेट के ऊपर खड़ा है। ऐसा कह कर राजस्थान की जनता के आत्म-सम्मान को आपने ठेस पहुंचायी है और बिना किसी आधार के बार-बार यह कहते रहे कि आज बीमारू है और आज बीमारू राज्यों की श्रेणी में से बाहर आ गया जबकि जो हैल्थ इंडिकेटर्स हैं, जो हैल्थ इंडिकेटर्स यूनिसेफ ने स्टडी करके बनाये हैं उसमें साफ-साफ उन्होंने यह मेंशन किया है कि राज्य अभी भी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता है। क्योंकि हैल्थ के जो इंडिसेस उन्होंने फिक्स कर रखे हैं, जैसे स्वस्थ मातृत्व, गर्भावस्था की देख-भाल, बाल-विवाह, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वेक्सीनेशन और कुपोषण, यह सारे जितने भी हैल्थ के इंडिसेस हैं, इनके अन्दर आज भी हम बीमारू राज्यों की श्रेणी में हैं और बीमारू राज्यों की जो डेफिनेशन साइंटिफिकली बना रखी है, उसको किसी भी व्यक्ति ने, आज यहां माननीय घनश्यामजी बैठे हैं, सीनियर मंत्रीगण बैठे हैं, कोई यह बता दें सदन को कि बीमारू राज्यों के मापदंड क्या है?

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भीख का कटोरा और तिजोरी में जो अन्तर है न, वही अन्तर है। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): अब आप। (व्यवधान) आप तो चिकित्सा मंत्री हैं। आप तो शायद यह समझ रहे होंगे कि बीमारू का मतलब बीमार राज्य है। वह नहीं है, साहब। इसको, वर्ड को अलग तरीके से का-इन करके साइंटिफिक आधार पर बनाया गया है। जिससे कि देश के वह राज्य जो

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कई आधारों पर पिछड़े हुए हैं, उनके ऊपर स्पेशल ध्यान देकर उनको उस श्रेणी से बाहर निकालकर और देश के अन्य भागों के समकक्ष खड़ा किया जा सके।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने जो इंडिकेटर बताये हैं न, 60 परसेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पिछले पचास वर्षों में आप नहीं कर पाए, हमने किया है। इन्फेंट मोटेलिटी रेट घटी है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): बीमारू राज्य केवल हैल्थ से इंडिकेट नहीं करते हैं।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैं कब कह रहा हूं। आप तो ... (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): उसमें इण्फ्रास्ट्रक्चर आता है। उसमें ड्रिंकिंग वाटर आता है, उसमें एनर्जी आती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आता है। रूरल डवलपमेंट आता है। इण्डस्ट्री आती है। प्रति व्यक्ति आय आती है इसमें। इन सबको मिलाकर फिर इंडिकेट तय होते हैं कि यह बीमारू है या नहीं। आपने यह राज्य का पूछा है कि राज्य ने तय किये हुए हैं क्या? राज्य तय नहीं करता है यह। यह केन्द्र के सर्टेन वहां पर कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर तय होता है। राज्य तय नहीं करता है। आपने राज्य ने तय किया है क्या, यह पूछा है सवाल। आप पढ़ लीजिए क्या पूछा है। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आपने जो यह बताये इंडिकेटर, वह तो पूरी दुनिया जानती है कि कौन-कौन से इंडिकेटर्स हैं लेकिन आपने कभी आज तक यह बताने का प्रयास किया क्या कि 2004 के बाद से ... (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): यह स्टेट तय नहीं करता है। स्टेट तय नहीं करता है। आपने स्टेट का पूछा है इसलिए देखिये मैं आपको टोक रहा हूं, सारी I don't want to interrupt you. यह स्टेट का पूछा है आपने। क्या राजस्थान सरकार ने इस तरह के मापदण्ड तय किये हैं? यह पूछा है आपने। कोई स्टेट यह तय नहीं करता है। अगर स्टेट तय कर लेगी तो कैसे पता चलेगा महाराष्ट्र विकसित प्रदेश है, आन्ध्र प्रदेश विकसित प्रदेश है या बिहार की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की क्या है। यह सेंट्रल कुछ इंडीकेटर्स तय करता है, उसके आधार पर तय होता है कि यह बीमारू राज्य है, यह बीमारू राज्य से आगे बढ़ गया, यह विकसित प्रदेश है, यह अविकसित प्रदेश है। वह पैरामीटर्स वहां से हैं। अब आपने स्टेट का पूछा है, स्टेट कोई भी तय

(डा. एन.एस. गुर्जर)

नहीं करता, इसलिए जवाब दे दिया कि हां, कोई तय नहीं किये इंडीकेटर्स। अब आप उसको कोट करके यह कर रहे हो कि आपने यह कह दिया, यह नहीं किया, इसका कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): आप तो सांसद रहे हो, वह सांसद नहीं थे।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं बोलूं जब बीच में नहीं बोलें, बाद में बोल दें और जो विद्वता का बखान कर रहे हैं कि यह बीमारू क्या होते हैं, क्या नहीं होते, इनको खुद को नहीं मालूम बीमारू के कौन-कौन से इंडीसेस हैं? इनको यह नहीं मालूम कि 2004 के बाद में साल दर साल कौन-कौन से इंडीसेस के अंदर कौनसा सुधार हुआ है और कौन-कौनसे इंडीसेस ऐसे हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि बीमारू राज्य की श्रेणी के बाहर आ गया और कौन से ऐसे हैं जिनमें अभी भी हम पिछड़े हुए हैं और जिनमें सुधार की आवश्यकता है, यह सबको मालूम है, आप मुझे क्या बता रहे हो? (व्यवधान)

**डा. एन. एस.गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें फिस्कल स्ट्रस भी इन्क्लुड होता है, इसमें फिस्कल डेफिसिट भी इन्क्लुड होता है, फाइनेंस एण्ड हैल्थ की क्या स्थिति है, वह भी इन्क्लुड होता है। There are certain para-meters which decide that which state is…..(interruption)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आपने क्या राज्य की जनता को यह बताने का प्रयास किया क्या ? बार-बार कह रहे हैं कि बीमारू श्रेणी से बाहर आ गया, बीमारू से बाहर आ गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी पढ़ी-लिखी हैं, इंटेलीजेंट हैं, मोनिटरिंग करती हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): बीमारू से जुझारू हो गया। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): कौन से इंडीसेस में से बाहर निकलकर आ गया? किस-किस में क्या सुधार हुआ? इसी तरह से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी अभी कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बढ़ गयी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनिसेफ तो इंटरनेशनल एजेन्सी है, वह तो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती, उसकी रिपोर्ट के अंदर है कि जितने भी हैल्थ इंडीसेस हैं, वह नेशनल लेवल के कम्पेरिजन में और दूसरे राज्यों के

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कम्पेरिजन में आज भी पिछड़े हुए हैं, इसलिए हैल्थ इंडीसेस के माध्यम से अगर देखा जाये तो आज भी राजस्थान बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आइन्दा से कोई भी बीमारू राज्य का जिक्र करने के पहले यह सदन को बताया जाये कि बीमारू राज्य की श्रेणी में किस तरह से रखा जाता है और किस तरह से इसको बाहर निकाला जाता है, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): मेरा सुझाव है आप यहां पूछने के बजाय आप किसी एम.पी. से पार्लियामेंट में सवाल पूछवा लें तो इसका वहां जवाब आ जायेगा। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बोलने दो इन्हें।

**श्री उपाध्यक्ष**: बोलने दो, जनरल बात कर रहे हैं।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): बोलो, डाक्टर साहब बोलो।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हो गयी बीमारू राज्य की बात। अब मैं बताना चाहूंगा पाइंट नम्बर-सात। पाइंट नम्बर-सात में कहा कि प्लान का साइज 2004-05 में कितना था? यह था 6,590 करोड़ और अब हो गया 14 हजार करोड़, इस तरह प्लान साइज में बढ़ोतरी हुई 7,710 करोड़ की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखित में भी और अभी जो वाद-विवाद हो रहा था उसके अंदर कई माननीय सदस्यों ने यह बताने का प्रयास किया कि प्लान का साइज कितना बढ़ गया और उसमें बताने की यह कोशिश की गयी कि 1998-03 तक प्लान का साइज क्या रहा और 2002-03 के बाद में इसमें किस तरह से बढोतरी हुई तो यह जो तुलनात्मक चीज है, यह आप पिछले कार्यकाल से इसकी तुलना नहीं कर सकते। हम इस चीज की तुलना 1998 में नहीं कर सकते कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के कार्यकाल में प्लान का साइज क्या था, क्योंकि जब पूरे देश में ही प्लान का साइज बढ़ रहा है, नेशनल प्लान का साइज बढ़ रहा है तो आपको अगर तुलना करनी थी तो आप तुलना करते नेशनल एवरेज से, आप तुलना करते आस-पास के राज्यों से। इससे यह मालूम पड़ता कि पूरे देश में जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति की रफ्तार को राजस्थान पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है और जो नेशनल लेवल पर आंकड़े प्रदर्शित किये गये,

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

उनसे यह साफ हो जाता है कि राजस्थान का जो प्लान साइज है, जिसके बारे में बताया गया, उस प्लान साइज का मैं आपकी इजाजत से यह रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की जो रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंसेज एण्ड स्टडी आफ बजट्स 2007-08, जिसके अंदर प्लान का साइज वैरीयेशन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है तो प्लान का साइज जो 2005-06 में था और 2006-07 में हुआ तो वैरीयेशन परसेंट इसके अंदर था 21 परसेंट और 06-07 के बनिस्पत 07-08 के अंदर वैरीयेशन परसेंट था 14 परसेंट, अब इसकी जब आप आस-पास के राज्यों से तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो नम्बर वन नेशनल एवरेज से कम है, नम्बर टू कुछ राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनके कम्पेरिजन में यह वैरीयेशन परसेंट कम है, क्योंकि इन राज्यों के अंदर प्लान का साइज जिस अनुपात में बढ़ा, वह राजस्थान राज्य के अंदर प्लान का साइज नहीं बढ़ पाया था। यह कहना कि .. (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): मैं आपको टोकना चाहूंगा आन्ध्र प्रदेश का प्लान साइज क्यों बढ़ा? आन्ध्र प्रदेश में, उपाध्यक्ष महोदय, करीब सवा लाख से ज्यादा का उन्होंने कर्जा ले रखा है। वह भी बतायें कर्जा कितना ले रखा है उन्होंने और हमारा कर्जा कितना है? आप एक पक्ष मत बताओ, एज ए होल इश्यू को बताइये कि प्लान साइज उनका क्यों बढ़ा हुआ है?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह अपना ही बतायेंगे, उनका क्यों बतायेंगे? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आन्ध्र प्रदेश के मंत्री की हैसियत से भी जवाब आप दे दो। अब आपको अभी भी गलतफहमी है कि आप अभी भी लोक सभा में हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** सबकी सहमति से। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): उन्होंने आन्ध्र प्रदेश का जिक्र किया इसलिए बता दिया। (व्यवधान) डेढ़ लाख करोड़ का कर्जा है। (व्यवधान)

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा): डाक्टर साहब को डिस्टर्ब करना जरूरी है इनके लिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** आपस में सहमति से है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सरकार तो राजस्थान की पांच साल की योजना मंजूर कराकर लाई है, उसमें 43 प्रतिशत लोन कम्पोनेंट है, यह ध्यान रखना आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप वाली सरकार में कितना प्रतिशत था? (व्यवधान) नहीं-नहीं, आप वाली सरकार में कितना प्रतिशत था?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): नहीं, यह कह रहे हैं न फिर। आन्ध्रा का जब उदाहरण दे रहे हैं तो आप पांच साल की कराकर लाये, उसमें 43 प्रतिशत लोन कम्पोनेंट है, क्या तारीफ कर रह हो आप। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने लोन लेकर पेंशन और तनख्वाह बांटी, हमने लोन लेकर असेट्स क्रिएट किये हैं। आपने हमेशा प्लान साइज बनाया, उसको कभी पूरा नहीं किया। हमेशा प्लान साइज को काटा है।..(व्यवधान)...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप तो उधार लेकर घी पी रहे हो, कोई रिसोर्सेज इससे जनरेट होने वाले नहीं हैं। यह आने वाला वक्त आपको बता देगा। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने एनुअल प्लान से ज्यादा कर्ज लिया है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): नहीं, आप तो यह भी बता दो कि कर्जा कितना बढ़ा लिया आपने? कर्जा कितना हो गया?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके टाइम में कितना बढ़ा? आपके टाइम में 24 हजार करोड़ बढ़ाया है आपने। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आप बताओ न? आप जाओगे तब तक 80-90 हजार करोड़ में पहुंच जायेगा। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): हमने चार साल में केवल 20 हजार ..(व्यवधान)... 19 हजार ..(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): पहले दोनों तय कर लो, 19 है कि 20 है। तय कर लो पहले दोनों। (व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): मैं बता देता हूं न 56 में

(डा. एन.एस. गुर्जर)

आपने छोड़ा ..(व्यवधान) अब मुझे यह बता दीजिये जब हमने सरकार सम्हाली थी उस समय 23 हजार समथिंग का कर्जा था। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आपके कार्यकाल खतम होते-होते 80 पर पहुंच जायेगा। आप नोट कर लो 80 पर पहुंच जायेगा। बोलो आप, आपने कौन से असेट बना लिये?

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): आपने असेट्स केवल 12 हजार करोड़ के बनाये। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आपने कौनसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर लिया? यह तो बता दो आप यहां पर। आप राजस्थान को ट्रेस बैक में ले जा रहे हो।

**श्री उपाध्यक्ष:** इसे बहस का विषय मत बनाइये माननीय सदस्य।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आपके सी.पी. जोशी साहब ने भाषण में कहा था 57,180 करोड़ का कर्जा छोड़ा था, 57,180 का कर्जा छोड़ा था आपने। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): कितना भंयकर अकाल था, यह भी पता है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): कांग्रेस ने 57,180 करोड़ का कर्जा छोड़ा था, लेकिन कोई असेट्स नहीं बनाई। परिसम्पत्तियां नहीं बनाई आपने। (व्यवधान)...

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): 34 करोड़ का इन्होंने कर्जा लिया और असेट क्रियेट किये इन्होंने 12 हजार की। केवल 12 हजार के और हमने कर्जा लिया है वह कम लिया है और असेट कई गुणा बढ़ायी है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): 15 हजार गांवों में अकाल था, उनको रोटी-रोजी खिलायी..(व्यवधान)...

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बीच में कमेंट्स नहीं करें। .. (व्यवधान) माननीय सदस्य अब अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान)

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** नहीं, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: अंकित ही नहीं होगा, माननीय सदस्य।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, बीच में नहीं, राठौड़ साहब, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मदनजी, आप बीच में नहीं ...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मेरे तर्क के आधार पर यह कहना चाह रहा था कि प्लान के साइज का कम्पेरिजन पिछले कार्यकाल से होने के बजाय नेशनल एवरेज से और आस-पास के राज्यों के तुलनात्मक रूप से होना चाहिए और जब हम तुलना करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि राज्य में प्लान का साइज उस अनुपात में नहीं बढ़ा जो अधिकांश देश के राज्यों में बढ़ा है और जो नेशनल एवरेज है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी प्लान जो हण्ड्रेड परसेंट सेण्ट्रल

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

स्पोन्सर्ड प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य में चलाये जाते हैं उन प्लान का कार्यकाल सम्पूर्ण होने के उपरान्त राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि उन कार्यक्रमों को, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए बनाये गये हैं और जो हण्ड्रेड परसेंट केन्द्र सरकार द्वारा पोषित हैं उनका कार्यकाल सम्पूर्ण होने के उपरान्त में उनको कन्टीन्यु रखा जाए जिससे इन लोगों को मिलने वाला लाभ जारी रह सके और मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी सैंकड़ों योजनाएं हैं जिनका कार्यकाल केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं में पूरा होने के उपरान्त जब राज्य सरकार को यह सौंपी गयी तो इनके टेबल में मालूम पड़ता है जितना भी खर्चा किया गया वह एस्टेब्लिशमेंट के अन्दर खर्चा किया गया और डवलपमेंटल एक्सपेंसेज के अन्दर जीरो, शुरू से लेकर आखिर तक कुछ खर्च नहीं किया गया और सब से दर्दनाक बात यह है कि इनमें कुछ योजनाएं, जिनका मैं नाम लेकर बताना चाहूंगा, जैसे हैल्थ पैकेज, और यह हाथकरघा योजनाओं का वार्षिक जो बुनकर बीमा, नवीन बीमा, करघा घर, इस तरह की योजनाएं जिनका केन्द्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद में अंत कर दिया गया, वो अनुचित है, इस तरह की योजनाओं को चालू रखा जाना चाहिए था।

अभी बात हो रही थी कि किसने कितना लोन ले लिया और कितना चुका दिया, तो मैं जो वास्तविक आंकड़े हैं, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में प्रस्तुत किये हैं, लोन जो लिया गया है 2004 के उपरान्त 46,109 करोड़ का लिया है और 23,950 करोड़ का लोन इन्होंने चुकाया है जबकि वर्तमान सरकार शासन में आयी थी तो इनके ऊपर लोन था 53,000 करोड़ का और आज की तारीख में लोन है 76,752 करोड़ का और इस साल के अंत तक हो जायेगा 80,000 करोड़ का। तो लोन लेने में तो वर्तमान सरकार पीछे नहीं है और लोन लेकर और लाभ का बजट प्रस्तुत करना कोई बहुत ज्यादा कुशल वित्तीय प्रबन्धन का भी सवाल नहीं है। कोई भी आदमी लोन लेकर, उधार लेकर और लाभ का बजट प्रस्तुत कर सकता है, इसमें क्या अनहोनी चीज हो गयी?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में मैं यह बोलना चाहूंगा कि वर्तमान बजट भाषण में और महामहिम के अभिभाषण के अन्दर बहुत सारी, ढेर सारी घोषणाएं की गयीं और यह तो जानकारी जनता को मिलनी चाहिए

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कि सरकार द्वारा 2004 से अब तक जितनी घोषणाएं की गयी हैं, जितने कार्यक्रम बनाये गये हैं उनके ऊपर क्या बजट खर्च किया, कितने लोग लाभान्वित हुए। आपने 2004-05 में घोषित कार्यक्रमों की संख्या दी 16, वो बढ़ा कर अगले साल 2005-06 के अन्दर हो गयी 73, फिर हो गयी 60, फिर हो गयी 95। ढेर सारी घोषणाएं और कार्यक्रमों की घोषणाएं आपने 2004 से अब तक कर दी। इन योजनाओं के बारे में जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि इन योजनाओं में आपने कितना तो पैसा खर्च किया, कितना पैसा आपने बजट में प्रावधान रखा, कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, इस योजना की आज की तारीख में क्या स्थिति है, आने वाले समय में इन योजनाओं को कब तक सम्पूर्ण कर लिया जायेगा, यह तो जानकारी जनता को होनी चाहिए। जब कि सरकार क्या कहती है कि हमने 2004 से इस बजट भाषण के पहले तक 244 बजट की घोषणाएं की हैं, 244 बजट घोषणाएं और अभी तक विभिन्न विभागों से जानकारी मांगी जा रही है कि उनके लिए कितना बजट रखा गया और कितना बजट खर्च हुआ और कितने लोग उससे लाभान्वित हुए। यह कितनी शर्मनाक बात है। आज जो हम इस पवित्र सदन में कहते हैं उसको करते नहीं हैं। घोषणाएं करना और घोषणाओं को मानना, दो अलग चीजें हैं। यदि इस तरह से घोषणाएं होती रहीं और उनको अमलीजामा नहीं पहनाया गया तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा मुख्य मंत्रीजी हैं। 244 घोषणाओं का लेखा-जोखा उनको राजस्थान की जनता को देना पड़ेगा कि उन्होंने किया क्या इन 244 घोषणाओं का।

अभी बजट आने के कुछ दिन पहले अनेक समाचार पत्रों में यह आया कि फलानी घोषणा जो की थी उसके ऊपर अमल नहीं हो सका, फलानी घोषणा अभी शुरू ही नहीं हो सकी, फलानी घोषणा जो है वो आंशिक रूप से पूरी हो गयी। तो इन घोषणाओं के बारे में यदि, सही तरीके से, यह जन-उपयोगी घोषणाएं हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि यह घोषणाएं सोच-समझकर के नहीं की गयीं, सोच-समझकर की गयीं हैं लेकिन खाली घोषणा करना और सही समय पर वित्तीय प्रबन्ध करके निश्चित समयावधि के अन्दर उन घोषणाओं को पूरा करके ही लोगों को लाभ मिल सकता है, इस तरह से लोगों को लाभ नहीं मिल सकता।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

इसी के कंटीनुए में मैं यह कहना चाहूंगा कि बिजली के मामले में एक तो महामहिम के अभिभाषण के अन्दर जो कहलाया गया और जो बजट के अन्दर कहा गया, सात दिन के अन्दर ही उसमें फर्क आ गया। सात दिन के अन्दर ही, आप यह नहीं बता पाये कि पहले कितनी बिजली, आपने 2004 से अब तक कितनी नवीन विद्युत परियोजनाओं के अन्दर कितनी बिजली बनायी और कितनी, आपने कौन-कौनसी विद्युत उत्पादन इकाइयां शुरू कीं। मैं आपकी जानकारी के लिए सारा केलकुलेशन करके लाया हूं कि विद्युत परियोजनाएं जो वर्तमान कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उद्‌घाटन किया चारों परियोजनाओं का, पहली परियोजना का उद्‌घाटन आपने किया 28.02.07 को, यह थी आपके गिराल की जिसमें 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होना था, उत्पादन कितना हुआ इसके हिसाब से जो बड़े-बड़े इश्तिहार अखबारों में निकाले गये कि अब 30 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली का उत्पादन होगा, इससे एक महीने के अन्दर 9 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी और आज की तारीख तक इनको बना लेनी चाहिए थी 108 करोड़ यूनिट बिजली इस गिराल परियोजना से लेकिन बनायी कितनी? इसी तरह से धौलपुर में गैस से आधारित जो तीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, एक-एक योजना, एक-एक यूनिट 110 मेगावाट की थी, 330 मेगावाट, टोटल इनको बनानी चाहिए थी 1146 करोड़ यूनिट अभी तक आपने बिजली बिजली कितनी बनायी, 346 करोड़ यूनिट। इस तरह से आपने 800 करोड़ यूनिट बिजली कम बनायी और इस 800 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति करने के बाद आपको आस-पास के राज्यों से और नोर्दन ग्रिड से बिजली खरीदनी पड़ी मंहगे दाम के अन्दर और जिसमें आपने खर्चा किया 3200 करोड़ रुपये का। अब आप अंदाजा लगाइये कि जनता का पैसा जो आपने इन विद्युत परियोजनाओं में लगाया, पाँच करोड़ रुपये एक मेगावाट बिजली के उत्पादन में खर्च होता है और आपने 455 मेगावाट नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयां लगायीं। बहुत खुशी की बात है, हम यह आशा कर रहे थे कि इनमें पूरा उत्पादन होगा। मैं यह चैलेंज के साथ कहता हूं, माननीय पावर मिनिस्टर साहब नहीं हैं, वो हों तो वो सदन के टेबल पर और जनता को और सदन को यह बतायें कि यह चारों नवीन विद्युत परियोजनाएं जो 2004 के अन्दर प्रारम्भ की गयीं उनमें कितनी करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाना था और कितनी कम बिजली का उत्पादन किया गया। यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है, 3200 करोड़ रुपये कम नहीं होते हैं।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कारण क्या रहा? कारण यह रहा कि तकनीकी रूप से जानकारी के अभाव में और गलत सामग्री लगाने के कारण यह चारों यूनिट जो हैं यह अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पायीं और उतनी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं कर पायी जितना इनको करना चाहिए था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के कंटीनुए के अन्दर निवेदन करना चाहता हूं, बिजली के बारे में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गयीं। यह इनके इश्तिहार की मैं एक कापी लाया हूं। जून 2008, अगस्त 2008 छबड़ा थर्मल यूनिट और बरसिंहसर नेवेली लिग्नाइट सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2001, आप अपने अगर कार्यकाल को देखें तो आपने जो प्लान किया था इन चारों यूनिट्स को शुरू करने में एक से डेढ़ साल का विलम्ब...

**एक माननीय सदस्य**: यह तो पहले आपने कह दिया।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): अब जो यूनिट आप अभी लगाने वाले हैं 2008 के अन्दर उनका प्रारम्भ तो होगा 2009 के अन्दर तो बार-बार यह कहना कि हमने इतनी बिजली बना दी, हम इतने समय में स्वावलम्बी हो जायेंगे, यह असत्य कथन है। इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। आज राज्य को माना कि आप उतनी बिजली आपूर्ति कर रहे हैं जितनी पिछले कार्यकाल में नहीं हुई, उससे अधिक बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं लेकिन किस कीमत पर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और शिथिलता के चलते करोड़ों रुपये, हजारों करोड़ रुपया अधिक खर्च करके उस बिजली को उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे कि राज्य के ऊपर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है जो अनुचित है।

साथ में, उपाध्यक्षजी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे आर ए पी पी की जो पहली और दूसरी इकाई थी उनको पच्चीस साल पूर्ण होने के उपरांत में बंद कर दिया गया क्योंकि उनकी लाइफ ही पच्चीस साल थी और तीसरी और चौथी यूनिट जो प्रारम्भ की गयी उसमें शुरू में इनके 2004 के अन्दर ही गलत समझौता करने के कारण उसकी अधिकांश बिजली मध्य प्रदेश को दी जा रही है और आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी के लिए आज ही मैंने जो यह देखा इंटरनेट पर तो मुझे जानकारी मिली, पांचवी और छठी यूनिट भी शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाली है। अब सदन को यह बताना पड़ेगा कि पांचवीं और छठी यूनिट जो प्रारम्भ हो रही है, जिसके अन्दर 220 मेगावाट

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

ईच यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाना है रावतभाटा में उसका बंटवारा किस तरह से होगा।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को क्या पत्र लिखा है उसमें कितना हिस्सा राज्य सरकार को मिलेगा, किस दर पर मिलेगा। आज तो हम उसको छोड़ देंगे और बाद में उससे चार गुना मंहगे दाम के अन्दर आस-पास के राज्यों से बिजली खरीदेंगे, वह कहां तक उचित है? तो यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है । कहीं ऐसा नहीं हो कि तीसरी और चौथी यूनिट की भांति इसकी अधिकांश बिजली का जो अनुबंध किया जाय वह किसी दूसरे राज्य के साथ कर लिया जाय और राजस्थान वह बिजली पाने से वंचित रह जाय। क्योंकि गाडगिल फार्मूले के अनुसार एक निश्चित क्वांटिटी बिजली तो राज्य सरकार को मिलने वाली है लेकिन उससे अधिक बिजली मिले, समुचित दाम में मिले जिससे राज्य की जनता उसका सम्पूर्ण सदुपयोग कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एजूकेशन के बारे में जो बहुत सारी बातें कही गयीं उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो केन्द्र सरकार द्वारा एक साइंटिफिक कमेटी गठन करके पूरे देश के विभिन्न राज्यों का और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स का जो इंडेक्सिंग किया गया है कि इस इंडेक्स के अनुसार राज्य का स्थान पूरे देश में कहां स्टैंड करते हैं आप और यह जानकर बड़ी शर्म आती है कि राजस्थान का जो टीचर-स्कूल रेश्यो है पूरे देश के अन्दर पिछले साल चौबीस था, इस साल तेईस हो गया। मतलब आपने पिछले साल के वनिस्पत स्कूल तो ज्यादा खोल दिये लेकिन टीचरों की संख्या उसके अनुपात में नहीं बढ़ाई गयी। इससे ज्यादा स्कूल होने के उपरांत भी उनमें आने वाले बच्चों को प्रोपर शिक्षा देने में हम असफल रहे हैं। यह दूसरे राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश यह सब राजस्थान से काफी ऊपर हैं। राजस्थान का नम्बर आता है नीचे से चौथा। यह एक साइंटिफिक कमेटी है, पूरे हिन्दुस्तान में इसको माना गया है। एस एस ए की स्पेशल सेल द्वारा इसका अवलोकन करके यह फीगर्स निकाले जाते हैं।

इसी कंटीन्युएशन के अन्दर कि राजस्थान के अन्दर जो ई डी आई, एजूकेशन डवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया प्राइमरी स्कूलों का और अपर प्राइमरी स्कूलों का उसमें राजस्थान के अंक आये बाईस । इसके अन्दर भी बहुत सारे, तेरह राज्य हैं देश के जो राजस्थान से आगे हैं।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

इसी प्रकार कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी शुरू से कहती आ रही हैं। इन्होंने जोरडेनियन एजूकेशन प्रिंसिपल अपनायेंगे, धावोस के अन्दर भी पावर पाइंट प्रजेन्टेशन में बहुत सारे बखान किये, अमेरिका में जाकर भी बड़ी-बड़ी कम्प्यूटर कंपनियों से अनुबंध किया गया लेकिन आज स्थिति यह है कि जो स्कूल में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं उसके अन्दर परसण्टेज हैविंग कम्प्यूटर इन स्कूल की यह आती है, राजस्थान की थर्टीन, नेशनल एवरेज है फोर्टीन, जो नेशनल एवरेज से भी कम है और यह पूरे दूसरे राज्यों को देखा जाय तो राजस्थान का स्थान आता है 19वां। आज गांवों में रहने वाला बच्चा जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, जब तक वह कम्प्यूटर लिट्रेट नहीं होगा वह शिक्षा उसके किसी काम की नहीं है। जब बारहवीं कक्षा पास करने के बाद में वह शहर में आता है, बिना कम्प्यूटर लिट्रेसी के न तो वह आगे बढ़ सकता, न उनको नौकरी मिल सकती, न वह दूसरे कोर्सेज कर सकता लेकिन आज तेरह प्रतिशत स्कूल के अन्दर अगर कम्प्यूटर शिक्षा मिल रही है गांवों के अन्दर और वह भी कैसे मिल रही है। जिन कंपनियों से कम्प्यूटर का अनुबंध किया गया, एक स्कूल के अन्दर सौ छात्रों को एक टीचर हफ्ते में एक घंटे के लिए कम्प्यूटर सिखाएगा, कैसे सीख सकता है वह कम्प्यूटर। तो आज आवश्यकता इस चीज की है कि स्कूल के अन्दर जो भी बालक बारहवीं कक्षा पास करके बाहर निकले वह दुनिया की लड़ाई में शहर के बच्चों के वनिस्पत तभी खड़ा हो सकता है उसके समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर तब ही आगे बढ़ सकता है जब वह कम्प्यूटर लिट्रेट होगा और वह कम्प्यूटर लिट्रेट कैसे होगा? सर्व शिक्षा अभियान में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए आया हुआ पैसा जो कि कंट्रोलर जनरल की रिपोर्ट में आया है ...

**(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)**

बस मैं पांच ही मिनट में खतम कर रहा हूं। जो अकाउन्ट्स की रिपोर्ट आयी है उसके अन्दर भी कहा गया है कि कम्प्यूटर जरुरत से ज्यादा खरीद लिये गये, उनको वहां नहीं भेजा गया जहां भेजा जाना चाहिए था। इस आवश्यकता को समझते हुए कोशिश यह की जानी चाहिए कि जो कम्प्यूटर शिक्षा है उसका ग्रामीण इलाके के अन्दर प्रोपर यूटिलाइजेशन हो जिससे ग्रामीण बालक जो प्रतिभावान हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जो ज्यादा अच्छे तरीके से दुनिया की दौड़ में आगे बढ़ सकते हैं उनको कम्प्यूटर लिट्रेट किया जाय।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सबसे दर्दनाक चीज यह है, स्कूल के अन्दर यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर एक मुख्य बिंदु यह रखा गया कि गर्ल्स टॉयलेट बनाए जाएं और उसके लिए समुचित राशि 2004 से लेकर 2008 तक राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गयी लेकिन जब आंकड़े देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि खाली 41 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए टायलेट की व्यवस्था उपलब्ध है बाकी में व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। आज हम मुख्य मंत्री बालिका सम्बल अभियान की बात करते हैं तो पैसा मिल रहा है, खाली व्यवस्था में सुधार करके वह टॉयलेट बनाकर उनकी सुविधा बढ़ाई जा सकती है तो ऐसा क्यों नहीं किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में बताने के बाद में यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो बजट में दी जानी चाहिए थी वह आपके समक्ष आपकी अनुमति से प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बनाया गया केन्द्र सरकार द्वारा और उसके अन्तर्गत यह निर्देशित किया गया कि कोई भी बजट किसी भी राज्य में बने, किसी भी विभाग से संबंधित हो उसके अन्दर राज्य में शिड्यूल्ड कास्ट की पापुलेशन को देखते हुए राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट की पापुलेशन है सत्रह प्रतिशत तो सत्रह प्रतिशत पैसा शिड्यूल्ड कास्ट के लिए उस विभाग में खर्च किया जाय। अब राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया, यह कोड नम्बर 789 है बजट के अन्दर जिसके अन्तर्गत यह पैसा खर्च किया जाना चाहिए था। अब इन्होंने किया कि 15.6 पर्सेण्ट पैसा अलग-अलग साल में अलग-अलग आंकड़े दिये कि 15.6 प्रतिशत पैसा अनुसूचित जाति के लिए खर्च करेंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला, जब आप इनके चार साल का कार्यकाल देखते हैं तो इन्होंने हर साल तीन प्रतिशत से कम पैसा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत खर्च किया जो कि अनुचित है। आज राज्य की सत्रह प्रतिशत पापुलेशन जो कि पिछड़ी हुई है, हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है तो आवश्यकता इस चीज की है कि इनमें पैसा समुचित रूप से खर्च किया जाय जिससे कि समाज का पिछड़ा वर्ग समाज के दूसरे वर्गो के समकक्ष आ सके। इसके अन्दर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो गौर करनी चाहिए वह गांव के अन्दर राज्य सरकार ने माना कि यह सम्बल ग्राम है, सम्बल ग्राम की सूची दे रखी है कि कितने अलग-अलग जिलों के अन्दर कितने सम्बल ग्राम हैं। सम्बल ग्राम वह गांव हैं जिनके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट की पापुलेशन पचास प्रतिशत या उससे अधिक है ।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

इन गांवों के अन्दर इस बजट का पैसा ज्यादा खर्च किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। आज भी जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं तो यह अनुरोध करूंगा कि इस बजट को थोड़ा सा मॉडीफाई करके चाहे कोई भी विभाग हो उसके अन्दर यह सुनिश्चित किया जाए कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान जो बना हुआ है पूरे देश के लिए और जिसके अन्तर्गत 17 परसेण्ट पैसा खर्च किया जाना है उसको कम से कम इस सम्बल ग्रामों के अन्दर ज्यादा ध्यान देकर खर्च किया जाए जिससे कि आज का पिछड़ा वर्ग दूसरे वर्गों के समकक्ष आकर खड़ा हो सके।

**श्री उपाध्यक्ष:** धन्यवाद बैदजी। श्री सांगसिंह भाटी।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैं समाप्त तो कर दूं साहब।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 2008-2009 के बजट के सम्बन्ध में मैं मेरे विचार रखना चाहता हूं।

तत्कालीन सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी के शासन से पूर्व कांग्रेस का शासन था उस समय राजस्थान की पूरी जनता, राजस्थान का हर वर्ग चाहे वह कर्मचारी वर्ग है, चाहे वह मजदूर वर्ग है, चाहे वह किसान वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग, पूरा का पूरा वर्ग बुरी तरह कांग्रेस से त्रस्त होकर गांव में बैठा हुआ गरीब कहने लग गया जैसे अभी बिजली की बात आयी तो वह गांव का गरीब यह लफ्ज कह रहा था कि घरों में बिजली नहीं है लेकिन मीटरों में करंट आ रहा है, कांग्रेसियों सावचेत हो जाओ, यह वर्ड कह रहा था। हकीकत में यह सत्ता में चूर रहे और कभी किसी ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि गांव में लाइट नहीं, शहरों में लाइट नहीं लेकिन मीटरों में करंट आ रहा है वह हम बंद कर दें लेकिन जनता ने यह तय कर दिया इनके करंट लगाकर इस साइड में बिठा दिया। उस समय हमारी मुख्य मंत्री ने एक परिवर्तन यात्रा निकाली और वह परिवर्तन यात्रा भी नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के गांव-गांव को छाना। पूरे राजस्थान की गली-गली को देखा। चाहे वह शहर था, चाहे वह गांव था राजस्थान का और चाहे कोई दूर बैठी हुई ढाणी थी, उसको सम्भाला। मूलभूत समस्याओं को माननीय मुख्य मंत्री ने एक-एक चीज को देखा। देखने के बाद में मुख्य मंत्री ने जनता के साथ वादा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयी तो आपको राजस्थान में सर्व विकास करना, दरिद्रता से मुक्ति दिलाना, कुपोषण, भूख से मुक्ति दिलाना, मातृ शक्ति को सबल बनाना, रोजगार सृजित करना, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों

(श्री सांगसिंह भाटी)

को स्थापित करना, मानव साधन को विकास से जोड़ना, इस ढंग के जनता के साथ मुख्य मंत्री महोदया ने वायदे किये। राजस्थान की सम्पूर्ण जनता ने विश्वास किया और भारी बहुमत के साथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। चार सालों में जो विकास हुआ, आधारभूत सुविधाएं जुड़ी और पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बही। हमारे दूर-दराज के जैसलमेर जैसे जिले जो एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर लेकिन कभी भी जिस किसी पार्टी का अधिकतर राजस्थान में राज रहा हो, चालीस साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा हो वह पानी नहीं पहुंचा सके। वह गांव में रोड नहीं पहुंचा सके। वह गांव में लाइट नहीं पहुंचा सके तो अब किस मुंह से बात कर रहे हैं विकास का कोई काम ही नहीं हुआ राजस्थान के अन्दर। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो राजस्थान में चहुंमुखी विकास हुआ है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साधुवाद की पात्र हैं जिन्होंने इस ढंग से राजस्थान में चाहे वह ढाणी है, चाहे वह गांव है लेकिन चहुंमुखी विकास राजस्थान का अगर हुआ है तो इन चार सालों में हुआ है जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने ज्ञानोदय योजना बनायी। अब कांग्रेस के जन प्रतिनिधि बिराजे हुए हैं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पांच साल तक राजस्थान में राज किया, आपने कौनसी योजना बनायी ऐसी? शिक्षा के लिए कोई योजना बनायी? आपने कोई पेयजल के लिए योजना बनायी ? आपने कोई विकास के लिए योजना बनायी हो ? आपने अगर योजना बनायी है तो एक योजना बनायी है राजीव गांधी पाठशाला। जो सोनिया गांधी को राज़ी करने के लिए आपने राजीव गांधी पाठशाला योजना बनायी। उस योजना में भी आपने क्या किया ? आठवीं क्लास के लड़के उनको आपने मास्टर रखा। जब पढ़े-लिखे नवयुवक हमारे बेरोजगार डिग्री किये हुए बैठे उँगली ऊंची करने लग गये कि यह कौनसी सरकार आ गयी जो अनपढ़, आठवीं पास बच्चों को मास्टर लगा रही है और हम पढ़े-लिखे बैठे हैं। उस समय एक ओर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जब राजीव गांधी पाठशाला में आठवीं पास अध्यापकों को नियुक्ति दे दी और उसके बाद में तय कर दया कि पैराटीचर तो हमने भर्ती कर दिये अब पैरा डाक्टर लगा देंगे

(श्री सांगसिंह भाटी)

उस समय पब्लिक त्राहि-त्राहि करने लग गयी कि पैरा डाक्टर आ गये तो यह इंजेक्शन लगाने के बजाय हमें तो सुई भोंकने लग जायेंगे। मर जायेंगे सारे के सारे इस कारण पब्लिक आपसे बिलकुल त्रस्त हुई और आपको उखाड़ कर इस साइड में बिठा दिया। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): जब मुख्य मंत्री बन सकता है आठवीं पास तो मास्टर क्यों नहीं बन सकता? विधायक बन सकता है, एम पी बन सकता है, मास्टर बनाने में दिक्कत है क्या? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): राष्ट्रपति बन गये ... (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): शिक्षा का मामला है। आज की तारीख में मुख्य मंत्री महोदया ने आंगनबाड़ी योजना में महिलाओं को जिस ढंग से प्रोत्साहन दिया है आज हजारों की तादाद में महिलाएं रोजगार में लगीं उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूं।

राजस्थान की मुख्य मंत्री ने चाहे पालावृष्टि हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे शीतलहर से अभी किसान का कोई नुकसान हुआ हो, तो मैं बहुत-बहुत काश्तकारों की तरफ से साधुवाद देता हूं जिन्होंने चाहे पाले से नुकसान हो, चाहे शीतलहर से नुकसान हो, किसान का नुकसान तो हुआ ही है। सी.आर.एफ. में नहीं होते हुए भी, केन्द्र सरकार की मदद नहीं लेते हुए भी आज किसान को 126 करोड़ की जो घोषणा की है वह साधुवाद की पात्र हैं। पूरे राजस्थान का किसान हर गली-गली में धन्यवाद दे रहा है कि इस ढंग से कभी सहायता नहीं मिली। मुख्य मंत्री ने घोषणा करके हमें एक पैकेज दिया है। यह पैकेज मुख्य मंत्री के देने के बाद ... (व्यवधान)

इसके साथ ही फसल बीमा योजना लागू हुई है, काश्तकार ने फसल बीजी और उसका नुकसान हुआ, बरसात नहीं हुई तो उस फसल के भी लाखों रुपये काश्तकार के घर में आज की तारीख में आ रहे हैं। यह अगर देन है तो भारतीय जनता पार्टी की है। काश्तकार के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया है।

ऊंट बीमा योजना। ऊंट की गरिमा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊंट की गरिमा जो नहीं जाने, जो जान नहीं सके ऊंट की गरिमा को, ऊंट एक रेगिस्तान का जहाज है, जितना ऊंट ने रेगिस्तान में काम किया है उतना किसी ने नहीं किया और वसुंधरा राजेजी ने ऊंट की महिमा को समझा। रेगिस्तान के जहाज को समझा और ऊंट के लिए भी बीमा योजना लागू की।

(श्री सांगसिंह भाटी)

आपको ऊंट का ध्यान नहीं है, ऊंट आर्मी में, ऊंट सीमा में फौजियों के साथ में देश की रक्षा करता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊंट के जब गोली लग जाये उस समय फौजी दारू की बोतल ऊंट को पिलाकर के ठिकाने पर पहुंच जाता है। घायल ऊंट भी उसको ठिकाने पर पहुंचाने वाला होता है। उस समय ऊंट की गरिमा को आप जानिये। लेकिन ऊंट का बीमा कराने के बाद नगर से आने वाले माननीय सदस्य कहने लग गये कि गधे का बीमा नहीं हुआ। बड़ा अजीब मुझे लगा, यह गधों के मास्टर हैं तो मुझे पता नहीं। लेकिन यह गधों का बीमा मांगने लग गये ऊंट की जगह।

उपाध्यक्ष महोदय, तौलिये सोना और ले दौड़े ईंट की, हमारी ईंट भी सोने के साथ तौल दो। यह तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को। जिन्होंने ऊंट की गरिमा को समझा, ऊंट ने बार्डर पर देश की रक्षा की इसलिए ऊंट का बीमा भी मुख्य मंत्री ने किया, उसके लिए वह साधुवाद की पात्र हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्षः** धन्यवाद, समाप्त कीजिये।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): एक सैकण्ड बोलूंगा। यह चीजें देखते हुए मुझे एक कहावत याद आ गयी। कबीर की एक वाणी याद आ गयी। वह मैं आपको दो शब्द कहना चाहता हूं इसके बाद मेरी बात को समाप्त करता हूं। कबीर जब पैदा हुआ जग हंसा कबीर रोया, कबीर ऐसी करनी कर गुजर जो जग रोये कबीर हंसे। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने कमाई की है, यह अगर करनी की है तो वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने की है। वह हंसती रही और प्रतिपक्ष रोता रहा इसलिए मुझे यह बात कहनी पड़ रही है।

**श्री उपाध्यक्षः** धन्यवाद, धन्यवाद।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में मैं एक अर्ज कर रहा हूं, हमेशा रोड मांग रहे हैं, लाइटें मांग रहे हैं। अपने-अपने क्षेत्र में विकास के लिए हमेशा सत्ता पक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री बैठते हैं इनसे मांग रहे हैं। बस, सत्ता से मांगते हो तो मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं, मैं दावे से प्रार्थना करता हूं ...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): जुबेरजी और हमारी तो सत्ता रही नहीं, हम तो हमेशा विपक्ष में रहे। जब कांग्रेस का राज था तब हम बसपा में

(मोहम्मद माहिर आजाद)

थे, जब हम जनता दल में थे तब यहां कांग्रेस का राज था। अब कांग्रेस में हैं तब तुम्हारा राज है। हम तो सत्ता से ही तो मांगेंगे।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आप मांगते रहो हम देते रहेंगे। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: उपाध्यक्ष महोदय, इनकी किस्मत में नहीं है वह ...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य का गुरु कब रहा। जब आप कह रहे हो कि आप गुरु रहे हो तो मैं तो आपका गुरु रहा नहीं ...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाये।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): आजाद साहब आगे किसमें जाने का इरादा है ...(व्यवधान) आगे किस पार्टी में इरादा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहूं, आप यह कह रहे हो कि जैसलमेर में ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): आगे किसमें जाने का इरादा है ...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): किसने विकास किया, किस ने नहीं किया ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: क्या बात शुरू कर दी ...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आपने काम किया है पाँच साल में ...(व्यवधान) नहीं किया क्या ...(व्यवधान) आपने जैसलमेर में नहीं किया क्या? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): जैसलमेर की जनता जिताकर भेजेगी, उस समय बता दूंगा आपको।

**श्री उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, समय बढ़ा रहा हूं ...(व्यवधान) समय बढ़ा रहा हूं।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, मैं मां भगवती से यह प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और गांधीजी से अरदास करता हूं कि कांग्रेस वालों को मांगने लायक रखे, भारतीय जनता पार्टी को देने लायक रखे। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत। (व्यवधान)

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाये।

**श्री उपाध्यक्षः** क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घंटे के लिए, आठ बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय आठ बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): बस चुप हो गये। (व्यवधान) दिल्ली में किससे मांग रहे हो? (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह** भाटी (जैसलमेर): पब्लिक की सरकार है, जनता की सरकार है दिल्ली में भी, किसी का घर का राज नहीं है। जनता का पैसा है दिल्ली का। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): हां, दिल्ली में हमसे मांग रहे हो ... (व्यवधान)

# आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में सुनहरे अक्षरों में लिखा जायेगा ऐसा बजट पेश किया है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और उस बजट में अपने आपको सम्मिलित करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक क्षेत्र में लोक कल्याणकारी एवं विकास को समर्पित बजट पेश करने पर आभार व्यक्त करना चाहूंगी। सदन की नेता ने जिस आत्मविश्वास से बजट प्रस्तुत किया है वह आत्मविश्वास प्रदेश एवं प्रदेश की आम जनता की स्थिति में हुए गजब के ठोस सुधार का प्रतीक है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि मुझे बीच में कोई टोकना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं मेरी बात भूल जाऊंगी या फिर मैं मेरे हिसाब से बोलूंगी। मैं बहुत आत्मविश्वास से कहती हूं कि आप जो इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, पिछली जो सरकार थी और उसके अंदर अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री थे। हमारे मन में भी बड़ा गर्व हुआ कि जोधपुर के मुख्य मंत्री बने हैं। राजनीति में कोई भी पार्टी आती हैं और जाती है। यह तो एक मैदान है, जो इलेक्शन लड़ेगा वह हारेगा और जीतेगा भी। मगर मैं यह कर रही हूं कि हमें बड़ा गर्व था कि जोधपुर का मुख्य मंत्री हुआ है। जोरदार जुलूस निकला, मेरे घर के बाहर से निकला तो हमने उनका स्वागत किया। यह गर्व था कि जोधपुर का मुख्य मंत्री है, क्या मालूम जोधपुर का कितना विकास होगा। मगर निकला कुछ नहीं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हर वक्त एक ही बात सुनने को मिलती कि खजाना खाली है, पैसा नहीं है। मगर वसुन्धराजी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद में मैं आपको एक-एक चीज गिनाना चाहूंगी कि क्या-क्या उन्होंने कार्य किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं सामने विराजमान हैं उनसे कि जोधपुर का स्टेडियम वर्षों से पडा हुआ था, क्यों नहीं उसका नाम बदल दिया गया। कोई सूरत में नहीं बदला, यह वसुन्धराजी की सरकार ने बदला। जोधपुर में गुलाब सागर, फतेह सागर वर्षों से स्टेट के टाइम से पड़े थे, क्यों नहीं काम किया। यह वसुन्धराजी की सरकार ने किया है।

**(समय : 18.58 बजे)**

**(श्री शान्तिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)**

सभापति महोदय, जोधपुर में गौ-शाला थी, इन्होंने पांच साल के राज में क्यों नहीं काम किया। यह वसुन्धराजी की सरकार ने किया तो इसी तरीके से अगर एक-एक को गिनाना शुरू करें तो उसका कोई अंत ही नहीं है और ना, सभापति महोदय मुझे कोई टाइम देंगे।

सभापति महोदय, महिलाओं की दशा सुधारने एवं पंचायती राज संस्थाओं में हमने आरक्षण बढ़ाकर के 50 प्रतिशत देने का प्रस्ताव साहस भरा क्रांतिकारी कदम है। आने वाले समय में राजस्थान को इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचायती राज संस्थाएं सही अर्थों में लोकतंत्र का बड़ा आधार हैं। महिलाओं का शिक्षा सामर्थ्य बढ़ाने से राज की काया पलट

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

होगी। इस हेतु मैं सभी महिला प्रतिनिधियों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं।

सभापति महोदय, समाज में महिलाओं की दशा सुधारने और महिलाओं के नाम से बैंक खाता खोलने पर 1500 रुपये सरकारी अनुदान का प्रावधान किया गया है। रोजगार गारंटी योजना में हजार दिन कार्य करने पर वस्त्र दिये जायेंगे। इससे श्रम सम्मानित होगा। मान्यवर, कल कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि अन्य राज्य भी इन नीतियों का अनुसरण करें। महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा का सदैव, प्रारम्भ से विरोध होता रहा है, ऐसा ही कल विपक्ष के नेताओं के भाषण में और एक महिला द्वारा दिये जा रहे जवाब में विपक्ष के बचने से दिखा। अच्छा होगा कि विपक्ष महिलाओं को आगे बढ़ाने में साथ देकर रचनात्मक कार्य करे।

उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को खेलों में आगे लाने के लिए महिला बास्केटबॉल एकेडमी की और अजमेर में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना से खेलों के क्षेत्र में महिलाओं को अवसर मिलेगा।

पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने वाली आँगन बाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिनों और सहायिकाओं के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि निश्चित रूप से प्रशस्ति करने वाली है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का लाभ वस्तुतः महिलाओं को ही मिलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के कार्यकाल में सड़कों के निर्माण में चार गुना तेजी आई है, पूरे देश में एक कीर्तिमानी कार्य किया है, यह हर्ष और गौरव का विषय है। जिसका उदाहरण जोधपुर शहर में गौरव पथ गवाह है। जोधपुर शहर में जालौरी गेट से फतेह पोल की सड़क गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सड़कों में मानी जा रही है। सिवांची गेट से चांदपोल तक की सड़क का भी कार्य पूर्णता पर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जोधपुर का भीतरी क्षेत्र तंग गलियों से भरा है इसलिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि आप अपनी सड़कों की योजना दो, उसके अंदर जोधपुर शहर के अंदर ऐसी तंग गलियों की कम से कम सात सड़कों को सुधारने का इन्होंने जो पैसा स्वीकृत किया है इसके लिए वह बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह इतिहास में पहला मौका होगा, जब

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

किसी बजट में पान वाले, धोबी, नाई, जूते बनाने वाले, निर्माण कारीगर, दिहाड़ी मजदूर, खाती, जैसे वर्गों का उल्लेख किया गया है, इनको सबसे अच्छे नागरिक का सम्मान देते हुए उनके लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान दर्शाया गया है। सरकार को इनकी भी चिंता है। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ ही उनके एकत्र होने के स्थानों पर छाया, पानी, शौच आदि की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। इन वर्गों के लिए सामूहिक जीवन बीमा की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है। छोटे शहरों में वाणिज्यिक केन्द्रों पर छोटे स्टाल आबंटन में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बड़े व्यापारियों द्वारा रिटेल स्टोरों पर सब्जी बेचने पर चार प्रतिशत का कर लगाकर परम्परागत सब्जी विक्रेताओं के हितों की रक्षा की गई है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत, अखबारों के अंदर, टी वी के अंदर, जहां कहीं देखो वहां अशोकजी का भाषण देखो, वे बड़े-बड़े भाषण देते हैं मगर यहां मुख्य मंत्रीजी के सामने आकर बोलने का साहस नहीं करते हैं, यह विधान सभा किसके लिए है, विधान सभा में आकर वह यहां बोले, वह हमारे सरदारपुरा के विधायक हैं वह यहां आकर सरदारपुरा की समस्याओं को रखे। मैं यह दावे के साथ कह रही हूं कि आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें, उनकी एक लाइन भी आ गई हो तो मैं जैसा आप कहें, वह करने को तैयार हूं।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे क्या टाइम मिला है, मुझे तो पांच मिनट ही हुए हैं।

**श्री सभापति:** मैं सारा केलकुलेट कर रहा हूं। आपको दस मिनट से ज्यादा हो गए हैं। अब आप एक-डेढ़ मिनट में समाप्त करें।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): ऐसे ही दस मिनट का कहें, मेरी बात तो सुनें आप।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और सदन की नेता की सोच को देखो, जोधपुर शहर के प्राचीन तालाब, गुलाब सागर, फतेह सागर का जीर्णोद्धार कर विकास किया है। वहां शाम को देश और परदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की विशेष आभारी हूं। इसी कड़ी में मेरा अनुरोध है कि अब जोधपुर के बाईजी के तालाब और गंगलाव तालाब का जीर्णोद्धार भी किया जाए।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

चिकित्सा के क्षेत्र में जोधपुर में जितना निवेश इस बजट के माध्यम से प्रस्तावित है, इतना पहले कभी नहीं हुआ है। जोधपुर शहर और पूरा संभाग इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। इसी क्रम में जोधपुर में महिला बाग़ चिकित्सालय के भवन के विस्तार हेतु एक करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है।

**श्री सभापतिः** श्री नन्दलाल पूनिया।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खतम कर रही हूं। जोधपुर के अंदर सबसे पुराने महिला बाग़ हॉस्पिटल में माननीय अशोकजी गहलोत का वहां पत्थर लगा हुआ है, आज तक वहां हुआ कुछ नहीं, सारा ठण्डे बस्ते में पड़ा रहा। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने उसको जिला अस्पताल घोषित किया, इसके लिए मैं पूर्व चिकित्सा मंत्री दिगम्बर सिंहजी का भी धन्यवाद करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूं कि स्वर्गीय जयनारायणजी व्यास जो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री थे, उनके नाम की फाइल 25 साल तक इन्होंने दबा कर रखी। मैं आज के दिन बधाई दे रही हूं हमारे पूर्व उप राष्ट्रपति माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को कि उन्होंने इस बात को समझा कि वह कितने निष्ठावान आदमी थे, उनके नाम पर जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम उन्होंने किया, इन कांग्रेस वालों ने नहीं किया। कांग्रेस वाले ईमानदार आदमी को पसन्द करते ही नहीं हैं। मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत बधाई दे रही हूं कि उन्होंने बजट बहुत बढ़िया और सराहनीय दिया है, मैं उनका स्वागत करती हूं और उसका समर्थन करती हूं।

**श्री सभापति**: बहुत अच्छा। श्री नन्दलालजी पूनिया।

**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 25 फरवरी को जो बजट पेश किया गया है, उस पर जारी चर्चा में सम्मिलित होते हुए मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब तक बजट पेश नहीं किया गया था तब तक राजस्थान की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि पता नहीं मुख्य मंत्रीजी कैसा बजट ला रही हैं। इस राजस्थान में खुशहाली हो जाएगी, गरीब आदमी की गरीबी मिट जाएगी और राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो जाएगा लेकिन बजट पेश करने

(श्री नन्दलाल पूनिया)

के बाद में सबको निराशा हाथ लगी और जो उम्मीदें थीं, वह कागजों तक ही सीमित रह गई। इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और सौन्दर्यीकरण के लिए प्रोविजन किए हैं जैसे गोगामेड़ी के लिए लेकिन मुख्य मंत्रीजी भूल गई कि गोगामेड़ी का जो धार्मिक स्थल है उन गोगाजी महाराज का जन्म कहां हुआ था, उनका जन्म स्थान ददरेवा है, गोगामेड़ी पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से उनके पर्व पर जो 15-20 लाख यात्री आते हैं वे ददरेवा जरूर आते हैं। ददरेवा एक छोटा शहर है और वहां 15-20 लाख आदमियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं, वहां शौच की कोई व्यवस्था नहीं जिससे गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलने का खतरा भी रहता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जब वे अपनी बजट रिप्लाई दें तो इस बारे में जरूर कोई घोषणा करें ताकि ददरेवा का भी विकास हो सके।

आपने स्वतंत्रता सेनानियों के पांच सौ रुपये बढ़ाने की बात की है बजट में। मैं समझता हूं कि आज जिन लोगों के प्रयास से, जिन लोगों के सहयोग से, जिन लोगों के लाठी-गोली खाने के बाद बजट पेश करने का मौका जिनको मिला, वह आज बहुत कम रह गए हैं, उनकी सम्मान राशि को ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राजगढ़ तहसील में सिद्धमुख नहर परियोजना थी जो बी जे पी के शासनकाल में राजगढ़ के करीब 50-60 गांव उसमें थे लेकिन बी जे पी का जो पूर्व शासनकाल था उसमें सारे गांवों को काटकर राजगढ़ तहसील के सिर्फ 14 गांवों को ही शामिल किया गया। आज वह नहर बने काफी समय हो गया है, नहर की स्थिति यह है कि नहर टूट गई है, वहां की पुलियाएं टूट गई हैं। भीमशरण आदि गांवों में गर्मियों में बड़ी असुविधा होती है। आज सरकार का पैसा भी लग गया लेकिन खाले-नाले नहीं बनने की वजह से काश्तकारों के खेतों में सिंचाई का पानी नहर में नहीं छोड़ा जाता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आप उन सारे गांवों में नालों और खालों का निर्माण कराएं ताकि काश्तकारों को उस नहर के पानी का फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत अच्छी योजना थी, 'आपणी योजना', यह योजना चूरू जिले के लिए जीवनदायिनी योजना थी। यह चूरू जिले ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी योजना थी और

(श्री नन्दलाल पूनिया)

उसमें सारे चूरू जिले को शामिल किया गया था लेकिन उसका प्रथम चरण ही पूरा हो सका और द्वितीय चरण की अभी तक कोई स्वीकृति और बजट प्रोविजन नहीं रखा है। आज ऐसी स्थिति है कि चूरू जिले में यदि सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति पीने के पानी की है तो वह राजगढ़ तहसील की है। राजगढ़ तहसील के कुछ गांव जो हरियाणा बोर्डर से लगते हैं वहां के निवासियों को हरियाणा से पानी लाना पड़ता है, यह बड़े दुःख की बात है कि आजादी के 60 साल बाद भी लोगों को हरियाणा से टैंकरों से पानी लाना पड़ता है, एक टैंकर के चार सौ-पाँच सौ रुपए लगते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उस योजना पर भी काम किया जाए ताकि लोगों को फायदा मिल सके।

दूसरी चर्चा मैं बिजली की करना चाहता हूं। आज बिजली की हालत बहुत गम्भीर है। बिजली विभाग से जो भी रिलेटेड हैं, जो भी इसके उपभोक्ता हैं चाहे वे घरेलू कनेक्शन वाले हों, चाहे वह इण्डस्ट्रियल कनेक्शन वाले हों, चाहे काश्तकार हों, सब इससे परेशान हैं। बिजली का उपभोक्ता यदि कोई परेशान है तो मैं कहता हूं कि यह तो बनिये की दुकान है, कम्पनी है और किसी कम्पनी का कोई ग्राहक यदि परेशान है तो वह कम्पनी कैसे चलेगी? पता नहीं इन बिजली वालों की क्या इच्छा है, इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि राजगढ़ में दो सब डिवीजन खोल दिए। पहले यह होता था कि यदि किसी कर्मचारी को पनिशमेंट देना होता था तो कहते थे कि उसका ट्रांसफर बाड़मेर और जैसलमेर कर दो लेकिन अब स्थिति उलटी हो गई है यदि बिजली विभाग के किसी कर्मचारी, जे ईएन, ए ईएन को पनिशमेंट देना होता है तो उसको राजगढ़ भेज देते हैं। वह राजगढ़ जाने के बाद क्यों काम करेगा?

माननीय सभापति महोदय, जहां तक ट्रांसफार्मर जलने की बात है, यदि कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो काश्तकार को पन्द्रह-बीस दिन तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाता है। सभापति महोदय, आप सोचिए कि यदि 20 दिन तक किसी काश्तकार को ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तो उस काश्तकार की फसल का क्या हाल होगा, फसल जल जाएगी, फसल जल जाएगी तो वह काश्तकार तो स्वतः ही मर जाएगा। आज ऐसी स्थिति है कि लोगों को कुए खुदवाए दस-दस साल हो गए, बिजली कनेक्शन अप्लाई किए हुए दस-दस साल हो गए, आप सोचिए सभापति महोदय, कि जिस काश्तकार ने कर्जा लेकर कुआ बनवाया था उसके ब्याज में ही वह पिटता जा रहा है तो उस काश्तकार की क्या हालत होगी?

(श्री नन्दलाल पूनिया)

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूल कर दिए लेकिन बजट में कहीं पोस्ट का प्रोविजन नहीं किया गया है। अध्यापकों की कमी रहेगी। आपने आज तक न तो पी टी आई की भर्ती की, न कोई सैकण्ड ग्रेड की भर्ती की। तीन हजार स्कूल खोलेंगे जरूर लेकिन उनमें अध्यापक नियुक्त नहीं करेंगे तो क्या स्थिति रहेगी। रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि आज उस गांव में स्कूल पर ताला लग गया, आज उस स्कूल पर ताला लग गया, यह स्थिति इसमें पैदा हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आज काफी जगह उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनके लिए भवन की व्यवस्था नहीं है। समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं करवाया जाता। बी पी एल परिवारों को कहने को तो दवाई दी जाती है लेकिन हॉस्पिटल में स्थिति यह है कि वहां बी पी एल परिवारों को दुत्कारा जाता है, दवाइयां तो दूर उनको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता है, इसके बारे में आपको व्यवस्था करनी चाहिए कि हर बी पी एल परिवार को दवाइयां मिले। लेकिन जिस तरह से बी पी एल परिवारों को दवाइयां मिलती है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बी.पी.एल. परिवार के जितने पशु हैं, उन बी.पी.एल. परिवार के पशुओं को भी निशुल्क दवाई मिलनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग की स्थिति बड़ी दयनीय है। छात्रवास में बच्चे कैसे रहते हैं भगवान ही मालिक है।

**श्री सभापति**: माननीय, एक मिनट में समाप्त करें आप।

**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर): एक मिनट साहब, मेरा क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर से चिपटा हुआ है। वहां हरियाणा के अपराधी राजगढ़ में अपराध करके और वापस हरियाणा में चले जाते हैं और बार्डर पर इतनी व्यवस्था नहीं है, न उनके पास इतनी पुलिस फोर्स है ताकि वह व्यवस्था कर सकें और आप पीछे अपराधियों का रिकॉर्ड देख लीजिए, कि कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितने आज हुए। आप मेरे से तो बहुत बड़े हैं। मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि बॉर्डर पर जो चौकियां थी, पहले बढ़ी राजपुरा, धानोता छोटी उन चौकियों को पुनः स्थापित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में, मेरी यह राय है कि यह एक ऐसा बजट है कि जो एक बूढ़ी औरत को नये कपड़े पहना कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस जवान हो गई।

**श्री सभापति**: बिराजो आप। श्री बाबूलाल खराड़ी।

**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर): आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: 7 मिनट में समाप्त करना है आपको।

**श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया): माननीय सभापति महोदयजी, मुझे तो समय की सीमा से पहले ही बांध दिया, अब तक तो मैंने शुरू ही नहीं किया। माननीय सभापति महोदयजी, आपके माध्यम से मैं जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है, उसके वाद विवाद में अपने आपको शामिल करते हुए निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा अनेक प्रकार के तर्क दिये हैं और उनको गम्भीरता से हमने सुना। माननीय मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आपने जनजाति के नाम से गरीबी के नाम से एस.सी., एस.टी. के वोटों पर आपने लम्बे समय तक राजनीति की है, बहुत राजनीति का समय आपने बर्बाद किया है लेकिन आज उस जनजाति के क्षेत्र में जाकर आप देखेंगे, उसकी माली हालत क्या है। अभी बहुत बड़ा विषय था कि बीमारू राज्य के ऊपर हम उठ गये, बिलकुल सत्य है लेकिन मैं कहना चाहता हूं अब तक चार साल तो आपके द्वारा खोदे हुए खड्ढों को भरने का काम हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, अब सरकार आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि बीमारू राज्य से राज्य ऊपर उठ गया और उभर करके ऊपर आएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे आरोप लगाये। इनके समय की कुछ बातें मैं दोहराना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, 1977 से पहले अगर किसी गांव में स्कूल चलती थी तो, किसी जब गांव के अहसान पर स्कूल चलता था, जैसे जब गांव में स्कूल खुलता था वह भी दूर-दूर तक के रेडियस में खुलता था तो गांव के पटेल लोगों को कहते थे स्कूल खोल रहे हैं, इस स्कूल की व्यवस्था आपको करनी है, अपनी जिम्मेदारी नहीं, गांव के लोग टापरा खड़ा करते और कोई डंडे लाता, केल्लू लाते, ऐसे में भारत के भविष्य का निर्माण होता था, उससे क्या कल्पना की जा सकती है कि वह आने वाला भविष्य में कुछ करके दिखाएगा, यह कोई कल्पना नहीं की जा सकती। 1977 के बाद में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार आई थी उस समय माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह ने तय किया था कि अगर गांव में स्कूल चलेगा तो सरकार के अहसान से चलेगा, गांव के अहसान से नहीं चलेगा। उस समय प्रगांव में स्कूल खोलने का काम किया है तो भारतीय

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आगे चल कर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापतिजी, गांव में सड़क के विषय में ही कहते हैं गांव का आदमी डामर की सड़क कैसी होती है वह नहीं समझता, भैरोंसिंहजी शेखावत दूसरी बार सत्ता में आए, उन्होंने तय किया कि हम पंचायत मुख्यालय को डामर की सड़क से जोड़ेंगे उसी के निमित्त गांव के आदमी ने काली पट्टी डामर की सड़क देखी थी। और, तो और आगे चल कर के भैरोंसिंह ने कहा कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत गांवों को सड़क से जोड़ो तब जाकर गांव का विकास होगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज बड़ी-बड़ी डींग ठोकते हैं। अभी पाला के विषय में आपने बहुत बड़ी चर्चा की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, केन्द्र की सरकार को हमने ज्ञापन दिया कि पाला और ठण्ड से जलने की यह जो है इसको सीआरएफ में आप जोड़ें, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, राज्य सरकार की दुहाई देते रहे और अपने जनता से वाहवाही लूटने के लिए अखबार में यह देते रहे कि हम आपके हितेषी हैं। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनका प्रतिनिधि मण्डल जब दिल्ली गया था तो काफी काश्तकारों की, काफी किसानों की आशाएं बंधी थी कि ये दिल्ली जा रहे हैं, कुछ न कुछ लेकर आएंगे लेकिन फूटी कोड़ी लेकर नहीं आए, न कोई आश्वासन मिला और जनता के साथ में खिलवाड़ किया। अब यह किस मुंह से कहते हैं। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके साथ में कुछ हुआ है उनके लिए हम कुछ मदद करें, 126 करोड़ रुपये की पैकेज की घोषणा करके उनके आंसू पोंछने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी गार्गी पुरस्कार की बात, नगर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, जब आपका नम्बर था। आपने कहा था कि 75 परसेंट जो अंक किये हैं, यह बहुत ज्यादा हैं, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 75 परसेंट नहीं रखेंगे, हम 50 परसेंट भी कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी कम नहीं कर सकते, हम चाहते हैं वह क्वालिटी करके आगे जाकर के अपना भविष्य उज्जवल करें और देश का नाम रोशन करें, हम यह चाहते हैं। आपने यह नहीं देखा था, यह नहीं पढ़ा था कि एस.सी. की बालिकाओं के लिए 65 परसेंट किया है, 60 भी कर देंगे लेकिन हम क्वालिटी चाहते हैं, क्वालिटी होगी तो देश का भविष्य आगे जाकर आगे

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

बढ़ेगा। मान्यवर, आज यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने चर्चा की थी कि आदिवासी बालक जो छात्रावास में रहते हैं उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने भी जो वसुंधरा राजे का बजट भाषण है, इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, उसमें यह कहा है कि हास्टल में पढ़ने वाला बच्चा यह अनुभव नहीं करे कि मैं किसी प्राइवेट हास्टल में हूं या कि सरकारी हास्टल में हूं, घर की तरह महसूस करे इसके लिए कुर्सी और टेबल की व्यवस्था का सरकार ने इस बजट भाषण में कहा है।

**श्री सभापतिः** माननीय दो मिनट में समाप्त करें आप।

**श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया): माननीय सभापति महोदय, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, आगे नहीं बोलूंगा। मान्यवर, अब मैं आगे कुछ नहीं कहते हुए, कुछ अपनी बातें मैं कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने बहुत कुछ दिया है, दोनों हाथों से लुटाया है, मान्यवर, और आज सारे अर्थशास्त्री और गांव की सामान्य जनता तक यह कहने लगी है कि यह बहुत अच्छा घोषणा पत्र है, यह बहुत अच्छी सरकार चल रही है लेकिन प्रतिपक्ष को समझ में नहीं आता है, उनको चाहिए कि हम विपक्ष में हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं और दबी जबान से विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोटडा और झाड़ोल बहुत पहाड़ी एरिया है, ढलानी एरिया है, वहां का पानी बरसात में बरसता है और सीधा का सीधा गुजरात चला जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब रिप्लाई करें तब यह कहें कि वहां के पानी को हम छोटे-छोटे एनीकट और जहां आवश्यकता है, वहां बड़े बांध बनाकर, सिंचाई परियोजनाएं बना करके उस पानी को रोक करके किसान के खेतों तक ले जाने का काम करेंगे, तो उस किसान का भविष्य उज्जवल होगा, मान्यवर। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर।

**श्री सभापतिः** धन्यवाद।

**श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया): साहब, एक और कहना चाहता हूं। कोटड़ा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत दूरदराज और ऐसे पिछड़े क्षेत्र में कालेज खोल कर बहुत उपकार का काम किया है। मान्यवर, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र का पिछड़े क्षेत्र का व्यक्ति विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे इसके लिए विज्ञान संकाय वहां खोलें और उसी के साथ में जितने पद रिक्त हैं...

**श्री सभापति**: बिराजें आप। श्रीमती वंदनाजी।

**श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया): उन पदों को भरें। इन शब्दों के साथ में, इस बजट भाषण का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्रीमती वंदनाजी।

**श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आज मैं उस एरिया की बात करूंगी जहां टीएसपी एरिया है और पूरे संभाग की बात, आज इस सदन में बजट पर चर्चा हो रही है उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए सारे एरिया की बात रखना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, यह वर्ष महिला सशक्तिकरण का वर्ष है और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिया है..

**श्री सभापति:** वंदनाजी, सात मिनट में समाप्त करना आप। माननीय वंदनाजी, आपसे अनुरोध है कि सात मिनट में अपने एरिया की बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): उसमें महिलाओं का विशेष ध्यान रख कर जो आत्म विश्वास दिखाया है वह हमारे सब के लिए प्रसन्नता की बात है। पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की जो घोषणा की है, तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कस्तूरबा गांधी विद्यालय एवं अन्य क्षेत्र में छात्रावासों की स्थापना व पुनर्निर्माण की घोषणा की है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिसारवा पंचायत में कस्तूरबा हास्पिटल छात्रावास खोला है, इसके लिए मैं वहां की जनता की ओर से व अपनी ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं। छात्रावासों की स्थापना की पुनर्निर्माण की घोषणा 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्राओं को 3 हजार रुपये मुफ्त राशि पुरस्कार स्वरूप देने का प्रस्ताव तथा आदिवासी बच्चियों द्वारा 65 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली बच्ची को एक स्कूटी देने की घोषणा की है जिससे बच्चियों में पढ़ने व आगे बढ़ने की प्रतिभा जागेगी। मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा करके लाखों-लाखों, काम करने वाले मजदूरों व गरीबों के प्रति सहानुभूति दशाई है।

आज वह जनजाति के सारे लोग आपको हमेशा-हमेशा के लिए याद करेंगे और इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों में माननीय मुख्य मंत्रीजी का नाम लिखा जाएगा। 100 दिन जो काम करने वाली महिलाओं को सम्मान मिला है,

(श्रीमती वन्दना मीणा)

एक साड़ी और एक घाघरा देकर उनका सम्मान देने की जो बात की है वह सराहनीय है। ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने हेतु ग्राम स्वास्थ्य योजना एवं प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर क्षार सूत्र हेतु आपरेशन थियेटर की स्थापना करना एवं महिला स्वास्थ्य के लिए 5 करोड़ व्यय कर, 6 मेडिकल कॉलेज में विशेष व्यवस्था की है। आदिवासी क्षेत्र में टी एस पी एरिया के बच्चों को दी है। परन्तु उसके साथ-साथ एक और बहुत ही आदिवासी क्षेत्र के जो छात्र-छात्राएं हैं उनके लिए प्रशासनिक सेवा में आगे लाने के लिए जो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 45 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है जिसमें इंस्पैक्टर, थानेदार, नायब तहसीलदार सेवा तक की नौकरियों में लाभ मिलेगा। सामने बैठने वाले माननीय सदस्य थोड़ी देर पहले खड़े होकर के जवाब दे रहे थे कि आदिवासियों के लिए क्या किया है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने टी एस पी एरिया में आदिवासियों को पलकों पर बिठाया है। और भी कुछ देगी और बहुत कुछ इन चार सालों में दिया है, आप उस किताब को अच्छी तरह पढ़कर के देख लें।

सामाजिक सेवा में पूर्ववर्ती सरकार से अधिक ध्यान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि 1998-99 से 2003 तक सामाजिक क्षेत्र में 6768 करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे जबकि हमारी सरकार ने 2003-04 से 2007-08 तक 12060 करोड़ रुपये खर्च किये। यह, यह दर्शाता है कि इस सरकार ने सामाजिक सेवा में विशेष ध्यान दिया है।

इसी तरह ग्रामीण विकास में देखें तो 1998-99 से 2004 तक मात्र 18854 रुपये खर्च हुए हैं जबकि 2003-04 से 2007-08 तक 3 करोड़ 267 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह एक सराहनीय कार्य है।

**श्री सभापति:** कृपया समाप्त करें।

**श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): आदिवासियों के पवित्र तीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम एवं सिरोही के गौतम ऋषि तीर्थ स्थल को रुपये देकर विकास कराया जिससे आदिवासियों का सम्मान बढ़ा है।

**श्री सभापति:** आधा मिनट में समाप्त करें आप।

**श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, उसके साथ-साथ अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में चयन हेतु वर्तमान में वसुंधराजी राजे द्वारा चलाई जा

(श्रीमती वन्दना मीणा)

रही अनुप्रति योजना से काफी लाभ मिला है। मगर कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इस वर्ग के बच्चों को जो आई आई टी व मेडिकल में पढ़ने वाले उन बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

**श्री सभापतिः** माननीय बहादुर सिंहजी गोदारा। समाप्त करें। समाप्त करें आप।

**श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): उनकी इन परेशानियों को समझने का प्रयास किया यह तो माननीय वसुंधराजी ने किया है जिन्होंने आई आई टी व मेडिकल में पढ़ने वाले बच्चों को इस बजट में अनुप्रति योजना का लाभ दिया है, इसके लिए मुख्य मंत्री साहिबा को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

**श्री सभापतिः** बहुत अच्छा बोल रही हैं पर मजबूरी है अपनी।

**श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): मैं दो पंक्तियों में समाप्त करना चाहूंगी। राजस्थान की बेटी हम सभी की सम्माननीय हैं। आदिवासी क्षेत्र टी एस पी के बच्चों को प्रशासनिक सेवा में आगे लाने के लिए आरक्षण की घोषणा है जिससे जनजाति उप योजना के लोगों को विशेष फायदा होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप शीघ्र ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में होने वाले रिक्रूटमेंट में इसे लागू करें ताकि वहां जाने वाली प्रतिभा का लाभ दिखे।

**श्री सभापतिः** विराजें। माननीय गोदारा साहब।

**श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

"पुनीत कर्मों का पावन फल है बेटियां,
हर समस्या का अबूझा हल है बेटियां,
राखी की डोरी, ममता का आंचल, आने वाला कल है बेटियां,
खुशियां बांटती, दु:खों को सहती, होंठों की मुस्कान है बेटियां।"

राजस्थान की बेटी को शत-शत नमन। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापतिः** गोदारा साहब, 7 मिनट में समाप्त करें। गोदारा साहब, 7.33 हुए हैं, 7.40 पर आप समाप्त करें।

**श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर): माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्य

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

मंत्रीजी ने जो जन-कल्याणकारी बजट रखा है और बड़ा विस्तृत बजट रखा है, समाज के हर पहलू को छुआ है, मैं उनके बजट की प्रशंसा करता हूं। लेकिन इस बजट के बारे में माननीय सदस्यों ने हाउस में जो खासियतें हैं, बार-बार दोहराई हैं मैं उनको नहीं दोहराना चाहता, मैं तो सदन में एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारा बजट इसमें कोई संदेह नहीं है कि जन-कल्याणकारी है लेकिन हमारे बजट में दोनों ओर के सदस्यों की जो चर्चाएं हुई हैं उनसे यह जाहिर होता है कि यह किसान कल्याणकारी बजट नहीं है। दोनों ओर के सदस्यों ने सदन में यह चर्चा की है कि कर्नाटक में, आन्ध्रा में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में भुखमरी से किसानों की मौतें हुई हैं, भुखमरी से किसानों ने खुदकुशी की है और उस खुदकुशी को रोकने का उपाय आज तक न तो कभी केन्द्रीय बजट में किया गया और न हमारे बजट में किया गया। इसलिए यह किसान कल्याणकारी बजट नहीं कहलाया जा सकता। माननीय सभापति, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खेती देश का सबसे बड़ा उद्योग-धंधा है और हमारे देश की 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर आधारित है, खेती की पैदावार से चलने वाले उद्योग-धंधे पर भी आधारित है। कुल मिलाकर 70-80 प्रतिशत देश की जनता जिस उद्योग-धंधे पर हो उस उद्योग-धंधे पर अगर हम बजट का कम्पेरिजन करके देखें तो सब से कम बजट खेती के ऊपर सरकारें देती हैं। न तो केन्द्रीय सरकार ने आज तक सही बजट दिया और न हमारी सरकार ने कभी सही बजट दिया। इसी की वजह यह है कि आज अकाल पीड़ित एरिया बढ़ता जा रहा है, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हमारे यहां पानी इतना है कि आये दिन बाढ़ आ रही है, हमारे यह शिकायतें भी बढ़ रही हैं, पर अगर खेती पर पैसा लगा हुआ होता तो वहां बाढ़ नहीं आती, यहां सूखा नहीं पड़ता, फेमिन नहीं पड़ता। लेकिन हमारी इस समस्या की तरफ कभी भी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसी की वजह से आज ये मौतें हो रही हैं। दूसरा, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देश की सबसे बड़ी पैदावार और जिसके ऊपर देश का जीवन निर्भर है उस पैदावार का क्या हाल है कि वो पैदावार किसान के खलिहानों से दूसरे के बारणे के आगे जाती है और उस पैदावार को खरीददार एक-दो-तीन कह करके यतीम के माल की तरह से उठा ले जाता है और किसान को कोई नहीं पूछता कि तेरा खर्चा भी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए किसान की गरीबी, किसान का कर्जा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जिस पैदावार की कोई कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो, जिस

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

पैदावार का कोई लागत मूल्य नहीं हो उस पैदावार की पूरी कीमत कौन देगा? पूरी कीमत तो अगले ग्राहक से जबरदस्ती ली जाती है, ग्राहक चलाकर के कभी पूरी कीमत किसी पैदावार की नहीं देता। अगर यही हाल कपड़े का होता तो दुकानें बन्द हो गई होतीं। यही हाल अगर दूसरी पैदावार का होता तो वह सारे के सारे प्रतिष्ठान जो पैदावार करते हैं, सारे के सारे बन्द हो गये होते। यह तो किसान है जो आज भी इतने सालों के बाद इस आजादी में जी रहा है, नहीं तो जीने का कोई आधार नहीं है। इतना ही नहीं, किसान की पैदावार एक-दो-तीन कह करके ले जाते हैं लेकिन कभी कोस्ट आफ प्रोडक्शन निकालने की फिक्र न तो केन्द्रीय सरकार ने की और न हमारी सरकार ने की। आज हिन्दुस्तान के किसी कृषि मंत्री को यह मालूम नहीं है कि एक क्विंटल ग्वार, एक क्विंटल बाजरी, एक क्विंटल मूंग-मोठ और नरमे-कपास की लागत किसान की क्या होती है। कोई भी देश का कृषि मंत्री यह नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता कि उन्होंने कभी निकलवाई ही नहीं, कभी निकलवाने की कोशिश ही नहीं की। आपके इस बजट से भी यह जाहिर है कि किसान का कर्जा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आपने इस बजट में प्रावधान किया है कि किसान को पेस्टीसाइड, खाद, बीज का कर्ज निरन्तर बैंक देते आ रहे हैं। किसान पर कर्जा क्यों बढ़ रहा है अगर उसको अच्छी कीमत मिलती होती तो। आपने पिछले बजटों में यह सरकार से कहलवाया है, आपने पिछले बजटों में मुख्य मंत्रीजी से भी कहलवाया है, हमारे गवर्नर साहब से भी कहलवाया है कि हम काश्तकारों को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। जिन लोगों को मूल्य का मालूम नहीं वो लाभकारी मूल्य कैसे दे सकते हैं? इसलिए इस बार तो वह शब्द भी निकाल दिया गया है इस बजट भाषण से कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। किसान को लाभकारी मूल्य नहीं देकर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है और किसान का कर्जा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इससे यह जाहिर है कि किसान को उसकी पैदावार का मूल्य नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, किसान की एक बीमारी तो यह है कि उसकी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिलती और दूसरी बीमारी यह है किसान फ्लेक्चुएशन की वजह से भी आज खुदकुशी कर रहा है। फ्लेक्चुएशन की बीमारी किसान को दोहरी मार करती है। जब किसान की अच्छी फसल होती है तो किसान की पैदावार के भाव नीचे आ जाते हैं, उसको अच्छी कीमत नहीं मिलती और जब किसान की पैदावार मारी जाती है तो भाव ऊंचे चढ़ जाते हैं और किसान को खरीदनी पड़ती है तब

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

किसान को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। फ्लेक्चुएशन की वजह से किसान को निरन्तर दोहरी मार होती है। अच्छी फसल होती है तब भी नुकसान में जाता है और बुरी फसल होती है तब भी नुकसान में जाता है। यही कारण है कि आज इस फ्लेक्चुएशन को रोकने का किसी भी सरकार ने प्रयत्न नहीं किया और उसकी वजह से किसान का जो उद्योग-धंधा है, देश का इतना बड़ा उद्योग-धंधा है वह अलाभकारी उद्योग बन गया है।

**श्री सभापतिः** समाप्त करें। आदरणीय, समाप्त करें अब।

**श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर): तीसरा मेरा सुझाव यह है कि किसान के नाम पर कुछ राहतें तो दी जाती हैं लेकिन वह राहत कभी किसान के पास नहीं पहुंचती। जो पेस्टीसाइड पर और खाद पर और किसान को दिये जाने वाले इम्प्लीमेंट्स के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है, वह कारखानों को दी जाती है, वह किसान के पास नहीं जाती। जो ट्रेक्टर पर सब्सिडी दी जाती है, वह कारखानों को मिलती है लेकिन किसान को वह सब्सिडी नहीं मिलती है। पेस्टीसाइड, खाद-बीज पर जो सब्सिडी मिलती है, वह किसान को नहीं मिलती है। किसान को पूरा पैसा देकर यह सारी सामग्री खरीदनी पड़ती है इसलिए किसान अगर अपनी पैदावार का और खर्चे का अनुपात निकालता है तो किसान हमेशा घाटे में जाता है...

**श्री सभापतिः** बिराजिये। माननीय सुरेशजी चौधरी। आदरणीय, समाप्त करें अब। मजबूरी है। आप बहुत अच्छे सजेशन दे रहे हैं, मुझे बहुत पसन्द आ रहे हैं पर मजबूरी है मेरी। आप बीच-बीच में इन्टरवेंशन नहीं करें। यह आसन का काम है कि क्या करना है। सुरेशजी चौधरी।

**श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर): मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): साहब, हम दोनों ही पड़ोसी रह गये, क्यों लड़वा रहे हो आप। दोनों ही पड़ोसी रह गये। मेरे एक-दो मिनट इनको दे दो आप।

**श्री सभापतिः** मैं क्या कर सकता हूं। I am bound to time.

**श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर): एक ही मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं इसलिए तो बजट की तारीफ करता हूं लेकिन बजट में यह जो कमी रह गई है और यह इसको जन कल्याणकारी तो बना दिया लेकिन इसको किसान कल्याणकारी नहीं बनाया गया, इसके लिए मुझे दर्द है

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षा की बातें बहुत कही गई हैं। मैं भी मानता हूं कि शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है। स्कूल खुली हैं, क्रमोन्नत हुई हैं, टेक्नीकल शिक्षा का भी विस्तार हुआ है लेकिन आज अगर हमारे स्कूलों की स्थिति देखें, कहीं भी स्टाफ पूरा नहीं है। मेरे खुद के ही गवर्नमेंट कालेज है, जिसके अन्दर 18 मेम्बरों की कमी है, वह नहीं है। हमारे बीकानेर कृषि यूनिवर्सिटी है, न तो एग्रो-टेक्नीकल इंजीनियरिंग कालेज है, न डेयरी और फूड प्रोसेसिंग का कालेज है इसलिए वह हमारी यूनिवर्सिटी कोई काम नहीं कर सकती है और इस इलाके की समस्याओं का समाधान भी वह किसी भी रूप में नहीं कर पा रही है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्कूल में, कालेज में, टेक्नीकल संस्थाओं में जो कमी है, वह शीघ्र पूरी करें। धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** बिराजें आप। चौधरी साहब। छह-छह मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): माननीय सभापति महोदय, 25 फरवरी, 2008 को माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान की जनता को समर्पित इस बजट के वाद-विवाद में मैं भी हिस्सा लेने खड़ा हुआ हूं। दो-तीन दिन की बहस में सत्ता पक्ष की तरफ से जो तारीफ होनी चाहिए थी, वह तारीफ हुई। प्रतिपक्ष की तरफ से जो तारीफ होनी थी, वह तारीफ नहीं होकर के प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से जिस तरह से कुछ कमी निकालने के नाम पर कमी निकालनी हो। जैसे मेरी एक माननीय सदस्य से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका जो बजट भाषण है, इसमें शुरूआत में नम्बर एक नहीं लिखा हुआ है, बाद में नम्बर दो लिखा हुआ है। कितनी बड़ी कमी निकाली है देखो आप इस 99 पेज के दस्तावेज में।

दूसरी बात हुई तो जो मुस्लिम बहुल कस्बे थे, उनमें आया तो उसमें से सूरजगढ़ नाम आ गया। वह गलती निकाली कि यह सुजानगढ़ था या सूरजगढ़ था। मतलब यह देखो कि इतना बढ़िया बजट 365 दिन का, जो माने हुए, जमीन से जुड़े हुए विशेषज्ञ थे आर्थिक जगत के, उनसे बात करके तैयार किया हुआ बजट और उसमें इस तरह की कमी निकाली जाये तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आपको बताऊं, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पेशे से एक चिकित्सक हूं और सुबह-सुबह घूमने चला जाता हूं तो अस्पताल संभालने

(डा. सुरेश चौधरी)

चला जाता हूं मेरी कांस्टीट्वेन्सी का जो वहां पर सी.एच.सी. है और उस सी.एच.सी. की स्थिति यह है कि 2003 में जब चुनाव हुए थे, उस समय वहां स्थिति यह थी कि किसी पेशेंट को दिखाने जाते थे तो वह पेशेंट तो तीसरे दिन रेफर हो जाता था आगे हायर सेवा के लिए और उसका जो अटेंडेंट था, वह एडमिट हो जाता था। आज वहां स्थिति यह है कि वहां अच्छे-अच्छे लोग ट्रीटमेंट लेकर जा रहे हैं। वहां मेरे को एक बंदा ऐसा नजर आ गया। मुझे लगा कि यह न मेरी पार्टी के साथ में था, न आज है, न रहेगा लेकिन मेरे यह था कि सच्चाई तो वह कहते हैं ना कि घाव तो दुश्मन के भी नहीं सड़ाये जाते हैं। मैंने यह सोचकर उसको टोक लिया। मैंने सोचा कि आज वह क्या कमी निकालेगा इस अस्पताल में तो मैंने उसको यह कहा कि सब ठीक है कि नहीं यहां? हालत खराब है अस्पताल की। मैंने पूछा क्यों, आपको क्या परेशानी है इस अस्पताल में तो वह बोला कि इस अस्पताल में पहले यह था, तीन-चार साल पहले स्थिति यह थी कि हम खड़े होते थे बिस्तर के पास में और बिस्तर के पास में ही उतरकर यहीं पेशाब कर लेते थे और आज घूमकर जाना पड़ता है, टायलेट जाना पड़ता है। मतलब क्या कमी निकाली उस मरीज ने और यही की यही स्थिति मुझे इस तीन दिन के बजट भाषण पर बहस में महसूस हुई जो 2008-2009 का जो मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है और वह पेश करने के बाद में उसको मैंने भी पढ़ा है, मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैंने खंगाला है इसको, बहुत अच्छी तरीके से खंगाला है लेकिन कहीं भी कुछ भी एक तरह से यह कहा जा सकता है कि सबके लिए सर्वस्पर्शी बजट है। नोहर से आने वाले माननीय सदस्य बहादुर सिंहजी गोदारा, मैं इनकी बात पर भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि यह किसान हितैषी बजट नहीं है। जैसे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की गई है पहली बार रखरखाव के लिए, वह पानी काश्तकारों के खेत में जाएगा। इस बजट में यह कमिटमेंट किया गया है कि जिस तरह से डीएपी की खाद राजस्थान की सरकार ने इम्पोर्ट की थी, इसी तरह से आने वाले समय में यूरिया भी इम्पोर्ट करेगी और काश्तकारों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जायेगी, वह भी काश्तकारों के पास ही जायेगा। बिजली के कनेक्शन जो पेंडिंग थे, वह देने की बात जहां की गई, 2003 तक के कनेक्शन देने की बात की गई, वे कनेक्शन भी काश्तकारों को दिये जायेंगे और ये सारी चीजें करते-करते मैं मतलब ज्यादा क्या कहूं इसमें, हर वर्ग को पहली बार छुआ है। मैंने बजट

(डा. सुरेश चौधरी)

पहले भी देखे हैं। सक्रिय राजनीति में, 1993 से चुनावी राजनीति में आया हूं, 1993 के बाद से 2008 तक, आज 13-14 बजट निकल गये, मैंने देखा कि इस तरह का बजट, मैं आपको सही बताऊं, पूरे हाउस में ईमानदारी से कहता हूं कि इस तरह का बजट जिसने समाज के हर वर्ग को छुआ है, समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास ईमानदारी से इस बजट में दृष्टिगोचर होता है और उसके बावजूद यह कहा जाये कि यह चुनावी साल का बजट है। आप तो आज कह रहे हैं इसको चुनावी साल का बजट। मेरे कांग्रेस के, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, हमने तो चुनाव की तैयारी पिछले बजट के पहले से ही चालू कर दी थी। उस समय भी जब कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह से लग रहा है जैसे 2007-2008 का बजट भी पूरा चुनावी दिया है। 2007-2008 के बजट को भी चुनावी कह रहे हो और 2008-2009 के बजट को भी चुनावी कह रहे हो तो इस तरह से मतलब आलोचना करने के नाम पर आलोचना नहीं हो। अगर देखें सकारात्मक कहीं से भी अगर किसी के पक्ष में किया है तो कहना चाहिए, मतलब पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य श्रवण कुमारजी सटीक टिप्पणी करते हैं। जो चीज सही है, वह बोलते भी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में इस तरह का है कि जो चीज सही है वह बोलते हैं लेकिन उस कुर्सी पर जाने के बाद में पता नहीं, कौन क्या पीछे पड़ गया इनके नजर लग गई कि किसी चीज की, सही बात को सही नहीं कह पा रहे हैं।

मैं मेडिकल से रिलेटेड हूं तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बढ़िया काम इस बजट में...

**श्री सभापतिः** धन्यवाद। 30 सैकण्ड में अपनी बात समाप्त करें। 30 सैकण्ड में अपनी बात कह दें।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): तीन मिनट में कह दूंगा। धन्वन्तरि एम्बूलेंस योजना मतलब पहली बार इस तरह की एक व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा की गई है कि जैसे ऐसे में लगता है कि यह एक मां का बनाया हुआ बजट है। किसी मां की ममता है, किसी को प्रसव पीड़ा हो रही हो तो सुदूर जैसलमेर-बाड़मेर में कोई गांव, वहां आने-जाने का साधन नहीं है और इस बजट में यह संवेदनशील सरकार की संवेदनशील वित्त मंत्रीजी यह घोषणा करती हैं कि टेलीफोन करने के बाद में, सूचना देने के 45 मिनट के अन्दर वहां पर गाड़ी की व्यवस्था हो जायेगी और ग्रामीण इलाके में मुफ्त और होगी।

(डा. सुरेश चौधरी)

मेरा इसमें एक सुझाव है कि हर जिला अस्पताल में, जो भी हैं, उसमें फिजिकल मेडिसिन, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्रीजी भी आप हैं (व्यवधान) माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा मंत्रीजी भी आप हैं। मेरा एक सुझाव है कि हर जिला अस्पताल में हर सोमवार को री-हेबिलिटेट के हमारे साथी हैं, उनको सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था की है। उसमें बोर्ड होता है, कोई फिजिशियन होता है, कोई सर्जन होता है, कोई आर्थोपेडिक सर्जन होता है। मेरा यह मानना है कि जब एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में फिजिकल मेडिसिन एण्ड री-हेबिलिटेशन के जो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेस करवा रहे हैं और उन लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गये सर्विस करते हुए जूनियर स्पेशलिस्ट की, वह भी क्वालिफिकेशन वैसी ही रखते हैं जैसे कोई अन्य ब्रांच में पीजी करने वाला, एमडी, एमएस करने वाला रखता है। मेरा यह कहना है कि सरकार पर आर्थिक वज़न भी नहीं पड़ेगा और हर जिला अस्पताल पर इस तरह से फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन में पोस्ट ग्रेजुएट किये हुए आदमी को, किये हुए मेडिकल आफिसर को एज ए जे.एस. स्थापित किया जावे...

**श्री सभापतिः** कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**डा. सुरेश चौधरी** (भादरा): तो वहां न केवल उनको सर्टिफिकेट देने में क्योंकि न्यूरोलाजिकल कोई प्रोब्लम हो गई तो वहां आर्थोपेडिक सर्जन वहां हर मनडे को जिला हैड क्वार्टर पर वह सर्टिफिकेट नहीं दे पायेगा उसकी हैण्डीकेपनेस का लेकिन अगर न्यूरोलाजिकल प्रोब्लम है और वहां फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन का कोई स्पेशलिस्ट है तो वह दे सकता है।

**श्री सभापतिः** आदरणीय अर्जुन सिंहजी बामनिया। अर्जुन सिंहजी, देखिये, पार्टी का समय समाप्त हो चुका है, मैं आपको चार मिनट दूंगा, आप अपने क्षेत्र की बात रखें, चार मिनट।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): साहब, कोई भी इस प्वाइंट पर नहीं बोला है। मुझे कम से कम सात-आठ मिनट का दो।

**श्री सभापति**: हां, बस चार मिनट में कर दें आप अपनी बात को।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): नहीं हो तो।

**श्री सभापति**: स्टार्ट इट। ज्यादा लम्बा समय मत करो।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): एक टेक्नीकल बात है माननीय सभापतिजी, जैसा कि बजट भाषण में जो बात दर्शाई गई है, मैं आपसे बजट भाषण के माध्यम से ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो हजारों और लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ी हुई बात है और यह बात, माननीय सभापतिजी, जिसको ऐसे ढंग से मुड़ा कर दर्शा कर रखी गई है जो आपके सामने है। जहां तक पूरे सदन में सभी तरह की बातें दोबारा सत्ता पक्ष के और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने दर्शाई, पर यह बात माही संबंधित और माही के पानी से संबंधित बात है जो आज दिन तक अभी तक किसी ने इस सदन में नहीं रखी है। माननीय सभापतिजी, यह दर्शाया गया है कि हमने माही का काम पूर्ण कर लिया है। हमारे जनजाति मंत्री महोदय विराजमान हैं, उनके सामने मैं बात कहना चाहूंगा कि जब ट्राइबल कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें सैक्रेटरी, इर्रिगेशन और माही के चीफ इंजीनियर, राज्य के चीफ इंजीनियर साहब बैठे थे और डिस्कस हुआ था। उस डिस्कसन में यह दर्शाया गया था और यह बात रखी गई थी कि ऐसी भी जमीन है, ऐसी भी जगह है आज कि 18 हजार हैक्टेयर जमीन जो आज की तारीख में माही से सिंचित की जा सकती है, उसके बारे में कहीं दर्शाया नहीं गया है। माननीय सभापति महोदय, जो आज हम तात्कालिक बेनिफिट जिस 18 हजार हैक्टेयर जमीन को दे सकते हैं, वह सिंचित कर सकते हैं वह नहीं दर्शा करके ऐसी चीज दर्शाई है कि यहां 147 टीएमसी पानी माही में जो है उसके बारे में दर्शाया है जिसमें से हम 24 टीएमसी पानी माही का जो बांसवाड़ा जिले की कमांड धरती को देते हैं और 40 टीएमसी पानी गुजरात को देते हैं, बाकी स्टोरेज की आवश्यकता है और इसके मुताबिक हम बिजली उत्पादन के लिए पानी रखते हैं। माननीय सभापति महोदय, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि हम हाई लेवल की कैनाल का सर्वे करवा कर फिजिबिलिटी के आधार पर उसको तैयार करेंगे। सभापतिजी, यह बहुत लम्बा प्रोग्राम है, बहुत लम्बी योजना है, दस-बीस साल तक पूरी नहीं हो सकती है पर इसको ध्यान में रखते हुए जो 18 हजार हैक्टेयर जमीन, जिसको आज सरकार चाहती है तो पानी उन काश्तकारों को दे सकते हैं, उसके बारे में दर्शाया नहीं है। यही नहीं, जनजाति विकास मंत्री, तत्कालीन और वर्तमान दोनों विराजमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि टीएडी विभाग की पिछली जो लिफ्ट योजना है, वह आज दिन तक कितनी बंद पड़ी हैं, कितनी आपने चालू कराई हैं, उसके मुताबिक माही डेम के पानी को लेकर इस पुस्तक में यह दर्शाया गया है कि हम आभापुरा और दानपुर को लिफ्ट योजना से पानी देंगे।

(श्री अर्जुन सिंह)

माननीय सभापति महोदय, डेढ़ किलोमीटर पानी नीचे, डेढ़ किलोमीटर ऊपर लिफ्टिंग करके पानी देंगे तो क्या कास्ट बैठेगी, किस आधार पर यह बात लिखी गई है, मैं जानना चाहूंगा सदन में। और दूसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाह रहा हूं कि दानपुर के लिए जब लिफ्ट योजना की बात है, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय मंत्री महोदय, दानपुर के लिए हरिदेवजी जोशी के समय एक सर्वे होकर पानी देने की योजना तैयार की है जिसकी लागत कम से कम 40 करोड़ रुपये है, वह सर्वे होकर कागज उसके कम्पलीट पड़े हैं, उसकी तरफ आज तक किसी भी आदमी का ध्यान नहीं गया।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है...

**श्री सभापति**: समाप्त करें आप।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): मैं एक शब्द, लाइन में कहकर मेरी बात समाप्त कर रहा हूं।

**श्री सभापति**: हां, करिये।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): अब इस चीज के लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप 18 हजार हैक्टेयर जमीन की तरफ ध्यान दें। यही नहीं, इस बजट के आधार पर मैं आपसे एक दूसरा निवेदन कर रहा हूं, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट के बारे में जितने भी अपने समर्थक वक्तव्य दिये हैं पर उन सबके साथ में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी बात व्यक्ति कहता है उसके साथ में दो शब्द, लेकिन-मगर, यह दो शब्द पूरी बात को खा जाते हैं...

**श्री सभापति**: विराजिये। रणवीर सिंहजी गुढा ।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): और माननीय सभापति महोदय, इन्होंने, सब के सदस्यों ने लेकिन और बट लगाकर इस सारे का, अभिभाषण का विरोध किया है...

**श्री सभापति**: विराजें। अब विराजें आप। रणवीर सिंहजी गुढा।

**श्री अर्जुन सिंह** (दानपुर): मैं भी इस बजट का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: संयत भाषा में। पहले ही टोक रहा हूं मैं आपको, संयत भाषा में, साढ़े चार मिनट, चलिये आप।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। बजट के ऊपर मैं यह कहना चाहूंगा कि साढ़े चार साल में सरकार ने क्या खोया और क्या पाया, मैं सबसे पहले तो जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं करी हैं, बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए हजारों करोड़ का जो कर्जा लेकर के राजस्थान की सरकार ने कोई बहुत बड़ा अहसान नहीं किया है, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रही है तो वह है भ्रष्टाचार। राजस्थान की सरकार के बड़े-बड़े मंत्रियों के पत्रिका, भास्कर, बड़े-बड़े अखबारों के ऊपर मोटे-मोटे फोटो सारे राज्य की जनता ने पढ़े हैं। दूसरी हमारी उपलब्धि रही है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो, सब को राजस्थान की बीजेपी ने कहा था कि आरक्षण दे देंगे सत्ता में आने के बाद में, चार साल, पांच साल पूरे हो गये, उनको मिला क्या, गोलिया मिलीं। 26 गुर्जरों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो गुर्जर बुजुर्ग अपनी गिरफ्तारी दिये, उनके फिंगर प्रिंट लेकर के, बुजुर्गों के, उनके हाथों के, पांवों के, उनके गले में तख्तियां डाल करके, उन गुर्जरों को चौराहों पर खड़ा करके वहां पर उनके फोटो छपवाये गये, थाने पर उनके फोटो छपवाये गये, अपराधियों जैसा उनके साथ बर्ताव किया गया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, दलितों को राजस्थान के अंदर जहां की माननीय, जिस जिले की विधान सभा की अध्यक्ष हैं, वहां पर दलितों की दुल्हन को शराबियों ने नाचने के लिए मजबूर किया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। चूरू में दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आमरण-अनशन चल रहा है, कोई कार्यवाही नहीं हुई। बीकानेर में आमरण-अनशन कर रहे हैं किसान, कोई कार्यवाही नहीं हुई। जैसलमेर में, माननीय सभापति महोदय....

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): बजट पर बोलें, बजट पर।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): नहीं-नहीं, कानून-व्यवस्था।

**श्री सभापतिः** कृपया बोलने दें आप। (व्यवधान) बैठे-बैठें, आप। (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): कानून-व्यवस्था, जैसलमेर में, माननीय सभापति महोदय, जो गायों का वध करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान) जो गायों का वध करें उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन जिला कलक्टर की मौजूदगी और माननीय जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में...

**श्री सभापति:** माननीय गुढा साहब, ऐसे तो आप रोज ही बोलते हैं, बजट के बारे में कुछ कहना हो तो बोलें। आपको टाइम इसीलिए दिया है।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): माननीय, कानून-व्यवस्था के ऊपर हम करोड़ों, हजारों करोड़ का खर्चा करते हैं उसके ऊपर मैं दो शब्द आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। जैसलमेर में वहां पर जन प्रतिनिधियों की, विधायकों की मौजूदगी में, जिला कलक्टर की मौजूदगी में सैंकड़ों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की दुकानों की होली जलाई गई, घरों की होली जलाई गई, कोई मुकदमा नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर गुर्जर मीटिंग कर रहे थे तो रासुका लग रहा था। इमरजेंसी का सबसे ज्यादा आपने विरोध किया था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और आपने रासुका लगाकर यहां के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, उसके लिए भी राज्य की जनता आपसे हिसाब-किताब ले लेगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर राजपूतों के साथ में जो आरक्षण का आपने विश्वास देकर के उनको जहर देने का काम किया, विष देने का काम किया, उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, राजपूतों की दुल्हन इस बीजेपी के राज में रात भर थाने में गुजारे, बारात के साथ में मारपीट हो और दूल्हे के साथ में मारपीट हो और उसके बाद में थानेदार और डीवाईएसपी उस बारात को उस टोल टैक्स वाले से यह कहे कि सतरह हजार रुपये मंदिर में चढ़ा दो, उसके बाद में बारात को जाने देंगे, ऐसे असामाजिक तत्वों का यहां की पुलिस ने सपोर्ट किया है, इन कोर्टस को बंद करके इन मंदिरों को कोर्ट बना दो और जजों की जगह इन थानेदार को बैठा दो। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से कानून के साथ में खिलवाड़ हुआ है। थानेदार मेरे जिले के अंदर, कोई थानेदार थाने में नहीं लगता, मैंने पूछा क्यों नहीं लगता, एस.पी. एक लाख रुपये मांगता है एक महीने में और फिरौती हो रही है, शराब की अवैध दुकानें चल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, दलितों के लिए मुख्य मंत्रीजी ने जो दरियादिली दिखाई है अपने विधायक कोटे से बीस प्रतिशत, सबसे ज्यादा मदद करना चाहती हैं और केवल बीस प्रतिशत, मैं विधायक कोटे की बात नहीं करना चाहता हूं, आप किसानों के लिए, अस्सी प्रतिशत लोग यहां पर गरीब हैं लेकिन 80 प्रतिशत आपके बजट का, आपका खर्चा, आपका बजट किसान के ऊपर होना चाहिए, दलित के ऊपर होना चाहिए, आज भी...

**श्री सभापति:** विराजें आप। सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 20.00 बजे, शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

## वर्ष 1993 में जप्त चावलों का उपयोग

**134. श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि दिनांक 03 फरवरी, 1993 को रसद विभाग द्वारा जयपुर में 3286 क्विंटल चावल जप्त किया गया था? यदि हां, तो उक्त जप्त किये गये चावलों का सरकार द्वारा क्या किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। दिनांक 03.02.93 व 4.02.93 को मैसर्स सुवालाल, बजरंग लाल की जांच के दौरान निर्धारित स्टाक सीमा 500 क्विंटल से अधिक भण्डारण करने एवं अन्य अनियमितताओं के कारण चावल 3286.29.100 क्विंटल जब्त किया गया।

इन जब्त चावलों को 6 सुपुर्दगारों श्री कमल किशोर सोमानी, श्री मुरारी लाल भाला, श्री मनमोहन माहेश्वरी, श्री राधेश्याम दुसाद, स्व. श्री देवराज्य खुराना एवं श्री विजय कुमार खुराना की सुपुर्दगी में दिया गया। तथा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट 38/93 दिनांक 4.02.93 को फर्म के विरुद्ध पुलिस थाना, विधायकपुरी में दर्ज करायी गयी। जिसका चालान देय होने पर माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, (ई.सी. एक्ट) जयपुर द्वारा परीक्षण कर दिनांक 23.05.97 को निर्णय पारित कर अभियुक्त बजरंगलाल को 3 माह के कारावास तथा 500/- रु. के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया तथा जब्त शुदा चावल को राज्य सरकार के पक्ष में इस निर्देश के साथ जब्त किया गया की सुपुर्दवार को नोटिस दिया जावे कि वह जब्तशुदा चावल राज्य सरकार में जमा करावें और यदि चावल उपलब्ध नहीं हो तो उनकी कीमत के बराबर राशि जमा करावें। माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में सुपुर्दगारों को नोटिस देकर चावल मांगा गया सुपुर्दगारों ने न तो चावल लौटाया तथा न ही इसकी कीमत जमा करायी। इस पर सुपुर्दगारों के विरुद्ध अमानत में ख्यानत के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। तथा वसूली के लिए उक्त छह सुपुर्दगारों के विरुद्ध पी.डी.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दायर किये गये।

उक्त सुपुर्दगारों में से श्री राधेश्याम दुसाद से दिनांक 27.7.07 को कुर्की की कार्यवाही के दौरान चावल की मूल राशि 16673/- रु. वसूल कर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

राज्य कोष में जमा करा दिये हैं। तथा ब्याज की वसूली बाबत प्रकरण माननीय अधिनस्थ न्यायालय एसीजेएम. (पश्चिम) जयपुर में विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख दिनांक 19.4.08 नियत है।

स्व. श्री देवराज खुराना के सम्बन्ध में प्रकरण इनके पुत्र श्री महेन्द्र खुराना के विरुद्ध पी.डी.आर. एक्ट में दायर करने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 12.1.07 को राज्य सरकार के विरुद्ध निर्णय देने के कारण विधिक राय के अनुसार महेन्द्र खुराना के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय, अजमेर में रिवीजन संख्या 5946/07 दर्ज करायी गयी। जो विचाराधीन है।

सुपुर्दगार श्री विजय कुमार के विरुद्ध प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है जिसमें रिकवरी पर स्टे है तथा आगामी तारीख दिनांक 22.02.08 नियत है।

सुपुर्दगार श्री कमल किशोर सोमानी, श्री मुरारीलाल भाला तथा मनमोहन माहेश्वरी के विरुद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, न्यायालय जयपुर द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिये जाने पर उक्त तीनों सुपुर्दगारों ने माननीय न्यायालय एडीजे. नं.-9, जयपुर के यहां सिविल वाद दायर किये हैं। जिसमें दिनांक 09.08.07 को रिकवरी पर स्थगन आदेश दे दिया है। इन स्थगन आदेशों के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल मिसलेनियस अपीलें दायर की गयी हैं। माननीय न्यायालय एडीजे नं.-9 जयपुर में आगामी तारीख दिनांक 29.02.08 नियत है।

प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण तथ्यात्मक विवरण एवं न्यायालय विचाराधीन प्रकरणों की स्थिति प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

**प्रपत्र-अ**

## मैसर्स सुवालाल बजरंगलाल से सम्बन्धित सुपुर्दगारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

| क्र. सं. | नाम सुपुर्दगार | मात्रा चावल सुपुर्दगी | अनामत में खयानत बाबत दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट | पीडीआर एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज दिनांक | न्यायालय अपर जिला कलक्टर (वसूली) का निर्णय दिनांक मय विवरण | सुपुर्दगार द्वारा कलक्टर (वसूली) के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील न्याया. राजस्व अपील अधि. का निर्णय दिनांक मय विवरण | राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय के निर्णय के बाद अन्य न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये वाद मय न्यायालय | प्रकरण की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | कमल किशोर सोमानी | 457.96 क्विंटल | पुलिस थाना जालुपुरा 132/6.5.2000 | 7.11.2001 | 12.1.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | 30.6.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | सिविल वाद न्यायालय ए.डी.जे. नं. 9 जयपुर | आगामी तारीख 29.02.08 नियत है। दिनांक 9.08.07 को न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिकवरी पर अंतरिम रोक है। जिसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में सिविल मिसलेनियस अपीलें दायर की गई हैं। |
| 2 | मुरारी लाल भाला | 438.35 क्विंटल | पुलिस थाना जालुपुरा 132/6.5.2000 | 7.11.2001 | 12.1.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | 30.6.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | सिविल वाद न्यायालय ए.डी.जे. नं. 9 जयपुर | आगामी तारीख 29.02.08 नियत है। दिनांक 9.08.07 को न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिकवरी पर अंतरिम रोक है। जिसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में सिविल मिसलेनियस अपीलें दायर की गई हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | मनमोहन माहेश्वरी | 1636.22 क्विंटल | पुलिस थाना जालुपुरा 132/6.5.2000 | 7.11.2001 | 12.1.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | 30.6.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | सिविल वाद न्यायालय ए.डी.जे. नं. 9 जयपुर | आगामी तारीख 29.02.08 नियत है। दिनांक 9.08.07 को न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिकवरी पर अंतरिम रोक है। जिसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में सिविल मिसलेनियस अपीलें दायर की गई हैं। |
| 4 | राधेश्याम दुसाद | 55.57 क्विंटल | पुलिस थाना शास्त्री नगर 67/10.3.99 | 7.11.2001 | 12.1.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | 7.4.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | माननीय अधीनस्थ न्यायालय एसीजेएम (पश्चिम) जयपुर द्वारा निर्णित खारिज अस्थाई निषेधाज्ञा से विरुद्ध अपील | न्याया. एडीजे (पश्चिम) जयपुर में ब्याज वसूली बाबत प्रकरण विचाराधीन जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.04.08 नियत है। कुर्की की कार्यवाही के दौरान श्री दुसाद से चावल की मूल राशि रु. 16673/- वसूल कर ली गई है। |
| 5 | महेन्द्र खुराना पुत्र स्व. श्री देवराज खुराना | 138.52 क्विंटल | पुलिस थाना गलतागेट 148/9.5.2000 | 29.9.2004 | 18.1.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | 12.1.2007 राज्य सरकार खिलाफ | - | विधिक राय के अनुसार न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में रिविजन संख्या 5946/07 दायर की गई है जो विचाराधीन है। |
| 6 | विजय कुमार | 559.66 क्विंटल | पुलिस थाना जालुपुरा 55/6.5.2000 | 7.11.2001 | 12.1.2006 राज्य सरकार के पक्ष में | विचाराधीन | - | आर.ए.ए कोर्ट में विचाराधीन रिकवरी पर स्टे। तारीख पेशी 22.2.08 |

## पूरक सूचना

**मैसर्स सुवालाल बजरंगलाल के प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक विवरण**

दिनांक 03.02.93 व 4.02.93 को मैसर्स सुवालाल, बजरंगलाल आरटीएएल थोक अनुज्ञापत्रधारक संख्या 124/डब्लू चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर का निरीक्षण के दौरान डीलर द्वारा स्टाक सीमा 500 क्विंटल से अधिक भण्डारण करने एवं अन्य अनियमितताओं के कारण श्री सुधीर श्रीवास्तव, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बनाया जाकर चावल 3286.29 क्विंटल जब्त किया गया। इन सुपुर्दगारों से पृथक-पृथक सुपुर्दगीनामा उनके स्वयं के द्वारा लिखकर इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि वह इन चावलों को सुरक्षित सम्भालकर रखेंगे, खुर्द बुर्द नहीं करेंगे तथा राज्य सरकार या न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर पेश कर देंगे। प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए में माल को राजसात करने हेतु माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर के यहां दिनांक 9.2.93 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया तथा अंतरिम निस्तारण हेतु भी निवेदन किया गया। जिसमें कुल 80 पेशियां लगी परन्तु न्यायालय द्वारा अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया बल्कि अप्रार्थी के वकील को पहली पेशी में सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए नकलें आदि उपलब्ध करने का निर्देश दिया इसके पश्चात अप्रार्थी के वकील द्वारा गवाहों के बयान करने में समय लिया गया एवं अनेकों बार बहस हेतु समय लेकर प्रकरण में अंतिम निर्णय होने तक टालमटोल की गई। इस दौरान पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य राज कार्यों में व्यस्त रहने के कारण पूर्ण सुनवाई कर दिनांक 15.11.95 को अंतिम निर्णय पारित कर, जब्तशुदा समस्त चावल को राजसात कर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये। उक्त निर्णय के विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.95 को माननीय खाद्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील की गई तथा समिति का क्षेत्राधिकारी समाप्त हो जाने के कारण दिनांक 11.3.98 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर में स्थानान्तरित की गई जिसमें कुछ पेशियों में सुनवाई होने के पश्चात दिनांक 1.6.2000 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश, साम्प्रदायिक दंगे/मानसिंह हत्याकांड जयपुर में स्थानान्तरित हुई। इस न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई के पश्चात दिनांक 24.6.2006 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर केवल 549.17 क्विंटल चावल को राजसात किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध जिला रसद अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी रिट याचिका संख्या 1017/07 दिनांक 11.09.2006 को दायर की गई है। जिसको गत पेशी दिनांक 14.02.08 रही है।

**न्यायिक कार्यवाही विवरण**

प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38/93 दिनांक 4.2.93 को थाना विधायकपुरी में दर्ज करा दी गई जिसमें अनुसंधान पूर्ण होने पर न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) जयपुर में चालान प्रस्तुत कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.5.97 में निर्णय पारित कर अभियुक्त बजरंगलाल को तीन माह के साधारण कारावास तथा 500 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया तथा जब्तशुदा चावलों को राज्य सरकार के पक्ष में इस निर्देश के साथ जब्त किया गया कि सुपुर्दगार को नोटिस दिया जावे कि वह जब्तशुदा चावल राज्य सरकार में जमा करावें और यदि चावल उपलब्ध नहीं हो तो उसकी कीमत के बराबर राशि जमा करावे।

श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 23.5.97 के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी क्रिमीनल अपील सं. 242/97 दिनांक 04.06.97 को अपील दायर की गयी है। जिसमें सुनवाई लम्बित है तथा प्रकरण डयूकोर्स में है। इस अपील में श्री मजीद खां जो कि सुपुर्दगी में रखे चावल के गोदाम मालिक है द्वारा किराये हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.07.03 में माननीय न्यायाधीश श्री एन.के. जैन द्वारा दिनांक 27.09.05 को यह निर्णय दिया गया कि उन्होंने दोनों पक्षों को सुना एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई भी मैरिट नहीं पाते हैं अतः प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

**जब्त चावल के भौतिक सत्यापन एवं निस्तारण बाबत कार्यवाही विवरण**

इस प्रकरण में न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) जयपुर के निर्णय दिनांक 23.5.97 की पालना में वांछित आवश्यक दस्तावेज तैयार कराकर चावलों के भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक 26.6.97 को प्रवर्तन स्टाफ के चार दल गठित कर जब्त माल की नीलामी हेतु माल के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सुपुर्दगार श्री मनमोहन माहेश्वरी के जिसके पास लगभग 50 प्रतिशत (1636 क्विं.) चावल सुपुर्दगी में था के आसाम चले जाने एवं सुपुर्दगार श्री देवराज खुराना जिनको 138.52 क्वि. चावल सुपुर्दगी में दिया गया के द्वारा किराया मांगने तथा सुपुर्दगार श्री राधेश्याम दुसाद द्वारा 55.57 क्वि. चावल को विक्रय कर दिये जाने एवं अन्य सुपुर्दगारों द्वारा गोदामों का किराया उनके गोदाम मालिकों द्वारा मांगने की शर्त प्रस्तुत कर चावलों का भौतिक सत्यापन

नहीं कराया गया। सत्यापन हेतु जाने पर बन्द गोदाम के बाहर से शटर उठा कर जांच करने पर गोदामों में चावल बिखरा होना तथा कट्टें कटेफटे होना पाया गया।

नीलामी कमेटी के सदस्य सहायक मजिस्ट्रेट, जिला कोषाधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रबन्धक उपभोक्ता संघ की समिति द्वारा दिनांक 5.6.98 को सभी गोदामों का चावल निकलवाकर छनाई कर, नये कट्टों में भरवाकर तथा वजन करवाकर सूरजपोल मण्डी में नीलाम करने हेतु निर्णय लिया गया। इस हेतु लगभग 1.50 लाख रुपये का खर्चा बताये जाने पर खाद्य विभाग से बजट प्रावधान करवाया गया। परन्तु इस कार्य हेतु निविदायें अधिक दर की प्राप्त हुई, इसलिये नीलामी कमेटी द्वारा जब्तशुदा चावलों को प्रयोगशाला से जांच कराकर ''जहां है जैसा है'' के आधार पर नीलाम करने हेतु दिनांक 26.9.98 को निर्णय लिया गया।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री, राज. जयपुर से इन चावलों के मानव आहार योग्य नहीं पाये जाने बाबत रिपोर्ट दिनांक 6.2.99 को जिला रसद कार्यालय में प्राप्त हुई जिसमें चावलों को मानव आहार योग्य नहीं पाया गया।

इसके पश्चात चावल पशु आहार योग्य है अथवा नहीं इस बाबत भी चावलों के सेम्पल पशु पोषाहार संस्थान, आगरा रोड जामडोली जयपुर में भिजवाये गये तथा प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांक 31.7.99 को प्राप्त हुई जिसमें चावलों को दोषयुक्त दर्शाया जाकर तकनीकी रिपोर्ट दी गई।

तकनीकी रिपोर्ट की विस्तृत व्याख्या एवं पुनः सेम्पलों को केन्द्रीय कुक्कट प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलोर दिनांक 28.2.2000 को भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 6.4.2000, 25.5.2000 तथा 31.5.2000 की प्राप्त हुई जिसमें चावलों को पशु आहार योग्य भी नहीं बताया गया।

फर्म सुवालाल बजरंगलाल के यहां से जब्त चावल जो लगभग 25.00 लाख रुपये कीमत के थे, जिनको छः सुपुर्दगारों को सुपुर्दगी में दिया गया था, उनके विरुद्ध उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा सभी सुपुदगारों की राशि न लौटाये जाने पर समस्त सुपुर्दगारों के विरुद्ध पीडीआर एक्ट के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा विभिन्न थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अमानत में खयानत करने बाबत दर्ज कराई गई।

पीडीआर एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला कलक्टर (वसूली)

द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में सभी 6 प्रकरणों में से 5 प्रकरणों में निर्णय दिनांक 12.1.06 एवं 1 प्रकरण में निर्णय दिनांक 18.1.06 को पारित किये गये हैं जिनके विरुद्ध सभी सुपुर्दगार माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील में चले गये। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इनमें से भी 3 अपीलों में निर्णय दिनांक 30.6.06 तथा 1 निर्णय दिनांक 7.4.06 को राज्य सरकार के हित में पारित किये गये हैं।

एक सुपुर्दगार श्री महेन्द्र खुराना पुत्र स्व. श्री देवराज खुराना की अपील में राज्य सरकार के विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.1.2007 को पारित किया गया है जो 138.52 क्विंटल चावल के सम्बन्ध में है। इस निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में रिविजन दायर किया गया है। जो विचाराधीन है। राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में एक प्रकरण श्रीविजय कुमार का विचाराधीन जिसमें तारीख दिनांक 22.02.08 नियत है तथा रिकवरी पर स्टे दिया हुआ है।

श्री राधेश्याम सुपुर्दगार जिसके द्वारा अवैध रूप चावल का विक्रय कर दिया गया था। के द्वारा अमानत में ख्यानत की प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 66 दिनांक 10.3.99 को पुलिस थाना, शास्त्रीनगर, जयपुर में दर्ज करायी गयी। तथा पीडीआर एक्ट के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर न्यायालय में दिनांक 07.11.01 को प्रकरण दर्ज कराया गया। इस प्रकरण में 12.1.06 को राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में श्री दुसाद द्वारा की गई। इस अपील में भी दिनांक 7.4.06 को सरकार पक्ष में निर्णय हुआ। पुनः इस निर्णय के विरुद्ध श्री दुसाद द्वारा माननीय न्यायालय एसीजेएम (पश्चिम) जयपुर में वाद दायर किया गया जिसकी आगामी तारीख 19.04.08 नियत है। इस प्रकरण में कुर्की की कार्यवाही के दौरान दिनांक 20.7.07 को श्री दुसाद द्वारा मूल राशि 16673/- रु. राज्य कोष में जमा करा दी गयी है बकाया ब्याज हेतु माननीय न्यायालय एसीजेएम (पश्चिम) जयपुर में प्रकरण विचाराधीन है।

अन्य श्री कमल किशोर सोमानी, श्री मुरारी लाल भाला तथा श्री मनमोहन माहेश्वरी के प्रकरणों में एडीजे नं. 9 न्यायालय में वाद लम्बित है जिसकी आगामी तारीख 29.02.08 है। तथा इनसे रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाई हुई है। इस स्थगन आदेशों के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में सिविल मिसलेनियस अपील दायर की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से जाहिर है कि सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा दिये गये

निर्णयों के अनुसार सुपुर्दगार दोषी है। एवं विभिन्न न्यायालय द्वारा सुपुर्दगारों के विरुद्ध समय-समय पर चावल का रखरखाव नहीं करने पर तथा चावल खराब करने एवं चावलों या चावलों की राशि वापिस नहीं लौटाने का दोषी माना है। विभाग द्वारा सभी प्रकरणों में सम्बन्धित न्यायालयों से सम्पर्क कर बकाया राशि वसूली हेतु प्रयास जारी है।

प्रकरण से सम्बन्धित न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की स्थिति प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

## चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिलों के 'माडा' क्षेत्रों का 'टाडा' क्षेत्रों में परिवर्तन

**140. श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिलों के जनजाति ग्राम/ग्राम पंचायतों जो माडा क्षेत्र में घोषित है को जनजाति उपयोजना (टाडा) में घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो ये प्रस्ताव कब भिजवाये गये? विवरण मय गांवों की सूची के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक नये टाडा गांव घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को स्मरण पत्र लिखे हैं? यदि हां, तो कब-कब तथा केन्द्र सरकार ने क्या प्रत्युत्तर दिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गांवों को जनजाति उपयोजना (टाडा) में घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र चित्तौड़गढ़ एवं नवगठित जिले प्रतापगढ़ जिले के जनजाति ग्राम/ग्राम पंचायतें जो माडा क्षेत्र में घोषित है उन्हें अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को पूर्व में दिनांक 29.4.04 को प्रस्ताव भिजवाये गये थे। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः प्रस्ताव दिनांक 5.4.07 को भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.4.04 को वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के उपरान्त

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

दिनांक 15.6.04, 18.6.04, 13.7.04, 18.12.04, 13.7.05, 3.1.06, 25.2.06 को स्मरण पत्र दिये गये तथा मंडी टीएडी की ओर से जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 10.8.05 को पत्र भेजा गया। इसके बाद में माननीया मुख्यमंत्री महोदया की ओर से वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर दिनांक 5.4.07 को माननीय मंत्री जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार को नवीन प्रस्ताव भेजे गये। इसके प्रतियुत्तर में दिनांक 11.4.07 को मंत्री जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिखा गया है कि इस प्रकरण को दिखाया जा रहा है। तत्पश्चात दिनांक 17.5.07, 3.8.07, 17.9.07, 5.12.07 को स्मरण पत्र दिये गये एवं 18.12.07 को मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से पत्र भारत सरकार को भेजा गया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जा चुके हैं। आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा ही की जानी है।

**परिशिष्ट-1**

**पंचायत समिति बडी सादड़ी, तहसील बडी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ ग्राम पंचायत जिनकी जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या से 50 प्रतिशत या अधिक है को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव**

| क्र. सं. | ग्राम पंचायत | | ग्राम | कोड नं. | कुल जनसंख्या | जनजाति जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | राटी चंद जी का खेडा | 1 | अफरों का तालाब | 37117 | 271 | 254 | 93.72 |
| | | 2 | लिंकोडा | 32 | 1002 | 224 | 22.36 |
| | | 3 | सुल्तानपुरा | 33 | 164 | 0 | 0.00 |
| | | 4 | बौरखेडा | 34 | 602 | 111 | 18.44 |
| | | 5 | सीमलखेडा | 35 | 223 | 105 | 47.09 |
| | | 6 | रघुनाथपुरा | 36 | 217 | 203 | 93.55 |
| | | 7 | कीटखेडा | 37 | 485 | 456 | 94.02 |
| | | 8 | रति तलई | 38 | 289 | 282 | 97.58 |
| | | 9 | रति चंद्र जी का खेडा | 39 | 391 | 316 | 80.82 |
| | | 10 | चांदपुरा | 40 | 90 | 90 | 100.00 |
| | | 11 | सबलपुरा | 41 | 175 | 148 | 84.57 |
| | | 12 | गुंडलपुर | 42 | 814 | 692 | 85.01 |
| | **योग** | 12 | **योग** | | **4723** | **2881** | **61.00** |

**पंचायत समिति छोटी सादड़ी, तहसील छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़**

**अ-ग्राम पंचायत जिनकी जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या से 50 प्रतिशत या अधिक है को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव**

| क. सं. | ग्राम पंचायत | | ग्राम | कोड नं. | कुल जनसंख्या | जनजाति जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | गणेशपुरा | 1 | गणेशपुरा | 36889 | 1054 | 213 | 20.21 |
| | | 2 | थानपुर | 890 | 199 | 187 | 93.97 |
| | | 3 | डावता | 891 | 707 | 676 | 95.62 |
| | | 4 | बिलिया | 879 | 654 | 553 | 84.56 |
| | | 5 | मवयी | 893 | 392 | 298 | 76.02 |
| | | 6 | राजूखेडा | 885 | 491 | 279 | 56.82 |
| | | 7 | लबानाखेडा | 886 | 36 | 19 | 52.78 |
| | | 8 | सरवनिया | 888 | 299 | 263 | 87.96 |
| | **योग** | **8** | | | **3832** | **2488** | **64.93** |
| 2 | पीलिखेडा | 1 | पीलिखेडा | 36872 | 1631 | 1473 | 90.31 |
| | | 2 | भैरवी | 873 | 1172 | 1007 | 85.92 |
| | | 3 | अखेपुर | 874 | 897 | 857 | 95.54 |
| | **योग** | **3** | | | **3700** | **3337** | **90.19** |
| 3 | कालाकोट | 1 | कालाकोट | 36900 | 1432 | 1387 | 96.86 |
| | | 2 | मानपुरा | 895 | 800 | 791 | 98.88 |
| | | 3 | बटखेरी | 898 | 590 | 587 | 99.49 |
| | | 4 | राजपुरा | 905 | 573 | 548 | 95.64 |
| | | 5 | छारलिया अंबा | 905 | 166 | 163 | 98.19 |
| | | 6 | महिदा रेल | 899 | 204 | 204 | 100.00 |
| | | 7 | चिरवा | 894 | 47 | 47 | 100.00 |
| | | 8 | सांगरीखेडा | 901 | 239 | 238 | 99.58 |
| | | 9 | भूरा | 901 | 273 | 228 | 83.52 |
| | **योग** | **9** | | | **4324** | **4193** | **96.97** |
| 4 | धौलापानी | 1 | धौलापानी | 36907 | 2591 | 2277 | 87.88 |
| | | 2 | | 906 | 1056 | 975 | 92.33 |
| | **योग** | | | | **3647** | **3252** | **89.17** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | सियाखेरी | 1 | सियाखेरी | 36959 | 1948 | 1535 | 78.80 |
| | | 2 | ईंटो का तालाब | 904 | 1512 | 1500 | 99.21 |
| | | 3 | कालाखेत | 961 | 11 | 6 | 54.55 |
| | | 4 | पाटिया | 903 | 42 | 42 | 100.00 |
| | | 5 | किशनपुरिया | 958 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 6 | हरमाडा की रेल | 902 | 548 | 548 | 100.00 |
| | | 7 | जोडा मह्दा | 960 | 23 | 23 | 100.00 |
| | योग | 7 | | | 4084 | 3654 | 89.47 |
| 6 | सातौला | 1 | सातौला | 36863 | 1551 | 10 | 0.64 |
| | | 2 | ऊंडावेला | 860 | 450 | 433 | 96.22 |
| | | 3 | नेगाडिया | 866 | 250 | 246 | 98.40 |
| | | 4 | कन्करा | 871 | 382 | 378 | 98.95 |
| | | 5 | बछेडी | 868 | 231 | 221 | 95.67 |
| | | 6 | करणपुर कलान | 870 | 673 | 431 | 64.04 |
| | | 7 | करणपुर खुर्द | 869 | 360 | 358 | 99.44 |
| | | 8 | हरिसिंह जी का खेरा कलान | 867 | 312 | 305 | 97.76 |
| | | 9 | हरिसिंह जी का खेरा खुर्द | 865 | 128 | 128 | 100.00 |
| | | 10 | एकलिंगपुरा | 858 | 288 | 257 | 89.24 |
| | | 11 | ठिकी मगरी | 861 | 9 | 0 | 0.00 |
| | | 12 | नयाखेडा | 862 | 370 | 181 | 48.92 |
| | | 13 | फतेह सिंह जी का खेडा | 856 | 231 | 0 | 0.00 |
| | | 14 | मालीखेडा | 855 | 416 | 285 | 68.51 |
| | **योग** | **14** | | | **5651** | **3233** | 57.21 |
| 7 | अम्बावाली | 1 | अम्बावाली | 36951 | 1132 | 352 | **31.10** |
| | | 2 | कल्याणपुरा | 964 | 398 | 390 | 97.99 |
| | | 3 | कनपुरिया | 949 | 0 | 0 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | किटखेडा | 952 | 187 | 100 | 53_48 |
| | | 5 | छायांकलान | 957 | 394 | 366 | 92.89 |
| | | 6 | छाया खुर्द | 953 | 312 | 244 | 78.21 |
| | | 7 | धूलकोट | 950 | 74 | 69 | 93.24 |
| | | 8 | भगवानपुरा | 956 | 88 | 88 | 100.00 |
| | | 9 | बारौल | 908 | 273 | 181 | 66.30 |
| | | 10 | राती रूंडी | 963 | 137 | 61 | 44.53 |
| | | 11 | छायां जागीर | 962 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | रूपपुरा | 954 | 37 | 37 | 100.00 |
| | | 13 | सज्जनपुरा@ हुडिया धा | 955 | 209 | 206 | 98.56 |
| | | 14 | भैरवी | 946 | 55 | 55 | 100.00 |
| | **योग** | **14** | | | **3296** | **2149** | **65.20** |
| 8 | पिथलवाडी | 1 | पिथलवाडी कलान | 36846 | 730 | 86 | 11.78 |
| | कलान | 2 | पिथलवाडी खुर्द | 882 | 233 | 123 | 52.79 |
| | | 3 | सलेरा | 881 | 508 | 460 | 90.55 |
| | | 4 | संतोकपुरिया | 847 | 564 | 383 | 67.91 |
| | | 5 | चक सुकर | 884 | 172 | 16 | 9.30 |
| | | 6 | मोहनपुरा | 887 | 275 | 107 | 38.91 |
| | | 7 | कंवर चौकी | 877 | 193 | 185 | 95.85 |
| | | 8 | लखियों का खेडा | 878 | 65 | 65 | 100.00 |
| | | 9 | उदरापुरा खुर्द | 876 | 139 | 133 | 95.68 |
| | | 10 | हरिपुरा | 848 | 620 | 198 | 31.94 |
| | **योग** | **10** | | | **3499** | **1756** | **50.19** |
| | **योग-अ** | **67** | | | **32033** | **24062** | **75.12** |

**पंचायत समिति छोटी सादड़ी, तहसील छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ पंचायतों से जुडी हुई ऐसी ग्राम पंचायतें जो संयोजित एवं लगातार हैं, अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।**

| क्र. सं. | ग्राम पंचायत | | ग्राम | कोड नं. | कुल जनसंख्या | जनजाति जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | करजू | 1 | करजू | 36852 | 2361 | 658 | 27.87 |
| | | 2 | बिलिया खेडा | 864 | 289 | 280 | 96.89 |
| | | 3 | उडपुरा कलान | 853 | 496 | 129 | 26.01 |
| | | 4 | रावतपुरा | 854 | 710 | 134 | 18.87 |
| | **योग** | | | | **3856** | **1201** | **31.15** |
| 2 | मानपुरा जागीर | 1 | मानपुराजागीर | 36857 | 562 | 97 | 17.26 |
| | | 2 | किशनपुरा | 859 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 3 | देओली | 875 | 567 | 523 | 92.24 |
| | | 4 | बमबौरां | 851 | 780 | 21 | 2.69 |
| | | 5 | रूप पुरा | 880 | 237 | 227 | 95.78 |
| | **योग** | **5** | | | **2146** | **868** | **40.45** |
| | **योग-ब** | **9** | | | **6002** | **2069** | **34.47** |
| | **योग-अ+ब** | **76** | | | **38035** | **26131** | **68.70** |

## पूर्व विधि सहायक, जिला कलक्टर बारां के विरुद्ध कार्यवाही

**141. श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कलक्टर कार्यालय बारां के पूर्व विधि सहायक के विरुद्ध किस-किस प्रकरण में प्राथमिकी एवं सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांचों के क्या-क्या परिणाम रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच में दोषी पाये जाने पर उक्त विधि सहायक के विरुद्ध क्या-क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि लम्बित जांचों में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला कलक्टर कार्यालय, बारां में पदस्थापित पूर्व विधि सहायक के विरुद्ध सिलिंग प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को समीक्षा हेतु समय पर प्रस्तुत नहीं करने तथा मा. विधायक श्री प्रमोद जैन द्वारा शासन सचिव, विधि विभाग को उनके विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में कारण बताओ नोटिस जिला कलक्टर, बारां द्वारा जारी किये गये थे। प्रकरणों का विवरण संलग्न है।

(2) कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब सन्तोषप्रद पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरस्त (ड्राप) कर दी गई।

(3) कार्मिक द्वारा प्रस्तुत जवाब सन्तोषप्रद पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई है एवं प्रस्तावित कार्यवाही निरस्त (ड्राप) कर दी गई।

(4) पूर्व विधि सहायक के विरुद्ध अन्य कोई जांच लम्बित नहीं है।

| क्र. सं. | नाम न्यायालय | प्रकरण सं. | उनयान | निर्णय दि. | प्राप्ति दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अति. जिला कलक्टर बारां | 17/83 | सरकार/ईश्वरसिंह मूडला तह. मांगरोल | 4.3.04 | 31.3.04 |
| 2 | अति. जिला कलक्टर बारां | 01/04 | माधोलाल पुत्र हरलाल, मुआखेडी/सरकार | 2.9.04 | 25.11.04 |
| 3 | अति. जिला कलक्टर बारां | 02/2000 | सरकार/ कन्हैयालाल पुत्र रतनलाल निवासी माधनी | 4.11.04 | 06.1.05 |
| 4 | उप जिला कलक्टर बारां | 130/75 | सरकार/शंकरलाल निवासी चैनपुरिया | 31.3.04 | 7.5.04 |
| 5 | उप जिला कलक्टर बारां | 05/01 | सरकार/मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ, बेगना | 29.7.04 | 9.8.04 |
| 6 | उप जिला कलक्टर अटरू | 01/03 | सरकार/गौरीशंकर नि. सकतपुरा | 30.1.04 | 21.8.04 |

| क्र. सं. | नाम न्यायालय | प्रकरण सं. | उनयान | निर्णय दि. | प्राप्ति दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | उप जिला कलक्टर अटरू | 24/85 | सरकार/सुरेन्द्रसिंह नि. सीधनी | 31.1.04 | 21.8.04 |
| 8 | उप जिला कलक्टर अटरू | 09/85 | सरकार/रामकेदार नि. गोविन्दपुरा | 28.2.04 | 21.8.04 |
| 9 | उप जिला कलक्टर अटरू | 32/85 | सरकार/मोहम्मद मुस्तफा, सीधानी | 28.2.04 | 21.8.04 |
| 10 | उप जिला कलक्टर अटरू | 34/85 | सरकार/राघवसिंह नि. आमलीजगीर | 03.6.04 | 21.8.04 |
| 11 | उप जिला कलक्टर अटरू | 01/93 | सरकार/भोजराज नि. कुणेड | 26.8.04 | 11.10.04 |
| 12 | उप जिला कलक्टर अटरू | 08/85 | सरकार/मथुरालाल गोविन्दपुरा | 08.11.04 | 21.12.04 |
| 13 | उप जिला कलक्टर छबडा | 01/99 | सरकार/कजोड वेग. नि. बांधा | 04.3.04 | अप्राप्त है |

**जिला कलक्टर**
**बारां**

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## मंदिर माफी भूमि पर काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकारी

**144. श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मन्दिर माफी की जिस भूमि पर स्थानीय काश्तकारों का लम्बे अरसे से कब्जा है एवं खेती की जा रही है तथा अनेक स्थानों पर लोगों के आवासीय मकान बने हुये हैं उन विवादों के शांतिपूर्ण निस्तारण एवं आवासों के नियमन हेतु सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा क्या इस संबंध में कानून में संशोधन करने का भी विचार है?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में भी मंदिर की कृषि भूमि को नियमानुसार राशि जमा करवाई जाकर निजी व्यक्तियों के खातेदारी में अंकित की जाने बाबत परिपत्र तथा आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो अब सरकार इस प्रकार के कानून के संबंध में क्या विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त समस्या के स्थाई निराकरण के लिये कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। आदेश क्रमांक एफ. 21/98/राज-1/79 दि. 24 अप्रैल, 1982 द्वारा मंदिरों की भूमि को विक्रय की अनुमति प्रदान की थी। इस आदेश को राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक 21(97)राज-1/79 दि. 15.10.87 द्वारा वापस (withdraw) कर लिया गया है।

(3) जी हां। मंदिर की भूमियों से सम्बद्ध समस्याओं के समाधान हेतु देवस्थान विभाग में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही देवस्थान विभाग में विचाराधीन है।

## कपासन के स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

**145. श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बद्रीलाल जाट)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपासन व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंहपुर, आकोला व भादसोड़ा को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2001 कि अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर विधान सभा क्षेत्र कपासन में उप स्वास्थ्य केन्द्र मापदण्ड से अधिक स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपासन में स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2007 में मात्र 28.78 प्रतिशत उपयोग रहा है इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपासन को क्रमोन्न्त किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सिंहपुर (कपासन) आकोला (भोपाल सागर) एवं भादसोडा (भदेसर) में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति कपासन, भोपालसागर एवं भदेसर में एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विरुद्ध एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

## सीकर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रिक्त पद

146. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के कितने पद सृजित हैं? इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) सीकर जिले में 171 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों

(सहकारिता मंत्री)

के 171 पद हैं। 52 रिक्त पदों का विधान सभा क्षेत्रवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**परिशिष्ट-1**

| **क्र. सं.** | **विधान सभा क्षेत्र** | **कुल रिक्त पद** | **रिक्त पद कब से हैं** |
|---|---|---|---|
| 1 | सीकर | 04 | वर्ष 2002 से 1 पद, वर्ष 2006 से 2 पद, वर्ष 2007 से 1 पद रिक्त है। |
| 2 | धोंद | 11 | वर्ष 1999 से 1 पद, वर्ष 2000 से 3 पद, वर्ष 2001 से 1 पद, वर्ष 2005 से 3 पद एवं वर्ष 2006 से 3 पद रिक्त हैं। |
| 3 | फतेहपुर | 04 | वर्ष 2001 से 1 पद, वर्ष 2005 से 1 पद, वर्ष 2007 से 2 पद रिक्त हैं। |
| 4 | लक्ष्मणगढ़ | 07 | वर्ष 2000 से 2 पद, वर्ष 2001 से 1 पद, वर्ष 2003 से 1 पद, वर्ष 2005 से 2 पद, वर्ष 2007 से 1 पद रिक्त है। |
| 5 | दातांरामगढ़ | 08 | वर्ष 1999 से 3 पद, वर्ष 2005 से 3 पद व वर्ष 2006 से 2 पद रिक्त हैं। |
| 6 | श्रीमाधोपुर | 07 | वर्ष 2001 से 4 पद, वर्ष 2006 से 2 पद व वर्ष 2007 से 1 पद रिक्त है। |
| 7 | खण्डेला | 06 | वर्ष 1999 से 1 पद, वर्ष 2001 से 2 पद, वर्ष 2003 से 2 पद व वर्ष 2005 से 1 पद रिक्त है। |
| 8 | नीमकाथाना | 05 | वर्ष 2001 से 3 पद, वर्ष 2004 से 2 पद रिक्त हैं। |
| | **योग** | **52** | |

## किशनगंज में सहरिया आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवासों की भौतिक स्थिति

**147. श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत 4 वर्षों में सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत कितने-कितने सहरिया आवास कहां-कहां पर बनवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पूर्ण सहरिया आवासों की (यू.सी.) उपयोगिता प्रमाण-पत्र कितनों के जारी किये गये व कितनों के नहीं?

(3) उक्त आवासों की भौतिक स्थिति क्या है व वर्तमान में कितने आवासों में सहरिया परिवार निवास कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत चार वर्षों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सहरिया विकास परियोजना के तहत 265 सहरिया आवास स्वीकृत किये हैं सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) 200 सहरिया आवास निर्माणाधीन हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे। 65 आवास पूर्ण हो गये हैं तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(3) 200 सहरिया आवास निर्माणाधीन हैं तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। 65 आवास जो पूर्ण हो गये हैं उनमें सहरिया परिवार निवास कर रहे हैं। भौतिक प्रगति परिशिष्ट अ पर है।

**(सूची/प्रति विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सहाड़ा (भीलवाड़ा) में निर्मित जलाशयों हेतु जलापूर्ति

**148. श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा में किस-किस योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों में जी.एल.आर./एस.आर. की टंकिया बनी हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

(2) उक्त में से ऐसे कितने जी.एल.आर. एवं एस.आर. हैं, जिन पर आज तक जल स्त्रोत से पाइप लाइन नहीं डाली गई व किन कारणों से?

(3) क्या सरकार ऐसे जी.एल.आर./एस.आर. को जल स्त्रोत से सुचारू रूप से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा में विभिन्न पेयजल योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित जलाशयों का विवरण निम्नानुसार है :-

| **पेयजल योजना का प्रकार** | **निर्मित जलाशयों की संख्या** | | | **योजना की संख्या (लाभान्वित ग्राम)** |
|---|---|---|---|---|
| | **भू-तल** | **उच्च भू-तल** | **उच्च** | |
| पाइप्ड | 0 | 2 | 9 | 9 (9) |
| क्षेत्रीय | 20 | 0 | 4 | 8 (21)<br>2 गांवों में चार उच्च जलाशयों से जल संबंधों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। |
| पम्प एवं टैंक | 4 | 1 | 0 | 5 (5) |
| **योग** | **24** | **3** | **13** | **22 (35)** |

ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्त समस्त भू-तल, उच्च भू-तल (पहाड़ी स्थित) एवं उच्च जलाशयों को निर्माण उपरान्त पेयजल स्रोत से पाइप लाइन बिछाकर जोड़ा जा चुका है।

(अ) ग्राम पंचायत, खाखरमाला द्वारा जनता जल योजना अन्तर्गत संचालित क्षेत्रीय जल योजना खाखरमाला-टूंगच के 5 गांवों में निर्मित 5 भू-तल जलाशयों को जोड़ने वाली पाइप लाइन में ग्राम पंचायत द्वारा जल संबंधों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कारण भू-तल जलाशय वर्तमान में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अनुपयोगी है। सरपंच, ग्राम पंचायत, खाखरमाला द्वारा भू-तल जलाशयों के माध्यम से पेयजल नहीं लेने के संबंध में विभाग को पत्र दिया गया है।

(3) (ब) लड़की बांध स्थित 2 खुले कुंओं के सूख जाने से ग्राम रायपुर में निर्मित 1 उच्च जलाशय वर्तमान में पेयजल हेतु उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। लड़की बांध को सतही पेयजल स्त्रोत लेकर माह अप्रैल, 2007 में स्वीकृत पुनर्गठित जल योजना, रायपुर-बोराणा के अन्तर्गत मार्च, 2009 तक उच्च जलाशय के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(स) ग्राम लाखोला में निर्मित उच्च जलाशय वर्तमान में क्षतिग्रस्त होने से पेयजल हेतु उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। माह नवम्बर, 2007 में स्वीकृत पुनर्गठित जल योजना, लाखोला के अन्तर्गत अगस्त, 2008 तक नये उच्च जलाशय के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

**विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विभिन्न पेयजल योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित जलाशयों का विवरण**

| क्र. सं. | तहसील | पेयजल योजना का नाम | ग्राम | उच्च जलाशय | | | उच्च भू-तल जलाशय | | | भू-तल जलाशय | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | चालू | बन्द | कुल | चालू | बन्द | कुल | चालू | बन्द | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | सहाडा | क्षेत्रीय | पोटला | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | सहाडा | | सहाडा | 2 | 2 | | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | सहाडा | | राथलीयास | | | | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| 4 | सहाडा | पाइप्ड | लाखोला | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | उच्च जलाशय वर्तमान में क्षतिग्रस्त होने से पेयजल हेतु उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। माह नवम्बर, 2007 में स्वीकृत पुनर्गठित जल योजना, लाखोला के अन्तर्गत अगस्त, 2008 तक नये उच्च जलाशय के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | सहाडा | पाइप्ड | आमली | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | सहाडा | क्षेत्रीय | सेनियाना | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 7 | सहाडा | | जबरकिया | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 8 | सहाडा | क्षेत्रीय | लक्षणियास | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 9 | सहाडा | | श्री रामनगर | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 10 | सहाडा | पाइप्ड | कोशीथल | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 11 | सहाडा | पंप एवं टैंक | कांगणी | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 12 | सहाडा | पंप एवं टैंक | चीड खेडा | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 13 | सहाडा | पंप एवं टैंक | सुरावास | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 14 | सहाडा | पाइप्ड | महेन्द्रगढ़ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | सहाडा | पाइप्ड | अडसीपुरा | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | रायपुर | क्षेत्रीय | भीटा | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 17 | रायपुर | | सरेवडी | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | रायपुर | क्षेत्रीय | भटेवर | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 19 | रायपुर | क्षेत्रीय | जोगरास | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 20 | रायपुर | | नाहरी | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 21 | रायपुर | क्षेत्रीय | पालरा | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 22 | रायपुर | | मेरनिया | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 23 | रायपुर | क्षेत्रीय | नान्दूड़ा | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ग्राम पंचायत द्वारा जल संबंधों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कारण भू-तल जलाशय वर्तमान में अनुपयोगी है। सरपंच ग्राम पंचायत, खाखरमाला द्वारा भू-तल जलाशयों के माध्यम से पेयजल नहीं लेने के संबंध में विभाग को पत्र दिया है। |
| 24 | रायपुर | | खाखरमाला | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 25 | रायपुर | | आसूणा | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 26 | रायपुर | | किशोरपुरा | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 27 | रायपुर | | टूंगच | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | रायपुर | क्षेत्रीय | खेमाणा | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 29 | रायपुर | | गल्यावडी | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 30 | रायपुर | पंप एवं टैंक | पीथाकाखेडा | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 31 | रायपुर | पंप एवं टैंक | आसपुर | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 32 | रायपुर | पाइप्ड | बोराना | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 33 | रायपुर | पाइप्ड | रायपुर | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | रायपुर | पाइप्ड | देवरिया | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | रायपुर | पाइप्ड | | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | योग | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | - | 24 | 19 | 5 | |

## 250 की आबादी वाले ग्रामों हेतु सड़क निर्माण

**149. श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1999 से 2003 के कार्यकाल की तुलना में 2004 से 2008 के कार्यकाल में सड़क निर्माण अधिक हुआ है? यदि हां, तो वर्षवार सड़क निर्माण, उससे जोड़े गए गांवों की संख्या तथा इस पर किए गए व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों कार्यकाल में राज्य में 250 की आबादी वाले कितने ग्रामीण क्षेत्र सड़कों से जोड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य में सन 1999 से 2003 की तुलना में 2004-2008 के कार्यकाल में वर्षवार सड़क निर्माण, जोड़े गये गांव तथा इस पर किया गया व्यय परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त दोनों कार्यकाल में 250 से अधिक की आबादी वाले 9957 गांव जोड़े गये।

परिशिष्ट ''अ''

**सन 1999 से 2003 व 2004 से 2008 तक के कार्यकाल में वर्षवार सड़क निर्माण, जोड़े गये गांव व व्यय की सूचना**

| क्र. सं. | वर्ष | सन 1999 से 2003 | | | वर्ष | सन 2004 से 2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सडक निर्माण (कि.मी.) | जोड़े गये गांव | व्यय राशि (करोड़) | | सडक निर्माण (कि.मी.) | जोड़े गये गांव | व्यय राशि (करोड़) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 1998-99 (दिस. 1998 से मार्च 1999) | 768 | 192 | 61.47 | 2003-04 (दिस. 03 से मार्च 04) | 3148 | 986 | 306.45 |
| 2 | 1999-2000 | 617 | 165 | 49.38 | 2004-05 | 5607 | 1420 | 624.88 |
| 3 | 2000-2001 | 989 | 247 | 130.61 | 2005-06 | 5656 | 1370 | 771.65 |
| 4 | 2001-2002 | 903 | 271 | 99.78 | 2006-07 | 7847 | 2200 | 1437.81 |
| 5 | 2002-2003 | 2066 | 389 | 196.40 | 2007-08 | 9069 | 2444 | 1278.27 |
| 6 | 2003-2004 (अप्रैल 2003 से नवम्बर 03) | 1074 | 273 | 219.97 | | | | |
| | **कुल योग :-** | **6417** | **1537** | **757.61** | **कुल योग :-** | **31327** | **8420** | **4419.06** |

## कोटा जिला कलक्टर द्वारा निरस्त भू-आबंटन प्रकरण

150. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 12 जून, 2007 को भूमि आबंटन निरस्त किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण जिला कलक्टर, कोटा के यहां कब से विचाराधीन थे एवं किनके द्वारा प्रस्तुत किये गये थे?

**उत्तर**

(1) जी हां। जिन व्यक्तियों के आबंटन निरस्त किये गये, उनके निर्णय की प्रति परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) उक्त 18 प्रकरणों में से 1 प्रकरण दिनांक 16.10.2000 से, 6 प्रकरण दिनांक 24.3.03 से, 10 प्रकरण दिनांक 25.3.03 से एवं 1 प्रकरण दिनांक 27.12.04 विचाराधीन थे। उकत प्रकरण तहसीलदार (भूमिधारी), लाडपुरा, कोटा द्वारा प्रस्तुत किये गये थे।

**(प्रति/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जनजाति-उपयोजना क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा सुविधा

151. **श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उप योजना क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा हेतु सरकार द्वारा मोबाइल चिकित्सा सेवा शुरू करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में मोबाइल सेवा शुरू क्यों नहीं की गई? क्या सरकार यह सेवा शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि कुत्ते के काटने पर इलाज हेतु इंजेक्शन (ए.आर.वी) महंगे होते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.ए.) के सरकारी चिकित्सालयों पर यह इंजेक्शन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जहां पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र है वहां 3000 की जनसंख्या पर एक ए.एन.एम. के बजाय 1500 की

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

आबादी पर एक ए.एन.एम. रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार संस्थागत, प्रसव को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अतिरिक्त नर्सिंग स्टाफ तथा चिकित्सकों की भर्ती करने का विचार रखती है? जिससे 24 घंटे सेवा उपलब्ध हो सके?

**उत्तर**

(1) जी हां। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिये आवश्यक सभी प्रकार से सुसज्जित डायग्नोस्टिक वैन के क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

जिसके पूर्ण होते ही इन क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा सेवा प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(2) कुत्ते के काटने पर इलाज हेतु लगाए जाने वाले इंजेक्शन (एआरवी) महंगे होते हैं। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थाओं पर बी.पी.एल. परिवारों को इलाज हेतु मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी के माध्यम से ए.आर.वी. इन्जेक्शन बाजार से क्रय कर नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

(3) जी नहीं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या के आधार पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का मानदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित है।

(4) जी हां।

## अकाल प्रभावित समयावधि के अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज दर

152. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2006-07 में सहकारी समितियों द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण की अवधि अकाल घोषित होने के कारण बढ़ाई गई थी? यदि हां, तो कितनी और किन शर्तों पर?

(2) क्या यह सही है कि अल्पकालीन ऋण एवं एमटीसी ऋणों पर ब्याज दर अलग-अलग तय की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी एवं अलग-अलग दरें तय करने के क्या आधार थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बढ़ाई गई अवधि पर भी ब्याज दर अल्पकालीन ऋण की तरह ही वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। इन अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यकालीन परिवर्तित ऋणों में तीन वर्षों की अवधि में, पूर्व में परिवर्तित ऋणों को पुनः परिवर्तित ऋणों में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में एवं पुनः परिवर्तित ऋणों को रिशिड्यूलमेन्ट अधिकतम 7 वर्ष की अवधि में करने की कार्यवाही की गई। शर्ते परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। अप्रैल 2006 के बाद वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों पर (राज्य सरकार की घोषणा अनुसार) 7 प्रतिशत एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋणों पर 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर कृषक सदस्यों से वसूल की जा रही है। ब्याज दर का निर्धारण बैंक के पास उपलब्ध कोष, उनकी लागत, नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वित्तीय संसाधनों की लागत इत्यादि को दृष्टिगत रखकर किया गया है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि नाबार्ड द्वारा एम.टी.सी. ब्याज दर के सन्दर्भ में कोई नीति निर्धारित नहीं है।

**(शर्तें विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## जनजाति क्षेत्र के आश्रम छात्रावासों में स्थाई अधीक्षकों का पदस्थापन

153. **श्री नवनीत नीनामा** (घाटोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने आश्रम छात्रावास संचालित हैं? जिला व पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति आश्रम छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक स्थाई रूप से लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जनजाति आश्रम छात्रावासों लें लगाये जाने वाले अधीक्षक प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों व उसकी अवधि कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 237 आश्रम छात्रावास संचालित हैं, जिला व पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(जनजाति क्ष्ोत्रीय विकास मंत्री)

(2) राज्य सरकार इसके प्रति प्रयासरत है।

(3) जी हां। आश्रम छात्रावासों में अधीक्षकों को शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है, क्योंकि विभाग का अपना पृथक केडर नहीं है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष की है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## वृहद पेयजल योजनाओं की निविदाओं में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच

**224. श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य की बड़ी पेयजल योजनाओं में तकनीकी मानदण्ड बदलकर और गलत दस्तावेज से टेंडर देने व भ्रष्टाचार के संबंध में वर्ष 2007 में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायताकर्ता के विवरण सहित पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पत्र पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जांच विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गई है तथा क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो अब कब तक जांच पूरी हो जायेगी?

**उत्तर**

(1) जी हां। शिकायतकर्ता के विवरण सहित पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विभाग की तकनीकी समिति की 452वीं बैठक दिनांक 26.12.2007 एवं वित्त समिति की 563वीं बैठक दिनांक 28.12.2007 में विभाग द्वारा उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण क्रमशः संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर उपलब्ध है।

(3) बड़ी पेयजल योजनाओं संबंधी शिकायती पत्र में उठाये गये मुद्दों पर तकनीकी समिति की 452वीं बैठक दिनांक 26.12.2007 में कार्यवाही की जाकर तकनीकी समिति द्वारा अपनी राय (परिशिष्ट 'क' पर संलग्न) वित्त समिति को भेजी गई। वित्त समिति द्वारा तकनीकी समिति की सिफारिश का अनुमोदन कर (परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न) तदनुसार निर्णय लिया गया।

**(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## हिण्डौली एवं नैनवां विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाएं

**225. श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बून्दी जिले की हिण्डौली व नैनवां तहसील क्षेत्र में 1500 से अधिक आबादी के कौन-कौन से गांव हैं जहां पर जी.एल.आर. स्कीम नहीं बनी है और ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जहां जी.एल.आर. स्कीम बन चुकी है तथा स्वीकृति के बाद कार्य आरम्भ नहीं हुआ है? ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जहां पर जी.एल.आर. स्कीम बन चुकी है और स्वीकृति के बाद कार्य चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली और उसके आसपास के मजरों सहित कुछ गांवों को पेयजल योजना से जोड़ने के लिये तथा खीण्या-भोजगढ़-अलोद के लिये नई टंकी के निर्माण एवं नैनवां तहसील में ग्राम देई एवं गुढादेवजी के लिये कोई पेयजल की योजना बनाकर अधिशासी अभियन्ता द्वारा आगे अग्रेषित कर दी गई है? यदि हां, तो इन योजनाओं की स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी?

**उत्तर**

(1) विवरण निम्नानुसार है :-

| **तहसील** | **1500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **कुल** | **पाइप्ड/ पम्प एवं टैंक योजना से पूर्व से लाभान्वित** | **योजना स्वीकृत एवं कार्य प्रगति पर** | **योजना स्वीकृत एवं कार्य आरम्भ नहीं** | **शेष (हैण्डपम्प योजना से वर्तमान में लाभान्वित)** |
| हिण्डौली | 33 | 10 | 4 | 1 | 18 |
| नैनवां | 17 | 10 | 5 | 0 | 02 |
| योग | 50 | 20 | 9 | 1 | 20 |

ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र, कोटा के स्तर से वर्णित पेयजल योजनाओं के प्रस्तावों की जांच उपरान्त चाही गई अतिरिक्त सूचनाओं का समावेश करते हुए संशोधित प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता स्तर पर बनाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट 'अ'

**बूंदी जिले की हिण्डौली एवं नैनवां तहसील क्षेत्र में 1500 से अधिक की आबादी के गांवों में पेयजल व्यवस्था का विवरण**

| क्र. सं. | तहसील | गांव का नाम | जनसंख्या वर्ष 2001 | योजना का प्रकार | जल सेवा स्तर लीटर/व्यक्ति/दिन | क्रियाशील हैण्डपम्प | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | हिण्डौली | हिण्डौली | 8595 | पाईप्ड | 40 | 68 | पूर्व से लाभान्वित |
| 2 | हिण्डौली | बडा नया गावं | 5700 | पाईप्ड | 40 | 33 | पूर्व से लाभान्वित |
| 3 | हिण्डौली | गोठडा | 5567 | पाईप्ड | 40 | 49 | पूर्व से लाभान्वित |
| 4 | हिण्डौली | बडौदिया | 3346 | पाईप्ड | 40 | 30 | पूर्व से लाभान्वित |
| 5 | हिण्डौली | अलोद | 3364 | पाईप्ड | 40 | 17 | पूर्व से लाभान्वित |
| 6 | हिण्डौली | ढबलाना | 3675 | पाईप्ड | 40 | 23 | पूर्व से लाभान्वित |
| 7 | हिण्डौली | ठिकरदा | 3713 | पाईप्ड | 40 | 32 | पूर्व से लाभान्वित |
| 8 | नैनवां | जजावर | 3651 | पाईप्ड | 40 | 48 | पूर्व से लाभान्वित |
| 9 | नैनवां | बांसी | 4125 | पाईप्ड | 40 | 46 | पूर्व से लाभान्वित |
| 10 | नैनवां | दुगारी | 4957 | पाईप्ड | 40 | 51 | पूर्व से लाभान्वित |
| 11 | नैनवां | देई | 10815 | पाईप्ड | 40 | 62 | पूर्व से लाभान्वित |
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | नैनवां | करवर | 5799 | पाईप्ड | 40 | 42 | पूर्व से लाभान्वित |
| 13 | हिण्डौली | सथूर | 3462 | पंप एवं टैंक | 40 | 39 | पूर्व से लाभान्वित |
| 14 | हिण्डौली | बसौली | 1951 | पंप एवं टैंक | 40 | 45 | पूर्व से लाभान्वित |
| 15 | हिण्डौली | थाना | 1983 | पंप एवं टैंक | 40 | 31 | पूर्व से लाभान्वित |
| 16 | नैनवां | समिधि | 3000 | पंप एवं टैंक | 40 | 27 | पूर्व से लाभान्वित |
| 17 | नैनवां | बामनगांव | 2519 | पंप एवं टैंक | 40 | 18 | पूर्व से लाभान्वित |
| 18 | नैनवां | तलवास | 2144 | पंप एवं टैंक | 40 | 14 | पूर्व से लाभान्वित |
| 19 | नैनवां | आंतरदा | 2129 | पंप एवं टैंक | 40 | 26 | पूर्व से लाभान्वित |
| 20 | नैनवां | जरखोदा | 2680 | पंप एवं टैंक | 40 | 15 | पूर्व से लाभान्वित |
| 21 | हिण्डौली | चेता | 2477 | पंप एवं टैंक | | 25 | पम्प एवं टैंक योजना के कार्य प्रगति पर है अगस्त, 2008 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित |
| 22 | हिण्डौली | धोवड़ा | 3302 | हैण्डपम्प | | 33 | |
| 23 | हिण्डौली | रानीपुरा | 3252 | हैण्डपम्प | | 33 | |
| 24 | हिण्डौली | चतरगंज | 2611 | हैण्डपम्प | | 23 | |
| 25 | हिण्डौली | सावंतगढ़ | 2142 | हैण्डपम्प | | 25 | वेधित स्त्रोत असफल/सफल स्त्रोत हेतु स्थल चयन बाबत कार्यवाही प्रगति पर अगस्त, 2008 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | नैनवां | भजनेरी | 3228 | हैण्डपम्प | | 45 | पम्प एवं टैंक योजना के कार्य प्रगति पर। अगस्त, 2008 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित |
| 27 | नैनवां | खानपुरा | 2009 | हैण्डपम्प | | 26 | |
| 28 | नैनवां | गंभीरा | 1702 | हैण्डपम्प | | 14 | |
| 29 | नैनवां | पीपल्या | 1785 | हैण्डपम्प | | 28 | |
| 30 | नैनवां | मोडसा | 1753 | हैण्डपम्प | | 18 | |
| 31 | हिण्डौली | खीणीयां | 2518 | हैण्डपम्प | | 47 | |
| 32 | हिण्डौली | अमरतिया | 1524 | हैण्डपम्प | | 10 | |
| 33 | हिण्डौली | ओवण | 2355 | हैण्डपम्प | | 38 | |
| 34 | हिण्डौली | नेगड | 1614 | हैण्डपम्प | | 20 | |
| 35 | हिण्डौली | ऊमर | 2109 | हैण्डपम्प | | 25 | |
| 36 | हिण्डौली | बासनी | 1808 | हैण्डपम्प | | 17 | |
| 37 | हिण्डौली | काछोला | 1883 | हैण्डपम्प | | 23 | |
| 38 | हिण्डौली | टोकडा | 1683 | हैण्डपम्प | | 17 | |
| 39 | हिण्डौली | विजयगढ़ | 2309 | हैण्डपम्प | | 35 | |
| 40 | हिण्डौली | गुढा गोकुलपुरा | 1730 | हैण्डपम्प | | 31 | |
| 41 | हिण्डौली | सिघांडी | 1556 | हैण्डपम्प | | 17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | हिण्डौली | तालाब गांव | 2563 | हैण्डपम्प | | 19 | |
| 43 | हिण्डौली | डाबेटा | 1553 | हैण्डपम्प | | 19 | |
| 44 | हिण्डौली | दरा का नया गांव | 1850 | हैण्डपम्प | | 25 | |
| 45 | हिण्डौली | रेण | 2228 | हैण्डपम्प | | 19 | |
| 46 | हिण्डौली | सोरण | 2041 | हैण्डपम्प | | 24 | |
| 47 | हिण्डौली | रोनीजा | 2677 | हैण्डपम्प | | 26 | |
| 48 | हिण्डौली | बडगांव | 1605 | हैण्डपम्प | | 27 | |
| 49 | नैनवां | बाछोला | 2032 | हैण्डपम्प | | 33 | |
| 50 | नैनवां | गुढादेवजी | 1873 | हैण्डपम्प | | 11 | |

## परबतसर की पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

**226. श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में वर्ष 1998 से अब तक किस-किस कार्य के लिये किस-किस मद से व कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गयी है विधान सभा क्षेत्रवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2003 से अब तक सरकार द्वारा कराये गये कार्यों की क्या कोई शिकायत की गयी है, यदि हां, तो क्या प्राप्त शिकायत पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) (अ) नागौर जिले में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2007-08 (माह जनवरी, 2008 तक) विभिन्न मदों में पेयजल योजनाओं संबंधी स्वीकृत कार्य मय राशि का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(ब) इंदिरा गांधी नहर का मुख्य पेयजल स्रोत लेकर माह अगस्त, 2006 में नागौर लिफ्ट परियोजना के प्रथम चरण की स्वीकृति (स्वीकृत राशि रु. 761.00 करोड़) में मदवार राशि का प्रावधान निम्नानुसार है :-

| **मद** | **राशि रुपये करोड़ में** |
|---|---|
| राज्य मद (शहरी) | 152.20 |
| राज्य मद (ग्रामीण) | 152.20 |
| ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (गुणवत्ता) | 456.60 |

विधान सभा क्षेत्र नागौर के 146 गांव एवं 2 शहर, मूण्डवा के 76 गांव एवं 2 शहर, जायल के 9 गांव, डेगाना के 73 गांव एवं मेड़ता के 193 गांव एवं 1 शहर, इस प्रकार कुल 502 गांव तथा 5 शहरों को इस योजना से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

इस योजना पर विभिन्न मदों में आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।)

(2) जी नहीं।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

**227. श्री भंवरू खां** (फतेहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अधिकांश गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है? यदि हां, तो किन-किन गांवों का पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या शेखावाटी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या तथा इसे कब तक लागू कर दिया जावेगा व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के 76 गांवों में उपलब्ध भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक है।

| **फ्लोराईड मात्रा (मिलीग्राम/लीटर)** | **प्रभवित ग्राम** |
|---|---|
| 1.5 से अधिक परन्तु 3.0 से कम | 45 |
| 3.0 से अधिक परन्तु 5.0 से कम | 24 |
| 5.0 से अधिक | 7 |
| **योग** | **76** |

ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के शहर फतेहपुर एवं रामगढ़ शेखावाटी तथा 119 गांवों में मानदण्ड अनुरूप गुणवत्ता एवं मात्रा का पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 'अम्ब्रेला परियोजना' के अन्तर्गत प्रस्ताव जांच प्रक्रिया में है।

योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

(3) शेखावाटी क्षेत्र, सीकर जिले में स्थानीय अथवा दूरस्थ स्त्रोत लेकर आवश्यकतानुसार नलकूप, डी.सी.बी., हैण्डपम्प इत्यादि के जरिये पेयजल वितरण किया जा रहा है। फ्लोराईड समस्या के निदान हेतु चरणबद्ध रूप से निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे हैं :-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

**तात्कालिक समाधान**

(अ) 'राजस्थान समेकित फ्लोरोसिस उन्मूलन कार्यक्रम' के प्रथम चरण में सीकर जिले में 5.0 मिलीग्राम/लीटर से अधिक फ्लोराइड वाले 37 ग्राम/ढाणियों में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम चलाया जाकर बी.पी.एल. परिवारों को 640 घरेलू डि-फ्लोरिडेशन यूनिट प्रदत्त की गई ताकि बी.पी.एल. परिवार इन संयंत्रों को प्रयोग करे तथा शेष परिवार इन संयंत्रों को खरीद कर उपयोग करें।

(ब) उक्त कार्यक्रम के स्वीकृत एवं प्रगतिरत द्वितीय चरण के अन्तर्गत 3.0 मिलीग्राम/लीटर से अधिक एवं 5.0 मिलीग्राम/लीटर तक फ्लोराइड मात्रा वाले गांवों में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम चलाया जाकर बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू डि-फ्लोरिडेशन यूनिट प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।

(स) राजस्थान प्रान्त के संदर्भ में लिये गये निर्णय अनुसार रिलेक्स नार्म्स के अन्तर्गत पेयजल में 3.0 मिलीग्राम/लीटर तक फ्लोराइड की मात्रा मान्य है। द्वितीय चरण की समाप्ति पश्चात 1.5 से 3.0 मिलीग्राम/लीटर फ्लोराइड मात्रा वाले गांवों को प्राथमिकता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

**स्थाई समाधान**

(द) मानदण्ड अनुरुप गुणवत्ता एवं मात्रा का पेयजल उपलब्ध कराने के लिये उपरोक्तानुसार 'अम्ब्रेला परियोजना' की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

**परिशिष्ट 'अ'**

**तहसील फतेहपुर में फ्लोराइड की 1.5 से 3.00 पी.पी.एम. तक मात्रा वाले गांवों का विवरण**

| क्र. सं. | विधान सभा क्षेत्र | योजना का नाम | जनसंख्या 2001 | फ्लोराइड की मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | फतेहपुर | नरसरा (हरदयालपुरा) | 1565 | 1.6 |
| 2 | फतेहपुर | गारण्डवा | 1126 | 1.6 |
| 3 | फतेहपुर | शेखीसर | 1566 | 1.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | फतेहपुर | रिनाउ | 1186 | 1.6 |
| 5 | फतेहपुर | जलालसर | 1386 | 1.6 |
| 6 | फतेहपुर | बेसवा | 6513 | 1.7 |
| 7 | फतेहपुर | खोटिया | 2052 | 1.8 |
| 8 | फतेहपुर | ढाणी खरेटा | 490 | 1.8 |
| 9 | फतेहपुर | बैरास | 627 | 1.8 |
| 10 | फतेहपुर | नांगली | 543 | 1.8 |
| 11 | फतेहपुर | किशनपुरा | 831 | 1.8 |
| 12 | फतेहपुर | मरडाटू छोटी | 1125 | 1.8 |
| 13 | फतेहपुर | हिरणा | 1926 | 1.8 |
| 14 | फतेहपुर | गोडिया बडा | 1543 | 1.9 |
| 15 | फतेहपुर | ठेडी | 1939 | 2.0 |
| 16 | फतेहपुर | बलोद भाकरान | 1896 | 2.0 |
| 17 | फतेहपुर | ग्यांग्यासर | 1716 | 2.0 |
| 18 | फतेहपुर | फतेहपुर (ग्रामीण) | 127 | 2.0 |
| 19 | फतेहपुर | बिरानिया | 2680 | 2.0 |
| 20 | फतेहपुर | माण्डेला छोटा | 1706 | 2.0 |
| 21 | फतेहपुर | गारिण्डा | 2876 | 2.0 |
| 22 | फतेहपुर | अलफसर | 1066 | 2.0 |
| 23 | फतेहपुर | गोविन्दपुरा विद हरदयालपुरा | 677 | 2.2 |
| 24 | फतेहपुर | रोसावा | 1549 | 2.2 |
| 25 | फतेहपुर | भोजदेसर | 692 | 2.3 |
| 26 | फतेहपुर | तिहाय | 2120 | 2.3 |
| 27 | फतेहपुर | नया बास | 1425 | 2.3 |
| 28 | फतेहपुर | ढाणी बेजनाथ | 713 | 2.4 |
| 29 | फतेहपुर | उदनसर | 2127 | 2.4 |
| 30 | फतेहपुर | कारंगा छोटा | 1880 | 2.4 |
| 31 | फतेहपुर | भगासरा | 2303 | 2.4 |
| 32 | फतेहपुर | आलमास | 916 | 2.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | फतेहपुर | रामपुरा | 347 | 2.5 |
| 34 | फतेहपुर | जुगलपुरा | 667 | 2.6 |
| 35 | फतेहपुर | ऊदनसरी | 1395 | 2.6 |
| 36 | फतेहपुर | ढांढण | 2902 | 2.7 |
| 37 | फतेहपुर | कारंगा बडा | 1516 | 2.7 |
| 38 | फतेहपुर | फदनपुरा | 1168 | 2.8 |
| 39 | फतेहपुर | रोहल | 1933 | 2.8 |
| 40 | फतेहपुर | जलेउ | 1360 | 2.8 |
| 41 | फतेहपुर | तासजर | 2714 | 2.8 |
| 42 | फतेहपुर | बागास | 902 | 2.9 |
| 43 | फतेहपुर | ढाणी ठेडी | 612 | 2.9 |
| 44 | फतेहपुर | होदसर | 216 | 3.0 |
| 45 | फतेहपुर | अठवास | 2418 | |

**तहसील फतेहपुर में फलोराईड की 3.00 से 5.00 पी.पी.एम. तक मात्रा वाले गांवों का विवरण**

| क्र.सं. | विधान सभा क्षेत्र | योजना का नाम | जनसंख्या 2001 | फ्लोराईड की मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | फतेहपुर | सदीनसर | 1292 | 3.1 |
| 2 | फतेहपुर | बलोद छोटी | 1300 | 3.2 |
| 3 | फतेहपुर | सहनूसर | 543 | 3.3 |
| 4 | फतेहपुर | हेतमसर | 1676 | 3.3 |
| 5 | फतेहपुर | बलोद बडी | 2218 | 3.3 |
| 6 | फतेहपुर | डाबड़ी | 1812 | 3.3 |
| 7 | फतेहपुर | चाचीवाद छोटा | 721 | 3.3 |
| 8 | फतेहपुर | मरडाटू बडी | 1373 | 3.3 |
| 9 | फतेहपुर | स्वामी लक्ष्मणपुरा | 408 | 3.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | फतेहपुर | दीनवा लाडखानी, | 2101 | 3.4 |
| 11 | फतेहपुर | चाचीवाद बडा | 1549 | 3.4 |
| 12 | फतेहपुर | बीबिपुर छोटा | 1376 | 3.5 |
| 13 | फतेहपुर | पालास | 775 | 3.6 |
| 14 | फतेहपुर | दौलताबाद (ग्रामीण) | 11 | 3.6 |
| 15 | फतेहपुर | बागडोदा | 2247 | 3.6 |
| 16 | फतेहपुर | खूडी | 851 | 3.7 |
| 17 | फतेहपुर | नरसरा | 1136 | 3.8 |
| 18 | फतेहपुर | दारून्दा | 1506 | 4.1 |
| 19 | फतेहपुर | देवास | 986 | 4.1 |
| 20 | फतेहपुर | दीनारपुरा | 1048 | 4.1 |
| 21 | फतेहपुर | हरसावा छोटा | 517 | 4.1 |
| 22 | फतेहपुर | नेठवा | 1825 | 4.3 |
| 23 | फतेहपुर | रसूलपुर | 2069 | 4.3 |
| 24 | फतेहपुर | ढाणी रीडमल | 338 | 4.9 |

**तहसील फतेहपुर में फ्लोराइड की 5.00 पी.पी.एम. से अधिक मात्रा वाले गांवों का विवरण**

| क्र.सं. | विधान सभा क्षेत्र | योजना का नाम | जनसंख्या 2001 | फ्लोराईड की मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | फतेहपुर | सरदारपुरा | 576 | 5.1 |
| 2 | फतेहपुर | बीबिपुर बडा | 1473 | 5.1 |
| 3 | फतेहपुर | जेठवां का बास | 1176 | 5.2 |
| 4 | फतेहपुर | स्वामी की ढाणी | 332 | 5.7 |
| 5 | फतेहपुर | चुवास | 1376 | 6.0 |
| 6 | फतेहपुर | बारी | 1136 | 6.3 |
| 7 | फतेहपुर | कल्याणपुरा | 525 | 8.6 |

## तहसील जयपुर एवं आमेर के राजस्व ग्राम

228. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में ग्राम ढाणी एवं मजरों को घोषित करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं उक्त मानदण्ड कब तय किये गये एवं अब तक इन मानदण्डों में कब-कब व क्या-क्या संशोधन किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्व ग्राम एवं ढाणी बनाने के मापदण्डों में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा उक्त तहसील जयपुर एवं आमेर में गत तीन वर्षों में घोषित राजस्व ग्रामों एवं ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिला कलक्टरों द्वारा उक्त राजस्व ग्रामों में संशोधन हेतु सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) निर्धारित मापदण्डों का परिपत्र दिनांक 19.3.07 परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। मापदण्ड परिपत्र दिनांक 1.8.84 द्वारा तय किये गये थे, जिसमें समय-समय पर परिशोधन कर समस्त परिपत्रों के अधिक्रमण में परिपत्र दिनांक 19.3.07 को जारी किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) सूची परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(4) जिला कलक्टर, जयपुर ने संशोधन के कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाये है।

**परिशिष्ट ''अ''**

**राजस्थान सरकार**

**राजस्व (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक: पं.9(16)राज./ग्रुप-1/07 जयपुर, दिनांक 19.03.2007

<u>परिपत्र</u>

राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की प्रक्रिया के संबंध में परिपत्र जारी किये गये हैं। उन समस्त परिपत्रों के अतिक्रमण में नया राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में यह नया परिपत्र जारी किया जा रहा है।

राजस्व ग्राम न केवल राजस्व प्रशासन की मूल इकाई है, बल्कि विकास एवं आयोजना के लिये भी एक महत्वपूर्ण आधार बिन्दु है। विभिन्न विकास योजनाओं यथा जल प्रदाय योजना, विद्यालय, सड़क, चिकित्सालय, विद्युतीकरण, डाक घर, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन इत्यादि कार्यों की स्वीकृति के लिये राजस्व ग्राम एक महत्वपूर्ण आधार बिन्दु हैं। राज्य में कहीं-कहीं पर आबादी गूल गांव से दूर अथवा बिखरी हुई ढाणियों में भी बसी हुई हैं। विभिन्न विकास योजनाओं में सामान्यतया सुविधाएं राजस्व ग्राम की मुख्य आबादी में ही उपलब्ध कराई जाती है, परन्तु उसी ग्राम में दूर बसी हुई बडी आबादी अथवा बिखरी हुई ढाणियों में बसी आबादी भी अलग से राजस्व ग्राम घोषित नहीं होने के कारण विकाय कार्यों से वंचित रह जाती है यद्यपि ये विभिन्न विकास कार्यों के आबादी के मानदण्ड को पूरा करती है। अतः इन ढाणियों में बसे लोगों को भी विकास कार्यों में सम्मिलित करने के लिए यह आवश्यक है कि इन सुदूर बसी आबादी एवं बिखरी हुई ढाणियों को भी राजस्व ग्राम घोषित किया जाये।

नये राजस्व ग्राम के लिये आवश्यक है कि मूल राजस्व ग्राम से दूर बसे जिन सुदूर आबादी क्षेत्र एवं बिखरी हुई ढाणियों को नया राजस्व ग्राम घोषित करना चाहते हैं, उनकी आबादी सामान्य क्षेत्र में 250 तथा रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना में 200 से कम न हो। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखा जाये कि प्रस्तावित राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद मूल राजस्व ग्रामों की आबादी क्रमश : 250 एवं 2000 से कम नहीं रहे। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि जिस जिस ढाणी/आबादी का नया राजस्व ग्राम घोषित किया जा रहा है वे ढाण्यिां/आबादी मूल राजस्व ग्राम से कम से कम 1 कि.मी. की दूरी पर हो।

जहां पर प्रस्तावित नये राजस्व ग्राम की आबादी बिखरी हुई ढाणियों अथवा मजरों में बसी हुई हो, वहां पर प्रस्तावित ग्राम के लिये सुविधाजनक स्थान पर केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिया जाये। केन्द्र बिन्दु निर्धारित करते समय आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिये भूमि की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाये। जहां सिवाय चक, चरागाह अथवा अन्य बिलानाम भूमि उपलब्ध है, ऐसी भूमि को नये प्रस्तावित गांव की आधारभूत सुविधाएं तथा आबादी विस्तार के लिये आरक्षित कर ली जायें। जहां पर चरागाह या बिलानाम भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां पर अगर स्थानीय ग्राम आबादी एवं आधारभूत सुविधाओं के लिये अपनी भूमि उपलब्ध कराने के लिये सहमत हो तथा उस भूमि को भी आरक्षित कर दिया

जाये। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के अनुसार केवल नवीन राजस्व ग्राम बनाना है। पुराने राजस्व ग्राम का पुर्नगठन नहीं किया जाना है अर्थात एक राजस्व ग्राम के एक या एक से अधिक नये राजस्व ग्राम तो बन सकते हैं, परन्तु नवीन प्रस्तावित राजस्व ग्राम में किसी दो या दो से ज्यादा ग्रामों का क्षेत्रफल नहीं आना चाहिये।

नवीन राजस्व ग्राम प्रस्तावित करते समय उसके नाम का प्रस्ताव भी भिजवाया जाये। प्रस्ताव भिजवाते समय यह ध्यान रखा जाये कि उसका नाम व्यक्तिगत, धर्म, जाति अथवा उप जाति के आधार पर नहीं रहे। जहां तक सम्भव हो यह नाम आम सहमति से प्रस्तावित किया जाये।

नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव भिजवाते समय निम्न सूचना आवश्यक रूप से भिजवाई जाये :-

1. जिले का नाम
2. तहसील का नाम
3. मूल ग्राम का नाम
4. नये प्रस्तावित गांव की आबादी/ढाणी/मजरे का प्रचलित नाम मय खसरा नम्बर
5. प्रस्तावित नये ग्राम के संबंध में सूचना

क. प्रस्तावित नाम

ख. क्षेत्रफल

ग. आबादी

घ. क्षेत्रफल – एक फसली

च. क्षेत्रफल – दो फसली

6. प्रस्तावित ग्राम में आधारभूत सुविधाएं हैं, की उपलब्धता के बाबत सूचना

क. जल प्रदाय योजना

ख. विद्यालय,

ग. सडक

घ. चिकित्सालय

च. विद्युतीकरण

छ. डाक घर

ज. बस स्टैण्ड

झ. रेलवे स्टेशन

7. प्रस्तावित ग्राम की रेलवे स्टेशन तथा डाक घर से दूरी।
8. नया राजस्व ग्राम बनाये जाने के पश्चात रेलवे स्टेशन, डाक घर इत्यादि का नाम बदलना आवश्यक हो तो बताया जावे।
9. नया राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत/पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक के मुख्यालय में कोई प्रस्तावित परिवर्तन।
10. प्रस्तावित ग्राम की मुख्य आबादी/केन्द्र बिन्दु की वर्तमान ग्राम से दूरी
11. प्रस्तावित ग्राम का मुख्य केन्द्र बिन्दु जहां आधारभूत सुविधायें प्रस्तावित हैं।

नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों/स्थानीय जनता से लगातार प्राप्त होते रहते हैं। अब तक प्राप्त सभी प्रस्तावों का परीक्षण कर नये राजस्व ग्राम सृजित करने के प्रस्ताव 31 जुलाई, 2007 तक राजस्व मण्डल के माध्यम से भिजवाये जायें। राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिये जन प्रतिनिधि/स्थानीय निवासियों द्वारा मांग की जाये। अगर राजस्व अधिकारी यह महसूस करें कि ग्राम में जो ढाणियां बसी हों वे मूल गांव से काफी दूर हों उन पर भी विचार किया जा सकता है। अतः राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र का भ्रमण कर ऐसे प्रकरणों का चिन्हीकरण कर उन प्रकरणों में स्थानीय स्तर पर विचार कर जिला कलक्टर राजस्व मण्डल के माध्यम से राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव 31 जुलाई, 2007 तक भिजवायें ताकि सभी प्रस्तावों का भी परीक्षण किया जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-16 के अन्तर्गत नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

**ह.**

**शासन प्रमुख सचिव**

**परिशिष्ट "ब"**

**जयपुर जिले की तहसील जयपुर एवं आमेर में कब तक गठित राजस्व ग्रामों की सूची**

| क्र.सं. | नाम तहसील | मूल ग्राम | नवीन राजस्व ग्राम |
|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर | 1. माचंवा | सबरामपुरा |
| | | 2. माचंवा | पिण्डोलाई |
| | | 3. पचार | लालपुरा |

| क्र.सं. | नाम तहसील | मूल ग्राम | नवीन राजस्व ग्राम |
|---|---|---|---|
| 2 | आमेर | 4. राधाकिशनपुरा | यादवखेडा |
| | | 5. बिचपडी | चकपुरा जाटान |
| | | 6. खन्नीपुरा | यादवखेडा |
| | | 7. हरवंशपुरा उर्फ रामगट्टा | नाडा |
| | | 8. अनोपपुरा | दोलाका बास |
| | | 9. जालसू | लालगढ |
| | | 10. तापपुरा कलां | प्रतापपुरा खुर्द |
| | | 11. जाहोता | भूरावाली |
| | | 12. दौलतपुरा | कोरडा |
| | | 13. मुण्डोता | शेरावतपुरा |
| | | 14. उदयपुरिया | जगन्नाथपुरा |
| | | 15. कालीघाटी | सर |
| | | 16. बीलपुर | सुन्दरपुरा |
| | | 17. सिरोही | नाकावाला |
| | | 18. मानपुरा माचेडा | पूठकाबास |
| | | 19. सुन्दर बास | लाम्यामेवाल |

## बीकानेर जिले में आबंटन योग्य भूमि

229. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में कमाण्ड/अनकमाण्ड/बारानी कृषि योग्य भूमि आराजीराज है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कितनी-कितनी? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि को बंजर पड़ी रखने का क्या औचित्य है?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि बीकानेर जिले के बालिग भूमिहीनों को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। तहसीलवार भूमि का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) आबंटन हेतु प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर शेष भूमियों का आबंटन नियमानुसार किया जा रहा है।

(राजस्व मंत्री)

(3) आबंटन हेतु उपलब्ध भूमियों के नियमानुसार आबंटन की प्रक्रिया सतत चालू है।

**परिशिष्ट ''क''**

**(भूमि का विवरण हैक्टेयर में)**

| **तहसील का नाम** | **कमाण्ड** | **अनकमाण्ड** | **बारानी** |
|---|---|---|---|
| कोलायत नं. 1 | 5176 | 14861 | 16093 |
| कोलायत नं. 2 | 9659 | 20226 | 15574 |
| कोलायत नं. 3 (भूमि का विवरण बीघा में) | 4379 | 12870 | 26408 |
| खाजूवाला | 8931.14 | 129831.08 | |
| छतरगढ़ | 7762.07 | 39296.00 | 16588.13 |
| पूगल | 45075.16 | 343712.10 | 38574.16 |
| लूणकरणसर | 964.16 | 2626.16 | 65524.02 |
| बीकानेर | 196.10 | 162.04 | |

## सम्भागीय आयुक्त उदयपुर के पास लम्बित जांच प्रकरण

**230. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक उदयपुर सम्भागीय आयुक्त को किन मामलों की जांच सौंपी गई? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त अवधि में किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट कब-कब राज्य सरकार को सौंपी गई? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें व उक्त रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक रिपोर्ट का कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट अब तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई?

**उत्तर**

(1) 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2007 तक सम्भागीय आयुक्त

(राजस्व मंत्री)

उदयपुर को चार मामलों में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेशों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) सम्भागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा तीन प्रकरणों की जांच रिपोर्ट क्रमशः 10.8.04, 20.5.06 एवं 26.9.07 को प्रस्तुत की गई, जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है जांच रिपोर्टो पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(3) वन विभाग से संबंधित प्रकरण की जांच रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

**(आदेशों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## संयुक्त परिवार के पात्र व्यक्तियों को भू-आबंटन हेतु नियमों में संशोधन

231. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्य राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कृषि योग्य भूमियों का आबंटन राजस्थान कृषि योग्य भूमि आबंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत किया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि इन नियमों के निमय 7 में आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु उदषोषणा जारी की जाती है?

(3) क्या इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि आबंटन से पूर्व ग्राम की जनसंख्या, लघु सीमांत काश्तकारों का सर्वे किया जाकर पटवारी के माध्यम से आबंटन अधिकारी को इनके आवेदन पत्र तैयार करवाने चाहिये चाहे भूमिहीन व्यक्ति आवेदन करें या नहीं? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इन नियमों के नियम 11 में आबंटन की पात्रता एवं प्राथमिकता निर्धारित है तथा इसमें लघु/सीमांत कृषकों के लिए प्राथमिकता नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम में संशोधन कर लघु/सीमांत कृषकों को आबंटन में प्राथमिकता देने के प्रावधान समाहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि इन नियमों के नियम 12 में संयुक्त

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

परिवार के नोशनल शेयर (National Shaire) की गणना के आधार पर भूमि आबंटन किस सीमा तक की जावेगी की गणना की जाती है? यदि संयुक्त परिवार का सामान्य अर्थ एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य जिनका एक ही राशनकार्ड है क्या सरकार आबंटन प्रयोजनार्थ संयुक्त परिवार की व्याख्या/ परिभाषा नियमों में समाहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत आबंटन से पीड़ित व्यक्ति भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील में अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं तथा जो अपील योग्य आदेश हैं उसमें आबंटन अधिकारी को कानून का यह संरक्षण प्राप्त है कि अपीलीय आदेश के लिए उसे दण्डित नहीं किया जा सकता है यह एक सामान्य न्याय सिद्धांत है इस न्याय सिद्धांत की विधिक राय आबंटन नियम, 1970 के संदर्भ में सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) जी हां। जी नहीं

(6) जी नहीं।

## नवलगढ़ के राजस्व ग्राम

**232. श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नये राजस्व ग्राम घोषित करने के क्या नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के तहसील नवलगढ़ क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन से राजस्व ग्राम हैं? प्रत्येक ग्राम का नाम एवं आबादी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार के नियमानुसार काफी ढाणियां एवं मजरे राजस्व ग्राम बनने से वंचित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

सरकार उन्हें राजस्व ग्राम कब तक घोषित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 19.3.07 की प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के तहसील नवलगढ़ क्षेत्र के राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(3) परिपत्र दिनांक 19.3.07 के अनुसार यह एक सतत प्रक्रिया है। अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**परिशिष्ट ''अ''**

**राजस्थान सरकार**

**राजस्व (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक: पं.9(16)राज./ग्रुप-1/07 जयपुर, दिनांक 19.03.2007

**<u>परिपत्र</u>**

राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की प्रक्रिया के संबंध में परिपत्र जारी किये गये हैं। उन समस्त परिपत्रों के अतिक्रमण में नया राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में यह नया परिपत्र जारी किया जा रहा है।

राजस्व ग्राम न केवल राजस्व प्रशासन की मूल इकाई है, बल्कि विकास एवं आयोजना के लिये भी एक महत्वपूर्ण आधार बिन्दु है। विभिन्न विकास योजनाओं यथा जल प्रदाय योजना, विद्यालय, सड़क, चिकित्सालय, विद्युतीकरण, डाक घर, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन इत्यादि कार्यों की स्वीकृति के लिये राजस्व ग्राम एक महत्वपूर्ण आधार बिन्दु हैं। राज्य में कहीं-कहीं पर आबादी गूल गांव से दूर अथवा बिखरी हुई ढाणियों में भी बसी हुई हैं। विभिन्न विकास योजनाओं में सामान्यतया सुविधाएं राजस्व ग्राम की मुख्य आबादी में ही उपलब्ध कराई जाती है, परन्तु उसी ग्राम में दूर बसी हुई बडी आबादी अथवा बिखरी हुई ढाणियों में बसी आबादी भी अलग से राजस्व ग्राम घोषित नहीं होने के कारण विकाय कार्यों से वंचित रह जाती है यद्यपि ये विभिन्न विकास कार्यों के आबादी के मानदण्ड को पूरा करती है। अतः इन

ढाणियों में बसे लोगों को भी विकास कार्यों में सम्मिलित करने के लिए यह आवश्यक है कि इन सुदूर बसी आबादी एवं बिखरी हुई ढाणियों को भी राजस्व ग्राम घोषित किया जाये।

नये राजस्व ग्राम के लिये आवश्यक है कि मूल राजस्व ग्राम से दूर बसे जिन सुदूर आबादी क्षेत्र एवं बिखरी हुई ढाणियों को नया राजस्व ग्राम घोषित करना चाहते हैं, उनकी आबादी सामान्य क्षेत्र में 250 तथा रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना में 200 से कम न हो। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखा जाये कि प्रस्तावित राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद मूल राजस्व ग्रामों की आबादी क्रमश : 250 एवं 2000 से कम नहीं रहे। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि जिस जिस ढाणी/आबादी का नया राजस्व ग्राम घोषित किया जा रहा है वे ढण्यिां/आबादी मूल राजस्व ग्राम से कम से कम 1 कि.मी. की दूरी पर हो।

जहां पर प्रस्तावित नये राजस्व ग्राम की आबादी बिखरी हुई ढाणियों अथवा मजरों में बसी हुई हो, वहां पर प्रस्तावित ग्राम के लिये सुविधाजनक स्थान पर केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिया जाये। केन्द्र बिन्दु निर्धारित करते समय आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिये भूमि की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाये। जहां सिवाय चक, चरागाह अथवा अन्य बिलानाम भूमि उपलब्ध है, ऐसी भूमि को नये प्रस्तावित गांव की आधारभूत सुविधाएं तथा आबादी विस्तार के लिये आरक्षित कर ली जायें। जहां पर चरागाह या बिलानाम भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां पर अगर स्थानीय ग्राम आबादी एवं आधारभूत सुविधाओं के लिये अपनी भूमि उपलब्ध कराने के लिये सहमत हो तथा उस भूमि को भी आरक्षित कर दिया जाये। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के अनुसार केवल नवीन राजस्व ग्राम बनाना है। पुराने राजस्व ग्राम का पुर्नगठन नहीं किया जाना है अर्थात एक राजस्व ग्राम के एक या एक से अधिक नये राजस्व ग्राम तो बन सकते हैं, परन्तु नवीन प्रस्तावित राजस्व ग्राम में किसी दो या दो से ज्यादा ग्रामों का क्षेत्रफल नहीं आना चाहिये।

नवीन राजस्व ग्राम प्रस्तावित करते समय उसके नाम का प्रस्ताव भी भिजवाया जाये। प्रस्ताव भिजवाते समय यह ध्यान रखा जाये कि उसका नाम व्यक्तिगत, धर्म, जाति अथवा उप जाति के आधार पर नहीं रहे। जहां तक सम्भव हो यह नाम आम सहमति से प्रस्तावित किया जाये।

नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव भिजवाते समय निम्न सूचना आवश्यक रूप से भिजवाई जाये :-

1. जिले का नाम
2. तहसील का नाम
3. मूल ग्राम का नाम
4. नये प्रस्तावित गांव की आबादी/ढाणी/मजरे का प्रचलित नाम मय खसरा नम्बर
5. प्रस्तावित नये ग्राम के संबंध में सूचना

क. प्रस्तावित नाम

ख. क्षेत्रफल

ग. आबादी

घ. क्षेत्रफल – एक फसली

च. क्षेत्रफल – दो फसली

6. प्रस्तावित ग्राम में आधारभूत सुविधाएं हैं, की उपलब्धता के बाबत सूचना

क. जल प्रदाय योजना

ख. विद्यालय,

ग. सडक

घ. चिकित्सालय

च. विद्युतीकरण

छ. डाक घर

ज. बस स्टैण्ड

झ. रेलवे स्टेशन

7. प्रस्तावित ग्राम की रेलवे स्टेशन तथा डाक घर से दूरी।
8. नया राजस्व ग्राम बनाये जाने के पश्चात रेलवे स्टेशन, डाक घर इत्यादि का नाम बदलना आवश्यक हो तो बताया जावे।
9. नया राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत/पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक के मुख्यालय में कोई प्रस्तावित परिवर्तन।
10. प्रस्तावित ग्राम की मुख्य आबादी/केन्द्र बिन्दु की वर्तमान ग्राम से दूरी

11. प्रस्तावित ग्राम का मुख्य केन्द्र बिन्दु जहां आधारभूत सुविधायें प्रस्तावित हैं।

नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों/स्थानीय जनता से लगातार प्राप्त होते रहते हैं। अब तक प्राप्त सभी प्रस्तावों का परीक्षण कर नये राजस्व ग्राम सृजित करने के प्रस्ताव 31 जुलाई, 2007 तक राजस्व मण्डल के माध्यम से भिजवाये जायें। राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिये जन प्रतिनिधि/स्थानीय निवासियों द्वारा मांग की जाये। अगर राजस्व अधिकारी यह महसूस करें कि ग्राम में जो ढाणियां बसी हों वे मूल गांव से काफी दूर हों उन पर भी विचार किया जा सकता है। अतः राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र का भ्रमण कर ऐसे प्रकरणों का चिन्हीकरण कर उन प्रकरणों में स्थानीय स्तर पर विचार कर जिला कलक्टर राजस्व मण्डल के माध्यम से राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव 31 जुलाई, 2007 तक भिजवायें ताकि सभी प्रस्तावों का भी परीक्षण किया जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-16 के अन्तर्गत नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

**ह.**

**शासन प्रमुख सचिव**

**परिशिष्ट-ब**

**कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) झुन्झुनूं**

**तहसील नवलगढ़ में आज दिनांक तक घोषित राजस्व ग्रामों की सूची**

| क्र.सं. | नाम तहसील | राजस्व ग्राम | जनसंख्या 2001 के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नलवगढ़ | झाझड़ | 7113 |
| 2 | | भैरूबास | 900 |
| 3 | | गोठडा | 3648 |
| 4 | | देवगांव (गोठड़ा) | 1500 |
| 5 | | बसावा | 4842 |
| 6 | | खोजास | 1334 |
| 7 | | मोहनवाडी | 2583 |
| 8 | | चैनगढ़ | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9 | | बारवा | 1667 |
| 10 | | खिरोड | 7808 |
| 11 | | तुरकानी जोहड़ी | 400 |
| 12 | | मिठारवालों की ढ़ाणी | 300 |
| 13 | | कैमरी की ढाणी | 999 |
| 14 | | गढवालों की ढाणी | 672 |
| 15 | | सेवानगर | 364 |
| 16 | | चिराना | 5648 |
| 17 | | देवीपुरा | 3611 |
| 18 | | अम्बेडक्र नगर | 1300 |
| 19 | | रामपुरा | 3185 |
| 20 | | पहाड़िला | 1403 |
| 21 | | बागोरिया की ढाणी | 4950 |
| 22 | | परसरामपुरा | 7349 |
| 23 | | भोपतपुरा | 336 |
| 24 | | खैसवा की ढाणी | 1121 |
| 25 | | चौढाणी | 2312 |
| 26 | | पुजारी की ढाणी | 3226 |
| 27 | | चारण की ढाणी | 1100 |
| 28 | | कोलसिया | 3848 |
| 29 | | खेदड़ों की ढाणी | 400 |
| 30 | | नहरों की ढाणी | 950 |
| 31 | | टोकछीलरी | 2185 |
| 32 | | टोंक ढाका की ढाणी | 374 |
| 33 | | गिरधनपुरा शाहपुरा | 2384 |
| 34 | | ढेवा की ढाणी | 550 |
| 35 | | भोजनगर | 2069 |
| 36 | | भरवाड़ी | 838 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 37 | | टोडपुरा | 4932 |
| 38 | | किरोड़ी | 726 |
| 39 | | नोहरा | 800 |
| 40 | | लोहार्गल | 1198 |
| 41 | | कुमावास | 2542 |
| 42 | | मैनास | 1960 |
| 43 | | सुलतानपुरा | 711 |
| 44 | | मांडासी | 1525 |
| 45 | | सांगासी | 784 |
| 46 | | घोड़ीवारा कलां | 1905 |
| 47 | | मुकुन्दगढ़ | 17792 |
| 48 | | जांटवाली | 1556 |
| 49 | | मोहब्बतसरी | 630 |
| 50 | | घोड़ीवारा खुर्द | 1726 |
| 51 | | ढिगाल | 2648 |
| 52 | | स्वामी की ढाणी | 350 |
| 53 | | चौराड़ी आथूणी | 852 |
| 54 | | फतेहसरी | 656 |
| 55 | | हिम्मतपुरा | 345 |
| 56 | | पबाना | 2698 |
| 57 | | मीलनगर | 400 |
| 58 | | नाहरसिंघानी | 2385 |
| 59 | | बलरिया | 1900 |
| 60 | | सोटवारा | 2962 |
| 61 | | कसेरू | 3015 |
| 62 | | अजीतपुरा | 663 |
| 63 | | डुडलोद | 9303 |
| 64 | | कंवरपुरा बालाजी | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 65 | | सैनीपुरा | 757 |
| 66 | | डूमरा | 3497 |
| 67 | | दुदाना का बास | 437 |
| 68 | | घीसा की ढाणी | 558 |
| 69 | | लाख की ढाणी | 161 |
| 70 | | तोगड़ा कलां | 1972 |
| 71 | | देलसर कलां | 666 |
| 72 | | डाबडी | 2592 |
| 73 | | राणासर | 2316 |
| 74 | | जेजूसर | 2435 |
| 75 | | देवगांव नुआ | 1046 |
| 76 | | डुडिया की ढाणी | 424 |
| 77 | | देलसर खुर्द | 549 |
| 78 | | बाय | 3972 |
| 79 | | बिरोल | 3643 |
| 80 | | झाझड़ियों की ढाणी | 1100 |
| 81 | | बड़वासी | 4265 |
| 82 | | मीलों का बास | 1057 |
| 83 | | जयसिंहपुरा | 655 |
| 84 | | श्री फूलेराव नगर | 999 |
| 85 | | बुगाला | 4055 |
| 86 | | हनुमानजी की ढाणी | 1120 |
| 87 | | सौन्थली | 2095 |
| 88 | | खरीटों की ढाणी | 500 |
| 89 | | पूनियों की ढाणी | 500 |
| 90 | | कारी | 2699 |
| 91 | | गुसाई की ढाणी | 950 |
| 92 | | डूडीयों की ढाणी | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 93 | | धायलों का बास | 1500 |
| 94 | | निवाई | 1834 |
| 95 | | भगेरा | 2281 |
| 96 | | ढाका का बास | 833 |
| 97 | | पनिया की ढाणी | 634 |
| 98 | | चैलासी | 2092 |
| 99 | | बलवन्तपुरा | 2050 |
| 100 | | मोहब्बतसर | 1552 |
| 101 | | कैरू | 2128 |
| 102 | | जाखल | 6583 |
| 103 | | नवलड़ी | 5525 |
| 104 | | सैनीनगर | 2842 |
| 105 | | नवलगढ़ | 56491 |
| 106 | | ढाका की ढाणी | 2065 |
| 107 | | कानाका की ढाणी | 3938 |
| 108 | | जोहड़ की ढाणी | 1634 |
| 109 | | दुर्जनपुरा | 1234 |

**जिला कलक्टर (भू.अ.)**

**(झुन्झुनूं)**

## जागौर ग्राम (बीकानेर) की खसरा नम्बर 12 में आबंटित शेष भूमि का कब्जा

233. **श्री मंगला राम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम जागौर, जिला-बीकानेर के किसी काश्तकार को महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज के तहत अवाप्त शुदा भूमि के बदले ग्राम लाडखन उर्फ नया ग्राम के खसरा नम्बर 12 में 27.12 बीघा बारानी भूमि का आबंटन किया गया? यदि हां, तो किसको व कब?

(श्री मंगला राम गोदारा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त काश्तकार को अब तक मात्र 10.11 बीघा भूमि का ही कब्जा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम लाडखन उर्फ नया ग्राम में खसरा नम्बर 12 में शुद्ध बारानी भूमि आबंटन योग्य है? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त पीड़ित काश्तकार को खसरा नम्बर 12 की शुद्ध बारानी भूमि में शेष बची भूमि को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) इतने लम्बे समय के पश्चात भी उक्त काश्तकार को भूमि का आबंटन क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार इसमें लिप्त दोषियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। श्रीमती धन्नी बेवा श्री मूलाराम, देवीराम, ओमप्रकाश पिता मूला राम, गुड्डी, कमला पुत्रीयां मूलाराम जाट विस्थापित ग्राम जागौर हाल निवासी लीलावाली तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर को दिनांक 20.11.2007 को ग्राम लाडखन उर्फ नया गांव के खसरा नं. 12 में 27-12 बीघा बारानी भूमि का आबंटन किया गया था।

(2) जी हां। आबंटन पट्टा में दी गई शर्तो के अनुसार राष्ट्रीय मार्ग संख्या 15 से 500 फीट भूमि छोड़ने के पश्चात 10-11 बीघा भूमि का ही नियमानुसार कब्जा दिया जा सकता है।

(3) जी नहीं। ग्राम लाडखन उर्फ नया गांव के खसरा नं. 12 में आबंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

(4) आबंटियों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित दिनांक 31.3.97 के पश्चात भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया तथा इसके पश्चात आबंटियों ने बार-बार पृथक-पृथक भूमि आबंटन के लिए विकल्प प्रस्तुत किये इस कारण आबंटन में विलम्ब हुआ है। विभाग स्तर पर विलम्ब नहीं होने से जांच का प्रश्न ही नहीं है।

## कोटड़ी तहसील (भीलवाड़ा) में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

**234. श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शिवजीराम मीणा)

क्या सरकार तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा की भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से वहां के नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए कोटड़ी में उपखण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

राज्य में नये उपखण्ड कार्यालय खोलने के संबंध में क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति एवं राज्य के वितीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाता है, अभी इस संबंध में विचार नहीं किया जा रहा है। जब भी ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा तब इस प्रकरण में भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

## पंचायत समिति खानपुर (झालावाड़) में नामान्तरण के लम्बित प्रकरण

**235. श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति खानपुर में वर्ष 2004 से अब तक किन-किन पंचायतों के नामान्तरण खोले गए? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति खानपुर की किन-किन पंचायतों में नामान्तरण अभी तक नहीं खोले गये? सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पंचायतवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति खानपुर में ऐसी एक भी ग्राम पंचायत नहीं है जिसके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के नामान्तकरण का निस्तारण नहीं किया गया है।

**परिशिष्ट ''अ''**

**पंचायत समिति खानपुर के अन्तर्गत आने वाली 38 ग्राम पंचायतों की सूची**

| क्र.सं. | नाम ग्राम पंचायत | क्र.सं. | नाम ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|
| 1 | खानपुर | 4 | गाडरवाना डूंडी |
| 2 | सूमर | 5 | डोबडा |
| 3 | बैसार | 6 | गोलाना |

| क्र.सं. | नाम ग्राम पंचायत | क्र.सं. | नाम ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|
| 7 | कवंरपुरा मण्डवालान | 23 | बाघेर |
| 8 | भगवानपुरा | 24 | बोरदामऊ |
| 9 | दहीखेडा | 25 | मोडी भीमसागर |
| 10 | आकोदिया | 26 | खण्डी |
| 11 | सरखण्डिया | 27 | कवंल्दा |
| 12 | जोलपा | 28 | लीमी |
| 13 | पनवाड़ | 29 | सारोलाकलां |
| 14 | जरगा | 30 | शिवनगर ढाणी |
| 15 | हरीगढ़ | 31 | सोजपुर |
| 16 | खेछड़ा | 32 | पिपलाज |
| 17 | मूण्डला | 33 | धानेदा कलां |
| 18 | लायफल | 34 | मालनवासा |
| 19 | विशनखेडी | 35 | करनवास |
| 20 | पखराना | 36 | अकावदखुर्द |
| 21 | मरायता | 37 | बरेड़ा |
| 22 | गाडरवाना नूरजी | 38 | तारज |

## दीगोद एवं पीपल्दा के नहरी क्षेत्र के टेल ग्रामों के पानी में कटौती

236. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की दीगोद व पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने में सरकार को कठिनाई आती है व काफी कुछ क्षेत्र सिंचाई से वंचित रह जाता है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में पानी पहुंचाने में कठिनाई होती है तथा इनके मुख्य कारण क्या हैं?

(2) टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम व इनकी कुल लम्बाई तथा पानी की क्षमता क्या है? वर्ष 2007-08 में इन नहरों में वास्तव में कितना पानी प्रतिदिन छोड़ा गया है? अक्टूबर, 2007-08 में रबी सिंचाई हेतु छोड़े गये पानी के गेज का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(3) क्या यह सही है कि नहरों के पानी के गेज में कटौती विभाग अपनी मनमर्जी से कर लेता है तथा काडा के सदस्य व जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। मात्र टेल क्षेत्र के निम्नांकित ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने में कुछ कठिनाई होती हैं :-

(अ) दीगोद विधान सभा क्षेत्र में निम्न डिस्ट्रीब्यूटरी, माईनर्स, ब्रान्चेज इत्यादि से होने वाली सिंचाई का विवरण मय प्रभावित गांवों का विवरण निम्नानुसार है :-

| नहर का नाम | पर्याप्त रूप से सिंचित होने वाले गांवों का विवरण | सिंचित गांवों का सीसीए (हैक्टेयर में) | प्रभावित गांवों का विवरण जहां टेल क्षेत्र में पानी पहुंचने में कुछ कठिनाई होती है | प्रभावित गांवों का सीसीए (हैक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|
| दीगोद डिस्ट्रीब्यूटरी | देवपुरा, दीगोद, शोली, फतेहपुरा, कासमपुरा, भगवानपुरा, कोरसुंवा, उदपुरा, अतरालिया | 2800 | निमोदा, चन्द्रावला, छिपरदा, औंकारपुरा, गोकुलपुरा | 1989 |
| कल्याणपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी | ठकलदा, कल्याणपुरा, पडासलिया, कंवरपुरा, जालीमपुरा, तौरन, महेन्दी, कचोलिया, खेडली, काल्या, थारला, डूंगरजा, बगतरी | 3301 | झोंटोली, सुल्तानपुर, नोताडा | 566 |
| भौंरा डिस्ट्रीब्यूटरी | भौंरा, खेडली महादीत, आमोरा, गुमानपुरा, दरबीजी, गढेपान, डाबर | 1769 | बमोरी, चावण्डहेडी-झौंपडिया | 1135 |
| सुल्तानपुर सब ब्रांच | किशोरपुरा, सुरेला, नयागांव, सुल्तानपुर, शाहपुरा, नोताड़ा, खेडली तवरान, जहांगीरपुरा, मण्डावरा, खेडाभोपाल, जियाहेडी-II, चोपडखेडी, झाडगांव, पीपल्दा साण्ड, धनवा, खण्डगांव, नरपतखेडी, महराना, नीमली, प्रेमपुरा | 8118 | लाख सनीजा, रामपुरिया, निमोदा उजाड, कोटडापुरा, नृसिंहपुरा, खेडली सहसन | 626 |

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| बडौद सब बांच | रीछाहेडी, कचनावदा, जियाहेडी-I, नापाहेडा, बिसलाई, चम्पाखेडा, ख्यावदा, ईदलगढ, बगावदा, उम्मेदपुरा, मोरपा, धनसूरी, बम्बूलिया, रावतान, आटान, बाक्या, बराना, खेडलीघाटान, खेडली धाकडान, जाखरोन, खेरूला, गांवडी | 9125 | कोटडा दीप सिंह, रलायता | 680 |
| किशनगंज डिस्ट्रीब्यूटरी | किशनगंज, बढीदात, सनीजाबावडी, खेडली परसराम, उम्मेदपुरा (आंशिक), बोरखेड़ा | 1339 | टाकरवाडा, बम्बूलियारनमल, मदनपुरा, कोटडादीपसिंह हरिपुरा | 1501 |

(ब) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में निम्न डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर, ब्रान्चेज इत्यादि से होने वाली सिंचाई का विवरण मय प्रभावित गांवों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| इटावा ब्रांच केनाल | कांकरा, रघुनाथपुरा, अयानी, दुधली, डोरली, रणोदिया, गणेशगंज, डोली, झाडोल, लक्ष्मीपुरा, इटावा, करवाड़, खेडली बोरदा, किशनपुरा, खोडावदा, राजोपा, रामपुरा, सनमानपुरा, तलाव, गणेशखेडा, भोपालगंज, सब्जीपुरा, बंजारी, श्रीपुरा, सुमेरपुरा, हथोली, बरनाहाली निमोला, बिनायका, मुंगैना, सोभागपुरा | 8172 | उदयभानपुरा, गोठडा, ठिकरदा, बागली व धनवा | 993 |

(सिंचित क्ष्ेात्र विकास मंत्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| गैता डिस्ट्रीब्यूटरी | रामपुरा, उम्मेदपुरा, डउवारा गैता, नोनेरा, आमलदा, हथौली, बम्बूलियाकलां, बोरदा, इटावा | 4760 | सिनोता, राजपुरा, उम्मेदपुरा, श्योपुरा, नीमसरा, ककरावदा, शेरगंज | 2033 |
| छापौल डिस्ट्रीब्यूटरी | सुमेरपुरा, रामखेडा, लाखनी | 636 | बालूपा, छापौल | 584 |
| खातोली डिस्ट्रीब्यूटरी | केशोपुरा, राजौपा, भवानीपुरा, भोपालपुरा, भैरूपुरा, खेरलीबेरीसाल, जोरावरपुरा, तलाव, सौभागपुरा | 3204 | देवनीमडी, लाखनी | 299 |

चम्बल की नहरों को रबी के लिए 55 प्रतिशत एवं खरीफ के लिये 21 प्रतिशत के लिए डिजाइन किया गया था परन्तु विगत वर्षो में सिंचित क्षेत्र में बढोत्तरी हुई है। चम्बल नहरी क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण, जर्जर अवस्था में होने, बढी हुई सिंचाई संघनता एवं हेड क्षेत्र के किसानों द्वारा शत-प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई करने के प्रयासों के कारण सिंचित क्षेत्र में नहरी प्रणाली के अन्तिम छोर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने में व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है।

(2) टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने वाली ब्रांच केनाल, डिस्टीब्यूटरी के पानी की क्षमता एवं लम्बाई का विवरण निम्नानुसार है :-

| **डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम** | **लम्बाई** | **पानी की क्षमता (क्यूसैक्स में)** |
|---|---|---|
| दीगोद डिस्ट्रीब्यूटरी | 9.81 किलोमीटर | 94.50 |
| कल्याणपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी | 14.72 किलोमीटर | 54.50 |
| भौंरा डिस्ट्रीब्यूटरी | 2.90 किलोमीटर | 52.55 |
| बडौद सब ब्रांच | 30.65 किलोमीटर | 237.69 |
| सुल्तानपुरा सब ब्रांच | 27.13 किलोमीटर | 169.35 |
| सुल्तानपुरा सब ब्रांच टेल माईनर | 5.48 किलोमीटर | 12.27 |
| किशनगंज डिस्ट्रीब्यूटरी | 16.15 किलोमीटर | 56.82 |
| इटावा ब्रांच केनाल | 2165 चैन | 466 |
| गैंता डिस्ट्रीब्यूटरी | 750 चैन | 102 |
| छापौल डिस्ट्रीब्यूटरी | 415 चैन | 14 |
| खातोली डिस्ट्रीब्यूटरी | 436 चैन | 69 |

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

वर्ष 2007-08 में उक्त प्रणालियों पर माह अक्टूबर, 2007 से छोड़े गये पानी का विवरण एवं रबी सिंचाई हेतु छोड़े गए पानी के गेज का विवरण परिशिष्ट-पृष्ठ संख्या 1-14 में उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। नहर संचालन के कार्यक्रम को काडा की बैठक में अनुमोदन कर लिया जाता है। इसके पश्चात नहर संचालन के कार्यक्रम सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, काडा सदस्यों एवं जल प्रबन्धन समितियों को भिजवाये जाते हैं, इसके साथ ही जब किसी नहर को बंद किया जाना आवश्यक होता है तो समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना का प्रकाशन भी किया जाता है परन्तु सिंचित क्षेत्र में विशेषतया हेड क्षेत्र के काश्तकारों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। उनके द्वारा अवैध पम्पों, ओडे आदि लगाए जाकर जल प्रवाह को बाधित किया जाता हैं। अतः नहरों के संचालन हेतु रोटेशन प्रोग्राम निर्धारित किया जाकर पुलिस एवं प्रशासनिक सहयोग से टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने के प्रयास किए जाते है। विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों के कारण इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसके साथ ही बांध की जल भराव क्षमता पर निर्भरता बढ़ी हुई सिंचाई संघनता तथा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उनके हिस्से के जल की आपूर्ति हेतु सतत मांग के कारण टेल क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है जिससे कृषकों में कभी-कभी असंतोष उत्पन्न होता है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बायतु पंचायत समिति (बाड़मेर) में रसोई गैस डीलर की नियुक्ति

**237. श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय बायतु, जिला-बाडमेर में रसोई गैस की एजेन्सी नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि बायतु कस्बे में बिचौलिए अनावश्क रूप से अवैध धन्धा कर रहे हैं?

(3) क्या सरकार बायतु में गैस एजेन्सी स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय बायतु में रसोई गैस एजेन्सी नहीं है।

(2) जी नहीं। बायतू में गंगराना गैस एजेन्सी, बालोतरा द्वारा पंजीकृत उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की जा रही है। बायतु में बिचौलियों द्वारा अवैध धंधा करने सम्बन्धी कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। पंचायत समिति बायतु पर गैस एजेन्सी स्थापित करने के प्रस्ताव जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर से उनके पत्र दिनांक 10.10.06 से अन्य जिलों से इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ-साथ राज्य सरकार को प्राप्त होने पर, राज्य सरकार द्वारा उन्हें इकजाई कर विभागीय पत्र दिनांक 15.01.07 परिशिष्ट 'अ' के द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक, इण्डियन आयल कार्पो. जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं।

राज्य स्तरीय समन्वयक द्वारा नई गैस एजेन्सी स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावों पर गहनता से एजेन्सी स्थापित करने के संबंध में उस स्थान एवं निकटतम स्थानों पर विद्यमान एजेन्सीज, उपभोक्तओं की संख्या Viability इत्यादि को ध्यान में रखते हुए Feasibilty Study कर प्रस्ताव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं, जिस पर भारत सरकार द्वारा मार्केटिंग प्लान के तहत अपेक्षित कार्यवाही के बाद राज्य के राज्यस्तरीय समन्वयक को प्रेषित किये जाते हैं। मार्केटिंग प्लान अग्रिम कार्यवाही के लिए प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय समन्वयक द्वारा चयनित/ प्रस्तावित स्थानों के संबंध में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाकर साक्षात्कार के माध्यम से गैस एजेन्सी का चयन किया जाता है।

बायतु पंचायत समिति व राज्य के अन्य जिलों में नई गैस एजेन्सियां स्थापित करने के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वयक को समय-समय पर सरकार द्वारा स्मरण कराया जाकर राज्य में तत्परता से नवीन गैस एजेन्सियां स्थापित किये जाने बाबत अनुरोध किया जाता रहा है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कैरोसिन की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु कार्य योजना

**238. श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

जनवरी, 2008 तक कितना कैरोसिन आबंटित किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला मुख्यालयों हेतु कितना-कितना लीटर कैरोसीन का आबंटन किया गया तथा किन-किन वितरकों को कितना-कितना दिया गया? प्रतिमाह के आबंटन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान में कैरोसीन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(4) राज्य में उक्त अवधि में कितना लीटर कैरोसीन कालाबाजारी में पकड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 तक निम्नानुसार कैरोसीन का आबंटन प्राप्त हुआ :-

जिलेवार व माहवार विस्तृत सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

| क्र.सं. | माह/वर्ष | आबंटन (नियमित) किलो लीटर में | अतिरिक्त आबंटन |
|---|---|---|---|
| 1. | जनवरी 04 से मार्च 04 तक | 4392 प्रति माह | - |
| 2. | अप्रैल 04 से जनवरी 05 तक | 42459 प्रति माह | - |
| 3. | फरवरी 05 | 44009 प्रति माह | - |
| 4. | मार्च 05 | 44010 प्रति माह | - |
| 5. | मार्च 05 से जनवरी 08 तक | 42717 प्रति माह | 1. माह सितम्बर 06 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 3000 के.एल. अतिरिक्त में प्राप्त। 2. माह जुलाई 07 से सितम्बर 07 की अवधि में बाढग्रस्त क्षेत्रों के लिए 3000 के.एल. प्राप्त। |

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) जनवरी, 2004 से जनवरी, 2008 की अवधि में जिलों को आबंटित माहवार कैरोसीन का विस्तृत सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमन) आदेश, 1976 के तहत प्रवेश तलाशी एवं जब्ती के प्रावधानों के तहत एवं समय-समय पर निरीक्षण/जांच प्रवर्तन स्टाफ द्वारा एवं नायब तहसीलदार से उच्च स्तर के राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा भी इस हेतु नीति निर्धारण किया जाकर प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी कर समस्त कैरोसीन खुदरा विक्रेताओं को कैरोसीन वितरण के लिए रोस्टर रजिस्टर संधारित किया हुआ है।

(4) अप्रैल, 2004 से मार्च, 2005 की अवधि में 42861 लीटर, अप्रैल 05 से मार्च 06 की अवधि में 81083 लीटर, अप्रैल 06 से मार्च 07 की अवधि में 100046 लीटर एवं अप्रैल 07 से नवम्बर 07 की अवधि में 287081 लीटर कैरोसीन जब्त किया गया। विस्तृत सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**परिशिष्ट-2**

परिशिष्ट-1

**Government of Rajasthan**
**Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Jaipur**
**Allotment of Kerosene (January 2004 to March, 05)**

**(In K.L.)**

| S. No. | District | Jan-04 | Feb-04 | Mar-04 | Apr-04 | May-04 | Jun-04 | Jul-04 | Aug-04 | Sep-04 | Oct-04 | Nov-04 | Dec-04 | Jan-05 | Feb-05 | Mar-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | AJMER | 1538 | 1538 | 1538 | 1501 | 1501 | 1501 | 1420 | 1300 | 1300 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1450 | 1450 |
| 2 | ALWAR | 1900 | 1900 | 1900 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 2466 | 2466 | 1895 | 1895 | 1895 | 1969 | 2021 | 2021 |
| 3 | BANSWARA | 1142 | 1142 | 1142 | 1115 | 1115 | 1115 | 1306 | 1306 | 1306 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1238 | 1238 |
| 4 | BARAN | 818 | 818 | 818 | 799 | 799 | 799 | 833 | 833 | 833 | 825 | 825 | 825 | 745 | 834 | 834 |
| 5 | BARMER | 1640 | 1640 | 1640 | 1601 | 1601 | 1601 | 1437 | 1437 | 1437 | 1605 | 1605 | 1605 | 1555 | 1675 | 1675 |
| 6 | BHARATPUR | 1330 | 1330 | 1330 | 1298 | 1298 | 1298 | 1128 | 1128 | 1128 | 1180 | 1180 | 1180 | 1280 | 1379 | 1379 |
| 7 | BHILWARA | 1711 | 1711 | 1711 | 1670 | 1670 | 1670 | 2042 | 2042 | 2042 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1822 | 1822 |
| 8 | BIKANER | 1456 | 1456 | 1456 | 1421 | 1421 | 1421 | 1517 | 1517 | 1517 | 1470 | 1470 | 1470 | 1490 | 1602 | 1602 |
| 9 | BUNDI | 654 | 654 | 654 | 638 | 638 | 638 | 683 | 683 | 683 | 615 | 615 | 615 | 715 | 722 | 722 |
| 10 | CHITTOR-GARH | 1739 | 1739 | 1739 | 1638 | 1638 | 1638 | 1706 | 1706 | 1706 | 1590 | 1590 | 1590 | 1640 | 1694 | 1694 |
| 11 | CHURU | 1169 | 1169 | 1169 | 1141 | 1141 | 1141 | 1280 | 1280 | 1280 | 1225 | 1225 | 1225 | 1275 | 1299 | 1299 |
| 12 | DAUSA | 1263 | 1263 | 1263 | 1233 | 1233 | 1233 | 1045 | 1045 | 1045 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1203 | 1203 |
| 13 | DHOLPUR | 861 | 861 | 861 | 841 | 841 | 841 | 852 | 852 | 852 | 765 | 765 | 765 | 765 | 856 | 856 |
| 14 | DUNGARPUR | 887 | 887 | 887 | 866 | 866 | 866 | 971 | 971 | 971 | 855 | 855 | 855 | 855 | 947 | 947 |
| 15 | GANGA NAGAR | 1794 | 1794 | 1794 | 1750 | 1750 | 1750 | 1403 | 1403 | 1403 | 1740 | 1640 | 1640 | 1790 | 1720 | 1720 |

| S. No. | District | Jan-04 | Feb-04 | Mar-04 | Apr-04 | May-04 | Jun-04 | Jul-04 | Aug-04 | Sep-04 | Oct-04 | Nov-04 | Dec-04 | Jan-05 | Feb-05 | Mar-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 16 | HANUMAN-GARH | 1561 | 1561 | 1561 | 1524 | 1524 | 1524 | 1467 | 1467 | 1467 | 1425 | 1325 | 1325 | 1325 | 1453 | 1453 |
| 17 | JAIPUR | 2615 | 2615 | 2615 | 2553 | 2553 | 2553 | 3106 | 3106 | 3106 | 2965 | 2965 | 3065 | 2965 | 2969 | 2970 |
| 18 | JAISALMER | 417 | 417 | 417 | 407 | 407 | 407 | 394 | 394 | 394 | 400 | 445 | 445 | 460 | 447 | 447 |
| 19 | JALORE | 968 | 968 | 968 | 945 | 945 | 945 | 1115 | 1115 | 1115 | 1025 | 945 | 945 | 945 | 1039 | 1039 |
| 20 | JHALAWAR | 1121 | 1121 | 1121 | 1094 | 1094 | 1094 | 1156 | 1156 | 1156 | 1145 | 2145 | 1245 | 1045 | 1217 | 1217 |
| 21 | JHUNJHUNU | 1318 | 1318 | 1318 | 1287 | 1287 | 1287 | 1142 | 1142 | 1142 | 1145 | 1195 | 1195 | 1045 | 1152 | 1152 |
| 22 | JODHPUR | 2167 | 2167 | 2167 | 2116 | 2116 | 2116 | 1803 | 1703 | 1703 | 1145 | 2110 | 2110 | 2110 | 2099 | 2099 |
| 23 | KAROLI | 945 | 945 | 945 | 923 | 923 | 923 | 805 | 805 | 805 | 915 | 965 | 965 | 965 | 895 | 895 |
| 24 | KOTA | 1366 | 1366 | 1366 | 1334 | 1334 | 1334 | 1203 | 1203 | 1203 | 1345 | 1245 | 1245 | 1245 | 1302 | 1302 |
| 25 | NAGAUR | 2013 | 2013 | 2013 | 1965 | 1965 | 1965 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1775 | 1775 | 1775 | 1919 | 1919 |
| 26 | PALI | 1663 | 1663 | 1663 | 1624 | 1624 | 1624 | 1724 | 1724 | 1724 | 1650 | 1724 | 1724 | 1650 | 1753 | 1753 |
| 27 | RAJASMAND | 911 | 911 | 911 | 889 | 889 | 889 | 787 | 787 | 787 | 770 | 720 | 720 | 870 | 860 | 860 |
| 28 | SIKAR | 1487 | 1487 | 1487 | 1452 | 1452 | 1452 | 1506 | 1506 | 1506 | 1480 | 1560 | 1560 | 1560 | 1521 | 1521 |
| 29 | SIROHI | 801 | 801 | 801 | 782 | 782 | 782 | 713 | 713 | 713 | 754 | 830 | 830 | 780 | 789 | 789 |
| 30 | S.MADHOPUR | 916 | 916 | 916 | 894 | 894 | 894 | 908 | 908 | 908 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 949 | 949 |
| 31 | TONK | 1157 | 1157 | 1157 | 1130 | 1130 | 1130 | 1140 | 1140 | 1140 | 1075 | 1125 | 1125 | 1125 | 1126 | 1126 |
| 32 | UDAIPUR | 2164 | 2164 | 2164 | 2113 | 2113 | 2113 | 2037 | 1917 | 1917 | 2100 | 1800 | 1800 | 2000 | 2057 | 2057 |
| | **TOTAL** | **43492** | **43492** | **43492** | **42459** | **42459** | **42459** | **42459** | **42459** | **42459** | **42459** | **42459** | **42459** | **42459** | **44009** | **44010** |

**Government of Rajasthan**
**Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Jaipur**
**Allotment of Kerosene (April 05 to March 06)**

**(in K.L.)**

| S. No. | District | Apr-05 | May-05 | Jun-05 | Jul-05 | Aug-05 | Sep-05 | Oct-05 | Nov-05 | Dec-05 | Jan-06 | Feb-6 | Mar-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | AJMER | 1380 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1392 | 1392 | 1392 | 1428 | 1392 | 1356 |
| 2 | ALWAR | 2128 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2040 | 2040 | 2040 | 204 | 204 | 2256 |
| 3 | BANSWARA | 1247 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1236 | 1236 | 1236 | 1284 | 1284 | 1296 |
| 4 | BARAN | 860 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 912 | 912 | 888 |
| 5 | BARMER | 1612 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1548 | 1548 | 1548 | 1596 | 1596 | 1536 |
| 6 | BHARATPUR | 1272 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1164 | 1164 | 1128 |
| 7 | BHILWARA | 1676 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1728 | 1728 | 1788 |
| 8 | BIKANER | 1420 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1164 |
| 9 | BUNDI | 759 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 852 | 960 | 960 | 912 | 912 | 804 |
| 10 | CHITTORGARH | 1607 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1572 |
| 11 | CHURU | 1367 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1380 |
| 12 | DAUSA | 1198 | 1200 | 1272 | 1272 | 1329 | 1329 | 1332 | 1281 | 1284 | 1239 | 1284 | 1140 |
| 13 | DHOLPUR | 825 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 14 | DUNGARPUR | 930 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 960 |
| 15 | GANGANAGAR | 1591 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1512 |
| 16 | HANUMANGARH | 1472 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1548 |

| S. No. | District | Apr-05 | May-05 | Jun-05 | Jul-05 | Aug-05 | Sep-05 | Oct-05 | Nov-05 | Dec-05 | Jan-06 | Feb-6 | Mar-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** |
| 17 | JAIPUR | 3112 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3096 | 3096 | 3048 | 3048 | 3048 | 3096 |
| 18 | JAISALMER | 437 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 411 |
| 19 | JALORE | 1040 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1080 |
| 20 | JHALAWAR | 1132 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1140 | 1140 | 1140 | 1107 | 1107 | 1080 |
| 21 | JHUNJHUNU | 1085 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1140 |
| 22 | JODHPUR | 1907 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1884 | 1884 | 18836 | 1800 | 1800 | 1779 |
| 23 | KAROLI | 843 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 804 | 804 | 852 | 852 | 852 | 792 |
| 24 | KOTA | 1143 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1044 | 1092 | 1044 | 1047 |
| 25 | NAGAUR | 2022 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2460 |
| 26 | PALI | 1694 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1716 |
| 27 | RAJASMAND | 759 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| 28 | SIKAR | 1448 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1476 |
| 29 | SIROHI | 760 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 732 | 732 | 732 | 732 | 735 | 732 |
| 30 | S.MADHOPUR | 996 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1137 | 1137 | 1137 | 1191 | 1191 | 996 |
| 31 | TONK | 1085 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1128 |
| 32 | UDAIPUR | 1930 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1920 | 1920 | 1920 | 1884 | 1884 | 1944 |
| | **TOTAL** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** |

## Government of Rajasthan
## Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Jaipur
### Allotment of Kerosene (April 06 to March 07)

(in K.L.)

| S. No. | District | Apr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Aug-06 | Sep-06 | Oct-06 | Nov-06 | Dec-06 | Jan-07 | Feb-7 | Mar-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** |
| 1 | AJMER | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1452 | 1452 | 1328 | 1328 |
| 2 | ALWAR | 2256 | 2256 | 2160 | 2256 | 2256 | 2256 | 2100 | 2100 | 2004 | 2004 | 2004 | 2100 |
| 3 | BANSWARA | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1396 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
| 4 | BARAN | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 988 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| 5 | BARMER | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 2086 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 6 | BHARATPUR | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1176 | 1176 | 1128 | 1128 |
| 7 | BHILWARA | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1692 | 1692 | 1788 | 1788 |
| 8 | BIKANER | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| 9 | BUNDI | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |
| 10 | CHITTORGARH | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1672 | 1572 | 1572 | 1476 | 1476 | 1524 | 1524 |
| 11 | CHURU | 1380 | 1380 | 1372 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 12 | DAUSA | 1140 | 1140 | 1136 | 1140 | 1140 | 1140 | 1296 | 1296 | 1344 | 1344 | 1296 | 1296 |
| 13 | DHOLPUR | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 14 | DUNGARPUR | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1210 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 15 | GANGANAGAR | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |
| 16 | HANUMANGARH | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |

| S. No. | District | Apr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Aug-06 | Sep-06 | Oct-06 | Nov-06 | Dec-06 | Jan-07 | Feb-7 | Mar-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** |
| 17 | JAIPUR | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| 18 | JAISALMER | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 561 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 19 | JALORE | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1230 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 20 | JHALAWAR | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1330 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 21 | JHUNJHUNU | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 22 | JODHPUR | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 |
| 23 | KAROLI | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 948 | 948 | 996 | 996 | 864 | 864 |
| 24 | KOTA | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1297 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
| 25 | NAGAUR | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 |
| 26 | PALI | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1966 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1872 | 1872 |
| 27 | RAJASMAND | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 846 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| 28 | SIKAR | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| 29 | SIROHI | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 982 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| 30 | S. MADHOPUR | 996 | 996 | 1092 | 996 | 996 | 996 | 1152 | 1152 | 1200 | 1200 | 1092 | 1092 |
| 31 | TONK | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
| 32 | UDAIPUR | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 2394 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
| | **TOTAL** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **45717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** |

**Government of Rajasthan**
**Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Jaipur**
**Allotment of Kerosene (April 07 to March 08)**

**(in K.L.)**

| S. No. | District | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 | Jan-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** |
| 1 | AJMER | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1440 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 |
| 2 | ALWAR | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 | 2340 | 2256 | 2256 | 2256 | 2256 |
| 3 | BANSWARA | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1368 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
| 4 | BARAN | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 960 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| 5 | BARMER | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1632 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 6 | BHARATPUR | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1212 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
| 7 | BHILWARA | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1860 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| 8 | BIKANER | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1272 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
| 9 | BUNDI | 804 | 804 | 804 | 904 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |
| 10 | CHITTORGARH | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1644 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 11 | CHURU | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1452 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 12 | DAUSA | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1260 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 13 | DHOLPUR | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 888 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 14 | DUNGARPUR | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1020 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 15 | GANGANAGAR | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1584 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |

| S. No. | District | Apr-07 | May-07 | Jun-07 | Jul-07 | Aug-07 | Sep-07 | Oct-07 | Nov-07 | Dec-07 | Jan-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** |
| 16 | HANUMANGARH | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1620 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| 17 | JAIPUR | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 | 3192 | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 |
| 18 | JAISALMER | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 483 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 19 | JALORE | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1164 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 20 | JHALAWAR | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1152 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 21 | JHUNJHUNU | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1212 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 22 | JODHPUR | 1779 | 1779 | 1779 | 2079 | 1779 | 1839 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 |
| 23 | KAROLI | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 876 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 24 | KOTA | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1131 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
| 25 | NAGAUR | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2532 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| 26 | PALI | 1716 | 1716 | 1716 | 1916 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| 27 | RAJASMAND | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 768 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| 28 | SIKAR | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1548 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| 29 | SIROHI | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 792 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| 30 | S. MADHOPUR | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 1116 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| 31 | TONK | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1200 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
| 32 | UDAIPUR | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 2040 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
| | **TOTAL** | **42717** | **42717** | **42717** | **43317** | **42717** | **45117** | **42717** | **42717** | **42717** | **42717** |

## राजस्थान सरकार

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर

## जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत की गई कार्यवाही की स्थिति

## राजस्थान सरकार

| क्र.संख्या | माह | केरोसीन (ली.) | |
|---|---|---|---|
| | | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अप्रैल 2004 | 3140 | 30967 |
| 2 | मई 2004 | 880 | 8800 |
| 3 | जून 2004 | 11336 | 329331 |
| 4 | जुलाई 2004 | 7243 | 127031 |
| 5 | अगस्त 2004 | 10883 | 250196 |
| 6 | सितम्बर 2004 | 574 | 5569 |
| 7 | अक्टूबर 2004 | 5915 | 94145 |
| 8 | नवम्बर 2004 | 0 | 0 |
| 9 | दिसम्बर 2004 | 1308 | 12684 |
| 10 | जनवरी 2005 | 255 | 3000 |
| 11 | फरवरी 2005 | 600 | 5868 |
| 12 | मार्च 2005 | 727 | 6894 |
| | **योग** | **42861** | **874485** |
| 1 | अप्रैल 2005 | 3163 | 15078 |
| 2 | मई 2005 | 6537 | 72746 |
| 3 | जून 2005 | 7981 | 121388 |
| 4 | जुलाई 2005 | 13529 | 132980 |
| 5 | अगस्त 2005 | 2885 | 24332 |
| 6 | सितम्बर 2005 | 2534 | 24321 |
| 7 | अक्टूबर 2005 | 3189 | 32650 |
| 8 | नवम्बर 2005 | 11686 | 119101 |
| 9 | दिसम्बर 2005 | 12117 | 185352 |
| 10 | जनवरी 2006 | 6358 | 34940 |
| 11 | फरवरी 2006 | 3012 | 29005 |
| 12 | मार्च 2006 | 8092 | 75793 |
| | **योग** | **81083** | **867686** |

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत की गई कार्यवाही की स्थिति**

## उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी

| क्र.संख्या | माह | केरोसीन (ली.) | |
|---|---|---|---|
| | | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अप्रैल 2006 | 860 | 19950 |
| 2 | मई 2006 | 2356 | 7336 |
| 3 | जून 2006 | 16365 | 158230 |
| 4 | जुलाई 2006 | 3840 | 13511 |
| 5 | अगस्त 2006 | 3819 | 41660 |
| 6 | सितम्बर 2006 | 26351 | 242202 |
| 7 | अक्टूबर 2006 | 11404 | 209160 |
| 8 | नवम्बर 2006 | 6488 | 59255 |
| 9 | दिसम्बर 2006 | 17522 | 212925 |
| 10 | जनवरी 2007 | 4961 | 75945 |
| 11 | फरवरी 2007 | 2463 | 34250 |
| 12 | मार्च 2007 | 3617 | 45431 |
| | **योग** | **100046** | **1119855** |
| 1 | अप्रैल 2007 | 19179 | 198000 |
| 2 | मई 2007 | 2874 | 28260 |
| 3 | जून 2007 | 1976 | 16189 |
| 4 | जुलाई 2007 | 2830 | 25950 |
| 5 | अगस्त 2007 | 2755 | 23850 |
| 6 | सितम्बर 2007 | 6521 | 254976 |
| 7 | अक्टूबर 2007 | 25456 | 233194 |
| 8 | नवम्बर 2007 | 1500 | 15000 |
| | **योग** | **63091** | **795419** |
| | **महायोग** | **287081** | **3657445** |

**239. मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु बनाई गई आबंटन सलाहकार समितियों के मतभेद होने पर कुल कितने मामले निर्णय हेतु वर्ष 2003 से अब तक राज्य सरकार को भेजे गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार को उचित मूल्य की दुकान के कुल प्राप्त प्रकरणों में से मंत्री स्तर से कितने प्रकरणों में निर्णय दिये गये तथा उपायुक्त (प्रथम) के स्वयं के स्तर से कितने मामलों में निर्णय दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आदेश 1976 के कलॉज 3 (1) में प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु जिला कलक्टर (आई.ए.एस.) अधिकारी को प्राधिकृत किया हुआ है परन्तु उन्हें आबंटन का कोई अधिकार नहीं दिया जाकर उनके ऊपर उपायुक्त (प्रथम) आर.ए.एस. अधिकारी को अपना निर्णय प्रेषित करने हेतु नियुक्त किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था की पात्रता के बारे में मतभेद होने पर वर्ष 2003 से आज दिनांक तक कुल 906 प्रकरण राज्य सरकार को भेजे गये। जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार को उचित मूल्य दुकान आबंटन के सम्बन्ध में कुल प्राप्त प्रकरणों में से माननीय खाद्य मंत्री के स्तर से 482 प्रकरणों में निर्णय दिया गया तथा उपायुक्त प्रथम के स्वयं के स्तर से 161 मामलों में निर्णय लिया गया। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 में वर्णित है।

(3) विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु दिनांक 07.10.2005 को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो कि परिशिष्ट-2 में वर्णित है। इन निर्देशों के अनुसार आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था की पात्रता के बारे में मतभेद होने पर बहुमत द्वारा की गई अभिशंसा को जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.01.2006 को ऐसे प्रकरणों का निर्णय प्रेषित करने के उपायुक्त (प्रथम) को अधिकृत किया गया है, जो कि परिशिष्ट-3 में वर्णित है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 2(h) में उपायुक्त को आयुक्त की परिभाषा में शामिल किया गया है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## टिब्बी के स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

**240. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतसर से 30 बैड के अस्पताल को 50 बैड के अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टिब्बी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्बा थालडका व तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी में स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतसर को 30 से 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टिब्बी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ग्राम थालडका एवं तलवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

## करौली के क्रमोन्नत स्वास्थ्य केन्द्र

**241. श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में दिसम्बर 2003 से अब तक कितने नये उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों को किस-किस स्तर का क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में दिसम्बर 2003 से जनवरी 2008 तक की अवधि में ग्राम डूडापुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है।

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र करौली में किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

## सलूम्बर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

**242. श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर को 50 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत करने हेतु घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या इस घोषणा की क्रियान्विति के आदेश जारी किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों एवं हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर के चिकित्सा अधिकारी एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। जी नहीं। आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर को 50 से 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर में चिकित्सा अधिकारी के 3 एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) का 1 तथा पैरामेडिकल स्टाफ के 3 पद रिक्त हैं।

जी हां। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को जिला स्तर पर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किये जायेंगे तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव होगा।

वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। लैब टैक्नीशियन के रिक्त पद को नियमित भर्ती के माध्यम से भरने की कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्थाई रोक लगा रखी है। रोक हटते ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी। दन्त तकनीशियन का पद सीधी भर्ती का है जिसे भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## सिरोही जिले के चिकित्सालय में एनस्थेशिया विशेषज्ञ का रिक्त पद

**243. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले के चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर स्थाई चिकित्सक कब से कार्यरत नहीं हैं? कितने पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) सिरोही के जिला अस्पताल में वर्ष 2003-04 से अब तक कितनी प्रसूताओं की डिलीवरी एनस्थेशिया विशेषज्ञ चिकित्सक की मदद के जरिए शल्य क्रिया से करवाई गई? क्या यह सही है कि उक्त विशेषज्ञ न होने से वर्ष 2007-08 में प्रसूताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है?

**उत्तर**

(1) सिरोही जिले के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों पर कब से स्थाई चिकित्सक कार्यरत नहीं है उनका एवं रिक्त पदों का विवरण रिक्ति अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जिला चिकित्सालय सिरोही में वर्ष 2003-04 से 20 फरवरी,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

2008 तक की अवधि में 172 प्रसूताओं की डिलीवरी एनस्थेशिया विशेषज्ञ चिकित्सक की मदद से शल्य क्रिया से करवाई गई हैं।

जी नहीं। स्थानीय स्तर पर प्राइवेट चिकित्सालय में कार्यरत एनस्थेशिया विशेषज्ञ चिकित्सक को शल्य क्रिया हेतु बुलाया जाता है। वर्ष 2007-08 में (20 फरवरी, 2008 तक) 58 प्रसूताओं की डिलीवरी एनस्थेशिया विशेषज्ञ चिकित्सक की मदद से शल्य क्रिया द्वारा की गई हैं।

## फुलेरा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

**परिशिष्ट 'अ'**

| क्र. सं. | चिकित्सा संस्थान का नाम | पदनाम | पदों की संख्या जिन पर स्थाई चिकित्सक पदस्थापित नहीं है | स्थाई चिकित्सक पदस्थापित नहीं होने की अवधि | रिक्त पदों की संख्या | रिक्ति की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | राजकीय जिला चिकित्सालय, सिरोही | वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग, बालरोग मेडिसन) | 3 | 11/05<br>1/07<br>11/07 | 3 | 11/05<br>1/07<br>11/07 |
| | | कनिष्ठ विशेषज्ञ (रोडियोलॉजी, पेथोलॉजी) | 2 | 1/02<br>3/06 | 2 | 1/02<br>3/06 |
| | | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 12/07 | 1 | 12/07 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 3 | 4/04<br>7/04<br>12/06 | 3 | 4/04<br>7/04<br>12/06 |
| 2 | टीबी क्लिनिक, सिरोही | कनिष्ठ विशेषज्ञ (टीबी) | 1 | 7/03 | 1 | 7/03 |
| 3 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालेन्द्री | चिकित्सा अधिकारी | 2 | 5/05<br>12/06 | 2 | 5/05<br>12/06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरलूट | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 12/07 | - | - |
| 5 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बराडा | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 1/02 | - | - |
| 6 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तंवरी | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 2/07 | - | - |
| 7 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जावाल | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 4/07 | - | - |
| 8 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पांडीव | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 8/05 | - | - |
| 9 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवगंज | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 12/07 | 1 | 12/07 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 7/05 | 1 | 7/05 |
| 10 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालडी एम | कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) | 1 | 6/06 | 1 | 6/06 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 5/06 | - | - |
| 11 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैलाशनगर | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 1/04 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर | कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) | 1 | 6/03 | 1 | 6/03 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 5/07 | 1 | 5/07 |
| 13 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दांतराई | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 9/07 | - | - |
| 14 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सनवाडा | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 8/07 | - | - |
| 15 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डार | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 8/07 | - | - |
| 16 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड | कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडिसन, बालरोग) | 3 | 1/07<br>6/04<br>8/04 | 3 | 1/07<br>6/04<br>8/04 |
| | | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 12/07 | 1 | 12/07 |
| 17 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माउन्टआबू | कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, स्त्रीरोग, बालरोग) | 3 | 1/04<br>1/04<br>1/04 | 3 | 1/04<br>1/04<br>1/04 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 5/06 | 1 | 5/06 |
| 18 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वरूपगंज | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 7/06 | 1 | 7/06 |
| | | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 2/07 | 1 | 2/07 |
| 19 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिण्डवाडा | कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, स्त्रीरोग) | 2 | 11/06<br>11/06 | 2 | 11/06<br>11/06 |
| 20 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नादिया | चिकित्सा अधिकारी | 1 | 11/06 | 1 | 11/06 |

**244. श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किस-किस स्तर के कितने चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में किस-किस प्रकार के पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें से किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक उक्त क्षेत्र में किस-किस प्रकार के कितने चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में नये चिकित्सा केन्द्र खोलने व क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव कहां-कहां के विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डाभीम सिंह एवं करनसर में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों के नामों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, रेडियोग्राफर एवं बी.एच.एस. के पद पदोन्नति के हैं जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किये जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग से नर्स श्रेणी द्वितीय के चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है तथा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। फार्मासिस्ट का पद राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि का पद है जिसके पदनाम में संशोधन की कार्यवाही होने के उपरान्त इस पद को भरा जाना सम्भव हो सकेगा जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी 2004 से जनवरी 2008 तक की अवधि में राजकीय डिस्पेन्सरी फुलेरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्रमोन्नत किया गया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में नये चिकित्सा संस्थान खोलने एवं क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है।

**परिशिष्ट 'अ'**

**फुलेरा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार विवरण निम्न प्रकार है**

## जयपुर के चिकित्सालयों हेतु क्रिटीकल केयर एम्बूलेन्स सुविधा

**245. श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं

| चिकित्सा संस्थान का नाम | पद नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ रेनवाल | कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) | 1 | - |
| | कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) | 1 | - |
| | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | - |
| | चिकित्सा अधिकारी | 2 | - |
| | नर्स श्रेणी प्रथम | 2 | 1 |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 7 | 1 |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 4 | - |
| | वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन | 1 | - |
| | बीएचएस (फिमेल) | 1 | 1 |
| | बीएचएस (मेल) | 1 | - |
| | रेडियोग्राफर | 1 | - |
| | वार्डबाय | 6 | - |
| | सफाई कर्मचारी | 3 | - |
| | वाहनचालक | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांभर लेक | कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) | 1 | - |
| | कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) | 1 | - |
| | कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) | 1 | - |
| | कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) | 1 | - |
| | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | 1 |
| | चिकित्सा अधिकारी | 2 | - |
| | नर्स श्रेणी प्रथम | 1 | 1 |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 6 | 3 |
| | कनिष्ठ लिपिक | 1 | - |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 2 | - |
| | लैब टेक्नीशियन | 1 | - |
| | सहायक रेडियोग्राफर | 1 | - |
| | वाहन चालक | 1 | - |
| | वार्डबाय | 5 | - |
| | सफाई कर्मचारी | 2 | - |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बधाल | चिकित्सा अधिकारी | 1 | - |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | - |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | - |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| | लैब टेक्नीशियन | 1 | - |
| | वार्डबाय | 3 | - |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | - |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करणसर | चिकित्सा अधिकारी | 1 | - |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | - |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | लैब टेक्नीशियन | 1 | - |
| | वार्डबॉय | 2 | - |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | - |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोनिया | चिकित्सा अधिकारी | 2 | - |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | - |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | - |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| | लैब टेक्नीश्यिन | 1 | - |
| | वार्डबाय | 3 | - |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | - |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागावास | चिकित्सा अधिकारी | 1 | - |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | - |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| | लैब टेक्नीशियन | 1 | - |
| राजकीय सीटी डिस्पेन्सरी जोबनेर | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | - |
| | चिकित्सा अधिकारी | 1 | - |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | - |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | - |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 2 | 1 |
| | वार्डबाय | 3 | - |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | - |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फुलेरा | कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, मेडिसन) | 2 | 1 |
| | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | चिकित्सा अधिकारी | 3 | 1 |
| | नर्स श्रेणी प्रथम | 1 | 1 |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 6 | 5 |
| | फार्मासिस्ट | 1 | 1 |
| | रेडियोग्राफर | 1 | 1 |
| | महिला स्वास्थ्य दर्शिका | 1 | - |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 3 | 1 |
| | वार्डबाय | 3 | - |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | - |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डीभीमसिंह | चिकित्सा अधिकारी | 1 | - |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 2 | 1 |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | 1 |
| | लैब टेक्नीशियन | 1 | - |
| | वार्डबाय | 2 | - |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | - |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसलाना | चिकित्सा अधिकारी | 1 | - |
| | नर्स श्रेणी द्वितीय | 1 | - |
| | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 2 | - |
| | लैब टेक्नीशियन | 1 | - |
| | वार्डबाय | 2 | - |
| | सफाई कर्मचारी | 1 | - |
| उप स्वास्थ्य केन्द्र भादवा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उप स्वास्थ्य नांदरी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उप केन्द्र नाथी का बास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र मुडीया गढ | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| उपकेन्द्र मलीक पुर | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र लाला सर | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | | |
| उपकेन्द्र लुणीयावास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र जुनसिया | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र भैसावा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र हरसोली | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र खेडी मलीक | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र डूगरीसीका बास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र बासडी खुर्द | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र डुगरी खुर्द | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र रलावता | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र डुगरी कला | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र रामजी पुरा खुर्द | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र पचकोडीया | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र अणतपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र सिगोदिया | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र मुण्डवाडा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र बस्सी नागान | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र हरिपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| उपकेन्द्र डयोडी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र भौजपुराकला | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र बबरेवाल की ढाणी | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र ढाणी नागान | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र ढेहरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र खेजड़ों का बास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र डूगरी हिगोनिया | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र कुडियो का बास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र जोरपुरा सुन्दरियावास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र मुरलीपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र खण्डेल | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र त्यौदा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र जैतपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र तैजा का बास | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र नवरंगपुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र काजी पुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र ईटावा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र गुढा मानसिंह पुरा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |
| उपकेन्द्र काचरोदा | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 1 | - |

स्वास्थय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जयपुर शहर की बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं जयपुर के अन्य चिकित्सालयों हेतु क्रिटीकल केयर एम्बूलेंस क्रय करने का विचार रखती हैं? यदि हां तो कहां-कहां कितनी-कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यो ?

**उत्तर**

जी हां। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में वर्ष 2007 में 03 क्रिटीकल केयर एमबुलेंस खरीदी गयी हैं। ये एम्बुलेंस जीवन सक्षक उपकरणों यथा-पोर्टेबल वेटलीटर मल्टीपैरा मोनीटर, डीफैब्रिलेटर, सक्शन मशीन, ईसीजी मशीन आदि से सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त जयपुर के अन्य चिकित्सालयों में क्रिटीकल केयर एम्बुलेंस क्रय करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

## रानीवाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पद

**246. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन्हें शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में वर्तमान में चिकित्सकों के 12 पद रिक्त हैं। चिकित्सा संस्थानवार सूचना परिशष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरने के प्रयास किये जायेंगे तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन से भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**परिशिष्ट 'अ'**

**रानीवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त**

**पदों का चिकित्सा संस्थानवार विवरण निम्न प्रकार है**

## बी.डी.एम. चिकित्सालय कोटपूतली का ब्लड बैंक

| चिकित्सा संस्थान का नाम | पदनाम | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा | कनिष्ठ विशेषज्ञ | 4 (मेडीसन, शल्य, शिशु, स्त्रीरोग) |
| | चिकित्सा अधिकारी | 2 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तपुरा | कनिष्ठ विशेषज्ञ | 1 (शल्य) |
| | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तवाब | चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांडोलीनगर | चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करडा | चिकित्सा अधिकारी | 1 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मालवाडा | चिकित्सा अधिकारी | 1 |

**247. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बी.डी.एम. चिकित्सालय कोटपूतली में ब्लड बैंक का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो इस ब्लड बैंक को चालू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय कोटपूतली में ब्लड बैंक के उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण ब्लड बैंक प्रारम्भ नहीं हो सका। उपकरण क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित कर क्रय आदेश जारी किये जा चुके है। ब्लड बैंक चालू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## चिकित्सा महाविद्यालयों में वक्ष एवं क्षय रोग के व्याख्याताओं

## के रिक्त पद

**248. श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मेडीकल कॉलेजों में चेस्ट व टी.बी. व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब से?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। सहायक आचार्य, टीबी एवं चेस्ट का एक पद मेडिकल कालेज, उदयपुर में वर्ष 2006-07 से रिक्त चल रहा है।

(2) जी हां। नई नियुक्ति होने पर पद भरा जा सकेगा।

## खारची में अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

**249. श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची जिला पाली में वर्ष 2004 से दिसमबर, 2007 तक कितनी सड़कें किस-किस स्थान पर कितनी राशि की, कितने किलोमीटर स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कितनी सड़कों पर कार्य होना शेष है? शेष रही सड़कों का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची जिला पाली में वर्ष 04 से दिसम्बर, 2007 तक 92 सड़कें 301.88 किमी. लम्बाई की राशि रुपये 3235.49 लाख की स्वीकृत हुई। स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2004 से दिसम्बर 2007 तक स्वीकृत कुल 92 सड़कों में से 73 सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 19 सड़कों का कार्य प्रगति पर है जिन्हें अक्टूबर 2008 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

## टोडाभीम में सड़क निर्माण कार्य

परिशिष्ट 'अ'

**खारची में वर्ष 2004 से दिसम्बर 07 तक स्वीकृत सड़कों का विवरण**

| क्र. सं. | सड़क/स्थान का नाम कहां से कहां तक | स्वीकृत राशि | स्वीकृत लम्बाई | निर्मित सडक की लम्बाई | व्यय राशि | भौतिक स्थिति | | अपूर्ण स्थिति में पूर्ण होने की दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | पूर्ण | अपूर्ण | |
| | **मिसिंग लिंक (2003-2004)** | | | | | | | |
| 1 | गुडा मोकम सिंह से जोजावर | 86.00 | 7.50 | 7.50 | 67.40 | पूर्ण | - | - |
| 2 | पिलोवनी से रुगडी | 58.33 | 4.00 | 4.00 | 49.61 | पूर्ण | - | - |
| 3 | कोसूली से डायलाना कलां | 41.00 | 4.00 | 4.00 | 41.00 | पूर्ण | - | - |
| | **डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. फेज प्रथम (2004-05)** | | | | | | | |
| 1 | सांवलता से घेनडी वाया बोलागुडा | 20.55 | 2.00 | 2.00 | 18.00 | पूर्ण | - | - |
| | आर.एम.यू.पी. (प्रथम) | | | | | | | |
| 1 | करमाल चौराया से देसूरी | 60.00 | 16.00 | 16.00 | | पूर्ण | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **पी.एम.जी.एस.वाई. चतुर्थ (2004-05)** | | | | | | | |
| 1 | मारवाड जं. से गूड़ा दुर्गा | 64.26 | 2.50 | 2.50 | 56.63 | पूर्ण | - | - |
| 2 | देवली से याडिया | 34.24 | 3.20 | 3.20 | 32.86 | पूर्ण | - | - |
| 3 | मारवाड जं. से भगवानपुरा | 11.51 | 1.00 | 1.00 | 10.80 | पूर्ण | - | - |
| 4 | मारवाड जं. से कोलपुरा | 43.53 | 4.10 | 4.10 | 40.92 | पूर्ण | - | - |
| 5 | रुंगडी से रायपुरिया | 30.32 | 0.60 | 0.60 | 30.32 | पूर्ण | - | - |
| 6 | संपर्क सडक सांसरी | 11.94 | 1.00 | 1.00 | 9.77 | पूर्ण | - | - |
| 7 | संपर्क सड़क अटाटिया | 59.07 | 4.00 | 4.00 | 47.63 | पूर्ण | - | - |
| 8 | संपर्क सडक मेवीकलां | 73.05 | 6.60 | 6.60 | 69.25 | पूर्ण | - | - |
| | **पी.एम.जी.एस.वाई. पंचम (2004-05)** | | | | | | | |
| 1 | जोजावर से बासोर | 76.80 | 5.00 | 5.34 | 60.13 | पूर्ण | - | - |
| 2 | मारवाड जं. जोजावर से अढजी की ढाणी | 29.81 | 2.10 | 2.10 | 23.46 | पूर्ण | - | - |
| 3 | फुलाद से गवार | 10.95 | 0.70 | 0.70 | 7.57 | पूर्ण | - | - |
| 4 | राणावास गुडा नावा से गुडा प्रेम सिंह | 86.61 | 2.75 | 2.75 | 69.02 | पूर्ण | - | - |
| 5 | सारण से सिचाणा | 187.97 | 5.70 | 5.70 | 146.26 | पूर्ण | - | - |
| 6 | करमाल चौराया से देसूरी बोगला | 13.77 | 0.90 | 0.90 | 10.47 | पूर्ण | - | - |
| 7 | संपर्क सड़क अणेता | 50.57 | 3.00 | 3.00 | 41.61 | पूर्ण | - | - |
| 8 | पनोता से आशापुरा | 51.28 | 4.00 | 4.00 | 40.33 | पूर्ण | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | संपर्क सडक डायलाना खुर्द | 36.19 | 1.88 | 1.88 | 27.94 | पूर्ण | - | - |
| | **डब्लू.बी.एम. से बी.टी. (द्वितीय) (2004-05)** | | | | | | | |
| 1 | राणावास से सिचाणा | 35.00 | 4.00 | 4.00 | 31.82 | पूर्ण | - | - |
| 2 | संपर्क सडक गोठाल जी का मंदिर | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 21.82 | पूर्ण | - | - |
| 3 | डिगोर की प्याउ से काजलवास | 32.00 | 4.00 | 2.40 | 18.58 | पूर्ण | - | - |
| 4 | खेरदा से गुडा चतरा | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 17.91 | पूर्ण | - | - |
| 5 | उपरली निम्बली से राड झालडा | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 17.69 | पूर्ण | - | - |
| 6 | थामली से भिमालिया | 41.00 | 5.00 | 5.00 | 41.16 | पूर्ण | - | - |
| 7 | संपर्क सडक राजकियावास | 32.00 | 4.00 | 4.00 | 31.93 | पूर्ण | - | - |
| 8 | जोगडायास से जोगडायावास की प्याऊ | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 24.21 | पूर्ण | - | - |
| 9 | मारवाड जं. से बागवास वाया सिनला | 47.00 | 6.00 | 6.00 | 48.84 | पूर्ण | - | - |
| 10 | बाडसा से खराडी | 24.00 | 3.00 | 2.00 | 20.69 | पूर्ण | - | - |
| 11 | राणावास से ईसाली वाया गुडा रामसिंह | 50.50 | 5.50 | 4.00 | 51.10 | पूर्ण | - | - |
| 12 | निम्बाडा से पांचेटिया खिवाडा | 44.98 | 5.00 | 5.00 | 44.98 | पूर्ण | - | - |
| 13 | आशापुरा मंदिर से गुडा रूपसिंह | 39.50 | 4.50 | 4.50 | 39.50 | पूर्ण | - | - |
| 14 | पनोता से मेवीकलां | 23.00 | 2.50 | 2.50 | 22.94 | पूर्ण | - | - |
| 15 | संपर्क सडकें कोट सोलंकियान | 10.08 | 1.00 | 1.00 | 10.08 | पूर्ण | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | संपर्क सडक कालेश्वर महादेव | 21.00 | 2.00 | 2.00 | 17.79 | पूर्ण | - | - |
| 17 | सुमेर से डूपी | 10.08 | 1.00 | 1.00 | 5.03 | पूर्ण | - | - |
| | **आर.एम.यू.पी. (द्वितीय) 2005-06** | | | | | | | |
| 1 | खेरवा से गुडा चतरा, कामली घाट | 37.50 | 6.00 | 6.00 | 24.50 | पूर्ण | - | - |
| 2 | जोधपुर सरदारसमन्द से मारवाड़ जं. | 22.50 | 6.00 | 6.00 | 15.46 | पूर्ण | - | - |
| | **डब्लू.बी.एम. से बी.टी. (तृतीय) 2006-07** | | | | | | | |
| 1 | रामपुरा से हिंगोला | 19.24 | 2.00 | 1.70 | 17.96 | पूर्ण | - | - |
| 2 | संपर्क सडकें शिव मंदिर | 11.70 | 1.00 | 1.00 | 11.22 | पूर्ण | - | - |
| 3 | गुडा ठाकुरजी से बरी | 46.00 | 4.00 | 4.00 | 46.00 | पूर्ण | - | - |
| | **आर.एम.यू.पी. (तृतीय) 2006-07** | | | | | | | |
| 1 | अठवा से गादाणा | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 15.15 | पूर्ण | - | - |
| 2 | भगवानपुरा से बिठुडा | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 14.77 | पूर्ण | - | - |
| 3 | संपर्क सडक चौकडिया | 11.30 | 2.00 | 2.00 | 11.67 | पूर्ण | - | - |
| 4 | संपर्क सड़क रूंगडी | 25.42 | 3.00 | 3.00 | 25.41 | पूर्ण | - | - |
| 5 | निम्बाडा से पचेटिया खिवाडा | 8.50 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | पूर्ण | - | - |
| 6 | बागोल से खिवाडा | 58.00 | 13.00 | 13.00 | 57.98 | पूर्ण | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | कोट से विटेर | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 21.91 | पूर्ण | - | - |
| 8 | नाडोल से घोडी | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | पूर्ण | - | - |
| | **टी.एफ.सी. (2006-07)** | | | | | | | |
| 1 | जोधपुर सरदारसमन्द से मारवाड जं. | 60.00 | 14.00 | 14.00 | 59.00 | पूर्ण | - | - |
| 2 | बिलाडा जेती मेव से रजत नागा की बेरी | 18.39 | 5.00 | 5.00 | 16.15 | पूर्ण | - | - |
| | **एस.आर.एफ. (2006-07)** | | | | | | | |
| 1 | फलौदी ओसिया, जोधपुर सरदार समन्द से एन.एच. 62 किमी 227 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 8.72 | पूर्ण | - | - |
| | **पी.एम.जी.एस.वाई, षष्टम (2006-07)** | | | | | | | |
| 1 | डिगोर की प्याउ से टिगोर | 37.37 | 1.30 | 1.30 | 32.87 | पूर्ण | - | - |
| 2 | संपर्क सडकें ढल | 15.91 | 1.50 | 1.50 | 16.01 | पूर्ण | - | - |
| 3 | गवार से पुरानी फुलाद | 16.24 | 0.90 | 0.90 | 14.98 | पूर्ण | - | - |
| 4 | **संपर्क सडक करवाडा (एस.एच. 62)** | 35.56 | 3.00 | 3.00 | 32.79 | पूर्ण | - | - |
| 5 | गुडा सचतरा से मनी | 106.70 | 8.30 | 8.30 | 104.25 | पूर्ण | - | - |
| 6 | राणावास से गुडा रघुनाथ | 49.99 | 3.05 | 3.05 | 44.36 | पूर्ण | - | - |
| 7 | संपर्क सड़क लालावास | 32.52 | 2.10 | 2.10 | 29.47 | पूर्ण | - | - |
| 8 | संपर्क सड़क करमाल एन.एच. 62 | 15.80 | 1.13 | 1.13 | 13.43 | पूर्ण | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | संपर्क सड़क गुडा भोपा | 31.35 | 2.00 | 2.00 | 27.24 | पूर्ण | - | - |
| 10 | संपर्क सड़क बनेया माली | 10.93 | 0.75 | 0.75 | 8.88 | पूर्ण | - | - |
| 11 | संपर्क सड़क गुडा जैतायतान | 86.17 | 5.65 | 5.65 | 76.22 | पूर्ण | - | - |
| 12 | संपर्क सड़क गुडा आसकरण | 17.31 | 1.23 | 1.23 | 15.50 | पूर्ण | - | - |
| | पी.एम.जी.एस.वाई. (सप्तम) 2006-07 | | | | | | | |
| 1 | गुडा दुर्जन से गुडा गोपीनाथ | 27.58 | 2.60 | | 7.55 | | प्रगति पर | 6.08.08 |
| 2 | बागोल से ककलावास | 66.08 | 3.70 | | 35.85 | | प्रगति पर | 4.05.08 |
| 3 | करमाल चौराहा देसूरी से भणका | 44.04 | 2.60 | | 20.42 | | प्रगति पर | 6.08.08 |
| 4 | खैरवा गुडा चतरा से सुगलिया | 18.97 | 1.00 | | 3.32 | | प्रगति पर | 4.03.08 |
| 5 | करमाल चौराहा देसूरी सडक किमी 3 से चारा गुडा | 11.85 | 1.00 | | 5.69 | | प्रगति पर | 4.03.08 |
| 6 | गुडा प्रेमसिंह से गुडा दुर्जनसिंह | 36.12 | 2.00 | | 21.16 | | प्रगति पर | 4.03.08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | करमाल से गुडा गंगा | 7.81 | 0.60 | | 17.45 | | प्रगति पर | 4.03.08 |
| 8 | आउवा से कादू | 43.70 | 3.30 | | 3.61 | | प्रगति पर | 4.03.08 |
| 9 | आउवा से साठियों की ढाणी | 26.27 | 2.00 | | 16.02 | | प्रगति पर | 4.05.08 |
| 10 | आउवा से चौधरियों की ढाणी | 19.23 | 1.00 | | 8.89 | | प्रगति पर | 4.05.08 |
| 11 | मा.जं. जोजावर सड़क किमी 9 से खारचियों की ढाणी | 17.18 | 1.50 | | 3.04 | | प्रगति पर | 4.05.08 |
| 12 | बोरीमादा से गुडा धनावता | 87.36 | 4.00 | | 7.09 | | प्रगति पर | 4.05.08 |
| 13 | जोजावर से ढेलपुरा | 48.37 | 3.50 | | 6.55 | | प्रगति पर | 4.05.08 |
| 14 | एम.डी.आर. 10 किमी 73 से नवा गुडा | 20.04 | 1.90 | | 8.05 | | प्रगति पर | 4.05.08 |
| | **मिसिंग लिंक फेज (द्वितीय)** | | | | | | | |
| 1 | इन्द्रयाडा से पाचेटिया | 70.00 | 4.75 | | 6.98 | | प्रगति पर | 25.10.08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | धामली से भिमालिया | 46.50 | 2.30 | | - | | प्रगति पर | 25.10.08 |
| 3 | गुडा मोकमसिंह जोजावर से बासनी जोजावर | 31.00 | 2.30 | | - | | प्रगति पर | 25.10.08 |
| | **डबलू.बी.एम. से बी.टी. (चतुर्थ) 2006-07** | | | | | | प्रगति पर | |
| 1 | संपर्क सडक बस स्टेन्ड मा. जं. | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 10.91 | पूर्ण | - | 25.10.08 |
| 2 | संपर्क सडक गुडा मोकन सिंह | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 11.99 | पूर्ण | - | 25.10.08 |
| | **आर.एम.यू.पी. (चतुर्थ) 2006-07** | | | | | पूर्ण | | |
| 1 | डायलाना कलां से जीजीबाई मंदिर | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 4.64 | पूर्ण | - | |
| 2 | बागोल से खिंवाड़ा | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 7.26 | पूर्ण | - | |
| 3 | मारवाड जंक्शन से बाई पास | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | पूर्ण | - | |
| 4 | राणावास से ईसाली | 35.00 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | पूर्ण | - | |
| | **एस.आर.एफ. सी.सी. (2007-08)** | | | | | | | |
| 1 | सी.सी. निर्माण फलौदी जोधपुर | 31.50 | 0.45 | | | | प्रगति पर | 25.03.08 |
| 2 | सी.सी. निर्माण बिलाडा सोजत सिरीयारी पिडवाडा | 5.50 | 0.10 | | | | प्रगति पर | 25.03.08 |
| | **कुल योग** | **3235.49** | **301.88** | **254.54** | **2350.92** | | | |

**250. श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम एवं नादौती में गत चार वर्षों में कौन-कौन से गांवों को सड़कों से जोड़ा गया?

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम एवं नादौती में उक्त अवधि में कितने किलोमीटर पक्की डामरीकृत सड़कों का निर्माण कौन-कौन से गांवों में करवाया गया?

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत कितने सिंगल मार्गों को डबल मार्गों में कहां से कहां तक परिवर्तित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम एवं नादौती में गत चार वर्षों में 52 गांवों को सड़क से जोड़ा गया है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम एवं नादौती में उक्त अवधि (दिसम्बर 03 से दिसम्बर 07) तक 175.73 किमी. पक्की डामर सड़कों का निर्माण किया गया। गांवों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में किसी भी सड़क को सिंगल रोड से डबल रोड में परिवर्तित नहीं किया गया है। राज्य मार्ग-25 गंगापुर नादौती सिकन्दरा सड़क के कि.मी. 16/0 से 27/0 तक 11 किमी. को 3 मीटर से 7 मीटर चौड़ाईकरण का कार्य सी.आर.एफ. योजना में किया जा रहा है, नादौती महावीरजी खेडा सड़क (एम.डी.आर-67) के कि.मी. 1/0 से 18/0 के 5.3 किमी. लम्बाई को 3 मीटर से 7 मीटर एवं 11 कि.मी. सड़क को 5.5 मीटर चौड़ाई से 7 मीटर चौड़ाई में परिवर्तित करने की सी.आर.एफ. योजना में स्वीकृत है, कार्य प्रगति पर है।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत 2 कार्य (1) अपग्रेडेशन आफ टोडाभीम गोरड़ा सड़क कि.मी. 0/0 से 15/0 तक (2) अपग्रेडेशन आफ टोडाभीम से मूडिया कि.मी. 0/0 से 20/0 तक का कार्य प्रगति पर है। जिसमें वर्तमान में स्थित 3 मीटर चौड़ी डामर की सड़क को 5.5 मीटर चौड़ाई में परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सीकर जिले की मरम्मत योग्य सड़कें

**251. श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में सरकार द्वारा निर्मित ऐसी कौन-कौनी सी सड़कें हैं जो दस वर्ष से अधिक पुरानी बनी हुई हैं एवं मरम्मत योग्य हैं? सड़क की लम्बाई सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला सीकर में 8 वर्ष से अधिक पुरानी बनी सड़कों का नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किन-किन सड़कों का? विधान सभा क्षेत्रवार सड़क की लम्बाई सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला सीकर में सरकार द्वारा निर्मित 10 वर्ष से अधिक पुरानी सड़कें जो मरम्मत योग्य हैं, की सूची लम्बाई सहित परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) जी हां। जिला सीकर में 8 वर्ष से अधिक पुरानी बनी सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर है। विधानसभावार सड़कों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## डामरीकृत सड़क विहीन ग्राम

**252. श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के समस्त गांव डामर की पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं? यदि नहीं, तो कितने गांव पक्की सड़कों से वंचित हैं?

(2) क्या सरकार शेष बचे गांवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। 10796 गांव पक्की सड़कों से जुड़ने से वंचित हैं।

(2) जी हां। प्रदेश के 500 तक की आबादी के समस्त गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम मार्च, 2008 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जनजाति एवं रेगिस्तानी इलाके में 250 तक की आबादी के सभी गांवों को दिसम्बर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2008 तक पक्की सड़ कों से जोड़ने का काम पूर्ण कर लिया जायेगा। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है कि सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के एवं रेगिस्तानी व जनजाति क्षेत्रों के समस्त गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। डी.डी.पी. जिलों में सीमेन्ट वाली ग्रेवल सड़कें व शेष क्षेत्रों में डामर की सड़कें बनाई जायेंगी।

## जयपुरिया ग्राम खालसा (चूरू) का अपूर्ण सड़क निर्माण

**253. डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़, जिला चूरू में ग्राम जयपुरिया खालसा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ उपरांत स्थगित/निलम्बित कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार को नियम विरुद्ध विलम्ब हेतु ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही कर किस-किस को दोषी मानकर दण्डित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। तहसील-राजगढ़, (चूरू) में ग्राम जयपुरिया खालसा को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जोड़ा जाना स्वीकृत है। उक्त सम्पर्क सड़क के मध्य राजगढ़ (चूरू) रेलमार्ग पर फाटक नहीं होने के कारण सामग्री का परिवहन नहीं किया जा चुका है। जयपुरिया खालसा के दूसरी तरफ मिसिंग लिंक पूर्ण होने से अब सामग्री का परिवहन सम्भव हो गया है। उक्त सड़क निर्माण कार्य माह जून 2008 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सड़क निर्माण में प्रगति धीमी होने के लिये संवेदक जिम्मेदार है तथा विलम्ब के लिये संवेदक पर अनुबन्ध के अनुसार शास्ति

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

लगाई गई है।

## रंभा-कचोलिया ग्राम (निवाई) का सड़क निर्माण कार्य

**254. श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम रंभा (डांगस्थल) से कचोलिया तक एक किलोमीटर सड़क व पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निवाई उपखण्ड के खणदेवत रोड की श्री सीताराम खण्डेलवाल जमात से हाड़ावाली ढाणी तक सड़क निर्माण व झिलाय से निवाई के बीच 5.50 किलोमीटर की लम्बाई में सड़क की चौड़ाई 3 मीटर से 7 मीटर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में ग्राम रम्भा (डांगरथल) तक डामर सड़क बनी हुई है। रम्भा से कचोलिया (391) तक 2.00 कि.मी. लम्बाई में कच्चा रास्ता है। इस रास्ते के बीच मासी नदी है। उक्त कार्य वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

(2) निवाई उपखण्ड के निवाई खणदेवत रोड पर स्थित श्री सीताराम खण्डेलवाल, जमात से हाड़ावाली ढाणी तक 1.50 कि.मी. का कच्चा रास्ता है। उक्त कार्य वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करती है।

झिलाई से निवाई सड़क जो इस विभाग की मरम्मत सूची के अन्तर्गत बोंली निवाई सड़क (एम.डी.आर-1) के नाम से दर्ज है, की लम्बाई 22 कि.मी. है। वर्तमान में यह सड़क कि.मी. 27/500 (झिलाई) से कि.मी. 33/500 (निवाई) एन.एच.12 जंक्शन तक 3.00 मीटर चौड़ाई का सिंगल केरीजबे बनी हुई है। उक्त सड़क भाग पर वर्तमान यातायात गणना (2291 पी.सी.यू.) को दृष्टिगत रखते हुए सड़क की चौड़ाई 3.00 मीटर से 7.00 मीटर करना प्रस्तावित नहीं है।

## जिला सीकर, चूरू, झुंझुनूं एवं नागौर में केन्द्रीय सड़क निधि से सड़क निर्माण कार्य

**255. श्री अमरा राम (धोद)** (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हेतु क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर, चूरू, झुन्झुनूं, एवं नागौर से कौन-कौन से प्रस्ताव भेजे गए तथा क्या यह प्रस्ताव मानदण्डों के अनुसार थे?

(3) उपरोक्त तीनों जिलों में वर्ष 2007-08 में कौन-कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली तथा उन पर कितना कार्य हो चुका है व कितना कार्य शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) केन्द्रीय सड़क निधि में स्वीकृति हेतु मापदण्ड भारत सरकार के पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, के पत्रांक एन.एच. 11011/2/2000-पी एण्ड एम (पार्ट) दिनांक 8.8.2007 के अनुसार है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

जी हां। ये प्रस्ताव मानदण्डों के अनुसार थे।

(2) जिला सीकर, चूरू, झुन्झुनूं एवं नागौर से वर्ष 2007-08 में जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) उपरोक्त जिलों में 2007-08 में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली तथा उन पर कितना कार्य हो चुका है। कितना कार्य शेष है, का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## रूपवास एवं बयाना की मरम्मत योग्य सड़कें

**256. श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास एवं बयाना में वर्ष 2004 से अब तक कौन-कौनसी प्रस्तावित हैं? इस वर्ष कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत की गयी और मरम्मत के लिए कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नई बनाई गई सड़कों की मरम्मत एवं मरम्मत योग्य सड़कों की मरम्मत के क्या मानदण्ड हैं?

(श्री निर्भय लाल)

(3) खेरिया मोड़ से रूपवास तक सड़क की मरम्मत कब तथा किस मद से कराई गई तथा इस हेतु कितनी राशि आबंटित की गई? उक्त कार्य ठेकेदार से कराया गया अथवा स्वयं सरकार द्वारा करवाया गया?

(4) क्या सरकार खेरिया मोड़ से रूपवास तक मुख्य सड़क जहां से विश्व प्रसिद्ध पत्थर बंशी पहाड़पुर का ट्रकों/ट्रेक्टरों इत्यादि से जाता है की बीच सड़क में गढ़ढे पड़े हुए हैं, तथा सड़क की हालत बहुत ही जर्जर हो रही है? क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार रूपवास एवं बयाना क्षेत्र की नई प्रस्तावित सड़कें बनाने एवं सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कब तक?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में एवं बयाना में वर्ष 2004 से अब तक क्रमश: 54 एवं 28 नई सड़कें कुल 82 नई सड़कें बनी हैं। (संलग्न परिशिष्ट 'अ') तथा 9 नई सड़कों का कार्य प्रगति पर है (संलग्न परिशिष्ट 'ब') इस वित्तीय वर्ष में एक नई सड़क प्रस्तावित है। (संलग्न परिशिष्ट 'स')।

इस वर्ष रूपवास विधान सभा क्षेत्र में 15 सड़कों पर एवं बयाना विधान सभा क्षेत्र में 6 सड़कों पर साधारण मरम्मत (पेच रिपेयर कार्य) कराई गई एवं राशि रुपये 40.72 लाख व्यय की गई (संलग्न परिशिष्ट 'द') संलग्न है।

(2) नई बनाई गई सड़कों की मरम्मत गारण्टी अवधि 5 वर्ष एवं सड़कों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य की गारण्टी अवधि (डिफैक्ट लाइबिलिटी पीरियेड) 3 वर्ष निर्धारित है, इस अवधि में संवदेक द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे से मरम्मत की जाती है। अन्य मरम्मत योग्य सड़कों की वार्षिक साधारण मरम्मत का प्रावधान है एवं पुरानी सड़कों के नवीनीकरण/डामरीकरण के मापदण्ड निम्नानुसार हैं :-

| | |
|---|---|
| शहरी सड़कें | 4 से 5 वर्ष में |
| राज्य उच्च मार्ग | 6 से 8 वर्ष में |
| मुख्य जिला सड़कें | 8 से 10 वर्ष में |
| अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़कें | 12 वर्ष में |

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) खेरिया मोड़ से रूपवास तक सड़क की मरम्मत (पेच मरम्मत) माह अक्टूबर-नवम्बर 2007 में कराई गई है, जिसमें खेरिया मोड़ से बोकोली मोड़ तक विभाग द्वारा पेच कार्य साधारण मद से कराई गई हैं। जिस पर राशि रुपये 2.35 लाख आबंटित कर व्यय की गई है। बोकोली मोड़ से रूपवास तक 5 किमी लम्बाई में मरम्मत कार्य गारन्टी अवधि में होने के कारण संवेदक द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर कराया गया है।

(4) जी हां। इस सड़क के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव सी.आर.एफ. योजना मद में रुपये 525.23 लाख केन्द्र सरकार को भिजवाये गये थे, जिनको केन्द्र सरकार द्वारा वापिस कर वर्ष 2008-09 में स्वीकृति हेतु पुनः भिजवाने हेतु निर्देश दिये हैं।

(5) जी हां। नई प्रस्तावित सड़क का निर्माण करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर है। सड़क मरम्मत कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार करवाया जाता है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सुमेरपुर (पाली) में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

257. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में न्यायालयों की संख्या बढ़ाई गई है? यदि हां, तो पाली जिले में गत एक वर्ष में किस स्तर के कितने न्यायालय नये स्वीकृत किये गये?

(2) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुमेरपुर में ए.डी.जे. कोर्ट शीघ्र खोलने की सिफारिश की थी? यदि हां, तो वहां यह न्यायालय कब से प्रारम्भ हो जायेगा?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। राज्य में न्यायालयों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है अपितु बजट भाषण 2007-08 में राज्य में आठ ए.सी.जे.एम. न्यायालय आगामी वर्ष में खोलने की घोषणा की गई है। बजट भाषण में की गई घोषणा की क्रियान्विति में न्यायालय स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इनके अलावा सुमेरपुर में ए.डी.जे. न्यायालय स्थापित करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन हो गया है। वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विधि मंत्री)

(2) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुमेरपुर में ए.डी.जे. न्यायालय खोलने की सिफारिश की थी। माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार उच्च स्तर पर प्रशासनिक अनुमोदन हो गया है। सुमेरपुर में नवीन अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना हेतु वांछित बजट एवं आवश्यक स्टाफ का प्रस्ताव भिजवाने हेतु पत्रांक प.(17)न्याय/90 दिनांक 29.01.2008 द्वारा रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय में निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य की वित्तीय स्थिति को मध्येनजर रखते हुए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उक्त न्यायालय की स्थापना करना सम्भव हो सकेगा।

## नव सृजित न्यायालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन

**258. श्री मदन मोहन सिंघल** (कामां) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में सरकार द्वारा राज्य में नवीन न्यायालय खोले गये हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां तथा कब-कब?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा खोले गये न्यायालयों में कर्मचारियों व अधिकारियों का पद स्थापन नहीं किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी न्यायालयों में व किन कारणों से?

(3) क्या सरकार उक्त न्यायालयों में पर्याप्त वित्तीय राशि स्वीकृत कर कर्मचारियों/अधिकारियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के बाद भी उक्त नवीन सृजित न्यायालयों में स्टाफ का पद स्थापन नहीं किये जाने हेतु कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(5) अब उक्त न्यायालयों में कब तक स्टाफ पदस्थापित कर दिया जावेगा?

**उत्तर**

(1) वर्ष 2007-08 के बजट भाषण में 8 नवीन ए.सी.जे.एम. स्तर के

(विधि मंत्री)

न्यायालय खोले जाने की घोषणा की गई है जिसकी क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है।

(2) न्यायालय खोले जाने पर कर्मचारियों व अधिकारियों का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

(3) जी हां। न्यायालय खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही कर्मचारियों/अधिकारियों का पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(4) न्यायालय खोले जाने की प्रक्रिया जारी है, अतः कोई दोषी नहीं है।

(5) न्यायालय खोले जाने पर यथाशीघ्र स्टाफ पदस्थापित किया जावेगा।

## कुशलगढ़ की अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं

**259. श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पीपलोन/टिडिया देव/उदयगढ़ वसुनि सिंचाई योजना लम्बे समय से अपूर्ण है?

(2) क्या सरकार उक्त अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) पीपलोन एवं उदयगढ़ वसूनी परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। परन्तु उक्त दोनों परियोजनाएं सुरक्षित वन क्षेत्र भूमि में अवस्थित होने के कारण, वन भूमि अनारक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। टिडियादेव परियोजना तकनीकी परीक्षण के प्रक्रियाधीन है। परियोजना उपादेय एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर स्वीकृत की जा सकेगी।

## गंगनहर मुख्य फीडर का निर्माण कार्य

**260. श्री लालचन्द मेघवाल** (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगनहर मुख्य फीडर का निर्माण करने में कितना समय लगना प्रस्तावित है?

(श्री लालचन्द मेघवाल)

(2) फीडर निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या सरकार फीडर निर्माण में होने वाले विलम्ब को दूर कर शीघ्र फीडर निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) गंग नहर मुख्य फीडर के लाइनिंग के कार्य को बजट उपलब्धता के आधार पर आगामी 2 वर्षों में पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) गंग नहर मुख्य फीडर के माध्यम से समस्त गंग नहर प्रणाली के सारे क्षेत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है जिसके कारण इसमें पूरे वर्ष पानी चलता रहता है। इस प्रकार लगातार जल प्रवाह के कारण क्लोजर उपलब्ध नहीं होने से इसकी लाइनिंग के कार्य को सम्पादित करने में विलम्ब हुआ है।

जी हां। अब गंग नहर फीडर की लाइनिंग का अधिकतम कार्य वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में समानान्तर डाइवर्सन बनाकर नहर में सुविधा अनुसार क्लोजर लेकर पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है। गंग नहर की लाइनिंग के कार्य के बजट उपलब्धता के आधार पर आगामी 2 वर्ष में पूर्ण करवाने के प्रयास किये जावेंगे।

## अन्तरराज्यीय नदी जल विवाद/समझौते

**261. डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की विभिन्न सिंचाई योजनाओं तथा अन्तरराज्यीय योजनाओं से राज्य को कितना-कितना क्यूसेक पानी उपलब्ध हो रहा है तथा राज्य का हिस्सा किस-किस योजना में कितना-कितना है?

(2) अन्तरराज्यीय समझौते के अनुसार राज्य को किन-किन नदियों से कितनी-कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा है? राज्य को उपलब्ध होने वाले पानी का वास्तविक हिस्सा क्या है तथा इसके अनुसार कितना पानी वास्तव में राज्य को मिल रहा है?

(3) राज्य में अन्तरराज्यीय नदी जल विवाद किन-किन राज्यों के मध्य है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? प्रत्येक अन्तरराज्यीय नदी जल विवाद के बारे में विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य की विभिन्न अन्तरराज्यीय योजनाओं में राज्य का कुल हिस्सा 14.50 एम.ए.एफ. पानी है, का विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य को विभिन्न अन्तरराज्यीय योजनाओं से पूर्व वर्षों में उपलब्ध होने वाले पानी की मात्रा का विवरण प्रपत्र 'अ' में अंकित है।

अनुबंधों अनुसार राज्य को उपलब्ध होने वाले पानी का वास्तविक हिस्सा व प्राप्त पानी का विवरण प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है।

(3) राज्य से नदी जल सम्बन्धित प्रमुख अन्तरराज्यीय विवाद पंजाब, हरियाणा, गुजरात व मध्यप्रदेश से हैं। अन्तरराज्यीय जल विवादों का विवरण एवं वर्तमान स्थिति प्रपत्र 'स' पर संलग्न है।

**प्रपत्र 'अ'**

**राज्य की विभिन्न अन्तरराज्यीय योजनाओं में राज्य का हिस्सा व पूर्व वर्षों में उपलब्ध औसत पानी का विवरण**

**(पानी की मात्रा एम.ए.एफ. में)**

| क्र. सं. | योजना/बेसिन का नाम | अनुबन्ध अनुसार राज्य का हिस्सा | राज्य को उपलब्ध होने वाला औसत पानी |
|---|---|---|---|
| 1 | रावी व्यास (विभाजन से पूर्व) | 1.11 | 6.74 |
| 2 | रावी व्यास | 8.60 | |
| 3 | सतलज | 1.41 | 0.98 |
| 4 | चम्बल | 1.60 | 1.547 |
| 5 | माही | 0.37 | 0.529 |
| 6 | नर्मदा | 0.50 | * |
| 7 | यमुना | 0.91 | 0.044 |
| | **कुल योग** | **14.50** | **9.840** |

- गुजरात राज्य में मुख्य नहर का निर्माण अपूर्ण होने के कारण राज्य को पानी की उपलब्धता प्रारम्भ नहीं हुई है।

प्रपत्र 'ब'

**राज्य को अन्तरराज्यीय योजनाओं से उपलब्ध होने वाले पानी का वास्तविक हिस्सा व प्राप्त पानी का विवरण**

**(पानी की मात्रा एम.ए.एफ. में)**

| वर्ष | अनुबंध अनुसार राज्य का हिस्सा | प्राप्त पानी की मात्रा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. रावी व्यास योजना** | | | |
| 2002-2003 | 4.869 | 5.941 | समझौते के प्रावधान अनुसार अधिशेष पानी की वास्तविक उपलब्धता प्रत्येक वर्ष कम/अधिक होने पर सहभागी राज्यों के पानी का हिस्सा भी अनुपातिक रूप से घटता/बढ़ता है। |
| 2003-2004 | 5.810 | 6.704 | |
| 2004-2005 | 5.277 | 5.633 | |
| 2005-2006 | 6.956 | 7.774 | |
| 2006-2007 | 5.859 | 7.669 | |
| **2. सतलुज परियोजना** | | | |
| 2002-2003 | 1.040 | 0.728 | समझौते के प्रावधान अनुसार अधिशेष पानी की वास्तविक उपलब्धता प्रत्येक वर्ष कम/अधिक होने पर सहभागी राज्यों के पानी का हिस्सा भी अनुपातिक रूप से घटता/बढ़ता है। |
| 2003-2004 | 1.180 | 1.084 | |
| 2004-2005 | 0.686 | 0.756 | |
| 2005-2006 | 1.030 | 1.078 | |
| 2006-2007 | 1.057 | 1.263 | |
| **3. चम्बल परियोजना** | | | |
| 2003-2004 | 0.7270 | 0.7270 | प्रत्येक वर्ष में प्राप्त लाइव स्टोरेज में से 50 प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा है जो प्रतिवर्ष मिल रहा है। |
| 2004-2005 | 1.6560 | 1.6560 | |
| 2005-2006 | 0.7575 | 0.7575 | |
| 2006-2007 | 2.7297 | 2.7297 | |
| 2007-2008 | 1.8670 | 1.8670 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4. माही परियोजना** | | | |
| 2002-2003 | 0.370 | 0.165 | पूर्व वर्षों में माही बेसिन में अच्छी वर्षा के कारण अनुबंध में अनुमानित मात्रा से अधिक पानी आने के कारण राज्य को अधिक पानी प्राप्त हुआ। |
| 2003-2004 | 0.370 | 0.657 | |
| 2004-2005 | 0.370 | 0.639 | |
| 2005-2006 | 0.370 | 0.465 | |
| 2006-2007 | 0.370 | 0.721 | |
| **5. नर्मदा नहर योजना** | | | |
| 2002-2003 | 0.50 | - | गुजरात राज्य में नहर का निर्माण अपूर्ण होने के कारण राज्य को पानी की उपलब्धता प्रारम्भ नहीं हुई है। |
| 2003-2004 | 0.50 | - | |
| 2004-2005 | 0.50 | - | |
| 2005-2006 | 0.50 | - | |
| 2006-2007 | 0.50 | - | |
| **6. यमुना योजना** | | | |
| 2002-2003 | 0.109 | 0.052 | यमुना का जल राज्य में भरतपुर फीडर एवं गुडगांव नहर से प्राप्त होता है एवं इन फीडर/नहरों की क्षमता मात्र 800 क्यूसेक ही है तथा अनुबंध अनुसार वास्तविक उपलब्धता में राज्य के हिस्से के विपरीत करीब औसत 50 प्रतिशत पानी प्राप्त हुआ। |
| 2003-2004 | 0.103 | 0.060 | |
| 2004-2005 | 0.065 | 0.037 | |
| 2005-2006 | 0.085 | 0.044 | |
| 2006-2007 | 0.079 | 0.031 | |
| 2007-2008 | 0.089 | 0.042 | |

**प्रपत्र 'स'**

**रावी व्यास नदी जल**

**रोपड़, फीरोजपुर व हरिके हैडवर्क्स का नियन्त्रण भाखरा-व्यास प्रबंधन मण्डल (बी.बी.एम.बी.) को सौंपने के लिए :**

पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में यह प्रावधान है कि पंजाब सरकार रोपड, फिरोजपुर व हरिके हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखरा-व्यास प्रबन्धन मण्डल (बी.बी.एम.बी.) को सौंप देगा। लेकिन उक्त नियंत्रण पंजाब द्वारा आज तक बी.बी.एम.बी. को नहीं सौंपा है। इस प्रकार पंजाब इन हैडवर्क्स का संचालन अपनी सुविधा अनुसार कर रहा है। पंजाब सरकार को कई बार इस विषय में निवेदन किया गया कि नियंत्रण एक स्वतंत्र इकाई जो कि बी.बी.एम.बी. है, को सौप देना चाहिए। लेकिन पंजाब द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका

में दिनांक 02.05.2005 के एक निर्णय के द्वारा 30 दिनों के भीतर पंजाब से उपरोक्त हैडवर्क्स का नियन्त्रण अपने हाथ में लेने के लिए बी.बी.एम.बी. को निर्देश दिये। पंजाब राज्य ने इस निर्णय के विरुद्ध एक विशेष याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की और उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन दिया। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

**रावी व्यास नदी के 0.6 एम.ए.एफ. पानी को वापस लौटाने हेतु :-**

रावी-व्यास नदी में 1981 के अनुबंध के अनुसार राजस्थान को 8.6 एम.ए.एफ. पानी आबंटित किया गया था। चूंकि उस समय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना निर्माणाधीन थी। अतः राजस्थान इस पूरे पानी का उपयोग करने में असमर्थ था। इसे दृष्टिगत रखते हुए अनुबंध में यह प्रावधान किया गया था कि जब तक राजस्थान उसको आबंटित जल के उपयोग करने की स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक पंजाब 0.6 एम.ए.एफ. पानी का उपयोग कर सकता है। राजस्थान के उपयोग करने में सक्षम होने तक पंजाब को जल की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

अब जब कि राजस्थान अपने पूरे हिस्से के पानी 8.6 एम.ए.एफ का उपयोग करने की स्थिति में है। अतः राजस्थान को पानी की उपलब्धता बी.बी.एम.बी. द्वारा आबंटित जल 8.6 एम.ए.एफ. के अनुसार ही करनी चाहिए। लेकिन बी.बी.एम.बी द्वारा राजस्थान को वर्तमान में 8.0 एम.ए.एफ. के अनुसार ही पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बी.बी.एम.बी. एवं भारत सरकार के स्तर पर 0.6 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान को लौटाने हेतु प्रयास जारी है।

**बी.बी.एम.बी. में राजस्थान में पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति**

पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966 की धारा 79(2)(ए) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबन्धन मण्डल में पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अभी तक यह सदस्य पंजाब एवं हरियाणा राज्यों से ही होते हैं एवं राजस्थान से किसी को भी पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं दी गई है। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्थान का रावी-व्यास नदी एवं भाखड़ा प्रणाली में अधिकांश हिस्सा है। अतः राजस्थान को बी.बी.एम.बी. में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं देना न्यायोचित नहीं है। इस विषय में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को कई पत्र लिखे गये हैं। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रयास जारी है।

## चम्बल नदी जल

**गांधी सागर बांध के केचमेंट में मध्यप्रदेश द्वारा निर्मित बांधों से बांध में पानी की आवक में कमी के संबंध में :**

गांधी सागर बांध का केचमेंट मध्य प्रदेश में स्थित है। इस केचमेंट में मध्य प्रदेश द्वारा बहुत सारे बांधी का निर्माण कर लिया है व निरन्तर कर रहा है। इससे इस बांध में पानी की आवक कम हो गई है। भारत सरकार के स्तर पर दिनांक 04.06.1983 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय जल आयोग इस विषय में विस्तृत अध्ययन करेगा। केन्द्रीय जल आयोग से अंतिम रिपोर्ट अपेक्षित है।

## यमुना नदी का जल

**यमुना जल का राजस्थान में उपयोग हेतु बनी दो परियोजनाओं पर हरियाणा सरकार की सहमति देने के लिए :**

यमुना नदी का ''केचमेंट एरिया'' उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में स्थित है। दिनांक 12.05.1994 को इन पांचों राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा एक ''मेमोरेण्डम'' आफ अन्डरस्टेंडिंग'' (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये जिसमें कि यमुना नदी में उपलब्ध पानी को पांचों राज्यों में आबंटन करने की व्यवस्था है। राजस्थान को यमुना नदी से 1.119 बी.सी.एम. पानी आबंटित किया गया है।

यमुना नदी के जल को पांचों राज्यों में बांटने के लिए ''अपर यमुना रिवर बोर्ड'' का गठन किया गया है। इस बोर्ड की 22वीं व 23वीं बैठक में एम.ओ.यू. के अनुसार राजस्थान को निम्न सारणी के अनुसार पानी मिलने का निर्णय किया गया।

**सारणी : यमुना नदी जल का सीजनल आबंटन**

| पीरियड | आबंटित जल बी.सी.एम. में | सीजनल आबंटन (क्यूसेक्स में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ताजे वाला | ओखला | कुल |
| जुलाई से अक्टूबर | 0.963 | 1917 | 1281 | 3198 |
| नवम्बर से फरवरी | 0.070 | - | 238 | 238 |
| मार्च से जून | 0.086 | - | 288 | 288 |
| कुल | 1.119 | - | | |

इस आबंटित जल के उपयोग के लिए वर्तमान में राजस्थान में 840 क्यूसेक्स की नहर प्रणाली (गुडगांव कैनाल 500 क्यूसेक्स, भरतपुर फीडर 300 क्यूसेक्स और डी एस्केप 40 क्सूसेक्स) उपलब्ध है।

यमुना नदी से आबंटित जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए राज्य द्वारा दो परियोजनाएं बनाई गई हैं। इनमें गुडगांव कैनाल व भरतपुर की क्षमता आधुनिकीकरण करने के पश्चात 1281 क्यूसेक्स करना प्रस्तावित है। परियोजना की लागत का आंकलन 175.44 करोड़ किया गया है। इससे 1.8 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

दूसरी परियोजना में हरियाणा स्थित ताजेवाला हेड से हरियाणा की नहरों के माध्यम से राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान-हरियाणा सीमा तक लाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की लागत 935 करोड़ रुपये आंकी गई है। इससे यमुना नदी के पानी द्वारा राज्य के चूरू एवं झुन्झुनूं जिले की 1.95 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा प्रस्तावित है।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग की 'टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी' (टी.ए.सी) द्वारा इस शर्त पर अनुमोदित किया है कि हरियाणा राज्य के अनुमोदन के पश्चात ही दोनों राज्यों में एक साथ कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

हरियाणा राज्य के अनुमोदन हेतु दिनांक 14.02.2003 को राजस्थान द्वारा हरियाणा सरकार को एक एम.ओ.यू. बनाकर हस्ताक्षरार्थ भेजा गया था। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर नहीं किये गये एवं यह सूचित किया कि ताजेवाला हैडवर्क्स पर अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा पानी भरते समय हरियाणा के वर्तमान उपयोग का ध्यान नहीं रखा गया। अतः हरियाणा सरकार इस मुद्दे को अपना यमुना रिव्यू कमेटी में ले जा रहा है। इस विषय में अपर यमुना रिव्यू कमेटी को निर्णय लेना है।

**माही नदी जल**

**1966 के अनुबंध की पूर्ण पालना :**

1966 के अनुबंध के अनुसार नर्मदा नदी के जल का गुजरात में प्रवाहित होने के पश्चात माही नदी के पानी का पूर्ण उपयोग राजस्थान कर सकेगा। गुजरात द्वारा इस अनुबंध की पालना की जानी चाहिये। इस विषय में गुजरात सरकार से प्रयास जारी है।

## रूपारेल नदी (अलवर) के एनीकट/डाइवर्जन का निर्माण कार्य

**262. श्री जितेन्द्र सिंह** (अलवर) एवं **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला-अलवर में रूपारेल नदी पर ग्राम घाट के पास एक एनीकट/डाइवर्जन (पूर्व में निर्मित) की मरम्मत एवं निर्माण हेतु कुछ समय पूर्व राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी राशि एवं किस योजना के अन्तर्गत यह कार्य स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कार्य को कब शुरू कर दिया जायेगा एवं कब तक पूर्ण किया जा सकेगा?

(3) इस कार्य को आरम्भ करने में देरी होने के क्या कारण रहे?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह कार्य लघु सिंचाई परियोजना अन्तर्गत राशि रुपये 310.30 लाख का स्वीकृत किया गया है।

(2) उपरोक्त कार्य का डिजाइन एवं तकनीकी तखमीना सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदाएं आमंत्रित कर कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

(3) कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात एवं कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्य का डिजाइन एवं तकनीकी तखमीना सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराना होता है, जो प्रक्रियाधीन है।

## बाड़मेर लिफ्ट पेयजल योजना की निविदाओं में अनियमितताएं

**263. श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर लिफ्ट पेयजल योजना के टेण्डरों में ठेकेदार/कम्पनियों द्वारा फर्जी दस्तावेज पेश किये गये थे? यदि हां, तो क्यों? टेण्डरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन कम्पनियों को टेण्डर डालने में एम.ओ.यू. की प्रति लगानी अनिवार्य थी? यदि हां, तो इन कम्पनियों को टेण्डर में कैसे आमंत्रित किया गया?

(3) उक्त टेण्डर प्रक्रिया में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं व इनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) टेण्डर की शर्तों के अनुसार टेण्डर भरने वाली फर्म से पाइप बनाने वाली फर्म के साथ एम.ओ.यू. की प्रति लगाई जानी अनिवार्य थी। कार्य के टेण्डर प्राप्त करने हेतु नियमानुसार समाचार पत्रों में एवं डी.आई.पी.आर. वेबसाइट पर प्रकाशन किया गया एवं निविदा प्रपत्र 'ईपरोक' वेबसाइट पर उपलब्ध करवाये गये थे।

(3) उक्त टेण्डर प्रक्रिया में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला नहीं बनता है।

## बारां जिले में कृषि कार्य हेतु लम्बित ऋण पत्रावलियां

**264. श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में वर्ष 2004 से माह जनवरी, 2008 तक किस-किस कृषक को किस-किस कृषि कार्य के लिए कितनी-कितनी ऋण राशि किस-किस दिनांक को सहकारी बैंकों द्वारा दी गई? विवरण तहसील व बैंकवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों में कौन-कौन कृषक अनुसूचित जाति, जनजाति, सहरिया एवं अल्पसंख्यक वर्ग का है? नाम पते सहित तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बारां जिले में किस-किस कृषक की ऋण पत्रावलियां वर्ष 2004 से 2007 तक निरस्त कर ऋण स्वीकृत नहीं किया गया? कृषकवार नाम पते सहित तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बारां जिले में माह फरवरी, 2008 में किस-किस कृषक की कृषि ऋण पत्रावलियां किस-किस दिनांक से किस-किस बैंक में कितनी-कितनी ऋण राशि हेतु लम्बित हैं? विवरण तहसील, बैंक व कृषक के नाम तथा पते सहित सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) बारां जिले में वर्ष 2004 से माह जनवरी 2008 तक विभिन्न कृषि कार्यों के लिए जो ऋण राशि, जिन दिनांकों में जिन कृषकों को तहसीलवार दी गई हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) बारां जिले में उक्त ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहरिया एवं अल्पसंख्यक वर्ग का विवरण तहसीलवार नाम व पते सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) बारां जिले में जिन कृषकों की ऋण पत्रावलियों को वर्ष 2004 से 2007 में निरस्त कर ऋण स्वीकृत नहीं किये गये हैं, उन कृषकों का तहसीलवार पूर्ण नाम व पते सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) बारां जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में लम्बित पत्रावलियां शून्य है। सहकारी भूमि विकास बैंक में माह फरवरी, 2008 में जिन कृषकों की ऋण पत्रावलियां लम्बित हैं, उनकी सूची ऋण राशि व दिनांक के विवरण सहित, तहसीलवार, कृषकों के नाम व पत्ते सहित परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## गंगरार की सहकारी समितियों में कार्यरत निर्वाचित बोर्ड

**265. श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कहां-कहां ग्राम सहकारी समितियां कार्यरत हैं इनमें निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सहकारी समिति सिंहाना व सहकारी समिति नेवरिया के ऋण व बैंक संबंधित कार्य चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय बैंक शाखा राशमी से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं इनमें निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों के नाम सहित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बैंक के आर्थिक व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए समितियों के जुड़ाव बाबत शाखाओं की आर्थिक सक्षमता, शाखा की लाभदायकता व शाखा कार्यभार को मध्येनजर रखा जाना आवश्यक है। इनको मध्येनजर नहीं रखने से गंगरार बैंक शाखा की लाभप्रदता पर विपरीत असर पड़ेगा एवं राशमी शाखा पर समितियां ज्यादा होने से प्रबन्ध कुशलता का अभाव हो जावेगा, जिसमें दोनों शाखाएं असक्षम हो जावेंगी।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जनजाति क्षेत्रों में निर्मित एनीकटों की गुणवत्ता का निरीक्षण

**266. श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जन जाति क्षेत्र में एनीकट निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो 2003 से अब तक की अवधि में कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी व्यय की जा चुकी है तथा कितनी व्यय की जानी शेष है? माडा, माडा कलस्टर बिखरी जन जाति तथा जन जाति क्षेत्रीय विकास योजना आदि में स्वीकृत राशि की वर्षवार पृथक्-पृथक्, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य किस-किस एजेन्सी द्वारा करवाये गये तथा शेष रहे एनीकट के निर्माण किसके द्वारा करवाये जाने हैं? जिलेवार पृथक्-पृथक् विवरण एजेन्सी के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निर्मित एनीकट वर्षा के समय या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान के किस-किस कारण से तथा इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि एनिकटों के निर्माण के डिजाइन तथा निर्माण सामग्रीटिंग्स की शुद्धता का आकलन किया जाता है? यदि हां, तो किस प्रकार से किसके द्वारा तथा इस संबंध में कमी रखने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? नियमों/परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के एनीकट निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में एनिकट निर्माण हेतु वर्ष 2003-04 से अब तक कुल राशि 3614.65 लाख स्वीकृत की गई है। जिसमें से राशि 2405.92 लाख रुपये व्यय की गई तथा राशि 1208.72 लाख रुपये व्यय की जानी शेष है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इसी प्रकार गैर उपयोजना क्षेत्र हेतु उक्त अवधि में कुल राशि 1556.15 लाख स्वीकृत की गई है जिसमें से राशि 761.54 लाख व्यय की गई तथा राशि 794.61 लाख व्यय की जानी शेष है। माडा क्षेत्र, माडा कलस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र में वर्षवार स्वीकृत राशि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

सहरिया क्षेत्र हेतु कुल राशि 88.86 लाख स्वीकृत की गई है जिसमें से राशि 95.37 लाख व्यय की गई है। परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 2003-04 से अब तक स्वीकृत

(जनजाति क्ष्ेात्रीय विकास मंत्री)

एनिकट निर्माण कार्य जिन एजेन्सियों से कराये गये/कराये जा रहे हैं, उनकी सूची जिलेवार परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

गैर उपयोजना क्षेत्र हेतु उक्त निर्माण कार्य सम्बन्धित जिला परिषद द्वारा पंचायत समिति (राशि 5.00 लाख से कम) एवं सिंचाई विभाग (राशि 5.00 लाख से अधिक) द्वारा कराये जाते हैं। जिलेवार एजेन्सी परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

सहरिया क्षेत्र हेतु एनिकटों का निर्माण कार्यकारी एजेन्सी अधिशासी अभियंता जन संसाधन विभाग, बारां द्वारा कराया गया है।

(3) उपयोजना क्षेत्र में वर्षा के समय या अन्य कारणों से कोई एनिकट क्षतिग्रस्त होने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है तथा गैर उपयोजना क्षेत्र में जिला परिषदों से प्राप्त सूचना अनुसार विगत वर्षों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निर्मित कोई भी एनिकट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

(4) जी हां। यह सही है कि निर्माण के डिजाइन तथा निर्माण सामग्री की शुद्धता का आंकलन तकनीकी अधिकारी/कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा किया जाता है। तकनीकी गुणवत्ता के मापदण्ड के अनुसार कार्य नहीं होता है तो तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। सरकारी एजेन्सीयों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। गैर सरकारी एजेन्सीयों के लिए अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## आवासीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम

**267. श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कुल कितने आवासीय विद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? प्रत्येक विद्यालय में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? कक्षावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें। प्रत्येक विद्यालय कब से संचालित हो रहे हैं?

(2) प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कुल कितने-कितने कर्मी कार्यरत हैं? कौन-कौन से पद सृजित हैं एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(3) प्रत्येक आवासीय विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (बोर्ड) का गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम कितने-कितने प्रतिशत रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान में कुल 11 आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। स्थानवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कार्यरत कर्मी, सृजित पद, रिक्त पद तथा जब से पद रिक्त है उनका ब्यौरा परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) प्रत्येक आवासीय विद्यालय में माध्यमिक बोर्ड का परीक्षा परिणाम का प्रतिशत परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

**परिशिष्ट-1**

**वित्तीय वर्ष 2007-08 में आवासीय विद्यालयों में कक्षावार अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना**

| क्र.सं. | आवासीय विद्यालय का नाम | जिला | कक्षा | | | | | | | | आवासीय विद्यालय प्रारम्भ करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | योग | |
| 1 | सलूम्बर (छात्रा) | उदयपुर | 37 | 44 | 49 | 45 | 42 | 21 | | 238 | 14/11/2002 |
| 2 | कोटड़ा (बालक) | | 19 | 30 | 34 | 32 | 32 | 11 | | 158 | 14/11/2002 |
| 3 | खेरवाड़ा (बालक) | | 47 | 48 | 47 | 49 | 41 | 31 | | 263 | 31/1/2003 |
| 4 | कुशलगढ़ (बालक) | बांसवाड़ा | 37 | 34 | 47 | 48 | 32 | 26 | | 224 | 14/11/2002 |
| 5 | सीमलवाड़ा (बालक) | डूंगरपुर | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | | 275 | 31/1/2003 |
| 6 | प्रतापगढ़ (बालक) | प्रतापगढ़ | 37 | 43 | 46 | 42 | 35 | 27 | | 230 | 14/11/2002 |
| 7 | आबूरोड (बालक) | सिरोही | 26 | 34 | 30 | 39 | 26 | 7 | | 162 | 14/11/2002 |
| 8 | निवाई (छात्रा) | टोंक | 48 | 47 | 49 | 50 | 48 | 50 | 29 | 321 | 14/11/2002 |

| वित्तीय वर्ष 2007-08 में आवासीय विद्यालयों में कक्षावार अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना | | | | | | | | | | | | आवासीय विद्यालय प्रारम्भ करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | आवासीय विद्यालय का नाम | जिला | कक्षा | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | योग | | |
| 9 | झालरापाटन (बालक) | झालावाड़ | 48 | 50 | | | | | | 98 | | 00/09/2007 |
| 10 | शाहबाद (बालक) | बारां | 88 | 72 | 43 | 39 | 41 | 7 | | 290 | | 14/11/2002 |
| 11 | शाहबाद (बालक) | बारां | 60 | 33 | | | | | | 93 | | 2/8/2007 |
| | | **योग** | **497** | **485** | **395** | **394** | **347** | **205** | **29** | **2352** | | |

**परिशिष्ट-3**

**1. वर्ष 2004-05**

आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2004-05 में कक्षायें नवीं तक थी इसलिये बोर्ड की परीक्षायें आयोजित नहीं हुई।

**2 आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2005-06 में माध्यमिक (बोर्ड) का परीक्षा परिणाम का प्रतिशत**

| क्र.सं. | आवासीय विद्यालय का नाम | जिला | कक्षा 10 का परिणाम | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | परीक्षा में प्रवेशित छात्र सं. | उत्तीर्ण छात्र सं. | परिणाम का प्रतिशत |
| 1 | सलूम्बर (छात्रा) | उदयपुर | 30 | 8 | 26.67 |
| 2 | कोटड़ा (बालक) | | 15 | 1 | 6.67 |
| 3 | खेरवाड़ा (बालक) | | 42 | 12 | 28.57 |
| 4 | कुशलगढ़ (बालक) | बांसवाड़ा | 48 | 5 | 10.42 |
| 5 | सीमलवाड़ा (बालक) | डूंगरपुर | 47 | 6 | 12.77 |
| 6 | प्रतापगढ़ (बालक) | प्रतापगढ़ | 27 | 18 | 66.67 |
| 7 | आबूरोड (बालक) | सिरोही | 13 | 0 | 0.00 |
| 8 | निवाई (छात्रा) | टोंक | 41 | 15 | 36.59 |
| 9 | शाहबाद (बालक) | बारां | 23 | 1 | 4.35 |
| **योग** | | | **286** | **66** | **23.08** |

**3.　　आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2006-07 में माध्यमिक (बोर्ड) का परीक्षा परिणाम का प्रतिशत**

| क्र. सं. | आवासीय विद्यालय का नाम | जिला | कक्षा 10 का परिणाम | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | परीक्षा में प्रवेशित छात्र सं. | उत्तीर्ण छात्र सं. | परिणाम का प्रतिशत |
| 1 | सलूम्बर (छात्रा) | उदयपुर | 5 | 3 | 60.00 |
| 2 | कोटड़ा (बालक) | | 21 | 4 | 19.05 |
| 3 | खेरवाड़ा (बालक) | | 36 | 26 | 72.22 |
| 4 | कुशलगढ़ (बालक) | बांसवाड़ा | 15 | 8 | 53.33 |
| 5 | सीमलवाड़ा (बालक) | डूंगरपुर | 20 | 4 | 20.00 |
| 6 | प्रतापगढ़ (बालक) | प्रतापगढ़ | 22 | 12 | 54.55 |
| 7 | आबूरोड (बालक) | सिरोही | 7 | 6 | 85.71 |
| 8 | निवाई (छात्रा) | टोंक | 49 | 31 | 63.27 |
| 9 | शाहबाद (बालक) | बारां | 24 | 10 | 41.67 |
| | | **योग** | **199** | **104** | **52.26** |

नोट:- 1　आवासीय विद्यालय झालरापाटन (झालावाड) एवं किशनगंज (बारां) को वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ किये जाने एवं कक्षा 6 व 7 का ही संचालन किये जाने से अभी बोर्ड स्तर की कक्षाएं संचालित नहीं हैं।

## फलासिया विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद कर्मियों के रिक्त पद

**268. श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उपखण्ड झाडोल एवं कोटड़ा में आयुर्वेद चिकित्सक एवं कम्पाउण्डर के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में संचालित 21 विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सकों के 8 पद तथा नर्स/कम्पाउण्डर का एक पद रिक्त है।

आयुर्वेद चिकित्सक के रिक्त पदों को भरे जाने पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक है।

नर्स/कम्पाउण्डर के 419 रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

# परिशिष्ट-1

## (तारांकित प्रश्न संख्या-138 की सूचना)

## गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रदेश में की जा रही क्रियान्विति से संबंधित सूचना

- माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया जा चुका है।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर समुचित प्राधिकारियों का मनोनयन किया जा चुका है।
- राज्य, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर समुचित प्राधिकारियों की गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत दायित्वों के निर्वहन में सलाह हेतु नियमानुसार सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है।
- निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा समस्त संयुक्त निदेशक जोन के नेतृत्व में, एक निरीक्षण दल का गठन किया गया है।
- राज्य में पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हतु राज्य स्तर पर एक हैल्थ मैनेजर, एक विधि विशेषज्ञ एवं एक डाटा एन्ट्री आपरेटर की संविदा पर नियुक्ति कर पीसीपीएनडीटी सैल का गठन किया जा चुका है।
- जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर पीसीपीएनडीटी सैल का गठन किया जा रहा है।
- राज्य में पीसीपीएनडीटी एक्ट की क्रियान्विति से संबंधित समस्त सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वैबसाईट www.rajwasthya.nic.in/PNDT.htm पर आमजन को उपलब्ध कराई गई है।
- राज्य में लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना/शिकायत हेतु एक हैल्पलाईन नं. 0141-2222422 व ई मेल pepndt@yahoo.co.in आमजन, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को उपलब्ध कराया गया है। जिसका कि विज्ञापनों, होर्डिंग्स, टीवी इत्यादि के जरिये प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

- राज्य पीसीपीएनडीटी सैल द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानो द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीक के प्रयोग से संबंधित समुचित प्राधिकारी को भेजे जाने वाले रिकार्ड का आडिट शुरू किया गया है।
- राज्य पीसीपीएनडीटी सैल द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में समुचित प्राधिकारियों की सहायता हेतु एक सहायक निर्देशिका (हैण्ड बुक) तैयार की जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन, लिंग जांच व कन्या भ्रूण हत्या रोकने को प्रमुखता देते हुए इसके लिए प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेशन प्लान 2007-08 में पर्याप्त बजट (64.50 लाख) रखा गया है।
- जिला स्तर पर कार्यशालाओं के आयोजन हेतु प्रत्येक जिले को दो कार्यशालाओं के लिए 50000/- रुपये एवं अन्य पीएनडीटी कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक जिले को 50000/- की राशि भिजवाई जा चुकी है।
- आमजन में लिंग जांच विरुद्ध, जन जागरुकता हेतु राज्य सरकार कल्याण बोर्ड को 16 लाख रुपये की राशि आवंटन की गई जिसमें से बोर्ड द्वारा जिला स्तरीय कार्यशालाओं रैली, शिविर, इत्यादि का आयोजन किया गया।
- जिला एवं उपखण्ड समुचित प्राधिकारियों के आमुखीकरण हेतु एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 07-08 मई, 2007 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में किया गया।
- विभाग द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त के निर्देशन में संभाग के समस्त जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ संभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें दिनांक 02.11.2007 को बीकानेर संभाग की कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है।

**राज्य में समुचित प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही :-**

- 48 संस्थानों के पंजीकरण निलम्बित/निरस्त किये गये हैं।
- 308 संस्थानों का निरीक्षण समुचित प्राधिकारियों द्वारा किया गया है।

- 46 चिकित्सकों/प्रसाविका/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत परिवाद पेश किया जा चुका है।
- 28 चिकित्सकों एवं 1 प्रसाविका के विरुद्ध एफआईआर निदेशक (प.क.) एवं अन्य समुचित प्राधिकारियों द्वारा एमटीपी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के संबंध में दर्ज कराई गई है।
- 22 संस्थानों की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन/लिंग जांच में सक्षम तकनीक/उपकरण को सील व सीज संबंधित समुचित प्राधिकारियों द्वारा किया गया है।
- 308 संस्थानों का समुचित प्राधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण किया गया जिनमें से 13 संस्थानों के पंजीकरणों को निलम्बित/निरस्त किया गया।

# परिशिष्ट-2

## (तारांकित प्रश्न संख्या-139 के मापदण्ड)

## सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा काश्तकारों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाने के मुख्य मानदण्ड

- काश्तकारों को सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, बैंक का सदस्य बनने के लिए 10 रु. का प्रवेश शुल्क तथा एक हिस्सा क्रय करने हेतु 100/- रुपये जमा कराने होते हैं। कृषक द्वारा 10 रुपये मूल्य के निर्धारित आवेदन पत्र में ऋण आवश्यकता तथा प्रतिभूति का विवरण देते हुये ऋण हेतु आवेदन किया जाता है।
- ऋण आवेदन पत्र के साथ अंतिम जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि या ता-तारीख पूर्ण राजस्व पासबुक, चालू खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि, भूमि का प्रमाणित नक्शा, शपथ पत्र/ ना-बकायात प्रमाण पत्र, ऋण के उद्देश्य का विवरण तथा उस पर होने वाले खर्च का अनुमानित ब्यौरा अथवा कोटेशन प्रस्तुत किये जाते हैं।
- भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषकों को, कृषि भूमि की प्रतिभूति पर, कृषि भूमि के 3 वर्ष के औसत बिक्री मूल्य में प्रस्तावित विकास कार्य के सुधार खर्च को जोड़कर उसके 60 प्रतिशत तक अथवा 3 वर्ष के औसत बिक्री मूल्य के 80 प्रतिशत तक आंकलित ऋण क्षमता, ऋण चुकौती क्षमता तथा इकाई लागत के आधार पर, ऋण स्वीकृत किये जाते हैं। ट्रेक्टर ऋण हेतु काश्तकार के पास कम से कम 6 एकड़ बारहमासी सिंचित कृषि भूमि या इसके अनुपात में अन्य प्रकार की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिये।
- ऋण स्वीकृति के अधिकार :-

**(अ) राशिवार ऋण स्वीकृति के अधिकार**

प्रा.स.भू.वि. बैंक स्तर पर

| **क्र.सं.** | **ऋण राशि** | **स्वीकृति हेतु सक्षम** |
|---|---|---|
| 1 | रुपये 50,000 तक | शाखा सचिव |
| 2 | रुपये 50,001 से 2,50,000 तक | सचिव |
| 3 | रुपये 2,50,001 से 5,00,000 तक | अध्यक्ष/प्रशासक |
| 4 | रुपये 5,00,000 से अधिक | संचालक मण्डल ऋण उप समिति/प्रशासक |

**(ब) उद्देश्यवार ऋण स्वीकृति के अधिकार**

उद्देश्यवार ऋण स्वीकृति के आधार पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृति के अधिकार निम्न प्रकार हैं :-

(1) उपरोक्त राशिवार ऋण स्वीकृति के अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर लघु सिंचाई एवं कृषि यंत्रीकरण उद्देश्यों हेतु ऋण स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, उद्यानिकी, भारवाहक पशु/पशुचालित गाडियां, भूमि सुधार, रेशमकीट पालन आदि हेतु 3.50 लाख रुपये तक के ऋण, 3.50 लाख रुपये से अधिक एवं 20.00 लाख तक के ऋण राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर एवं 20 लाख से अधिक की राशि के ऋण, राष्ट्रीय बैंक के स्तर पर स्वीकृत किए जाते हैं।

(3) मत्स्य पालन हेतु 2 हैक्टेयर पोण्ड तक के ऋण प्राथमिक बैक स्तर पर एवं इससे अधिक के ऋण (अधिकतम 20.00 लाख तक) राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर तथा 20 लाख से अधिक के ऋण, राष्ट्रीय बैंक के स्तर पर स्वीकृत किए जाते हैं।

(4) वर्मी कम्पोस्ट हेतु 50 मैट्रिक टन तक के ऋण प्राथमिक बैक स्तर पर तथा इससे अधिक के ऋण राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(5) मधुमक्खी पालन हेतु 10 बक्सों तक के ऋण प्राथमिक बैंक स्तर पर तथा इससे अधिक के ऋण राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(6) जल प्रबन्धन योजनाएं, सूअर पालन, औषधीय पौधों की खेती, कृषि स्नातकों को कृषि क्लीनिक, कम्बाइन हार्वेस्टर एवं ग्रामीण गोदाम आदि उद्देश्यों हेतु ऋण राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(7) वेन्चर केपीटल योजना के अन्तर्गत ऋण राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(8) फसली ऋण की अधिकतम सीमा 3.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर स्वीकृत किया जाता है।

- कृषक से स्वीकृत ऋण राशि के 0.25 प्रतिशत के बराबर प्रशासनिक शुल्क लिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 5,000/- है।
- ऋण स्वीकृति के पश्चात आवेदक द्वारा रहन पत्र का निष्पादन किया जाता है। रहन पत्र की प्रतियां सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 78 के अन्तर्गत संबंधित उप पंजीयक को बुक नं. 1 में इन्द्राज हेतु भिजवायी जाती है।
- हिस्सा राशि :- रुपये 2.00 लाख तक के ऋणों पर कृषक द्वारा ऋण वितरण राशि के 5 प्रतिशत के बराबर तथा रुपये 2.00 लाख से अधिक के ऋणों पर ऋण वितरण राशि के 3 प्रतिशत के बराबर हिस्से क्रय किये जाते हैं। यदि ऋण एक किश्त में बांटा जाता है तो आवेदक को एक समय में पूरी हिस्सा राशि जमा करानी होती है। यदि ऋण दो या अधिक किश्तों में बांटा जाता है तो आवेदक द्वारा ऋण किश्तों की राशि के अनुपात में हिस्से क्रय किये जाते हैं।
- बुक नं. 1 में कृषक द्वारा निष्पादित रहन पत्र का इन्द्राज होने तथा बैंक के पक्ष में नामान्तकरण खुल जाने के बाद ऋण वितरण एक या एक से अधिक किश्तों में किया जाता है। पम्पसेट, ट्रेक्टर, स्प्रिंकलर आदि मशीनरी मामलों में ऋण का भुगतान एक ही किश्त में किया जाता है। भूमि सुधार एवं विविधिकृत कृषि उद्देश्यों हेतु ऋण का भुगतान एक से अधिक किश्तों में किया जाता है।

# परिशिष्ट-3

## (तारांकित प्रश्न संख्या-143 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'-1

**अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड भीनमाल द्वारा वर्ष 2004 से अब तक सड़कों की मरम्मत/पेच वर्क के मद में स्वीकृत विधान सभा क्षेत्र भीनमाल सें वर्षवार सड़कों पर पेच मरम्मत व्यय निम्नानुसार किया गया**

| वर्ष | सडक मरम्मत (पेच रिपेयर) मद में खण्ड का आबंटन (लाखों में) | कुल व्यय (लाखों में) | विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में व्यय राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | 87.20 | 87.20 | 13.64 |
| 2005-06 | 54.00 | 54.01 | 6.74 |
| 2006-07 | 64.00 | 71.62 | 7.78 |
| 2007-08 | 39.69 | 36.84 | 4.02 |

परिशिष्ट 'अ'-2

## सा.नि.वि. खण्ड भीनमाल

| क्र. सं. | सड़क का नाम | वर्गीकरण | लम्बाई (किमी) | स्वीकृत एवं व्यय विवरण राशि (लाखों में) | | | | योग (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | |
| 1 | जालोर-भीनमाल-रानीवाडा (एस.एच. 31) | स्टेट हाइवे | 29.00 | 0.40 | 1.43 | 4.36 | 3.18 | 9.37 |
| 2 | सायला-बागोडा जिला सीमा तक | जिला सडक | 13.00 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.51 |
| 3 | रेवदर-जसवन्तपुरा-बागोडा | जिला सडक | 67.00 | - | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | भीनमाल-जसवन्तपुरा | ओ.डी.आर. | 9.00 | 0.96 | 0.60 | - | 0.05 | 1.61 |
| 5 | भीनमाल-सांचोर वाया करडा | ओ.डी.आर. | 14.00 | 1.60 | 1.16 | - | 0.38 | 3.14 |
| 6 | मेडा से भालनी | ग्रामीण सड़क | 5.00 | 0.40 | - | - | - | 0.40 |
| 7 | नरसाणा से झाब | ग्रामीण सड़क | 16.00 | 0.78 | - | - | - | 0.78 |
| 8 | बागोडा से धूंबडिया | ग्रामीण सड़क | 7.00 | 0.21 | - | - | - | 0.21 |
| 9 | सम्पर्क सडक गोडी पार्श्वनाथ | ग्रामीण सड़क | 1.00 | 0.10 | - | - | - | 0.10 |

| क्र. सं. | सड़क का नाम | वर्गीकरण | लम्बाई (किमी) | स्वीकृत एवं व्यय विवरण राशि (लाखों में) | | | | योग (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | |
| 10 | भीनमाल-भादरला | ग्रामीण सड़क | 8.00 | 1.87 | - | - | - | 1.87 |
| 11 | भीनमाल-पुनासा | ग्रामीण सड़क | 19.00 | 2.34 | 0.03 | 0.62 | - | 2.99 |
| 12 | भीनमाल-पांथेडी | ग्रामीण सड़क | 31.00 | 4.27 | 0.43 | - | - | 4.70 |
| 13 | धूंबडिया-मोरसिम | ग्रामीण सड़क | 12.00 | 0.57 | - | - | - | 0.57 |
| 14 | सम्पर्क सडक धूंबडिया | ग्रामीण सड़क | 1.00 | - | 1.82 | - | - | 1.82 |
| 15 | जूंजाणी-कावतरा-जेतू | ग्रामीण सड़क | 12.50 | - | 0.70 | - | - | 0.70 |
| 16 | बागोडा-धूंबडिया-रंगाला | ग्रामीण सड़क | 16.00 | - | 0.40 | - | - | 0.40 |
| 17 | जैसावास से नांदिया | ग्रामीण सड़क | 8.00 | - | - | 0.93 | - | 0.93 |
| 18 | धूंबडिया से लाखनी | ग्रामीण सड़क | 7.50 | - | - | 0.83 | - | 0.83 |
| 19 | राउता से मोरसिम | ग्रामीण सड़क | 8.00 | - | - | 0.94 | - | 0.94 |
| | **योग** | | | **13.64** | **6.74** | **7.78** | **4.02** | **32.18** |

परिशिष्ट 'ब'

## वर्ष 2006-07 में विभिन्न सड़कों पर मरम्मत कार्य पेटे व्यय विवरण

### सा.नि.वि. खण्ड भीनमाल

| क्र.सं. | सड़क का नाम | व्यय राशि विवरण 2006-07 (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | जालोर-भीनमाल-रानीवाडा (एस.एच. 31) | 26.14 |
| 2 | सांचोर-रानीवाडा-मंडार (एस.एच. 11) | 4.33 |
| 3 | रामसीन कालन्द्री सिरोही (एस.एच. 38) | 0.25 |
| 4 | सांचोर गुजरात बोर्डर वाया पीर की जाल | 0.54 |
| 5 | सांचोर भवातरा बकासर | 4.37 |
| 6 | रेवदर-जसवन्तपुरा-बागोडा | 0.64 |
| 7 | सायला-बागोडा सडक | 0.10 |
| 8 | रामसीन जसवन्तपुरा | 2.95 |
| 9 | मालवाडा जसवन्तपुरा | 0.89 |
| 10 | कुडा से करडा | 0.10 |
| 11 | एन.एच. 15 से झाब आकोली रोड | 1.87 |
| 12 | जैसावास से नांदिया | 0.93 |
| 13 | केसूरी जानवी सूंथडी | 2.35 |
| 14 | बागोडा-धूंबडिया-रंगाला | 1.97 |
| 15 | पावली पहाडपुरा | 0.30 |
| 16 | करडा से झाब | 4.17 |
| 17 | रानीवाडा से जाखडी | 0.48 |
| 18 | सम्पर्क सड़क कारोला | 1.48 |
| 19 | भीनमाल पुनासा | 0.62 |
| 20 | चितलवाना से होतीगांव | 0.08 |
| 21 | आमली डावल डेडवा | 0.04 |
| 22 | सम्पर्क सड़क किलवा | 0.06 |
| 23 | सेसावा से दूठवा | 0.09 |
| 24 | सांकड गुंदाउ खारा | 1.58 |

| क्र.सं. | सड़क का नाम | व्यय राशि विवरण 2006-07 (लाखों में) |
|---|---|---|
| 25 | सांकड से लाछीवाडा | 1.70 |
| 26 | रानीवाडा धानोल | 1.60 |
| 27 | जसवन्तपुरा रेवदर | 0.20 |
| 28 | खेडा से लियादरा | 2.20 |
| 29 | सेवाडा झाब | 1.31 |
| 30 | धूंबडिया लाखनी | 0.83 |
| 31 | राउता मोरसिम | 0.94 |
| 32 | भरूडी तवाब मोदरा | 0.37 |
| 33 | सांचोर से सरवाना | 2.77 |
| 34 | सिरोही कालन्द्री रामसीन (बाढ़ साधारण मरम्मत) | 3.37 |
| | **योग** | **71.62** |